ध्येयIAS®
most trusted since 2003

# परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

मार्च 2025
वर्ष : 07 | अंक : 03
मूल्य : ₹140

dhyeyaias.com

# महाकुंभ 2025

## ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन और भीड़ प्रबंधन चुनौतियां

**मुख्य विशेषताएं**

- पावर पैक्ड न्यूज
- वन लाइनर
- यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस

## पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

**विनय सिंह**
***संस्थापक***
**ध्येय** IAS

### टीम परफेक्ट 7

| | | |
|---|---|---|
| संस्थापक | : | विनय सिंह |
| प्रबंध संपादक | : | विजय सिंह |
| संपादक | : | आशुतोष मिश्र |
| उप-संपादक | : | भानू प्रताप |
| | : | ऋषिका तिवारी |
| डिजाइनिंग | : | अरूण मिश्र |
| आवरण सज्जा | : | सोनल तिवारी |

### -: साभार :-

**PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य**

-: For any feedback Contact us :-

**+91 9369227134**

**perfect7magazine@gmail.com**

ध्येयIAS
most trusted since 2003

# परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

## इस अंक में ...


### 1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति ...... 05-16

- ☑ महाकुंभ मेलाः ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन और भीड़ प्रबंधन चुनौतियां
- ☑ भारत में अल्पसंख्यक कल्याणः समावेशी विकास सुनिश्चित करना
- ☑ दुर्लभ रोग के उपचार के लिए वित्तीय सहायता
- ☑ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024
- ☑ उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- ☑ भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में सुधार
- ☑ स्किल इंडिया प्रोग्राम
- ☑ घरेलू कामकाजी श्रमिकों के संरक्षण पर समिति गठित करने का निर्देश
- ☑ मैन्युअल स्कैवेंजिंग
- ☑ सरस आजीविका मेला

### 2. राजव्यवस्था एवं शासन .............. 17-41

- ☑ डिजिटल सामग्री नियमनः नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन
- ☑ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिताः एक गहन विश्लेषण
- ☑ अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025: एक व्यापक विधायी ढांचा
- ☑ भारत में मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की संस्कृतिः सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं और विविध आयाम
- ☑ वैवाहिक बलात्कार और धारा 377 पर न्यायिक निर्णय
- ☑ पीएमएलए मामलों में जमानत के लिए कड़े निर्देश
- ☑ मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- ☑ भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति
- ☑ प्रतिस्पर्धा कानूनों में संशोधनः सीसीआई का नया मसौदा विनियमन 2025
- ☑ नक्शा (NAKSHA) परियोजना
- ☑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया
- ☑ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन
- ☑ फ्रीबी संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- ☑ शून्य विवाहों में भरण-पोषण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- ☑ टोल कर में कमी और राजमार्ग प्रबंधन सुधार पर पीएसी की सिफारिश
- ☑ प्रवास और विदेशी विधेयक, 2025
- ☑ तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवादः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- ☑ उच्चतम न्यायालय का गिरफ्तारी पर निर्णय
- ☑ वन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- ☑ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्र-राज्य गतिरोध

### 3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध ...................... 42-60

- ☑ भारत-कतर सामरिक साझेदारीः भू-राजनीतिक बदलावों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती
- ☑ भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीतियांः क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी
- ☑ संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का निर्वासनः निहितार्थों का विश्लेषण
- ☑ कुक आइलैंड्स-चीन समझौता
- ☑ आठवां हिंद महासागर सम्मेलन
- ☑ भारत-अमेरिका TRUST पहल
- ☑ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संकट
- ☑ भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा
- ☑ एआई एक्शन समिट 2025
- ☑ भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि
- ☑ भारत और यू.के. के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती
- ☑ बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से संबंध तोड़ा
- ☑ अमेरिकी राष्ट्रपति का मेमोरेंडमः चाबहार पोर्ट पर प्रभाव
- ☑ अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से वापसी

## 4. पर्यावरण ........................................ 61-79

- ☑ भारत में बाघ आबादी: वृद्धि, चुनौतियां और संरक्षण रणनीतियाँ
- ☑ सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत: 100 GW की ऐतिहासिक उपलब्धि
- ☑ पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र स्तर
- ☑ पीटलैंड पर बढ़ता संकट
- ☑ दिल्ली की भूकंपीय संवेदनशीलता
- ☑ भारत का पहला इंटरटाइडल बायोब्लिट्ज
- ☑ भारत में अफ्रीकी चीतों के पुनर्स्थापन पर चिंताएँ
- ☑ केरल में बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष
- ☑ मरीन हीटवेव्स
- ☑ पवित्र वन (Sacred Groves)
- ☑ उत्तरी ध्रुव के तापमान में वृद्धि
- ☑ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
- ☑ अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर समाप्त
- ☑ नई एलेटारिया प्रजातियाँ
- ☑ चार नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया
- ☑ भारत में बाघों के निवास पैटर्न
- ☑ भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर जलवायु घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव
- ☑ देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बना मध्य प्रदेश

## 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ................. 80-91

- ☑ एआई शिखर सम्मेलन 2025: वैश्विक एआई शासन को आकार देना
- ☑ गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति की जांच के लिए टेबलटॉप प्रयोग
- ☑ टेपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल दवाओं पर प्रतिबंध
- ☑ मेजराना 1 क्वांटम चिप
- ☑ आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू का प्रकोप
- ☑ आइंस्टीन रिंग्स
- ☑ लंपी स्किन डिजीज के लिए वैक्सीन को मंजूरी
- ☑ इनोवेटिव कंडक्टिव टेक्सटाइल का निर्माण
- ☑ जॉर्जिया मलेरिया उन्मूलन करने वाला 45वां देश
- ☑ SRY जीन और लिंग निर्धारण
- ☑ नाइजर बना ऑन्कोसेरकेयसिस (रिवर ब्लाइंडनेस) समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश
- ☑ सुजेट्रिजीन

## 6. आर्थिकी ........................................ 92-105

- ☑ वैश्विक श्रम बाजार का भविष्य और भारत की बढ़ती भूमिका
- ☑ भारत में माइक्रोफाइनेंस: विकास, चुनौतियाँ और आगे की राह
- ☑ गिग श्रमिकों के लिए पेंशन नीति
- ☑ आयकर विधेयक, 2025
- ☑ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी
- ☑ पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs)
- ☑ आरबीआई ने रेपो दर में की कमी
- ☑ डिजिटल भुगतान में वृद्धि
- ☑ क्रिप्टोकरेंसी
- ☑ आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों के लिए दंड के मानदंड कड़े किए
- ☑ स्नातक कौशल सूचकांक 2025

## 7. आंतरिक सुरक्षा ............................ 106-110

- ☑ माओवादी विरोधी अभियानों में तेजी सुरक्षा और विकास का समन्वित प्रयास
- ☑ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक
- ☑ एयरो इंडिया 2025: स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नवाचार की ओर बढ़ता भारत

पावर पैक्ड न्यूज ................................. 111-125

वन लाइनर्स ..................................... 126-127

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न .... 128-136

# 1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

## महाकुंभ मेलाः ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन और भीड़ प्रबंधन चुनौतियां

भारत के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले ने वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बन गया है जिसमें लगभग 60 करोड़ (600 मिलियन) से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए हैं। महाकुंभ का आयोजन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम स्थल पर होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह आयोजन न केवल भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा भी है। इसकी तुलना यदि विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या से की जाए, तो यह अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो जाता है। इतनी विशाल जनसंख्या का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी लेकर आता है।

### महाकुंभ मेलाः

- महाकुंभ हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक भव्य धार्मिक मेला है, जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह आयोजन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आयोजित होता है, जहाँ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं।
- हालाँकि, अत्यधिक भीड़ के दबाव के कारण अव्यवस्था फैल गई, जब कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेड तोड़ दिए और कतारों को पार करते हुए अन्य तीर्थयात्रियों को कुचल दिया, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए।
- इस त्रासदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

### सामूहिक समारोहों के प्रबंधन की चुनौतियाँः

- महाकुंभ मेले ने अपने अभूतपूर्व आकार और श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या के कारण प्रशासन के लिए असाधारण चुनौतियाँ प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा व्यापक तैयारियाँ की गई थीं, जिनमें क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित करना और वीआईपी पहुँच को प्रतिबंधित करना शामिल था। हालाँकि, उपस्थित लोगों की विशाल संख्या ने व्यवस्थाओं को प्रभावित

कर दिया।

- प्रशासन ने बड़ी भीड़ की संभावना को ध्यान में रखा था, फिर भी वास्तविक संख्या अपेक्षाओं से कहीं अधिक रही। इस मेले में हुई त्रासदी ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन को सुचारु रूप से प्रबंधित करने हेतु आवश्यक योजना और बुनियादी ढाँचे की पर्याप्तता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

## भीड़ प्रबंधन में प्रमुख मुद्दे:

- भीड़ के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना अत्यंत आवश्यक है। भय, चिंता, उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाएँ घबराहट और अनियंत्रित गतिविधि को बढ़ावा देती हैं। इस आयोजन में भी भीड़भाड़, अपर्याप्त निकास बिंदु और सुरक्षा उपायों की कमी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया।
- मौनी अमावस्या के अवसर पर भीड़ नियंत्रण की विफलता के कारण कई लोगों की जान चली गई। यह घटना योजना और क्रियान्वयन में मौजूद महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करती है।
- भारत में धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन की रणनीति प्रायः प्रतिक्रियात्मक होती है, जबकि इसे सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। अधिकारियों को ऐसी प्रभावी प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए जो:
  - » भीड़ के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकें।
  - » संभावित जोखिमों को कम कर सकें।
  - » उभरते खतरों पर त्वरित प्रतिक्रिया दे सकें।
- भीड़ के घनत्व की निगरानी के लिए ड्रोन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही, हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने से लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- महाकुंभ जैसी त्रासदियों को रोकने के लिए मेला में,विशेषज्ञ बुनियादी ढांचे और आधुनिक भीड़ नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर देते हैं।

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और भीड़ प्रबंधन रणनीतियाँ:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बड़े आयोजनों, विशेषकर धार्मिक समारोहों के दौरान भीड़ प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया था। रिपोर्ट में भगदड़ के प्रमुख कारणों की पहचान की गई, जिनमें शामिल हैं–
  - » अत्यधिक भीड़
  - » अपर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार
  - » कमजोर बुनियादी ढाँचा
  - » प्रशासनिक समन्वय की कमी
- **भीड़ प्रबंधन रणनीतियाँ:**
  - » **लोगों के आगमन को नियंत्रित करना:** पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का प्रबंधन करना तथा प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करना।
  - » **कार्यक्रम स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करना:** चौड़े मार्गों, उचित बैरिकेडिंग और अन्य बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुनियोजित आवाजाही सुनिश्चित करना चाहिए।
  - » **सुनियोजित निकास प्रबंधन:** पर्याप्त संख्या में निकास बिंदु (Exit Points) बनाए जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाए कि भीड़ को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकास मार्गों की ओर निर्देशित किया जाए।

## भीड़ आपदाओं की रोकथाम में तकनीक की भूमिका:

- भीड़ प्रबंधन में आधुनिक तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ड्रोन निगरानी और वास्तविक समय डेटा एनालिटिक्स का उपयोग प्रशासन को भीड़ के व्यवहार की सक्रिय निगरानी और त्वरित हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है।

## तकनीकी समाधान:

- **ड्रोन निगरानी:** ड्रोन भीड़ का हवाई दृश्य उपलब्ध कराते हैं, जिससे अधिकारियों को भीड़ के आवागमन पैटर्न का आकलन करने और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करने में सहायता मिलती है।
- **निगरानी कैमरे और भीड़ सिमुलेशन उपकरण:** भीड़ सिमुलेशन उपकरण (Crowd Simulation Tools) का उपयोग कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- **वास्तविक समय निगरानी (Real-Time Monitoring):** यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भीड़ के घनत्व पर नजर रखने और खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने से पहले हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।

## पूर्व में भगदड़ की घटनाएँ :

- महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़, कोई अकेली घटना नहीं है। भारत में इससे पहले भी कई भगदड़ें हो चुकी हैं, जिनमें 2003 में नासिक कुंभ और 2005 में कालूबाई मेले के दौरान हुई भगदड़ें प्रमुख हैं। 2003 में नासिक कुंभ के दौरान अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्थित आवागमन के कारण 29 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 2005 में महाराष्ट्र के मंधारदेवी में कालूबाई मेले के दौरान संकीर्ण रास्तों, अवैध दुकानों और खराब बुनियादी ढाँचे के चलते 293 लोगों की जान चली गई।
- इन घटनाओं में अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और कमजोर सुरक्षा उपाय जैसे सामान्य कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। ये घटनाएं भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बेहतर

भीड़ प्रबंधन रणनीतियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

### भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकना: सक्रिय उपाय

- भविष्य में भगदड़ और भीड़ से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए, विशेषज्ञ भीड़ प्रबंधन के लिए एक सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण की सिफारिश करते हैं। इस दृष्टिकोण में विभिन्न उपायों के समावेश से आपातकालीन स्थितियों को कम किया जा सकता है और भविष्य की घटनाओं को रोका जा सकता है।
- **आवश्यक उपाय:**
  - » **लोगों के आगमन को नियंत्रित करना:** तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करने और उनके आगमन पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना।
  - » **उन्नत बुनियादी ढाँचा:** चौड़े रास्ते, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, मजबूत बैरिकेड्स और अन्य सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करना, ताकि भीड़ को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सके।
  - » **प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी:** भीड़ की गतिविधि और घनत्व पर नजर रखने के लिए ड्रोन और अन्य निगरानी प्रणालियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
  - » **बेहतर समन्वय:** उभरते जोखिमों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए कार्यक्रम आयोजकों, कानून प्रवर्तन और परिवहन एजेंसियों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित करना।

### निष्कर्ष:

- महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। हालाँकि, इस आयोजन के दौरान हुई भगदड़ ने इस तरह के बड़े पैमाने पर होने वाले समारोहों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उजागर की हैं। भगदड़ के दौरान हुई जान-माल की हानि ने यह दर्शाया कि प्रभावी भीड़ प्रबंधन, मजबूत बुनियादी ढाँचा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का सक्रिय उपयोग आवश्यक है। ऐसे आयोजनों की तैयारी और प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण बनाये रखना आवश्यक हैं।
- प्राधिकारियों को ऐसे बड़े पैमाने के आयोजनों के प्रबंधन के लिए व्यापक, सुव्यवस्थित रणनीतियां लागू करनी होंगी।
- सक्रिय योजना, बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रौद्योगिकी जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है।
- इस घटना से सीखे गए सबक को भविष्य में इसी प्रकार की घटनाओं के लिए योजना बनाने में लागू किया जाना चाहिए।
- इन रणनीतियों को लागू करके, शासन यह सुनिश्चित कर सकता हैं कि महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भविष्य में लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से आयोजित किए जा सकें।

# भारत में अल्पसंख्यक कल्याण: समावेशी विकास सुनिश्चित करना

हाल ही में राज्यसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री, किरण रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इन पहलों का उद्देश्य छह मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों 'मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी' को शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच दिलाना है। सरकार ने 15-सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आपस में जोड़ा गया है, ताकि हाशिए पर मौजूद समुदायों को अधिक लाभ मिल सके।

### 15 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य:

- 15-सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए अवसरों को बढ़ाना है:
  - » शिक्षा
  - » रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण
  - » बुनियादी ढांचे का विकास
  - » सांप्रदायिक वैमनस्य की रोकथाम
- इस ढांचे के तहत, संबंधित मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं के परिव्यय (बजट आवंटन) का 15% अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निर्धारित किया जाता है। यह पहल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि भारत की कुल जनसंख्या का 19.3% हिस्सा रखने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को समान विकास सुनिश्चित करने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके तहत, सरकार ने 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों, 710 ब्लॉकों और 66 कस्बों की पहचान की है, जहां विकासात्मक असमानताओं को दूर

करने के लिए संसाधनों का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

## भारत में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं

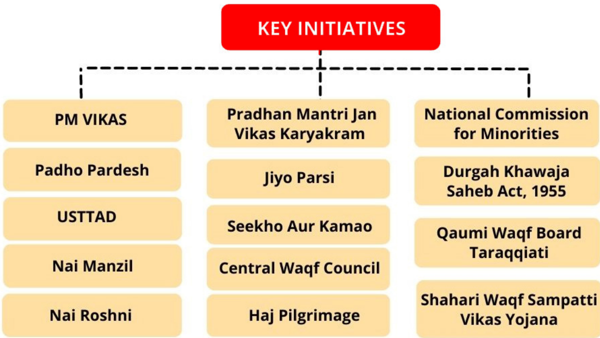


### 15 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य

*15-सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए अवसरों को बढ़ाना है:*

- *शिक्षा*
- *रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण*
- *बुनियादी ढांचे का विकास*
- *सांप्रदायिक वैमनस्य की रोकथाम*

### अल्पसंख्यक कल्याण के लिए संस्थागत तंत्र:

- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, 29 जनवरी 2006 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) की स्थापना की गई। इसका प्रमुख दायित्व अल्पसंख्यकों से संबंधित नीतियों का निर्माण, योजनाओं का कार्यान्वयन एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना है। प्रारंभ में पाँच समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, बाद में 2014 में जैन समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। NCM के साथ-साथ, राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कार्यरत हैं।
- एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत निकाय केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) है, जिसकी स्थापना वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 में संशोधित) के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी और उनके प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार CWC के माध्यम से दो प्रमुख योजनाओं का भी क्रियान्वयन करती है:
  - » **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की योजना (QWBTS):** यह योजना राज्य वक्फ बोर्डों के प्रबंधन को सुधारने और उनके आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस पहल के अंतर्गत, 2019-20 से 2023-24 तक 23.87 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
  - » **शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई):** यह एक पहल है जो वक्फ संपत्तियों के वाणिज्यिक विकास के लिए वक्फ बोर्डों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। इसी अवधि के दौरान, इस योजना पर 7.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- इन प्रयासों के अतिरिक्त, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। दरगाह समिति धर्मार्थ गतिविधियों की सुविधा प्रदान करती है, जिनमें लंगर (मुफ्त सामुदायिक भोजन), चिकित्सा सहायता, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए वजीफा, जकात सेवाएँ और शैक्षिक सहायता शामिल हैं। ये पहल सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ धार्मिक संस्थानों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर करती हैं।

### अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण माध्यम:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों 'ईसाई, जैन, सिख और बौद्ध' की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 72.98% से अधिक है, जबकि मुसलमानों की साक्षरता दर 68.54% है। शैक्षिक अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने कई छात्रवृत्ति योजनाएँ शुरू की हैं:
  - » **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** यह योजना कक्षा IX से X तक अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए आरक्षित है। 2008-09 और 2022-23 के बीच, 710.94 लाख छात्रों को 12,250.44 करोड़ आवंटित किए गए।
  - » **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** यह योजना कक्षा ग्यारहवीं से पीएचडी तक के छात्रों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें लड़कियों के लिए 30% आवंटन है। सरकार ने 2008-09 से 2022-23 तक 92.39 लाख छात्रों के लिए 5,171.52 करोड़ मंजूर किए।
- हालाँकि, समग्र सशक्तिकरण के लिए केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ कौशल विकास

कार्यक्रमों को भी एकीकृत किया है।

### अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल विकास:

- अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तीकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। पीएम विकास योजना पांच पूर्व योजनाओं 'सीखो और कमाओ, नई मंजिल, उस्ताद, नई रोशनी और हमारी धरोहर' को एकीकृत करके कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित है। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:
    - » **उस्ताद स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम (यूएसटीटीएडी):** इसके अंतर्गत 21,604 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 41 हुनर हाटों का आयोजन 288.68 करोड़ रुपये की लागत से किया गया।
    - » **नई मंजिल योजना:** 98,709 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा इस पहल पर 456.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
    - » **सीखो और कमाओ योजना:** 1,744.35 करोड़ की लागत से 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अल्पसंख्यक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 30 सितंबर 1994 को अपनी स्थापना के बाद से, एनएमडीएफसी ने माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रमों और सावधि ऋणों के माध्यम से 23,85,809 लाभार्थियों को 8,771.88 करोड़ वितरित किए हैं।

### बुनियादी ढांचा विकास: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके):

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), जिसे मई 2018 में लॉन्च किया गया, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य 1,300 चिन्हित अल्पसंख्यक-केंद्रित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार करना है। 15वें वित्त आयोग के तहत, यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक पहुँच में सुधार के लिए देशभर में विस्तारित की गई है।

### अल्पसंख्यक विरासत और संस्कृति का संरक्षण:

- विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक पहचान आवश्यक है। सरकार की पहलों में शामिल हैं:
    - » **जियो पारसी योजना (2013-14):** घटती पारसी जनसंख्या को रोकने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत, 26.78 करोड़ रुपये के व्यय के साथ चिकित्सा, वित्तीय और आउटरीच सहायता के माध्यम से 414 बच्चों के जन्म में सहायता की गई।
    - » **पाली भाषा की शास्त्रीय स्थिति (2024):** पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का उद्देश्य पाली भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से बौद्ध विरासत अनुसंधान में।।
    - » **अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस (2024):** बौद्ध दार्शनिक परंपराओं का सम्मान करने के लिए 17 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा।

### अल्पसंख्यकों के लिए न्यायिक और संवैधानिक सुरक्षा:

- बहुलवाद और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्निहित हैं। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं
    - » **अनुच्छेद 29 और 30:** सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना।
    - » **अनुच्छेद 350 ए और बी:** मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य करना  तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना करना।
- टीएमए पाई फाउंडेशन केस (2002) जैसी न्यायिक व्याख्याएँ पुष्टि करती हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य स्तर पर निधरित किया जाना चाहिए, इससे अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा  स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित होती है।

### सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006):

- 2005 में गठित सच्चर समिति ने भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की। इसमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल थीं:
    - » समान अवसर आयोग की स्थापना करना।
    - » मदरसा शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना।
    - » सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में सुधार करना।

### निष्कर्ष:

सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम शिक्षा, आर्थिक सहायता और सामाजिक विकास के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। संसाधनों और अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करके, ये पहल भारत के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास के व्यापक लक्ष्य में योगदान करती हैं। 15-सूत्री कार्यक्रम, पीएमजेवीके, पीएम विकास और एनएमडीएफसी योजनाएँ सामूहिक रूप से एक अधिक एकीकृत और आत्मनिर्भर अल्पसंख्यक आबादी को बढ़ावा देती हैं, जिससे भारत का लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक ताना-बाना मजबूत होता है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## दुर्लभ रोग के उपचार के लिए वित्तीय सहायता

### संदर्भः

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत 63 पहचाने गए दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को उपचार के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) को दी जाएगी, जो इन रोगों के लिए उन्नत उपचार में विशेषज्ञता रखते हैं।

### यह नीति क्यों महत्वपूर्ण है?

- दुर्लभ रोग (जो 100 में से 6 से कम व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं) भारत में लगभग 7-8 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनमें जानलेवा स्थितियाँ जैसे GSD, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हेमोफिलिया शामिल हैं।
- दुर्लभ रोग का उपचार अक्सर लंबा और महंगा होता है, जिससे गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ पड़ता है। यह वित्तीय सहायता ऐसे परिवारों को राहत प्रदान करेगी।

### दुर्लभ रोगों के बारे में:

- दुर्लभ रोग वे चिकित्सा स्थितियाँ होती हैं जो एक बहुत छोटे जनसंख्या समूह को प्रभावित करती हैं। ये रोग अक्सर दीर्घकालिक और जानलेवा होते हैं। इन रोगों का निदान और उपचार सीमित शोध, विशेषज्ञता और संसाधनों के कारण चुनौतीपूर्ण होता है।

### दुर्लभ रोगों से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **निदान में कठिनाई:** कम प्रचलन के कारण, डॉक्टर दुर्लभ रोगों को पहचानने में अनुभव की कमी के कारण गलत निदान या देर से निदान कर सकते हैं।
- **उच्च उपचार लागत:** अक्सर दुर्लभ रोगों के उपचार महंगे होते हैं और कई स्वास्थ्य प्रणालियों में आसानी से उपलब्ध नहीं होते।
- **शोध की कमी:** दुर्लभ रोगों पर सीमित शोध होने के कारण उपचार विकल्प कम होते हैं और रोग की प्रगति के बारे में समझ कम होती है।
- **मानसिक प्रभाव:** दुर्लभ रोगों का बोझ रोगी और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

### दुर्लभ रोगों के उदाहरण:

- सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफिलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियेंसी (SCID) और गॉशे रोग।

### दुर्लभ रोगों के खिलाफ सरकार का प्रयास:

- सरकार ने दुर्लभ रोगों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोगों के लिए चिकित्सीय गठबंधन (National Consortium for Therapeutics for Rare Diseases) स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य उपचार को सुलभ बनाना और शोध को बढ़ावा देना है।
- इस गठबंधन का उद्देश्य देश में दुर्लभ रोगों के उपचार से संबंधित शोध गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 'दुर्लभ रोगों के लिए बाहरी कार्यक्रम कार्यबल' का गठन किया है, जो इन रोगों के निदान, उपचार और औषधि विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

### देश में स्वदेशी चिकित्सा का विकास:

- ICMR ने 'दुर्लभ रोगों के लिए स्वदेशी उपचार' पहल के तहत 19 शोध परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय चिकित्सा विधियों को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करके सस्ती दवाओं का विकास करना है। इस पहल को देश को चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

## भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024

### संदर्भः

हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024 जारी किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है और देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर रैंक करता है।

### मुख्य निष्कर्षः

- **भारत की रैंकः** भारत 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में 96वें स्थान पर है, जिसमें उसे 100 में से 38 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 39 था। पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की रैंक में तीन स्थानों की गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि भ्रष्टाचार की समस्या अभी भी बनी हुई है, हालांकि इस पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- **वैश्विक रैंकिंग:** डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में पहले स्थान पर है, इसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड का स्थान है। दक्षिण सूडान को सबसे भ्रष्ट देश के रूप में रैंक किया गया है, जिसे केवल 8 अंक प्राप्त हुए हैं।
- **पड़ोसी देश:** भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है और चीन 76वें स्थान पर है।
- **वैश्विक भ्रष्टाचार:** रिपोर्ट में एक चिंताजनक वैश्विक प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है, जिसमें कई देशों, जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस, के अंक घटे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का

मानना है कि यह गिरावट राजनीतिक और आर्थिक कारणों, जैसे निरंकुशता और न्यायिक जवाबदेही की कमी, के कारण है।

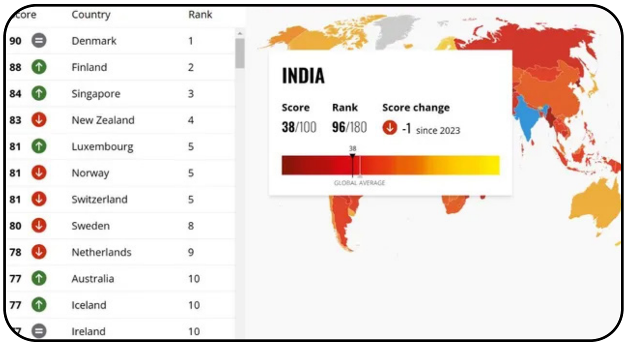


## भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) के बारे में:

- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI), जो 1995 में लॉन्च किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मापने वाला प्रमुख वैश्विक उपकरण बन गया है। यह 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर मूल्यांकित और रैंक करता है।
- यह सूचकांक 13 बाहरी स्रोतों से डेटा का उपयोग करता है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, निजी जोखिम और परामर्श फर्म, थिंक टैंक और अन्य संगठन शामिल हैं। ये स्रोत विशेषज्ञों और व्यापारियों के दृष्टिकोण को एकत्र करते हैं, जो भ्रष्टाचार के स्तर का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करते हैं।
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्टाचार को और 100 एक बहुत ही साफ और पारदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र को दर्शाता है।
- यह सूचकांक, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा संकलित किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के कदाचार का वैश्विक संकेतक है और यह विश्वभर में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में चिंता व्यक्त करता है।

## भ्रष्टाचार का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव:

- रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंध पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पारदर्शिता की कमी जलवायु कार्रवाई में रुकावट डालती है।
- भ्रष्टाचार जलवायु कोष के गलत प्रबंधन, नीतिगत प्रयासों में अड़चनें और पर्यावरणीय विनाश को बढ़ावा देता है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि जलवायु से जुड़ा भ्रष्टाचार सिर्फ जलवायु सुधार के प्रयासों में देरी नहीं करता, बल्कि यह कमजोर वर्गों को अधिक प्रभावित करता है।

## निष्कर्ष:

हालांकि कुछ देशों ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं किन्तु वैश्विक भ्रष्टाचार अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह शासन, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यह स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को निरंतर जारी रखना और उन्हें और भी सशक्त बनाना अनिवार्य है, ताकि निष्पक्ष शासन, जलवायु परिवर्तन से प्रभावी निपटान और सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

# उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट

## संदर्भ:

नीति आयोग ने "राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार" शीर्षक से एक अग्रणी नीति रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को आकार देने में राज्य सरकारों और एसपीयू की भूमिका का पहला व्यापक विश्लेषण है। रिपोर्ट में वित्त पोषण असमानताओं, लिंग नामांकन प्रवृत्तियों, विश्वविद्यालय घनत्व और उच्च शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है।

## मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें:

- **राज्यों में शिक्षा व्यय:**
  - » जम्मू और कश्मीर शिक्षा व्यय में देश में सबसे आगे है, जो अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8.11% शिक्षा पर आवंटित करता है।
  - » उच्च निवेश वाले अन्य राज्यों में मणिपुर (7.25%), मेघालय (6.64%), और त्रिपुरा (6.19%) शामिल हैं।
  - » इसके विपरीत, दिल्ली (1.67%), तेलंगाना (2%), और कर्नाटक (2.01%) जैसे बड़े राज्य काफी कम प्रतिशत आवंटित करते हैं।
- 2005-06 और 2019-20 के बीच उच्च शिक्षा पर प्रति युवा व्यय में ₹2,174 से ₹4,921 की वृद्धि के बावजूद, राज्यों के बीच वित्तपोषण पैटर्न अत्यधिक असमान बना हुआ है।
  - » केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लगातार प्रति युवा व्यय को अधिक आवंटित करते हैं।
  - » राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ निवेश में पीछे हैं।

## बजटीय आवंटन और असमानताएँ:

- महाराष्ट्र 11,421 करोड़ के साथ कुल उच्च शिक्षा वित्तपोषण में सबसे आगे है, उसके बाद बिहार (₹9,666 करोड़) और तमिलनाडु (₹7,237 करोड़) हैं।
- सबसे छोटे बजट वाले राज्यों में सिक्किम (₹142 करोड़), अरुणाचल प्रदेश (₹155 करोड़) और नागालैंड (₹167 करोड़) शामिल हैं।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा व्यय पर विचार:

» बिहार 1.56% के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (1.53%) और मणिपुर (1.45%) का स्थान है।

» तेलंगाना में सबसे कम आवंटन 0.18% है, जबकि गुजरात और राजस्थान अपने जीएसडीपी का केवल 0.23% उच्च शिक्षा के लिए आवंटित करते हैं।

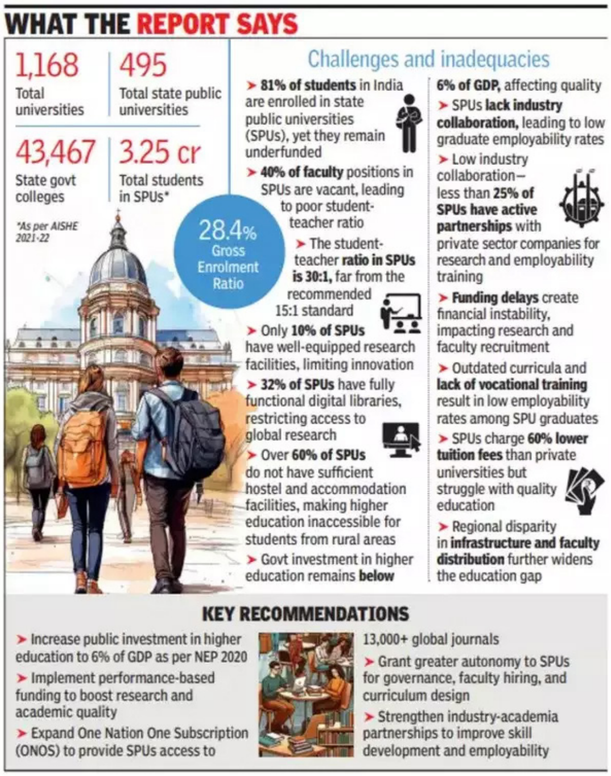


## लैंगिक असमानताएँ और विश्वविद्यालय घनत्व:

- रिपोर्ट लैंगिक नामांकन प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित उन राज्यों पर प्रकाश डाला गया है जहाँ महिला नामांकन पुरुष नामांकन से अधिक है।
- चंडीगढ़, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी संतुलित पुरुष-महिला नामांकन अनुपात बनाए रखते हैं।
- **विश्वविद्यालय घनत्व के संदर्भ में:**
  - » विश्वविद्यालय घनत्व (प्रति 1 मिलियन जनसंख्या पर विश्वविद्यालयों की संख्या) में सिक्किम प्रति मिलियन लोगों पर 10.3 विश्वविद्यालयों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड का स्थान है।
  - » बिहार में प्रति मिलियन लोगों पर 0.2 विश्वविद्यालयों के साथ सबसे कम विश्वविद्यालय घनत्व दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे अन्य घनी आबादी वाले राज्य भी यहीं हैं।

## नीति आयोग के बारे में:

- नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना 2015 में रणनीतिक सलाह प्रदान करने के लिए सरकार के नीति थिंक टैंक के रूप में की गई थी।
- **नीति आयोग का शासनादेश:**
  - » **एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) को अपनाने और निगरानी की निगरानी करना:** वैश्विक एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करता है।
  - » **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना:** संतुलित विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  - » **राष्ट्रीय एजेंडा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना:** दीर्घकालिक विकास लक्ष्य और नीति दिशाएँ निर्धारित करना।
  - » **ग्राम-स्तरीय योजना के लिए तंत्र विकसित करना:** प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से जमीनी स्तर के विकास को मजबूत करना।

## आगे की राह:

रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण और पहुँच में असमानताओं को दूर करने के लिए लगभग 80 नीतिगत सिफारिशों की रूपरेखा दी गई है। जिसमें उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण में वृद्धि, विशेष रूप से कम वित्त पोषित राज्यों में और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को बढ़ाना, प्रमुख उपायों में शामिल हैं।

# भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में सुधार

## संदर्भ:

हाल ही में द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 1990 से 2021 के बीच पिछले तीन दशकों में देश में आत्महत्या से जुड़ी मृत्यु दर में 31.5 फीसदी की गिरावट आई है।

## अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- भारत की आत्महत्या मृत्यु दर 1990 में 18.9 प्रति लाख थी, जो 2021 में घटकर 13 प्रति लाख हो गई, जिससे मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत मिलता है। महिलाओं में यह गिरावट अधिक स्पष्ट रही, जहाँ आत्महत्या दर 1990 में 16.8 प्रति लाख से घटकर 2021 में 10.3 प्रति लाख हो गई।

वहीं, पुरुषों में यह दर 1990 में 20.9 प्रति लाख से कम होकर 2021 में 15.7 प्रति लाख रह गई।

- हालाँकि, इस समग्र प्रगति के बावजूद, 2020 में भारत में आत्महत्या मृत्यु दर सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं में दर्ज की गई, जिसमें प्रमुख कारण पारिवारिक मुद्दे रहे। यह विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं द्वारा झेली जा रही मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को उजागर करता है, जहाँ सामाजिक अपेक्षाएँ और दबाव मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं।
- वैश्विक स्तर पर 1990 से 2021 के बीच आत्महत्या सम्बंधित मृत्यु दर में 39.5 फीसदी की गिरावट आई है। गौरतलब है कि 1990 में प्रति लाख लोगों में से करीब 15 ने आत्महत्या की थी। वहीं 2021 में यह आंकड़ा घटकर 9 रह गया।

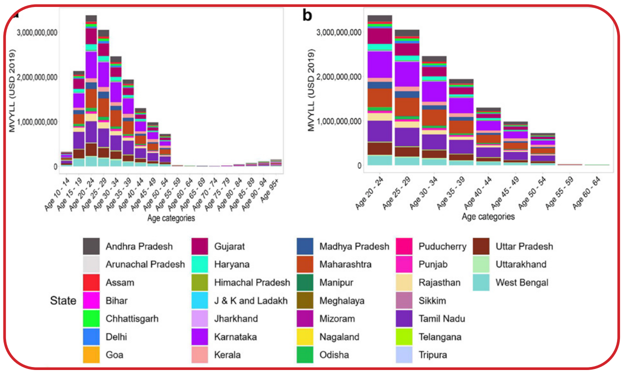


## भारत में आत्महत्याओं को कम करने की प्रमुख पहल:

- **आत्महत्या का गैर-अपराधीकरण:**
  - मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 ने आत्महत्या को गैर-अपराधीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाता है।
  - इससे पहले, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत आत्महत्या को अपराध माना जाता था। इस कानूनी सुधार ने आत्महत्या से जुड़े कलंक को कम करने में मदद की और प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी परिणामों के भय के बिना आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति ( 2022 ):**
  - 2022 में शुरू की गई इस राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।
  - यह पहल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच और जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता देती है, जिससे आत्महत्या की रोकथाम को बहुआयामी दृष्टिकोण से प्रभावी रूप से संबोधित किया जा सके।
- **WHO की मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना ( 2013-2030 ):**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना समग्र कल्याण में मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
  - यह पहल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आत्महत्या रोकथाम के लिए प्रभावी हस्तक्षेप लागू करने के भारत के प्रयासों के अनुरूप है।

## निष्कर्ष:

भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में गिरावट, विशेषकर महिलाओं में, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सुधारात्मक कदमों की सफलता को दर्शाती है। आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटाना, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022) और WHO की मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना जैसे प्रयास भारत की इस दिशा में प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। हालाँकि, चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, विशेषकर शिक्षित महिलाओं के बीच, जहाँ आत्महत्या दर को और कम करने के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता आवश्यक है।

# स्किल इंडिया प्रोग्राम

## संदर्भ:

हाल ही में कौशल विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख कौशल पहलों को एकीकृत कर एक संयुक्त ढांचे के तहत 'स्किल इंडिया प्रोग्राम' के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,800 करोड़ का बजट अनुमोदित किया है, जिसे 2025-26 से तीन वर्षों के दौरान लागू किया जाएगा।

## नई योजना के बारे में:

- स्किल इंडिया प्रोग्राम तीन प्रमुख कौशल पहलों को एकीकृत करता है:
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)
  - जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना
- इन योजनाओं के एकीकरण का उद्देश्य संरचित कौशल विकास, रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा समुदाय-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से वंचित समुदायों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- यह पहल बढ़ती हुई कौशलयुक्त कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई है तथा विभिन्न जनसांख्यिकीय वर्गों के बीच सतत आजीविका को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

## योजना के मुख्य घटक:

स्किल इंडिया प्रोग्राम तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो भारत के व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य को आकार देते हैं:

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ( PMKVY 4.0 )** PMKVY 4.0 का उद्देश्य अल्पकालिक प्रशिक्षण, पुनः कौशल विकास और उन्नत कौशल के लिए पूर्व अधिग्रहीत ज्ञान को मान्यता प्रदान करना है। यह योजना 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को लक्षित करती है और इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर जोर देते हुए 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - » आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  - » 5G प्रौद्योगिकी
  - » साइबर सुरक्षा
  - » ग्रीन हाइड्रोजन
  - » ड्रोन प्रौद्योगिकी
- उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक लाख मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों का एक राष्ट्रीय पूल विकसित कर रही है, जिससे प्रशिक्षण केंद्रों में मानकीकरण और विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

- **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS):** PM-का उद्देश्य प्रशिक्षुओं एवं प्रतिष्ठानों, दोनों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमाह 1,500 तक का 25% स्टाइपेंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह योजना 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है, जिससे उन्हें उद्योग में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है तथा उनकी रोजगार क्षमता (Employability) में वृद्धि होती है।
- **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:** जन शिक्षा संस्थान (JSS) योजना एक समुदाय-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। यह योजना न्यून लागत पर लचीली समय-सारणी के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, जिससे कौशल विकास अधिक सुलभ हो जाता है। 15 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध इस योजना का प्रमुख लक्ष्य आत्म-रोजगार एवं वेतन आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है।

### प्रभाव और लाभ:

- स्किल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के कार्यबल के समग्र विकास को सुदृढ़ करना है। अब तक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित इन तीन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 2.27 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो चुका है। पुनर्गठन के साथ, यह पहल और भी अधिक लोगों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान होगा।

### निष्कर्ष:

स्किल इंडिया प्रोग्राम कौशलयुक्त और वैश्विक प्रतिस्पर्धी कार्यबल निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। PMKVY 4.0, PM-NAPS और JSS को एकीकृत करके, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों के लिए समावेशी, लचीले और तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध हों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की प्रगति में भी योगदान करेगा, खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके विकास को प्रेरित करेगा।

## घरेलू कामकाजी श्रमिकों के संरक्षण पर समिति गठित करने का निर्देश

### संदर्भ:

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की एक गरीब आदिवासी महिला के मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जो दिल्ली में घरेलू कामकाजी श्रमिक के रूप में कार्यरत थी। यह मामला देश भर में घरेलू कामकाजी श्रमिकों को होने वाले व्यापक शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करता है, जो इस प्रथा के तहत काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

### पृष्ठभूमि:

- कोर्ट का यह निर्णय उस समय आया जब उसने घरेलू कामकाजी महिला के नियोक्ता अजय मलिक के खिलाफ साक्ष्य की कमी के कारण आरोप खारिज कर दिए।

- हालांकि, कोर्ट ने सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, ताकि घरेलू कामकाजी श्रमिकों के लिए एक कानूनी ढांचे पर विचार किया जा सके, क्योंकि मौजूदा कानून उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं।

### सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

- सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामकाजी श्रमिकों के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति को रेखांकित किया, जिससे उनकी असुरक्षा बढ़ी है।
- घरेलू कामकाजी श्रमिक अक्सर कम वेतन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और लम्बे कार्यघंटों का सामना करते हैं और उनके पास कानूनी उपायों का अभाव होता है।
- कोर्ट ने इन संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।

### कानूनी सुधारों के लिए कोर्ट के निर्देश:

- कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें श्रम, महिला और बाल विकास, कानून और न्याय, और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- यह समिति घरेलू कामकाजी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे की सिफारिश करेगी।
- रिपोर्ट को छह महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है, जिससे घरेलू कामकाजी श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके।

### घरेलू कामकाजी श्रमिकों के बारे में:

- घरेलू कामकाजी श्रमिक वे व्यक्ति होते हैं, जो निजी घरों में सफाई, खाना पकाना, देखभाल, बागवानी और अन्य घरेलू कार्य करने के लिए नियुक्त होते हैं।
- कुछ राज्य, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और केरल, ने घरेलू कामकाजी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने स्वयं के कानून बनाकर सक्रिय कदम उठाए हैं।
- इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व देखभाल, शैक्षिक सहायता और उचित वेतन मानकों को प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट निकाय स्थापित किए हैं।

### केंद्रीय विधायिका के लिए ऐतिहासिक प्रयास:

- घरेलू कामकाजी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को विनियमित करने के लिए विभिन्न बिल प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे 1959 का घरेलू कामकाजी श्रमिक बिल और 2017 का कार्य और सामाजिक सुरक्षा विनियमन बिल।
- हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, घरेलू कामकाजी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय कानून अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे उनके कानूनी संरक्षण में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।

# मैन्युअल स्कैवेंजिंग

### संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे छह प्रमुख शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को आदेश दिया कि वे शपथ पत्र दाखिल करें, जिसमें यह विवरण दिया जाए कि मैन्युअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए कब और कैसे कदम उठाए जाएंगे। यह आदेश इन शहरों में इस प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिया गया है।

### मैन्युअल स्कैवेंजिंग के बारे में:

- मैन्युअल स्कैवेंजिंग का अर्थ है मानव मल-मूत्र को शुष्क शौचालयों, नालों और अन्य स्वच्छता प्रणालियों से हाथों से साफ करना, उठाना या नष्ट करना।
- 1993 के मैन्युअल स्कैवेंजर्स और प्रतिबंध अधिनियम के तहत यह प्रथा प्रतिबंधित है, फिर भी यह स्वच्छता प्रणालियों की कमी और प्रभावित समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका के अभाव के कारण जारी रहती है।
- 29 जनवरी 2025 तक, भारत के 775 जिलों में से 456 जिलों ने मैन्युअल स्कैवेंजिंग को समाप्त कर दिया है।
- हालांकि, यह समस्या देश के विभिन्न हिस्सों में बनी हुई है, विशेषकर अपर्याप्त स्वच्छता ढांचे के कारण, जो श्रमिकों को इस अपमानजनक और खतरनाक पेशे में धकेलता है।

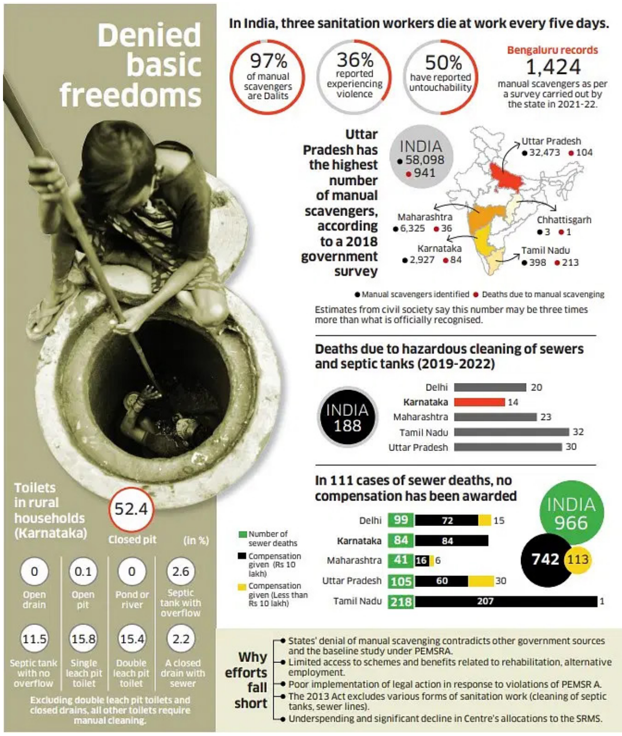

### सामाजिक प्रभाव:

- मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वालों को हानिकारक रोगजनकों और गैसों से गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- यह प्रथा जाति आधारित भेदभाव से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इस काम में लगे अधिकांश लोग दलित समुदाय के होते हैं।
- यह प्रथा बुनियादी मानवाधिकारों और गरिमा का उल्लंघन करती है और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है।

### कानूनी ढांचा और सुधारों की आवश्यकता:

- भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता (अनुच्छेद 14), छुआ-छूत का उन्मूलन (अनुच्छेद 17), और जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21)।
- मैन्युअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार निषेध अधिनियम, 2013 मैन्युअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाता है और पुनर्वास की अनिवार्यता करता है।
- इसके अतिरिक्त, NAMASTE योजना यांत्रिक स्वच्छता और मैन्युअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास को बढ़ावा देती है।
- प्रौद्योगिकी में सुधार, कानून के प्रवर्तन और बुनियादी ढांचे में उन्नति इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

## सरस आजीविका मेला

### संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया। 21 फरवरी से 10 मार्च, 2025 तक आयोजित होने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम पूरे भारत के ग्रामीण शिल्प कौशल और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

### सरस आजीविका मेले के विषय में:

- सरस आजीविका मेला 2025 अपने पांचवें संस्करण में 'परंपरा, कला और संस्कृति' थीम के साथ आयोजित किया गया। इस बार, विशेष फोकस लखपति SHG दीदियों (स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों) की निर्यात क्षमता बढ़ाने पर किया गया है।
- इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (NIRDPR) के सहयोग से किया गया, जिसमें भारत की समृद्ध ग्रामीण विरासत को प्रदर्शित किया गया।

### SHG की भागीदारी और उत्पाद प्रदर्शन:

- मेले में 30 राज्यों से लगभग 450 स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य भाग ले रहे हैं।
- 200 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें SHG सदस्य अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेच रहे हैं।
- प्रदर्शनी में हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

### प्रमुख आकर्षण:

- **पारंपरिक वस्त्र और शिल्पकला:** मेले में विभिन्न राज्यों की पारंपरिक शिल्पकला और वस्त्रों का प्रदर्शन हो रहा हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - » आंध्र प्रदेश – कलमकारी (हस्तनिर्मित पेंटिंग और वस्त्र)
  - » असम – मेखला चादर (रेशमी पारंपरिक वस्त्र)।
  - » छत्तीसगढ़ – कोसा साड़ी (रेशमी साड़ी)।
  - » उत्तराखंड – पश्मीना शॉल (ऊनी वस्त्र)।
- **क्षेत्रीय खाद्य विशेषताएँ:**
  - » 25 लाइव फूड स्टॉल 20 राज्यों के व्यंजन पेश कर रहे हैं।
  - » इन व्यंजनों में अदरक, चाय, दाल, कॉफी जैसी क्षेत्रीय विशेषताएँ शामिल हैं।
- **निर्यात संवर्धन मंडप:**
  - » यह आयोजन का प्रमुख आकर्षण है, जिसका उद्देश्य SHG उत्पादों की वैश्विक पहुँच का विस्तार करना है।
  - » इससे ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।
- **समावेशी व्यवस्थाएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम:**
  - » वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और माताओं के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
  - » विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ मेले को एक जीवंत और आकर्षक अनुभव बनाती हैं। यह मेला भारत की ग्रामीण विरासत, कला और परंपरा का सच्चा उत्सव है।

### निष्कर्ष:

सरस आजीविका मेला प्रधानमंत्री की 'वोकल फॉर लोकल' पहल के साथ संरेखित है और '2047 तक विकसित भारत' के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाकर और उनकी शिल्पकला को बढ़ावा देकर, यह आयोजन भारत के ग्रामीण समुदायों में समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

# 2 राजव्यवस्था एवं शासन

## डिजिटल सामग्री नियमन: नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन

हाल ही में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल सामग्री के विनियमन और अश्लीलता की कानूनी व्याख्याओं को लेकर एक राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया हस्तक्षेप ने जहां उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, वहीं अनुचित भाषा के उपयोग पर फटकार भी लगाई। यह प्रकरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं, डिजिटल युग में अश्लीलता कानूनों की प्रासंगिकता और सोशल मीडिया के प्रभावशाली व्यक्तियों की सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण कानूनी व नैतिक प्रश्न उठाता है।

### अश्लीलता की परिभाषा और कानूनी अस्पष्टता:

- भारतीय कानूनी प्रणाली लंबे समय से अश्लीलता को परिभाषित करने और इसे विनियमित करने की जटिलताओं से जूझ रही है। ऐतिहासिक रूप से, अश्लील सामग्री की व्याख्या नैतिक रूढ़िवादिता और प्रगतिशील कानूनी सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती रही है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर समय रैना के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) की धारा 294 तहत कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों में आरोप लगाया गया है कि उनकी सामग्री 'कामुक' (Lascivious) है तथा इसमें दर्शकों को 'भ्रष्ट' (Corrupt) एवं 'विकृत' (Deprave) करने की क्षमता है।
- हालांकि, इस प्रकरण ने एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती को उजागर किया हैख्रभारत में अश्लीलता की कानूनी परिभाषा का अभाव। इस अस्पष्टता के कारण कानूनी प्रवर्तन में असंगति देखी गई है, जिससे सार्वजनिक नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना कठिन हो गया है।

### अश्लीलता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनी प्रावधान:

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023-धारा 294:**
  - » इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी माध्यम से अश्लील सामग्री के निर्माण, वितरण या प्रदर्शन को अपराध घोषित करता है।
  - » अश्लीलता को ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित करता है जो 'कामुक या कामुक रुचि को आकर्षित करने वाली' हो या जिसमें उपभोक्ताओं को 'दुराचारी और भ्रष्ट' (Deprave and corrupt) बनाने की क्षमता हो।
  - » **सजा:** पहली बार अपराध करने पर दो वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000-धारा 67:**
  - » यह धारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रसारित अश्लील सामग्री को विनिमियत करती है।
  - » पहली बार अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जो इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 की तुलना में अधिक कठोर बनाता है।
- हालांकि, इन कानूनों का उद्देश्य सार्वजनिक शालीनता बनाए रखना है, लेकिन उनकी अस्पष्ट परिभाषाएँ कानूनों के मनमाने प्रवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसके परिणामस्वरूप दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है और नैतिक पुलिसिंग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

### अश्लीलता कानूनों का न्यायिक विकास:

- भारतीय न्यायालयों ने अश्लीलता निर्धारित करने के लिए पहले हिकलिन परीक्षण (Hicklin Test) को अपनाया, जिसे बाद में सामुदायिक मानक परीक्षण (Community Standards Test) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि न्यायपालिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
- **हिकलिन टेस्ट (1868) और भारत में इसका अनुप्रयोग:**
  - » रेजिना बनाम हिकलिन (1868) के फैसले में विकसित

हिकलिन परीक्षण के अनुसार, यदि किसी सामग्री का कोई भी हिस्सा व्यक्तियों को 'भ्रष्ट या गुमराह करने की प्रवृत्ति' रखता है, तो उसे अश्लील माना जाएगा। यह संपूर्ण सामग्री का आकलन करने के बजाय उसके कुछ विशिष्ट अंशों पर केंद्रित था। इसका अर्थ यह है कि सेंसरशिप लागू करने के लिए अत्यंत कठोर मानदंडों की आवश्यकता नहीं थी; बल्कि न्यूनतम आधार पर भी किसी रचना को प्रतिबंधित किया जा सकता था।

» भारतीय न्यायालयों ने रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) मामले में इस परीक्षण को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप 'लेडी चैटर्लीज लवर' उपन्यास को अश्लीलता के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया।
» इस परीक्षण के कठोर दृष्टिकोण ने रचनात्मक और पत्रकारिता संबंधी अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर दिया।

- **सामुदायिक मानक परीक्षण में परिवर्तन (2014):** समकालीन सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, अविक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन परीक्षण को अस्वीकार कर सामुदायिक मानक परीक्षण (Community Standards Test) को अपनाया। इस परीक्षण के तहत:
  » सामग्री का मूल्यांकन पुराने नैतिक मानकों के बजाय आधुनिक सामाजिक संदर्भ में किया जाता है।
  » संपूर्ण कृति पर विचार किया जाता है, न कि किसी विशिष्ट अंश को अलग से देखा जाता है।
  » यह स्वीकार किया गया कि जो सामग्री पहले अश्लील मानी जाती थी, वह बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण अब वैसी नहीं मानी जा सकती। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शालीनता की अधिक लचीली और समकालीन व्याख्या सुनिश्चित होती है।
- सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण ने डिजिटल सामग्री पर अश्लीलता कानूनों के लागू होने के तरीके को प्रभावित किया है। हालांकि, इस कानूनी विकास के बावजूद, चुनिंदा घटनाएँ अब भी जारी हैं, जहाँ इन कानूनों का सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ चयनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है।

## अश्लीलता बनाम मुक्त भाषण: संवैधानिक विचार

- **अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालाँकि, यह अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है और अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इनमें निम्नलिखित आधारों पर लगाए गए प्रतिबंध शामिल हैं:
  » शालीनता और नैतिकता
  » सार्वजनिक व्यवस्था
  » मानहानि और अपराध के लिए उकसाना
- न्यायपालिका ने निरंतर यह मत दिया है कि किसी सामग्री की अश्लीलता का मूल्यांकन समकालीन सामाजिक मानकों (contemporary community standards) के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि मनमानी नैतिक पुलिसिंग के माध्यम से।

## भारत के अश्लीलता कानून को प्रभावित करने वाले उल्लेखनीय मामले:

कई मामलों ने अश्लीलता की कानूनी व्याख्या को आकार दिया है, जिससे अक्सर कलात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं।

- **उर्फी जावेद विवाद (2023):** अभिनेत्री उर्फी जावेद को सार्वजनिक रूप से खुले कपड़े पहनने के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस मामले ने अश्लीलता कानूनों के दायरे में नैतिक पुलिसिंग से जुड़ी चिंताओं को उजागर किया।
- **रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट (2022):** रणवीर सिंह पर आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई कलात्मक स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है।
- **मिलिंद सोमन की समुद्र तट तस्वीर (2020):** सोमन पर नग्न अवस्था में समुद्र तट पर दौड़ने की तस्वीर अपलोड करने का आरोप लगाया गया था। यह मामला अश्लीलता कानूनों के असंगत प्रवर्तन को दर्शाता है।
- **रिचर्ड गेरे- शिल्पा शेट्टी विवाद (2007):** एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अभिनेता रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी के गाल पर चुंबन लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस घटना ने अश्लीलता कानूनों के संभावित दुरुपयोग और सांस्कृतिक संदर्भों में उनकी व्याख्या की भिन्नता को उजागर किया।
- **किस ऑफ लव प्रोटेस्ट (2014):** नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ 'किस ऑफ लव' अभियान के दौरान अश्लीलता कानूनों के तहत सार्वजनिक गिरफ्तारियाँ की गईं। इसने सार्वजनिक नैतिकता की व्यक्तिपरक व्याख्या की बहस को जन्म दिया।

## सार्वजनिक नैतिकता को आकार देने में डिजिटल मीडिया की भूमिका

- सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे पारंपरिक समाचार माध्यमों के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती मिली है। इसने विविध दृष्टिकोणों तक व्यापक पहुँच को संभव बनाया, लेकिन साथ ही गलत सूचना के तीव्र प्रसार को भी बढ़ावा

दिया, जिससे जनता को गुमराह करने का खतरा बढ़ गया है।

- डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वे जनमत को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनकी सामग्री लोगों की सोच, व्यवहार और जीवनशैली के चुनाव को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत आदतों से लेकर व्यापक सामाजिक मूल्यों तक देखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, वे सार्वजनिक नैतिकता और सामाजिक धारणाओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
  - » **असत्यापित सामग्री का बढ़ता प्रभाव:** पारंपरिक पत्रकारिता संपादकीय निरीक्षण और तथ्य-जांच तंत्र (Fact-checking mechanisms) के माध्यम से संचालित होती है, लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह की मानकीकृत जवाबदेही (Standardized accountability) का अभाव है। सूचना की कठोर जाँच-पड़ताल न होने के कारण, गलत सूचनाओं का अनियंत्रित प्रसार हुआ है, जिससे विश्वसनीय समाचारों और मनगढ़ंत सूचनाओ के बीच अंतर कर पाना कठिन हो गया है।
  - » **बहसों का ध्रुवीकरण:** प्रारंभ में सोशल मीडिया खुले संवाद और स्वस्थ बहस का मंच हुआ करता था, वह अब अक्सर वैचारिक संघर्षों और ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे रचनात्मक संवाद के बजाय सामाजिक विभाजन और विचारधारात्मक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।

## परिवर्तन के साधन के रूप में डिजिटल मीडिया:

डिजिटल सामग्री को सार्वजनिक नैतिकता के लिए खतरा मानने के बजाय, पारंपरिक मीडिया को अपनी अखंडता बनाए रखते हुए नए प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने और विकसित होने की आवश्यकता है। डिजिटल परिदृश्य न केवल जिम्मेदार सामग्री निर्माण और वितरण की संभावनाएँ प्रदान करता है, बल्कि अधिक सूचित सार्वजनिक चर्चा को भी बढ़ावा दे सकता है।

- **पारंपरिक मीडिया में डिजिटल उपकरणों का समावेश:** पारंपरिक मीडिया को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाना चाहिए। इससे वायरल गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
- **डिजिटल और पारंपरिक मीडिया के बीच की खाई को पाटना:** एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें पारंपरिक पत्रकारिता की विश्वसनीयता को डिजिटल मीडिया की व्यापक पहुँच के साथ मिलाया जाए। इससे एक अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी सूचना पारिस्थितिकी तंत्र (Information ecosystem) का निर्माण किया जा सकता है।
- **डिजिटल सामग्री के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण:** यह समझना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री जनमत और सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह विश्लेषण जिम्मेदार मीडिया प्रथाओं को विकसित करने में सहायक होगा, जिससे सूचना का प्रसार अधिक संतुलित और निष्पक्ष हो सके।

## डिजिटल युग में मीडिया साक्षरता का विकास:

- डिजिटल मीडिया सार्वजनिक संवाद को आकार दे रहा है, जिससे सूचनाओं को समझने और सत्यापित करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी कारण मीडिया साक्षरता एक आवश्यक कौशल बन गई है। नागरिकों को निम्नलिखित के लिए तैयार होना चाहिए:
  - » **भ्रामक सामग्री की पहचान करना:** गलत सूचना के निर्माण और प्रसार की प्रक्रिया को समझना लोगों को किसी भी कथन को बिना जांचे-परखे स्वीकार करने के बजाय उसकी सत्यता पर प्रश्न उठाने में सक्षम बनाता है।
  - » **स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना:** सामग्री की उत्पत्ति और मंशा को समझने से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और एजेंडा-प्रेरित सामग्री के बीच अंतर करने में सहायता मिलती है।
  - » **पूर्वाग्रहों और चालाकीपूर्ण युक्तियों को पहचाना:** सामाजिक मंच किस प्रकार सूचना को प्रस्तुत करता है, इसके बारे में जागरूक होने से विषय-वस्तु के उपभोग के लिए अधिक आलोचनात्मक और सूचित दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है।

## प्रमुख मीडिया साक्षरता सिद्धांत:

- यूनेस्को के अनुसार, समाचार को तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर आधारित होना चाहिए। मनगढ़ंत सामग्री, चाहे वह कितनी भी व्यापक रूप से साझा की जाए, उसे समाचार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- गलत सूचना को बिना जांचे स्वीकार करने से बचने के लिए मीडिया संदेशों के स्रोत, उनकी विश्वसनीयता और संभावित पूर्वाग्रहों को समझना आवश्यक है। यह सूचित और तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता करता है।
- जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना, डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामग्री के साथ नैतिक रूप से जुड़ाव एक समावेशी और जागरूक डिजिटल समाज के निर्माण में सहायक होता है।

## निष्कर्ष:

आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के नवाचारों में परिवर्तनकारी क्षमता तो है, लेकिन वे हमेशा सत्यापित और

प्रामाणिक जानकारी के प्रसार को सुनिश्चित नहीं करते। इसके विपरीत, ये अक्सर गलत सूचनाओं के अनियंत्रित प्रसार को सक्षम करते हैं, जिससे एक खुले और बहुलतावादी समाज की भलाई खतरे में पड़ जाती है। जैसा कि एंग्लो-आयरिश व्यंग्यकार जोनाथन स्विफ्ट ने सदियों पहले ठीक ही कहा था ''झूठ उड़ता है और सत्य लंगड़ाता हुआ उसके पीछे आता है।'' इससे निपटने के लिए मीडिया साक्षरता, तथ्य-जांच तंत्र (fact-checking mechanisms) और अल्गोरिदमिक विनियमन, कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप जैसे उपाय आवश्यक हैं।

# उत्तराखंड में समान नागरिक संहिताः एक गहन विश्लेषण

हाल ही में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई, जोकि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक उपलब्धि बन गई है। यह सुधार भारत के कानूनी और सामाजिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप, उत्तराखंड में लागू यूसीसी का उद्देश्य सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को एकरूप बनाना है। सरकार इस पहल को लैंगिक समानता, प्रशासनिक दक्षता और कानून की एकरूपता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखती है। हालांकि, इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं पर संभावित प्रभावों को लेकर व्यापक विमर्श और बहस को भी जन्म दिया है।

## ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमिः

- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। हालांकि, भारत की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना ने परंपरागत रूप से विभिन्न धार्मिक समुदायों को व्यक्तिगत मामलों के लिए भिन्न-भिन्न कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करने की अनुमति दी है।
- वर्तमान में, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जो 1867 से पुर्तगाली नागरिक संहिता के प्रावधानों का अनुसरण कर रहा है।
- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया 2022 में प्रमुखता से शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2024 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण कानूनी सुधार पेश किए गए, जिनमें शामिल हैं:
  - **समान संपत्ति अधिकारः** बेटों और बेटियों को उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
  - **लिव-इन रिलेशनशिप की मान्यताः** लिव-इन संबंधों से जन्मे बच्चों को कानूनी मान्यता दी गई है, जिससे उनके वैध अधिकार सुनिश्चित होते हैं।
  - **तलाक के लिए एक समान आधारः** धार्मिक भिन्नताओं को समाप्त करते हुए तलाक के लिए एक समान और मानकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है।
- इस अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशेषता विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है।

## उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएंः

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कई कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

- **विवाह और तलाक नियमः** सभी विवाह, चाहे वे किसी भी धार्मिक संबद्धता के हों, ऑनलाइन पंजीकृत होने चाहिए।
  - अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमाः
    - 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण छह माह के भीतर कराया जाना आवश्यक है।
    - यूसीसी कार्यान्वयन के बाद किए गए विवाहों को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  - तलाक पंजीकरण के लिए विवाह पंजीकरण, न्यायालय का आदेश, केस संख्या, अंतिम आदेश और बच्चों की जानकारी की आवश्यकता होती है।
  - यह पोर्टल लोगों को आधिकारिक अदालती दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने विवाह को रद्द करने का पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- **लिव-इन रिलेशनशिप पर नियमः**
  - यूसीसी कार्यान्वयन के एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए।
  - कोई भी या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके

से संबंध समाप्त कर सकते हैं।

» यदि केवल एक पक्ष विघटन के लिए आवेदन करता है, तो रजिस्ट्रार को दूसरे पक्ष से इसकी पुष्टि प्राप्त करनी होगी।
» यदि कोई महिला लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान गर्भवती हो जाती है, तो बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर सरकार को सूचित किया जाना चाहिए।
» मकान मालिक उन दंपतियों को आवास देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपने लिव-इन रिलेशनशिप को UCC के तहत पंजीकृत करा लिया है।

- **उत्तराधिकार और वसीयत पंजीकरण:** उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों और महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं।
  » वसीयत पंजीकरण के तीन तरीके:
    ➢ ऑनलाइन फॉर्म जमा करना।
    ➢ हस्तलिखित या टाइप की गई वसीयत अपलोड करना।
    ➢ तीन मिनट का वीडियो वक्तव्य रिकॉर्ड करना और अपलोड करना।
- **डिजिटल गवर्नेंस और एआई एकीकरण:**
  » विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक समर्पित यूसीसी पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित किया गया है।
  » पोर्टल में आधार-आधारित सत्यापन और अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं को समर्थन देने वाली एआई-संचालित अनुवाद सेवा शामिल है।
  » पुलिस, न्यायालयों और नगर निकायों सहित 13 सरकारी विभागों से डेटा एकीकृत किया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।
  » मामूली शुल्क पर तत्काल पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है।
- **प्रशासनिक निरीक्षण और अनुपालन:**
  » रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार शहरी और ग्रामीण स्तर पर यूसीसी अनुपालन की देखरेख करेंगे।
  » सामान्य परिस्थितियों में 15 दिनों के भीतर तथा आपातकालीन स्थिति में तीन दिनों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  » अस्वीकृति की स्थिति में, आवेदक रजिस्ट्रार के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो 60 दिनों के भीतर मामले को रजिस्ट्रार-जनरल के समक्ष बढ़ा सकते हैं।
  » अनुपालन न करने पर दंड:
    ➢ पहली बार उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जाती है।
    ➢ बार-बार उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

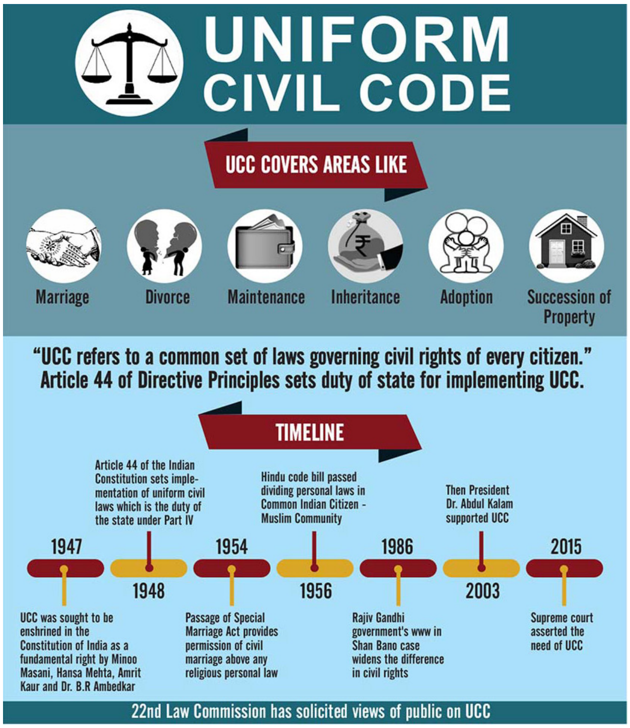


## सामाजिक निहितार्थ और आलोचनाएँ:

- **प्रगतिशील पहलू**
  » **लैंगिक समानता:** समान उत्तराधिकार अधिकारों की गारंटी का उद्देश्य सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का निवारण करना है।
  » **प्रशासनिक दक्षता:** डिजिटल पंजीकरण प्रणाली कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाती है और नौकरशाही संबंधी कमियों को कम करती है।
  » **सामाजिक सामंजस्य:** व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता को बढ़ावा देकर, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक समुदायों के बीच कानूनी विभाजन को पाटना है।

## आलोचनाएँ और चुनौतियाँ:

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन:** आलोचकों का कहना है कि अनिवार्य पंजीकरण, विशेष रूप से लिव-इन संबंधों का पंजीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यक्तिगत पसंद का उल्लंघन करता है, कुछ जोड़ों ने तो उत्तराखंड से स्थानांतरित होने पर भी विचार किया है।
  » कार्यान्वयन के दौरान एक समान कानून लागू करने और अनुच्छेद 25 तथा 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के प्रावधानों द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने के बीच नाजुक संतुलन बनाए

रखना होगा।

- **धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध:** मुस्लिम संगठन और अन्य धार्मिक समूह तर्क देते हैं कि समान नागरिक संहिता पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों का अतिक्रमण करती है और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर कर सकती है। अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूट एकरूपता की धारणा को और जटिल बनाती है।
  - » धार्मिक समुदायों और पारंपरिक निकायों का विरोध इस प्रकार के सुधार को लागू करने की सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं को उजागर करता है। यह विरोध खंडित स्वीकृति और कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।
- **विभिन्न व्याख्याओं की संभावना:** हरियाणा जैसे राज्यों में, स्थानीय निकायों (जैसे खाप पंचायतों) ने अतिरिक्त प्रतिबंधों की मांग की है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन असंगत हो सकता है।
- **प्रशासनिक बाधाएँ:** यद्यपि डिजिटल प्रणाली नवीन है, फिर भी इसकी सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

## समान नागरिक संहिता की व्यापक अवधारणा:

- **संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण:**
  - » **अनुच्छेद 44:** समान नागरिक संहिता व्यापक संवैधानिक अधिदेश का हिस्सा है जो राज्य से समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करने का आग्रह करता है।
  - » **न्यायिक समर्थन:** ऐतिहासिक मामले 'मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985), सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) औरजॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ (2003)' ने बार-बार एक समान कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया है जो धार्मिक मतभेदों से परे हो।
  - » **विधि आयोग का रुख:** 2018 में, 21वें विधि आयोग ने कहा कि यद्यपि समान नागरिक संहिता एक वांछनीय सुधार है, फिर भी इसका समय और आवश्यकता अभी भी विवादास्पद बनी हुई है, जो आधुनिक कानूनी सुधारों और भारत के पारंपरिक ढांचे के बीच तनाव को दर्शाता है।
- **नीतिगत तर्क और आधुनिकीकरण:**
  - » **भेदभावपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन:** यूसीसी का उद्देश्य हलाला, इद्दत और तीन तलाक जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है, जिन्हें भेदभावपूर्ण माना जाता है।
  - » **कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण:** डिजिटल शासन और समान प्रक्रियाएँ भारत के कानूनी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय हैं, जिससे इसे समकालीन आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।

## निष्कर्ष:

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसके गहरे कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करके, यूसीसी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हालांकि, इस सुधार ने व्यक्तिगत अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और राज्य के हस्तक्षेप के दायरे पर गहरी बहस भी छेड़ दी है। जैसे-जैसे राष्ट्रव्यापी यूसीसी पर चर्चा जारी है, उत्तराखंड का अनुभव बहुलवादी समाज में कानूनी सुधारों की चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह न केवल प्रगतिशील परिवर्तन की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि भारत में संवेदनशील, समावेशी और संतुलित नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

# अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025: एक व्यापक विधायी ढांचा

भारत में अप्रवासन (Immigration) नीति-निर्माण का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संरचना, आर्थिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण और सीमा-पार आवाजाही में वृद्धि के चलते, विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, निवास और प्रस्थान को विनियमित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 'अप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025' प्रस्तुत किया है। यह विधेयक 2025 के बजट सत्र (31 जनवरी-4 अप्रैल, 2025) के लिए सूचीबद्ध 16 प्रमुख विधेयकों में शामिल है। इसका उद्देश्य मौजूदा अप्रचलित कानूनों को हटाकर एक एकीकृत और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है।

## वर्तमान कानूनी ढांचा:

- वर्तमान में, भारत में आप्रवासन संबंधी कानून निम्नलिखित तीन औपनिवेशिक (Colonial-era) कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं:
  - » विदेशी अधिनियम, 1946
  - » पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  - » विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
- ये कानून उस समय बनाए गए थे जब वैश्विक प्रवासन (Global Migration), राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ और राजनयिक आवश्यकताएँ आज की तुलना में काफी अलग थीं। इसलिए, 'अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025' इन कानूनों को संशोधित कर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कानूनी खामियों को दूर करने और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप आप्रवासन नियमों को अद्यतन करने का प्रयास करता है।
- वर्तमान समय में वीजा उल्लंघन, अवैध सीमा पार करना (Illegal Border Crossings) और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, यह विधेयक विदेशी नागरिकों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव करता है।

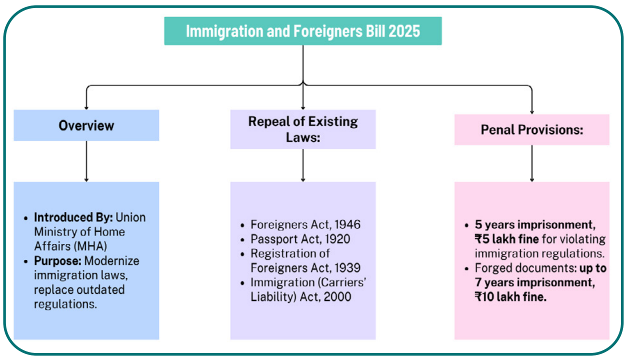


## अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 के उद्देश्य और दायरा:

- इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - » **विदेशी नागरिकों का विनियमन:** भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट और वीजा आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
  - » **निगरानी और पंजीकरण:** विदेशी नागरिकों की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र बनाना, जिससे वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुके रहने (Visa Overstay) और अवैध रूप से बसने (Illegal Migration) को रोका जा सके।
  - » **आवागमन प्रतिबंध और सुरक्षा प्रावधान:** राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर कुछ श्रेणियों के विदेशियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार।
  - » **निर्वासन प्रक्रियाएँ का निर्धारण:** जो विदेशी नागरिक भारत के आप्रवासन कानूनों का उल्लंघन करेंगे, उनके निर्वासन के लिए स्पष्ट कानूनी प्रक्रियाएँ निर्धारित करना।
- इसके अतिरिक्त, विधेयक उन संस्थानों को भी जिम्मेदारी देता है जो विदेशी नागरिकों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, ताकि अनुपालन (Compliance) को और प्रभावी बनाया जा सके। इनमें शामिल हैं:
  - » शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, होटल और एयरलाइंस, जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड बनाए रखना और रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
  - » परिवहन संचालक जैसे एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियाँ और रेलवे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि सभी यात्री वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहे हों।
- इस प्रकार, यह विधेयक विभिन्न अप्रवासन नीतियों को एकीकृत करके प्रवर्तन को सरल बनाने, प्रशासनिक अक्षमताओं को कम करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

## अप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान:

- **केंद्रीकृत आप्रवासन नियंत्रण:**
  - » इस विधेयक के तहत एक एकल केंद्रीकृत एजेंसी (Centralized Agency) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो पूरे भारत में आप्रवासन मामलों की निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी।
  - » एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे भारत में आने-जाने वाले विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनके वीजा अनुपालन पर नजर रखी जाएगी।
- **वीजा और पासपोर्ट संबंधी नियम:**
  - » भारत में प्रवेश करने से पहले विदेशी नागरिकों को वैध पासपोर्ट और वीजा रखना अनिवार्य होगा।
  - » होटलों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों को यह कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाएगा कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएँ।
- **परिवहन संचालकों की जिम्मेदारियाँ:**
  - » एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियाँ और रेलवे को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यात्री वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहे हैं।
  - » यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश से वंचित होता है, तो उसे वापस भेजने की जिम्मेदारी उस परिवहन कंपनी की होगी जिसने उसे भारत लाया था।
  - » यदि कोई परिवहन कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- **विदेशियों पर प्रतिबंध:**
  - भारत में निवास करते समय, विदेशी नागरिक बिना सरकारी अनुमति के अपना नाम नहीं बदल सकते।
  - सुरक्षा कारणों से, सरकार विशेष व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- **कड़े प्रवर्तन तंत्र:**
  - जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और अप्रवासन अधिकारी को विदेशी नागरिकों की निगरानी, हिरासत और निर्वासन (Deportation) के अधिकार दिए जाएँगे।
  - कानून तोड़ने वाले विदेशी नागरिकों पर भारी जुर्माना, कारावास या निर्वासन जैसी कठोर सजाएँ लागू की जाएँगी, जो उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करेगी।
- **निर्वासन और निष्कासन प्रक्रियाएँ:**
  - केंद्र सरकार को उन विदेशी नागरिकों को निर्वासित (Deport) करने का अधिकार होगा जो वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
  - परिवहन कंपनियों को उन विदेशियों को वापस ले जाने की जिम्मेदारी उठानी होगी, जिनके आगमन को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
- यह विधेयक एक संगठित प्रवर्तन तंत्र लागू करके आप्रवासन नियंत्रण को सरल बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करता है।

## भारत से अवैध प्रवासन: पैमाना और प्रवृत्तियाँ

- ***हालाँकि भारत अवैध आप्रवासन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन यह स्वयं भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में अवैध प्रवासियों का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अनुमानों के अनुसार, केवल अमेरिका में ही 7,25,000 से अधिक भारतीय प्रवासी बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं।***
- ***हाल के निर्वासन के रुझान:***
  - ***जून 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच वैश्विक स्तर पर 1,60,000 व्यक्तियों को निर्वासित किया गया, जिसमें 1,000 से अधिक भारतीय नागरिक शामिल थे।***
  - ***अमेरिका ने पंजाब, हरियाणा और गुजरात से आने वाले प्रवासियों पर विशेष ध्यान देते हुए बड़े पैमाने पर निर्वासन (Mass Deportations) बढ़ा दिए हैं।***
  - ***अब कई भारतीय प्रवासी सीधे अमेरिका जाने के बजाय कनाडा के माध्यम से प्रवेश करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में वीजा प्रसंस्करण तेज (76 दिनों में) होता है, जबकि अमेरिका में इसमें एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है।***

## भारत से अवैध प्रवासन के तरीके:

- **वीजा ओवरस्टे:**
  - कई भारतीय नागरिक वैध वीजा पर यात्रा करके विदेश जाते हैं, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद लौटते नहीं हैं।
  - छात्र और कार्य वीजा का उपयोग अवैध रोजगार के लिए किया जाता है।
- **अवैध सीमा पार करना:**
  - 'डंकी रूट' के तहत नकली वीजा, मानव तस्कर और जोखिम भरे सीमा पार मार्गों का उपयोग किया जाता है।
  - दारीन गैप (पनामा-कोलंबिया सीमा) अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक खतरनाक मार्ग बना हुआ है।
  - कनाडा से अमेरिका में अवैध प्रवेश एक प्रमुख रणनीति बन गई है, क्योंकि कनाडा के प्रवेश नियम अपेक्षाकृत कम सख्त हैं।
- **शादी और जन्म-आधारित नागरिकता में धोखाधड़ी:**
  - कई मामलों में नकली शादियाँ की जाती है ताकि स्थायी निवास प्राप्त किया जा सके।
  - 'बर्थ टूरिज्म' का उपयोग अमेरिका में जन्मे बच्चों के माध्यम से स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

## भारत से अवैध प्रवासन के मुख्य कारण:

- **आर्थिक असमानता:** अमेरिका में $10-15 प्रति घंटे की मजदूरी भारतीय प्रवासियों को खतरों के बावजूद आकर्षित करती है।
- **कृषि संकट:** पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी जमीन बेचकर अवैध प्रवासन के लिए धन जुटाते हैं।
- **मानव तस्करी:** भारत विश्व के शीर्ष 10 मानव तस्करी से प्रभावित देशों में शामिल है।
- **नौकरशाही बाधाएँ:** अमेरिका में वीजा मिलने में 600 से ज्यादा दिन लगने के कारण कई लोग अवैध रूप से प्रवास करने के रास्ते खोजने लगते हैं।

## अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 के प्रभाव

- यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह भारत की अप्रवासन प्रणाली को नया रूप देगा, जिससे:
  - अप्रवासन कानूनों के कड़े प्रवर्तन के कारण वीजा उल्लंघन में कमी आएगी।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार होगा और अनधिकृत प्रवासन को रोका जा सकेगा।
  - अंतरराष्ट्रीय आप्रवासन मानकों का पालन सुनिश्चित कर भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे।

- इस विधेयक का प्रभाव निम्नलिखित पर पड़ेगा:
    - » भारत में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी, छात्र, और पर्यटक।
    - » भारत के उन देशों के साथ संबंधो पर प्रभाव, जहां भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या रहती है (जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके)।
    - » बांग्लादेश और म्यांमार (रोहिंग्या शरणार्थियों) से अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपाय।
- भारत के वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनने की दिशा में, 'अप्रवासन और विदेशियों विधेयक, 2025' एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह विधेयक भविष्य की अप्रवासन नीतियों को सुव्यवस्थित करने और सीमा सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

# भारत में मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की संस्कृति: सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं और विविध आयाम

भारत में हाल के वर्षों में मुफ्त वस्तुएँ और सेवाएँ देने की प्रवृत्ति, जिसे आमतौर पर 'फ्रीबीज' कहा जाता है, एक प्रमुख बहस का विषय बन गई है। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी मौसम के दौरान इस तरह की योजनाओं की घोषणा करते हैं ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। हालाँकि, ये योजनाएँ समाज के वंचित वर्गों को आवश्यक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन साथ ही आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक नैतिकता और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ भी उठती हैं।

इसी सन्दर्भ में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा विशेष रूप से चुनावी अवधि के दौरान दिए जाने वाले 'फ्रीबीज' को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इन नीतियों के तहत मुफ्त वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने से अनजाने में एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है, जो लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर बना रही है।

## सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

- एक मामले की सुनवाई के दौरान, जिसमें बेघर लोगों के लिए आश्रय गृहों पर चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि 'क्या इस प्रकार की मुफ्त सुविधाएँ लोगों को 'परजीवी वर्ग' (Class of Parasites) के रूप में परिवर्तित कर रही है', जो उन्हें श्रम करने से हतोत्साहित कर रही हैं?
- अदालत की यह टिप्पणी इस चिंता को दर्शाती है कि चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई अल्पकालिक योजनाएँ दीर्घकालिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना किसी कार्य की आवश्यकता के मुफ्त सुविधाएँ देना नागरिकों में निर्भरता की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है और कार्य संस्कृति को कमजोर कर सकता है।
- इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकांश नीतियाँ चुनाव से ठीक पहले शुरू की जाती हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि ये योजनाएँ जनहित से अधिक वोट बैंक राजनीति का हिस्सा हो सकती हैं।

## कार्य संस्कृति और निर्भरता पर प्रभाव:

- मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) से संबंधित प्रमुख चिंताओं में से एक कार्य संस्कृति पर इसका प्रभाव है।
    - » महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मुफ्त सुविधाओं की वजह से कृषि और अन्य क्षेत्रों में मजदूरों की कमी देखी गई है।
    - » आलोचकों का तर्क है कि जब लोगों को बिना किसी प्रयास के वस्तुएँ और सेवाएँ मिलती हैं, तो उनके श्रम करने की प्रेरणा कम हो जाती है।
    - » यह प्रवृत्ति व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकती है, जिससे नागरिक सरकारी सहायता पर निर्भर होते जाते हैं।

## फ्रीबीज के पीछे राजनीतिक उद्देश्य:

- मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की घोषणा अक्सर चुनावों से ठीक पहले की जाती है, जिससे इनकी वास्तविक मंशा पर सवाल उठते हैं।
- दीर्घकालिक कल्याण योजनाओं (Welfare Schemes) की अनुपस्थिति और केवल चुनावी लाभ के उद्देश्य से मुफ्त सुविधाएँ देने की प्रवृत्ति इस बहस को और अधिक जटिल बना देती है।
- एक अध्ययन में पाया गया कि 78% उत्तरदाताओं ने फ्रीबीज को 'मतदान को प्रभावित करने की रणनीति' माना।
- यह मुद्दा सार्वजनिक नीति और शासन के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, अतः यह प्रश्न उठता है कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जनहित है या महज राजनीतिक लाभ।

## जनमत और आर्थिक चिंताएँ:

- फ्रीबीज को लेकर जनता की राय मिली-जुली रही है। विभिन्न शहरों में किये गये एक सर्वेक्षण में सामने आया कि:
    - » 56% उत्तरदाता फ्रीबीज को अनावश्यक मानते हैं।

» 78% उत्तरदाताओं ने कहा कि ये योजनाएँ मुख्य रूप से चुनावी लाभ के लिए बनाई जाती हैं।

» 61% लोगों को मुफ्त योजनाओं से आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की चिंता है।

» 84% संपन्न वर्ग के उत्तरदाता इन्हें आर्थिक रूप से हानिकारक मानते हैं, जबकि 46% निम्न-आय वर्ग के लोगों ने बुनियादी आवश्यकताओं (विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा) पर दी जाने वाली सब्सिडी को उचित ठहराया।

- ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) को लेकर समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गहरी विभाजन रेखा मौजूद है, जो वित्तीय जिम्मेदारी और स्थिरता को लेकर चिंताओं को उजागर करती है।

## फ्रीबीज बनाम कल्याणकारी योजनाएँ:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में फ्रीबीज को बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाने वाली 'सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधाएँ' बताया।
- ये आमतौर पर अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं और इनमें मुफ्त लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसी वस्तुएँ शामिल होती हैं, जो अक्सर चुनावी रणनीति के रूप में प्रयोग की जाती हैं।
- दूसरी ओर, कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes) लंबी अवधि में जीवन स्तर सुधारने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं।
- ये योजनाएँ राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) से प्रेरित होती हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं।

## कल्याणकारी योजनाओं के उदाहरण:

- **लोक वितरण प्रणाली (PDS):** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **मनरेगा (MGNREGA):** रोजगार उपलब्ध कराना।
- **मिड-डे मील योजना (MDM):** बच्चों के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना।

## फ्रीबीज के सकारात्मक पहलू:

हालाँकि मुफ्त योजनाओं की आलोचना की जाती है, लेकिन इनके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं:

- **वंचित समुदायों को समर्थन:** गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में फ्रीबीज जीवन-निर्वाह का एक आवश्यक साधन हो सकते हैं।
- **दीर्घकालिक कल्याण की नींव:** कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरुआत में फ्रीबीज के रूप में शुरू हुई थीं। उदाहरण के लिए, मिड-डे मील योजना और सब्सिडी वाली खाद्य योजनाएँ।
- **स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा:** सिलाई मशीन या साइकिल जैसी कुछ मुफ्त वस्तुएँ स्थानीय उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- **शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा:** लैपटॉप और साइकिल वितरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपस्थिति और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद की है।
- **सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन:** महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास जैसी सेवाओं ने महिला सशक्तिकरण और कार्यबल भागीदारी को बढ़ाया है।

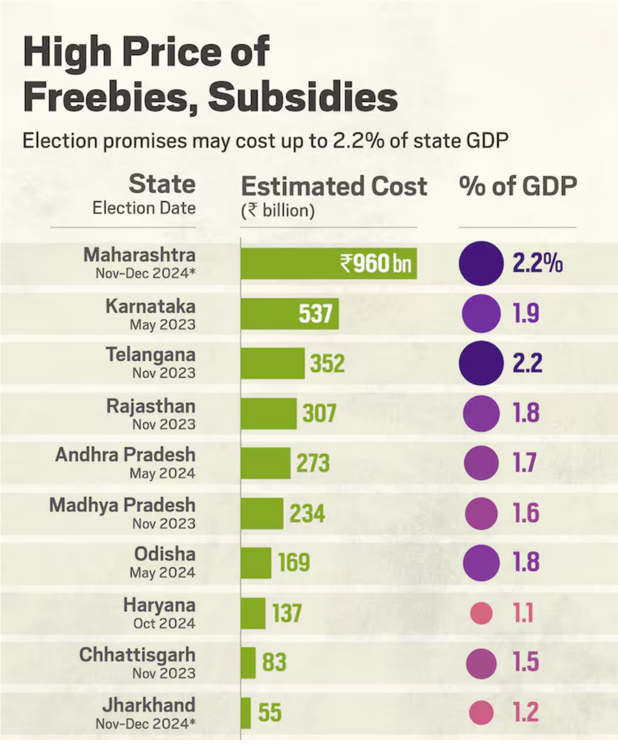


## मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) के नकारात्मक पहलू:

- **राजकोषीय बोझ:** फ्रीबीज योजनाएँ सार्वजनिक वित्त पर भारी दबाव डाल सकती हैं। कुछ राज्यों में, मुफ्त योजनाओं का व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
- **चुनावी हेरफेर:** फ्रीबीज का मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह वोटिंग व्यवहार को विकृत कर सकता है।
- **संसाधनों का दुरुपयोग:** फ्रीबीज पर खर्च किए गए संसाधन स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धन को हटा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास प्रभावित हो सकता है।
- **निर्भरता को बढ़ावा:** बार-बार मुफ्त वितरण की प्रवृत्ति आत्मनिर्भरता की भावना को कम कर सकती है, जिससे लोग श्रम करने और स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाने के बजाय

सरकार पर निर्भर होते जाते हैं।

- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** कुछ मुफ्त योजनाएँ, जैसे सब्सिडी वाली मुफ्त बिजली, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बन सकती हैं।

## फ्रीबीज पर नैतिक दृष्टिकोण:

- **सरकार की जिम्मेदारी:** राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्गों, की सहायता करे। हालाँकि, इसमें जनहित और चुनावी लाभ के लिए लोकलुभावन नीतियों के बीच एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नैतिक प्रशासन की माँग है कि नीतियाँ पारदर्शी, जवाबदेह और सतत विकास पर केंद्रित हों।
- **नागरिकों की भूमिका:** हालाँकि मुफ्त योजनाओं से लाभार्थियों को तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति नागरिकों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। फ्रीबीज पर अत्यधिक निर्भरता आत्म-सुधार और मेहनत करने की प्रवृत्ति को कमजोर कर सकती है।
- **समानता और न्याय:** नीतियों का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि वे किसी विशेष वर्ग को अनुचित लाभ न पहुँचाएँ और सामाजिक न्याय एवं समता बनाए रखें।

## आगे की राह:

- **लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाना:** चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को फ्रीबीज के दुरुपयोग पर निगरानी रखने और इसे नियंत्रित करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।
- **मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना:** जनता को यह समझाना आवश्यक है कि फ्रीबीज का दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है, ताकि मतदाता सजग और सही निर्णय ले सकें।
- **टिकाऊ कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना:** नीतिगत ध्यान अल्पकालिक लाभों के बजाय स्थायी और सतत कल्याण योजनाओं की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास हो।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** स्पष्ट दिशा-निर्देश और सशक्त भ्रष्टाचार-रोधी उपाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू हों और लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें।
- **सामाजिक सुरक्षा में निवेश (Investing in Social Security):** अस्थायी मुफ्त योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन की दिशा में निवेश करना दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।

## निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ भारत में फ्रीबीज संस्कृति से जुड़े संभावित खतरों की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। हालाँकि मुफ्त योजनाएँ गरीब और वंचित वर्गों के लिए तात्कालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन ये निर्भरता, संसाधन आवंटन और चुनावी निष्पक्षता से संबंधित गंभीर चिंताओं को भी जन्म देती हैं। यदि सरकार इन योजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करती है और एक संतुलित तथा न्यायसंगत सार्वजनिक कल्याण नीति अपनाती है, तो इससे भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। यह संतुलित दृष्टिकोण भविष्य की कल्याणकारी और वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

# संक्षिप्त मुद्दे

## वैवाहिक बलात्कार और धारा 377 पर न्यायिक निर्णय

### संदर्भ:

हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार का अपवाद, धारा 377 पर भी लागू होता है। इसका अर्थ है कि विवाह के अंतर्गत यदि पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध (unnatural sex) होता है, तो इसे धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

### न्यायालय का निर्णय:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है, लेकिन इसमें एक विशेष अपवाद है। यह अपवाद 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ गैर-संवेदनशील (non-consensual) यौन संबंध के मामलों में लागू होता है। इसका अर्थ है कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित करता है और पत्नी कानूनी रूप से वयस्क है, तो इस स्थिति में पति के खिलाफ

बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

- इसके आधार पर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को धारा 377 तक बढ़ा दिया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह के भीतर जबरन अस्वाभाविक यौन संबंध को धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
- हालांकि धारा 377 अस्वाभाविक सेक्स को अपराध मानती है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को दोषमुक्त (Decriminalized) करने के बावजूद गैर-संवेदनशील कृत्य इस दायरे से बाहर नहीं किए गए हैं। अदालत ने इस तर्क पर भरोसा किया कि धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को धारा 377 पर भी लागू किया जाना चाहिए।

## निर्णय का महत्व:

- यह निर्णय वैवाहिक महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इससे पहले, जिन महिलाओं ने विवाह के भीतर गैर-संवेदनशील यौन कृत्यों का सामना किया, वे विशेष रूप से उन मामलों में जहां घरेलू हिंसा के कानून अपर्याप्त थे, धारा 377 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती थीं।
- हालांकि, जब अदालत ने धारा 377 पर वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को विस्तार दिया, तो इसने प्रभावी रूप से वैवाहिक महिलाओं के लिए उनके पतियों के खिलाफ बलात्कारी यौन कृत्यों, जिसमें अस्वाभाविक सेक्स भी शामिल था, के लिए कानूनी रास्ते को संकीर्ण कर दिया।
- यह निर्णय व्यापक रूप से महिलाओं के कानूनी अधिकारों के लिए एक कदम पीछे के तौर पर देखा जा रहा है, विशेष रूप से वैवाहिक बलात्कार और विवाह के भीतर यौन हिंसा के मामलों में। इस निर्णय ने कानूनी दायरे को संकुचित किया है, जो महिलाओं के अधिकारों और शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए भारत के कानूनी ढांचे में आगे सुधारों की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है।

## निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का वैवाहिक बलात्कार और धारा 377 पर निर्णय भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों पर गहरा असर डालता है। अदालत ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को धारा 377 पर लागू कर दिया, जिससे महिलाओं के लिए कानूनी रास्ते संकीर्ण हो गए। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों और शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए जरूरी कानूनी सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है। वैवाहिक बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों में प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानूनी सुधारों की आवश्यकता है।

# पीएमएलए मामलों में जमानत के लिए कड़े निर्देश

## संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत एक निर्णय में जमानत से जुड़े प्रावधानों को और सख्त किया गया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एक आरोपी को धन शोधन मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि PMLA की धारा 45 के तहत जमानत देने से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने जमानत के लिए कड़ी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

## PMLA की धारा 45 के तहत जमानत का आधार:

- PMLA की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होता है कि:
  - » क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है?
  - » क्या यह संभावना नहीं है कि आरोपी जमानत मिलने पर दोबारा अपराध करेगा?
- सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि ये शर्तें अनिवार्य हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि अवैध जमानत को रोका जा सके।

## जमानत देने में विवेकाधिकार:

- पटना उच्च न्यायालय ने कन्हैया प्रसाद को लंबी अवधि तक बिना मुकदमे के कारावास में रहने के कारण जमानत दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक देरी PMLA द्वारा निर्धारित कड़ी शर्तों को कमजोर नहीं कर सकती।
- निर्णय ने पुनः स्पष्ट किया कि मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, PMLA के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन आवश्यक है।

### धन शोधन (Money Laundering)

- ➤ *धन शोधन (Money Laundering) वह प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से अर्जित धन को कानूनी रूप से वैध दिखाने का प्रयास किया जाता है।*
- ➤ *इसके लिए धन को जटिल वित्तीय लेन-देन, शेल कंपनियों, विदेशी बैंक खातों या वैध व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से घुमाया जाता है, जिससे उसके वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके और उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।*

## धन शोधन के चरण:

- **प्लेसमेंट (Placement):** अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में डालना।
  - » बड़ी धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में जमा करना।

- » विदेशी/ऑफशोर बैंकों में धन जमा करना।
- » नकदी से संपत्ति, कीमती धातुएं (सोना, चांदी) या उच्च मूल्य की वस्तुएं खरीदना।

- **परत बनाना (Layering):** जटिल लेन-देन के माध्यम से स्रोत को छुपाना।
  - » धन को कई बार स्थानांतरित करना (Repeated Fund Transfers)।
  - » शेल कंपनियों का उपयोग करना ताकि मालिकाना हक छुप सके।
  - » संपत्तियों को खरीदने और बेचने के द्वारा स्रोत को छुपाना।
- **एकीकरण (Integration):** धन को वैध दिखाना।
  - » रियल एस्टेट, व्यवसायों या शेयर बाजारों में निवेश करना।
  - » बड़ी व्यापारिक परियोजनाओं में पैसा लगाया जाता है।
  - » धोखाधड़ी लोन और चालान का उपयोग करके लेन-देन को उचित ठहराना।

## धन शोधन के प्रभाव:

- **सुरक्षा जोखिम में वृद्धि:**
  - » **आतंकवाद को वित्तपोषण:** आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने के लिए धन शोधन का उपयोग किया जाता है।
    - ➢ उदाहरण: 26/11 मुंबई हमलों को आंशिक रूप से शोधन किए गए धन द्वारा वित्तपोषित किया गया था।
  - » **संगठित अपराध:** धन शोधन मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
  - » **उग्रवाद:** विद्रोहियों को वित्तीय सहायता देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर बनाने के लिए धन शोधन का उपयोग होता है।
- **आर्थिक परिणाम:**
  - » **वैध व्यवसायों को नुकसान:** शैल कंपनियां बाजार प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं।
  - » **वित्तीय बाजारों में अस्थिरता:** अवैध धन के प्रभाव से बैंकों में तरलता संकट उत्पन्न हो सकता है, जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है।
  - » **सरकारी नियंत्रण की हानि:** अवैध वित्तीय प्रवाह आर्थिक नीति को प्रभावित कर सकता हैं, जिससे सरकार की नीति और नियंत्रण क्षमता कमजोर हो जाती है।
  - » **आर्थिक हानि:** यह धन को उत्पादक क्षेत्रों से हटा कर कम गुणवत्ता वाले निवेशों में स्थानांतरित करता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
- **सामाजिक प्रभाव:**
  - » **अपराध को बढ़ावा:** अवैध धन अपराधी समूहों को अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।
  - » **संस्थाओं को भ्रष्ट करता है:** अवैध धन, अपराधियों को राजनीति और कानून प्रवर्तन पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर देता है।
  - » **विश्वास का कमजोर होना:** सरकार और वित्तीय संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करता है।

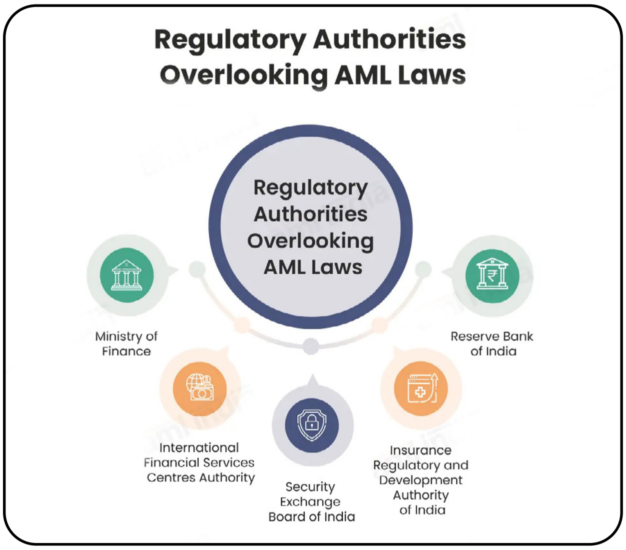


## भारत में धन शोधन निरोधक उपाय:

- **धन शोधन निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):** अधिकारियों को अवैध संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
- **वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND):** यह संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग करता है।
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED):** धन शोधन के मामलों की जांच और अभियोजन (Prosecution) करता है।

## अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन निरोधक ढांचा:

- **वित्तीय क्रियावली कार्यबल (FATF):** धन शोधन निरोधक (AML) के लिए वैश्विक मानकों को निर्धारित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कार्यक्रम (GPML):** देशों को धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से लड़ने में मदद करता है।
- **यूएन वियना सम्मेलन (1988):** धन शोधन को अपराध घोषित करता है और इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **एशिया/प्रशांत समूह (APG):** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में FATF अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।
- **यूरोसीयाई समूह (EAG):** धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से लड़ने के लिए एक क्षेत्रीय गठबंधन है।

## निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय PMLA के तहत जमानत के लिए निर्धारित कड़ी शर्तों को और मजबूत करता है, ताकि धन शोधन के

खिलाफ प्रभावी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह निर्णय भविष्य के मामलों में जमानत के मामलों में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जो व्यक्तिगत अधिकारों और धन शोधन निरोधक उपायों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है।

# मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

## सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली में गंभीर खामियों का उल्लेख करते हुए, पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सजा को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने इस निर्णय में निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) और उचित प्रक्रिया (Due Process) के सिद्धांतों को विशेष रूप से रेखांकित किया, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के संदर्भ में।

## मृत्यु दंड को रद्द करने के कारण:

- **कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव:** अभियुक्त को मुकदमे के महत्वपूर्ण चरणों में पर्याप्त कानूनी सहायता नहीं मिली। उचित कानूनी बचाव (Adequate Legal Defense) का अभाव ही मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण न्यायालय ने मुकदमे को अनुचित पाया।
- **प्रक्रियागत कमियाँ:** न्यायालय ने पाया कि मुकदमे के संचालन में गंभीर खामियाँ थीं, जिनमें अभियुक्त को उचित कानूनी सलाह न दिया जाना भी शामिल था। इससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई।
- **कमजोर समूहों द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियां:** न्यायालय ने माना कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होती है। इस मामले में, अभियुक्त को अपनी कमजोर सामाजिक स्थिति के कारण अतिरिक्त कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा।
- **मृत्युदंड और अपराध की निश्चितता:** पीठ ने मृत्युदंड के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मृत्युदंड, सजा का सबसे कठोर रूप है, इसे तभी लगाया जाना चाहिए जब अभियुक्त के अपराध के बारे में पूर्ण निश्चितता हो। इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि ऐसी निश्चितता का अभाव था।

## भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली:

- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराधियों को दंडित करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है। यह प्रणाली पुलिस, न्यायपालिका और सुधारात्मक तंत्र से मिलकर बनी है।

## मुख्य घटक:

- **पुलिस**
  - » यह आपराधिक न्याय प्रणाली का पहला स्तंभ है।
  - » अपराध की सूचना प्राप्त करना, जांच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना और अदालत में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य उपलब्ध कराना इसकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं।
- **न्यायपालिका**
  - » न्यायपालिका का कार्य अपराधों की निष्पक्ष सुनवाई करना और दोषियों को सजा सुनाना है।
  - » यह संविधान और दंड संहिता के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करती है।
  - » इसमें उच्चतम न्यायालय (Supreme Court), उच्च न्यायालय (High Court) और अधीनस्थ न्यायालय (Lower Courts) शामिल हैं।
- **सुधारात्मक प्रणाली (Correctional System)**
  - » इसका उद्देश्य दोषियों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
  - » इसमें जेल प्रणाली, प्रोबेशन, परोल और सुधारगृह शामिल हैं, जो अपराधियों को पुनः अपराध करने से रोकने के लिए बनाए गए हैं।

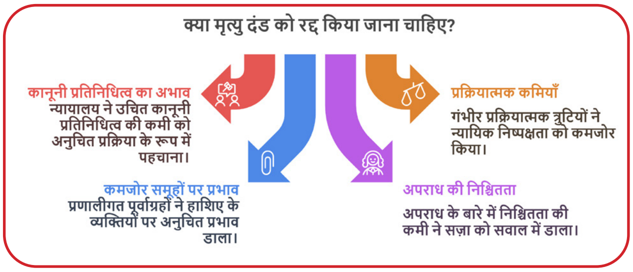


## आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से जुड़ी प्रमुख समितियाँ:

- **वोहरा समिति, 1993**
  - » **प्रमुख सिफारिशें:** विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण और साझा करने के लिए एक समर्पित संस्था (Dedicated Agency) की स्थापना। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- **मलिमथ समिति, 2003**
  - » **प्रमुख सिफारिशें:** न्यायिक अधिकारियों एवं जांच एजेंसियों को अधिक संसाधन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। अभियोजन (Prosecution) और पुलिस व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने हेतु अभियोजन एजेंसियों को अधिक स्वायत्तता देना।

# भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति

## संदर्भः

हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजीव कुमार का स्थान लेंगे। हालांकि, विपक्ष के नेता ने इस नियुक्ति पर असहमति जताते हुए एक नोट प्रस्तुत किया। उन्होंने आग्रह किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट चयन प्रक्रिया से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय नहीं देता, तब तक नियुक्ति को स्थगित रखा जाए।

## सीईसी की नियुक्ति प्रक्रियाः

- पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को पदोन्नत किया जाता था।
- हालाँकि, 2023 में, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति में एक चयन समिति होगी, जिसमें शामिल हैं:
  - » प्रधानमंत्री
  - » लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी या एलओपी अनुपस्थित होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)
  - » भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई)

## संसदीय प्रतिक्रियाः

- इस सन्दर्भ में, संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसमें चयन समिति में सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। इस बदलाव ने नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी प्रभुत्व को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं।

## नई नियुक्ति प्रक्रियाः

- 2023 अधिनियम में दो-चरणीय नियुक्ति प्रणाली शुरू की गई है:
  - » विधि मंत्री और दो वरिष्ठ सचिवों के नेतृत्व में एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों की सूची बनाती है।
  - » **चयन समितिः** इसके बाद प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री से मिलकर बनी समिति नियुक्ति को अंतिम रूप देती है, जिसे बाद में राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से चुना जाता है। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर विचार कर सकती है।
- नए कानून के तहत, उम्मीदवारों को सरकार का पूर्व या वर्तमान सचिव होना चाहिए और चुनाव प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। सीईसी और अन्य ईसी छह वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। जिसमें पुनर्नियुक्ति की कोई संभावना नहीं है।

## निष्कर्षः

सर्वोच्च न्यायालय का लंबित निर्णय यह निर्धारित करेगा कि क्या संसद कानून के माध्यम से संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट सकती है, विशेष रूप से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में। आलोचकों का तर्क है कि नया कानून सरकार को चुनाव आयोग पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे इसकी तटस्थता पर प्रश्न उठते हैं और भारत में चुनावी निष्पक्षता के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

# प्रतिस्पर्धा कानूनों में संशोधनः CCI का नया मसौदा विनियमन 2025

## संदर्भः

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन की लागत का निर्धारण) विनियमन, 2025' का मसौदा प्रस्तुत किया है। यह पहल प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रतिस्पर्धा कानूनों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। इसका लक्ष्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप प्रतिस्पर्धा संबंधी नियमों को संरेखित करना है।

## प्रस्तावित विनियमन का उद्देश्यः

- इस मसौदा विनियमन का उद्देश्य अनुचित मूल्य निर्धारण (Predatory Pricing) से जुड़े मामलों में उत्पादन लागत तय करने की प्रक्रिया को प्रभावी और स्पष्ट बनाना है। यह नया विनियमन मौजूदा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत निर्धारण) विनियमन, 2009 को प्रतिस्थापित करेगा।
- CCI ने हितधारकों के लिए 17 फरवरी से 19 मार्च, 2025 तक परामर्श अवधि रखी है, जहां वे अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं।

## अनुचित मूल्य निर्धारण (Predatory Pricing):

- अनुचित मूल्य निर्धारण (Predatory Pricing) एक ऐसी रणनीति है, जिसमें कोई बड़ी कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों (Competitors) को बाजार से बाहर करने के लिए अपनी कीमतें उत्पादन लागत से भी कम कर देती है। जब प्रतिस्पर्धी कमजोर हो जाते हैं या पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तब यह कंपनी कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने लगती है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(2)(A) इस तरह की अनैतिक रणनीतियों पर रोक लगाती है, क्योंकि इससे बाजार में अनुचित प्रभुत्व (Unfair Market Dominance) बन सकता है।

- इस अधिनियम के तहत, किसी मूल्य निर्धारण को अनुचित मूल्य निर्धारण तब माना जाएगा जब ये तीन शर्तें पूरी हों:
  - **बाजार स्थिति:** फर्म के पास महत्वपूर्ण बाजार शक्ति होनी चाहिए।
  - **लागत से कम मूल्य निर्धारण:** कीमतों को जानबूझकर उत्पादन की लागत से कम निर्धारित किया जाना चाहिए।
  - **प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने की रणनीति:** फर्म का उद्देश्य प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करना होना चाहिए।
- 2025 के मसौदा विनियमन आधुनिक लागत बेंचमार्क (Cost Benchmarking) को अपनाने का प्रस्ताव करते हैं, ताकि अनुचित मूल्य निर्धारण (Predatory Pricing) को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सके। इसमें समकालीन आर्थिक सिद्धांतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मानकों (Global Competition Standards) को शामिल किया गया है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को बाजार विकृतियों (Market Distortions) को रोकने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में दंड, सुधारात्मक उपाय और मूल्य निर्धारण विनियमन (Pricing Regulation) लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

**Difference between 2009 and draft 2025 regulation**

| CCI (Determination of Cost of Production) Regulations, 2009 | CCI (Determination of Cost of Production) Regulations, 2025 |
|---|---|
| The regulation relied on market value, that was defined as consideration which the customer pays or agrees to pay for a product that is/can be sold or provided. | The regulation relies on average total cost, i.e., defined as total cost divided by total output during the referred period. |
| The determination of cost included cost concepts such as avoidable cost, long-run average incremental cost, market value. | The determination of cost proposed to include cost concepts such as average total cost, average avoidable cost, or long-run average incremental cost. |
| *The proposed draft is a shift from market value to average total cost as a factor for the determination of cost.* | |

### अनुचित मूल्य निर्धारण को विनियमित करने में चुनौतियाँ:

- 2009 के बाद से, भारत की बाजार गतिशीलता में काफी बदलाव आया है, विशेषकर डिजिटल बाजारों और प्लेटफॉर्म-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के उदय के साथ। यह परिवर्तन अनुचित मूल्य निर्धारण और वैध प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण बनाता है।
- अद्यतित लागत मूल्यांकन पद्धतियों (Updated Cost Assessment Methods) का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी मूल्य निर्धारण रणनीतियों (Anti-Competitive Pricing Strategies) की पहचान करने में अधिक स्पष्टता प्रदान करना है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार विनियामक निगरानी को बढ़ाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रमुख फर्म अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग न करें। नए दिशा-निर्देशों से मूल्य निर्धारण रणनीतियों में अनिश्चितता कम होने की भी उम्मीद है, जिससे व्यवसायों को लाभ होगा, विशेषकर मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में।

### निष्कर्ष:

नए मसौदा विनियमन अनुचित मूल्य निर्धारण की पहचान करने और उसे रोकने के लिए बेहतर उपकरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे भारत में अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा मिलेगा। परामर्श की प्रक्रिया इन विनियमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण और व्यावसायिक नवाचार के बीच संतुलन सुनिश्चित होगा। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, ये अद्यतन विनियम व्यवसायों, नियामक निकायों और उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करेंगे, जिससे निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

## नक्शा (NAKSHA) परियोजना

### सन्दर्भ:

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (नक्शा)' नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य भू-स्थानिक तकनीक (Geospatial Technology) के माध्यम से शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना है।

### नक्शा (NAKSHA) परियोजना:

- NAKSHA कार्यक्रम को 2024 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का सटीक और अपडेटेड रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे पारदर्शिता बढ़े और भूमि विवाद कम हों।
- **विस्तार (Coverage):** यह परियोजना वर्तमान में अपने 1-वर्षीय पायलट चरण में है, जिसे 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के 152 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में लागू किया जा रहा है। पायलट चरण की सफलता के बाद इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
- **तकनीकी भागीदार:** इस परियोजना में भारतीय सर्वेक्षण विभाग तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। वह हवाई सर्वेक्षण और ऑर्थोरेक्टिफाइड इमेजरी के माध्यम से सटीक

मानचित्रण सुनिश्चित करेगा।

- **प्लेटफॉर्म विकास:** मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) इस परियोजना के लिए एक संपूर्ण वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म (Web-GIS Platform) विकसित कर रहा है।
- **समन्वय:** इस पहल का समन्वय राज्य स्तरीय समिति (SLC) द्वारा किया जा रहा है, जो मुख्य सचिव (Chief Secretary) के कार्यालय के अधीन कार्य करती है ताकि प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

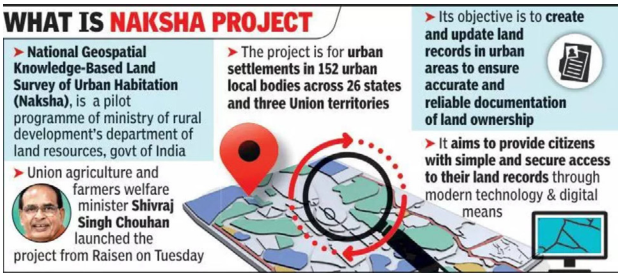


### भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व:

- **नागरिकों को सशक्त बनाना:** भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण नागरिकों को भूमि स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनके अधिकारों को सशक्त बनाती हैं।
- **विवादों में कमी:** डिजिटल भूमि अभिलेख स्वामित्व से जुड़े विवादों को कम करने में मदद करते हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली पर भार घटता है।
- **शासन में सुधार:** पारदर्शी और प्रभावी डिजिटल दस्तावेजीकरण के माध्यम से यह परियोजना शहरी योजना और नीति निर्माण को अधिक सुगम बनाती है।
- **निवेश को प्रोत्साहन:** भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से व्यापार करना आसान होता है, जिससे शहर निवेश के आकर्षक केंद्र बन सकते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

### डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में:

- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP), जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2008 में शुरू किया था, का वर्ष 2016 में नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) रखा गया। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण और एक केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है:
  - » यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
  - » DILRMP को 2021-2026 की अवधि के लिए पांच वर्षों तक बढ़ाया गया है।

### मुख्य घटक:

- भूमि और पंजीकरण अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
- राजस्व न्यायालयों (त्मअमदनम ब्वनतजे) का डिजिटलीकरण।
- आधार के साथ एकीकरण, जिससे स्वामित्व सत्यापन में पारदर्शिता आएगी।

### अन्य प्रमुख पहलें:

- **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN):** इसे भूमि की आधार संख्या भी कहा जाता है, यह प्रत्येक भूखंड के लिए एक विशिष्ट पहचान है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों में धोखाधड़ी को रोकना है, जिससे भूमि स्वामित्व की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
- **भूमि सम्मान:** भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करने की पहल।

# उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

### सन्दर्भ:

हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों द्वारा न्यायमूर्ति शेखर यादव को पद से हटाने के संबंध में दिए गए नोटिस के संदर्भ में अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार केवल संसद के पास है।

### उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित की जाती है।
- किसी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है:
  - » **दुर्व्यवहार:** इसमें जानबूझकर किया गया अनुचित आचरण, भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी और नैतिक पतन से संबंधित अपराध शामिल होते हैं।
  - » **अक्षमता:** इसमें शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण न्यायिक कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में असमर्थता शामिल होती है।

### न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया:

- संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) में हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए:
  - » प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत (Majority of Total Membership) की आवश्यकता होती है।

» उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (Special Majority) की आवश्यकता होती है।

### न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत प्रक्रिया:

**चरण 1: प्रस्ताव की शुरुआत**

- प्रस्ताव को निम्नलिखित संख्या में सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए:
  - » राज्यसभा: कम से कम 50 सदस्य।
  - » लोकसभा: कम से कम 100 सदस्य।

**चरण 2: प्रस्ताव पर विचार**

- राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष:
  - » प्रस्ताव को जाँच के लिए स्वीकार कर सकते हैं।
  - » यदि प्रस्ताव मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं।
  - » कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श किया जाता है।

**चरण 3: जाँच समिति का गठन**

- यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो तीन सदस्यीय जाँच समिति बनाई जाती है, जिसमें शामिल होते हैं:
  - » सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश।
  - » उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश।
  - » एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ।
  - » यह समिति आरोपों की जाँच करती है।

**चरण 4: जाँच और रिपोर्ट**

- समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है:
  - » यदि न्यायाधीश दोषमुक्त पाया जाता है, तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है।
  - » यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, तो रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है।

**चरण 5: संसदीय अनुमोदन**

  - » संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है।
  - » यदि पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
- **अंतिम निर्णय:**
  - » संसद की स्वीकृति के बाद, भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश को औपचारिक रूप से पद से हटा सकते हैं।

### कानूनी और संस्थागत विचार:

- **न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन:**
  - » यह प्रक्रिया न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव से बचाने में सहायक होती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
  - » साथ ही, यह न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) को बनाए रखने में मदद करती है।
- **न्यायाधीश को हटाने की चुनौतियाँ:**
  - » विशेष बहुमत की आवश्यकता के कारण न्यायाधीश को हटाना अत्यंत दुर्लभ होता है।
  - » भले ही जाँच समिति किसी न्यायाधीश को दोषी ठहरा दे, फिर भी संसद में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करना कठिन होता है।

### न्यायिक आचरण और नैतिक मानक:

- न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन (1997) के अनुसार:
  - » न्यायाधीशों को न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहिए।
  - » उन्हें किसी भी ऐसे आचरण या बयान से बचना चाहिए जो उनकी निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करता हो।
- न्यायाधीश (जाँच) विधेयक, 2006 (जो अभी तक पारित नहीं हुआ) में निम्नलिखित प्रस्तावित थे:
  - » दुर्व्यवहार की स्पष्ट परिभाषा
  - » मामूली अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे:
    - ➤ चेतावनी देना।
    - ➤ सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से फटकार लगाना।
    - ➤ अस्थायी रूप से न्यायिक कार्य से हटाना।

### निष्कर्ष:

न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ प्रस्ताव न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन को दर्शाता है। न्यायाधीश को हटाने की जटिल प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे। साथ ही, यह प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक जवाबदेही स्थापित करती है।

# मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

### संदर्भ:

हाल ही में मणिपुर में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, नई सरकार के गठन में विफलता के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।

### मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:

- **शासन व्यवस्था:** राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव सहायता करेंगे।
- **विधानसभा की स्थिति:** राज्य की विधान सभा को निलंबित किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है।
- **अध्यादेश लागू करने का शक्ति:** जब संसद सत्र में नहीं होती है, तब राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन से संबंधित अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है।

### राष्ट्रपति शासन के बारे में:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब

लागू किया जाता है, जब किसी राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ पाया जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद से हटा दिया जाता है और राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित किया जाता है या भंग कर दिया जाता है।

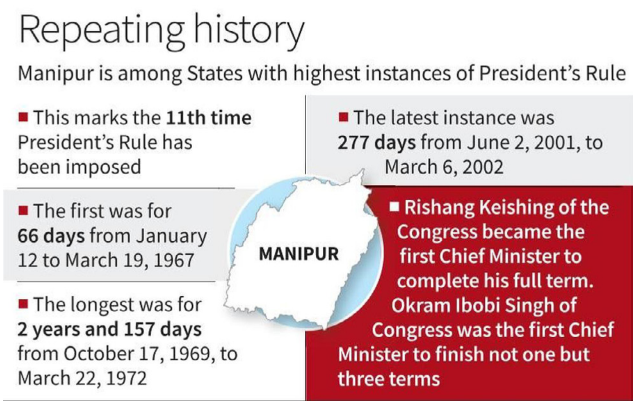


## राष्ट्रपति शासन लागू करने की शर्तें:

- **शासन व्यवस्था में अस्थिरता:** जब किसी राज्य में गठबंधन सरकार टूट जाती है और कोई भी दल या गठबंधन नया सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है।
- **संवैधानिक नियमों का उल्लंघन:** जब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख करता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
- **चुनावों की अनिश्चितता:** जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण चुनाव स्थगित करने की स्थिति में आ जाए।

## आलोचना और सुझाव:

- **दुरुपयोग को लेकर चिंता:** कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग संघीय ढांचे को प्रभावित करने के लिए किया गया है।

## सिफारिशें:

- सरकारिया आयोग (1983) ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन को केवल अंतिम उपाय के रूप में ही लागू किया जाना चाहिए, जब सभी अन्य विकल्प समाप्त हो चुके हों।
- **एस. आर. बोम्मई मामला ( 1994 ):** राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सख्त दिशानिर्देश बनाए गए।

## राष्ट्रपति शासन के प्रमुख उदाहरण:

- **जम्मू और कश्मीर:** वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
- मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जो कि किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।
- छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है।

## मणिपुर में जातीय हिंसा:

- मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा राज्य की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण रही है। यह संघर्ष मुख्य रूप से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और अल्पसंख्यक कुकी-जो समुदाय के बीच हुआ।
- इस तनाव की शुरुआत मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें मैतेई समुदाय को कुछ विशेषाधिकार देने की सिफारिश की गई थी। इस निर्णय से दोनों समुदायों के बीच असंतोष बढ़ गया, क्योंकि मैतेई समुदाय मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि कुकी-जो समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहता है।
- इस संघर्ष के परिणामस्वरूप राज्य में आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं बढ़ गई, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई।

# फ्रीबी संस्कृति पर SC की टिप्पणी

## संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा चुनावों से पहले दी जाने वाली 'फ्रीबी' (नि:शुल्क योजनाओं) की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम्स पर सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह विचार किया कि क्या ऐसी नीतियाँ लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय, बिना किसी प्रयास या योगदान के संसाधन प्रदान कर उन्हें काम करने से हतोत्साहित कर सकती हैं।

## मुख्य मुद्दे:

- **श्रम भागीदारी पर प्रभाव:** न्यायमूर्ति गवई ने फ्रीबी के प्रभाव पर चर्चा की (विशेषकर महाराष्ट्र में) जहां मुफ्त संसाधनों (Provisions) की उपलब्धता के कारण कृषि श्रमिकों की कमी हो गई है। चिंता यह है कि अगर आवश्यक संसाधन बिना किसी मूल्य के उपलब्ध कराए जाते हैं, तो लोग रोजगार प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर सकते।
- **निर्भरता का निर्माण:** न्यायालय ने यह भी विचार किया कि बिना काम के वित्तीय सहायता देने से लोग सरकार पर निर्भर हो सकते हैं। ऐसे में, जहां ये नीतियाँ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती हैं, वहीं वे व्यक्तियों को सरकारी सहायता पर निर्भर बना सकती हैं। यह नीति समग्र उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं।
- **राजनीतिक प्रेरणाएँ:** केस की सुनवाई के दौरान एक और पहलू जो सामने आया, वह था फ्रीबी नीतियों का चुनावों के निकट समय पर लागू होना। इसने यह बहस उठाई कि क्या ये उपाय मुख्य रूप से जन कल्याण के लिए होते हैं या इन्हें मतदाताओं

को प्रभावित करने के लिए एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है।

### फ्रीबी बनाम कल्याण योजनाएँः

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में फ्रीबीज को 'जन कल्याण उपायों के रूप में परिभाषित किया है, जो नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं।' ये आमतौर पर तात्कालिक राहत प्रदान करने वाली योजनाएँ होती हैं और इनमें मुफ्त लैपटॉप, टीवी, साइकिलें, बिजली और पानी जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जिन्हें अक्सर चुनावी प्रोत्साहन के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि, कुछ का मानना है कि ये आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के बजाय निर्भरता को बढ़ावा देती हैं।
- कल्याण योजनाएँ ऐसे व्यवस्थित कार्यक्रम होते हैं, जिनका उद्देश्य जीवन स्तर में दीर्घकालिक सुधार और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच को सुनिश्चित करना होता है। ये योजनाएँ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSPs) में निहित होती हैं और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं, जिनका उद्देश्य स्थायी लाभ प्रदान करना है।

कल्याण योजनाओं के उदाहरण हैं:

» **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

» **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** रोजगार के अवसर प्रदान करना।

» **मध्याह्न भोजन (MDM) योजना:** बच्चों के पोषण और शिक्षा को संबोधित करना।

### निष्कर्षः

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ फ्रीबी नीतियों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हो रही बहस को सामने लाती हैं। हालांकि ये नीतियाँ जरूरतमंदों को तुरंत राहत दे सकती हैं, लेकिन इनके लंबे समय तक होने वाले प्रभाव, विशेषकर काम करने की इच्छा और आत्मनिर्भरता पर सवाल उठ रहे हैं। नीति निर्माण में तात्कालिक मदद और लंबे समय तक होने वाले आर्थिक व सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

## शून्य विवाहों में भरण-पोषण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

### संदर्भः

हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 के तहत शून्य विवाहों में भी पति या पत्नी को अलिमनी (गुजारा भत्ता) और भरण-पोषण दिया जा सकता है, भले ही विवाह को कानूनी रूप से शून्य (अवैध) घोषित कर दिया गया हो।

### निर्णय के मुख्य बिंदुः

- **शून्य विवाहों में अलिमनी और भरण-पोषण:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शून्य विवाहों में पति-पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी अलिमनी या भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है। विवाह का कानूनी रूप से अवैध होना इस वित्तीय राहत के अधिकार को प्रभावित नहीं करता।
- **अस्थायी भरण-पोषण:** कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि यदि मामला चल रहा हो, तो अस्थायी भरण-पोषण का आदेश दिया जा सकता है, भले ही विवाह बाद में शून्य घोषित कर दिया जाए। अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण का प्रावधान किया गया है, जो विशिष्ट शर्तों के अधीन होता है। इस तरह की राहत को देने का निर्णय पक्षों के व्यवहार पर निर्भर करता है और यह न्यायालय की विवेकाधिकार पर आधारित होता है।
- **नारी विरोधी शब्दावली का आलोचना:** सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय में 'अवैध पत्नी' और 'विश्वसनीय प्रेमिका' जैसे नारी विरोधी और अपमानजनक शब्दों की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी भाषा महिलाओं की गरिमा को घटित करती है और कानूनी प्रक्रियाओं में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अनुचित है, क्योंकि यह रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती है।

### शून्य विवाह के बारे में

➢ *शून्य विवाह वह विवाह होते हैं जो कानूनी रूप से प्रारंभ से ही अवैध होते हैं और इन्हें ऐसे माना जाता है जैसे ये कभी हुए ही न हों। इन विवाहों में वैवाहिक अधिकारों और लाभों का दावा करने के लिए कानूनी रूप से कोई वैधता नहीं होती।*

➢ *शून्य विवाहों के मामले में अदालत से रद्दीकरण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि शून्यात्मक विवाहों (Voidable marriages) में कोर्ट के आदेश से ही रद्दीकरण होता है।*

### शून्य विवाह के प्रमुख आधारः

- **नस्लीय विवाह (Incestuous Marriage):** यदि दो व्यक्ति निकट रक्त संबंधी होते हैं (जैसे भाई-बहन या माता-पिता और संतान) तो ऐसा विवाह स्वाभाविक रूप से शून्य माना जाता है। ऐसे विवाह कानूनी रूप से निषिद्ध होते हैं,ताकि जीन संबंधी समस्याओं और सामाजिक मान्यताओं का पालन किया जा सके।
- **बहुविवाह (Polygamous Marriage):** यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी और से शादीशुदा है, तो उसके बाद होने वाली कोई भी शादी बहुविवाह मानी जाती है और शून्य होती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी।

- **प्रतिबंधित रिश्ते में विवाह:** जिन व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध प्रतिबंधित होते हैं (जैसे करीबी चचेरे भाई-बहन या अन्य नजदीकी रिश्तेदार), उनके बीच विवाह कानूनी रूप से शून्य माना जाता है।
- **सपिंडा संबंधियों के मध्य विवाह:** सपिंडा संबंध वह संबंध होते हैं जो एक सामान्य पूर्वज से जुड़े होते हैं। सपिंडा श्रेणी के भीतर विवाहों की कड़ी निषेधता होती है और वे स्वचालित रूप से शून्य होते हैं, क्योंकि ऐसे विवाहों से नस्लीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और सामाजिक व्यवस्था में खलल डाल सकती है।

### निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शून्य विवाहों में व्यक्तियों के लिए वित्तीय समर्थन के अधिकार को सुनिश्चित कर, कानून के तहत उनकी सुरक्षा को मजबूत करता है। यह निर्णय ऐसे व्यक्तियों के लिए कानूनी ढांचे को मजबूती प्रदान करता है, जिनके विवाह बाद में रद्द या शून्य घोषित कर दिए जाते हैं, ताकि उन्हें वित्तीय रूप से असुरक्षित न छोड़ा जाए।

## टोल कर में कमी और राजमार्ग प्रबंधन सुधार पर PAC की सिफारिश

### संदर्भ:

हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) ने सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर लागू टोल कर नियमों की समीक्षा करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश लोक लेखा समिति द्वारा आयोजित एक बैठक में पुरानी टोल शुल्क संरचनाओं, सुविधायें और रखरखाव की समस्याओं के मद्देनजर की गई।

### मुख्य मुद्दे:

- **टोल कर संरचना और राजस्व वृद्धि:** मौजूदा टोल कर प्रणाली, जोकि NH शुल्क नियम, 2008 के तहत संचालित है, टोल शुल्क को प्रति किलोमीटर निर्धारित दर पर तय करती है। PAC ने यह ध्यान दिलाया कि वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ टोल से होने वाला राजस्व काफी बढ़ गया है। इसने सुझाव दिया कि टोल शुल्क की समीक्षा की जाए और उसे कम करने पर विचार किया जाए, ताकि यात्रियों से उचित शुल्क लिया जा सके।
- **संविदाकारों द्वारा अनुपालन की कमी:** निजी ऑपरेटर (संविदाकार) अपने अनुबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर चिंताएँ उठाई गई। समस्याओं में सड़क रखरखाव की कमी, उचित सुविधाओं (जैसे विश्राम स्थल और चिकित्सा सहायता) का अभाव और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का सही तरीके से प्रबंधन न होना शामिल है।
- **टोल प्लाजा पर यातायात का जमावड़ा:** फास्टैग्स (FASTags) की शुरुआत के बावजूद, टोल प्लाजा पर लंबी कतारें एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई हैं। PAC ने पालीयेकरा टोल प्लाजा का उदाहरण दिया, जहाँ संविदाकारों ने अनुबंधों का पालन नहीं किया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।

### लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में:

- **गठन:** लोक लेखा समिति को लोकसभा के नियम 308 के तहत गठित किया गया है।
- इस समिति में कुल 22 सदस्यीय होते है। 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य तक राज्यसभा से चुने जाते हैं।
- सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता हैं।

### लोक लेखा समिति के कार्य:

- समिति सरकार की आय और व्यय की जांच करती है ताकि वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- समिति सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का उपयोग सही तरीके से किया जाए।
- यह वार्षिक वित्तीय लेखों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा रिपोर्टों की समीक्षा करता है।
- यह सरकार के अधिकारियों से सार्वजनिक खर्च की अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के लिए जवाबदेही तय करता है।

### लोक लेखा समिति का महत्व:

- PAC सरकार के खर्च पर महत्वपूर्ण निगरानी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का उचित और प्रभावी उपयोग हो।
- विशेष रूप से यह सरकार की वित्तीय गतिविधियों के संदर्भ में

पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करता है।

### निष्कर्षः

PAC ने टोल शुल्क नियमों की समीक्षा करने का आग्रह किया है और यह भी कहा है कि वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण टोल शुल्क को कम किया जाए। साथ ही, यह संविदाकारों द्वारा अनुबंधों के पालन को कड़ाई से लागू करने और टोल संग्रहण के लिए नई तकनीकों से जुड़ी गोपनीयता चिंताओं पर भी विचार करने की सिफारिश करता है।

## प्रवास और विदेशी विधेयक, 2025

### संदर्भः

केंद्र सरकार प्रवास और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने के लिए 'प्रवास और विदेशी विधेयक, 2025' लाने की तैयारी में है। यह नया कानून भारत में विदेशियों के प्रवेश, यात्रा और नियमों को नियंत्रित करेगा और पुराने हो चुके कानूनों की जगह लेगा।

### कौन–कौन से पुराने कानून बदले जाएंगे?

- यह विधेयक स्वतंत्रता-पूर्व और पुराने कानूनों को हटाकर उनकी जगह लेगा, जिनमें शामिल हैं:
  - » पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  - » विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
  - » विदेशियों का अधिनियम, 1946
  - » प्रवासन (वाहकों की जिम्मेदारी) अधिनियम, 2000
- ये कानून द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं, जो आज की प्रवासन चुनौतियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

### मुख्य प्रावधानः

- **कड़े दंड और जुर्मानेः**
  - » **बिना अनुमति प्रवेशः** भारत में बिना वैध अनुमति प्रवेश करने पर रु. 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
  - » **नकली पासपोर्ट का उपयोगः** फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करने पर 10 लाख तक का जुर्माना होगा।
- **संस्थानों की जिम्मेदारीः** यूनिवर्सिटी, अस्पताल और अन्य संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विदेशी नागरिकों के प्रवेश नियमों का पालन कर रहे हैं।
- **विदेशियों के नियमन के स्पष्ट नियमः** भारत में मौजूद विदेशी नागरिकों का पंजीकरण, यात्रा और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। प्रशासन को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह विदेशियों के अक्सर जाने वाले स्थानों की निगरानी कर सके।
- **एयरलाइंस और जहाजों की जिम्मेदारीः** एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां उन विदेशी नागरिकों को लाने के लिए जिम्मेदार होंगी, जिनके दस्तावेज भारतीय कानूनों के अनुसार सही नहीं हैं।
- **विदेशियों को देश से निकालने का अधिकारः** केंद्र सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह उन विदेशी नागरिकों को देश से हटा सके, जो प्रवास नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
- **आधुनिक और सरल प्रक्रियाएंः** पासपोर्ट और वीजा से जुड़े नियमों को अधिक व्यवस्थित और आसान बनाया जाएगा, जिससे प्रवास प्रणाली सुरक्षित और कुशल बन सके।

### इस विधेयक के प्रभावः

- भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों पर अधिक नियंत्रण होगा।
- यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की जिम्मेदारी साफ तौर पर तय होगी।
- बिना अनुमति प्रवेश और नकली दस्तावेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारत की प्रवास नीतियां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी।

### निष्कर्षः

यह नया विधेयक कई पुराने कानूनों को हटाकर एक मजबूत और आधुनिक प्रवासन कानून तैयार करेगा। इससे सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होगी और भारत की प्रवास नीति वैश्विक मानकों के अनुरूप बनेगी।

## तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवादः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

### संदर्भः

हाल ही में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर. एन. रवि के बीच चल रहे विवाद ने राज्यपालों की विधायी प्रक्रिया में भूमिका को लेकर एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विमर्श को जन्म दिया है। वर्तमान में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष विचाराधीन है और यह प्रश्न उठाता है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति (Assent) रोकने की संवैधानिक सीमा क्या होनी चाहिए।

### मुद्दे का विषयः

- तमिलनाडु सरकार का राज्यपाल के साथ विवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के व्याख्या को लेकर है। यह अनुच्छेद कहता है कि जब कोई विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को यह निर्णय लेना चाहिए किः
  - » विधेयक को स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे वह विधेयक अधिनियम का रूप ले सके।
  - » विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाए।
  - » विधेयक पर सहमति रोक दी जाए और उसे पुनर्विचार हेतु राज्य विधानसभा को वापस भेजा जाए।
- अनुच्छेद 200 यह भी कहता है कि राज्यपाल को यह कार्रवाई 'जल्द से जल्द' करनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार का तर्क है

कि इन विधेयकों पर सहमति में लंबे समय तक देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। राज्य में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, अन्य विपक्षी शासित राज्यों ने भी सहमति में देरी को लेकर इसी तरह की चिंताएं उठाई हैं।

### सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख मुद्देः

- **बार-बार सहमति रोकने का संवैधानिक प्रश्नः** तमिलनाडु सरकार ने यह सवाल उठाया है कि क्या राज्यपाल को उस विधेयक पर दोबारा सहमति रोकने का अधिकार है, जिसे राज्य विधानसभा ने पहली बार वापस भेजे जाने के बाद दोबारा पारित किया हो। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट यह विचार करेगा कि जब विधानसभा किसी विधेयक को पुनः पारित कर देती है, तो क्या राज्यपाल के पास उसे रोकने का अधिकार है, या फिर उन्हें अनिवार्य रूप से उसे स्वीकृति देनी होगी अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना होगा।
- **राज्यपाल का विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकारः** सुप्रीम कोर्ट यह परीक्षण करेगा कि राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार किस हद तक प्राप्त है। हालांकि, अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति देता है, लेकिन अदालत यह मूल्यांकन करेगी कि यह अधिकार सभी विधेयकों पर लागू होता है या केवल उन विधेयकों पर जो विशेष संवैधानिक महत्व के होते हैं।
- **पॉकेट वीटोः** एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पॉकेट वीटो है, जिसमें राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने में अनिश्चितकालीन देरी कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह सवाल उठाया है कि क्या ऐसी लंबी देरी की कोई संवैधानिक वैधता है। सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि क्या इस प्रकार की निष्क्रियता के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है, जिसके बाद यह असंवैधानिक मानी जाएगी।
- **सहमति के लिए समय सीमाः** हालाँकि अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि सहमति 'जल्द से जल्द' दी जानी चाहिए, इसमें इस क्रिया के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले देरी के मुद्दे पर विचार किया है, लेकिन अभी तक राज्यपालों के लिए एक बाध्यकारी समयसीमा निर्धारित नहीं की है। अदालत यह विचार करेगी कि क्या उसे सहमति के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और यदि हां, तो वह समय सीमा क्या होनी चाहिए।

### सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयः

- पूर्व में, सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि राज्यपाल विधेयक पर सहमति को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, 2016 के नाबम रेबिया बनाम उपराज्यपाल मामले में, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने टिप्पणी की थी कि राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए विध ानसभा को संदेश के साथ वापस भेजना चाहिए, जिसमें किसी भी सुझाए गए संशोधनों का उल्लेख हो, लेकिन वे विधेयक पर स्थायी रूप से निर्णय रोक नहीं सकते।
- इस निर्णय की 2023 के नवंबर में पुनः पुष्टि की गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा दायर एक समान मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 में 'जल्द से जल्द' (as soon as possible) का अर्थ यह है कि राज्यपाल विधेयक पर अनिश्चितकाल तक निर्णय लंबित नहीं रख सकते।

## उच्चतम न्यायालय का गिरफ्तारी पर निर्णय

### संदर्भः

हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय दिया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी देना केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संविधानिक आवश्यकता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार की सूचना प्रथम अवसर पर प्रदान नहीं की जाती है, तो उस गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

### मामला और निर्णयः

- यह निर्णय एक ऐसे मामले में सुनाया गया, जिसमें हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुरूप नहीं थी, जिसके कारण इसे असंवैधानिक घोषित किया गया।
- इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संविधान द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

### गिरफ्तारी के विशिष्ट आधार की आवश्यकताः

- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार को निम्नलिखित तरीके से सूचित किया जाना चाहिएः
  - » इसे उस भाषा में प्रभावी रूप से संप्रेषित किया जाए, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो।
  - » यह इतना विस्तृत होना चाहिए कि व्यक्ति को हिरासत के कारण का ठीक से पता चल सके।
- हालाँकि, न्यायालय ने यह अनिवार्य नहीं किया कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रदान किया जाए, लेकिन उसने पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि लिखित रूप में सूचना देना आदर्श तरीका है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस लिखित

तरीके को अपनाने से अनुपालन में चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सकता है।

### अनुपालन न होने के कानूनी परिणाम:

- निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि यदि अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं किया जाता, तो गिरफ्तारी असंवैधानिक हो जाती है, अर्थात:
  - » गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमति नहीं है।
  - » अभियोग पत्र दाखिल करने या मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त करने से असंवैधानिक गिरफ्तारी को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, जब गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 22(1) का पालन किया गया है। यदि अनुपालन स्थापित नहीं होता, तो व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

### कानून प्रवर्तन पर प्रमाण की जिम्मेदारी:

- उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि जब गिरफ्तार व्यक्ति यह दावा करता है कि अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं किया गया, तो प्रमाण का बोझ जांच अधिकारी या एजेंसी पर होता है। कानून प्रवर्तन को यह ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों के बारे में सूचित किया गया था।

### निष्कर्ष:

यह निर्णय स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 22 में दिए गए सुरक्षा उपायों की पुष्टि है। यह सिद्ध करता है कि संविधानिक सुरक्षा उपाय वैकल्पिक नहीं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बाध्यकारी कर्तव्य हैं। इन सुरक्षा उपायों के कठोर पालन को सुनिश्चित करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को सशक्त किया है, जिससे मनमाने तरीके से गिरफ्तारी को रोका जा सकता है और नागरिकों के अधिकारों को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

## वन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

### संदर्भ:

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें वन भूमि को कम कर सकती हैं, जब तक कि वनीकरण के लिए समकक्ष भूमि प्रदान नहीं की जाती। यह निर्देश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। यह निर्णय वन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकासात्मक परियोजनाओं के कारण होने वाली हानि को नए हरे-भरे क्षेत्रों से संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है।

### मुद्दा:

- यह विवाद 2023 में किए गए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधन से उत्पन्न हुआ था, जिसका उद्देश्य यह परिभाषित करना था कि किस भूमि को वन के रूप में माना जाएगा।
- संशोधनों में धारा 1। जोड़ी गई, जिसके तहत वन की परिभाषा को 1980 के बाद घोषित या दर्ज की गई भूमि तक सीमित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण भूमि का बड़ा हिस्सा बाहर हो सकता है, जिससे संरक्षण के प्रयासों में कमी आ सकती है।
- 'वन' की परिभाषा एक प्रमुख विवाद का विषय बन गई। सरकार ने प्रस्तावित किया कि राज्य या स्थानीय प्राधिकृत निकायों द्वारा पहचानी गई भूमि भी वन के रूप में मानी जा सकती है, जिससे असंगति की चिंता उत्पन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया और यह स्पष्ट किया कि वन को कानूनी रूप से कैसे परिभाषित और संरक्षित किया जाना चाहिए।

### सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1996 के TN गोदावर्मन थिरुमुलपद मामले के निर्णय को फिर से पुष्ट करते हुए 'वन' की व्यापक और समावेशी परिभाषा को बनाए रखने का समर्थन किया, ताकि सभी हरे-भरे क्षेत्रों की रक्षा की जा सके, चाहे वह वर्गीकृत हो, स्वामित्व में हो या सरकारी रिकॉर्ड में हो।
- कोर्ट ने सरकार को 'शब्दकोश में दिए गए अर्थ' के अनुसार 'वन' की परिभाषा को अपनाने का निर्देश दिया, ताकि अधिनियम का मूल उद्देश्य बनाए रखा जा सके। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वन में केवल दर्ज की गई भूमि ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित भी शामिल होना चाहिए:
  - » वन जैसे क्षेत्र
  - » अवर्गीकृत वन
  - » समुदाय वन भूमि
- कोर्ट ने यह भी कहा कि यह व्यापक व्याख्या तब तक लागू रहेगी, जब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी वन भूमि का एक समेकित रिकॉर्ड तैयार नहीं कर लेते, जिसमें वे भूमि भी शामिल हैं जो आधिकारिक रूप से पहचानी नहीं गई हैं।

### वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बारे में:

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को वन उन्मूलन को रोकने और भारत में पारिस्थितिकीय संतुलन की रक्षा करने के लिए लागू किया गया था।
- यह वन भूमि के गैर-वन प्रयोजनों के लिए स्थानांतरण को नियंत्रित करता है और वनीकरण को प्राथमिकता देता है।
- हाल ही में किए गए संशोधनों ने 'वन' की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने और यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि कौन सी भूमि वन संरक्षण कानून के तहत मानी जा सकती है।

## निष्कर्षः

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के वन संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वनीकरण के लिए समकक्ष भूमि की अनिवार्यता और वन की व्यापक परिभाषा को फिर से पुष्ट करते हुए, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि सभी हरे-भरे क्षेत्र सुरक्षित रहें, चाहे वे आधिकारिक रूप से दर्ज हों या नहीं। यह निर्णय संरक्षण प्रयासों को मजबूत करता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संतुलन की रक्षा करता है, भले ही विकासात्मक दबाव हों।

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्र-राज्य गतिरोध

## संदर्भः

हाल ही में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्रदान नहीं करता, तब तक राज्य को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस निर्णय ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच शिक्षा नीति को लेकर पहले से चल रहे संघीय टकराव (Federal Tussle) को और अधिक गहरा कर दिया है।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रि-भाषा फॉर्मूलाः

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने वर्ष 1968 में प्रस्तुत किए गए त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula) को बरकरार रखा है, किंतु विशेष रूप से गैर-हिंदी भाषी राज्यों जैसे कि तमिलनाडु के संदर्भ में इसमें अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है।
- नीति के अनुसार, राज्यों को तीन भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते कि उनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों। यह प्रावधान विशेष रूप से भाषा थोपने को लेकर व्यक्त की जाने वाली आशंकाओं को कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह राज्यों को हिंदी को अपनाने या न अपनाने का विकल्प भी प्रदान करता है।
- नीति में संस्कृत को भी एक ऐच्छिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जिनमें प्रमुख हैं- सीमित संसाधन,प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता तथा भाषाई विविधता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता।

## तमिलनाडु का विरोधः

- तमिलनाडु ने ऐतिहासिक रूप से हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयासों का निरंतर विरोध किया है। इसकी शुरुआत 1937 में हिंदी थोपने के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन से हुई थी। इसके बाद, वर्ष 1965 और 1968 में राज्य उग्र विरोध प्रदर्शनों का साक्षी बना, जिससे हिंदी के प्रति तमिलनाडु का रुख और अधिक कठोर हो गया।
- हालाँकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत राज्यों को अपनी इच्छानुसार तीन भाषाओं का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु तमिलनाडु को यह आशंका है कि व्यवहारिक स्तर पर हिंदी को स्वतः तीसरी भाषा बना दिया जाएगा। यह स्थिति तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को हाशिए पर डालने का जोखिम पैदा करती है।
- इसके अतिरिक्त, अन्य भाषाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिससे व्यवहार में लचीली भाषा नीति को लागू करना कठिन हो सकता है। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु घोषित 50 करोड़ की सहायता राशि ने तमिलनाडु की शंकाओं को और बल दिया है।
- इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी कोई समान सहायता योजना दक्षिण भारतीय या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नहीं है। इससे यह संदेश जाता है कि केंद्र की प्राथमिकता हिंदी को बढ़ावा देना है, जबकि अन्य भाषाओं के संवर्धन की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

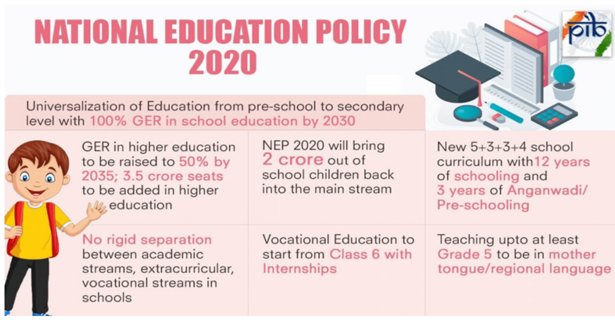


## समाधानः

- इन चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच एक रचनात्मक बातचीत आवश्यक है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार दो-भाषा नीति ने सकारात्मक शैक्षिक परिणामों में योगदान दिया है और त्रि-भाषा नीति इस प्रगति को बाधित कर सकती है। ऐसे में एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय शैक्षिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए क्षेत्रीय स्वायत्तता का सम्मान करती हो।

## निष्कर्षः

एनईपी 2020 के तीन-भाषा फॉर्मूले का उद्देश्य बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना है, हालाँकि, हिंदी थोपने की शंकाओ के कारण इसे तमिलनाडु से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय भाषाई विविधता को बनाए रखने के लिए एक सहकारी और लचीला दृष्टिकोण आवश्यक है।

# 3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

## भारत-कतर सामरिक साझेदारीः भू-राजनीतिक बदलावों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती

हाल ही 17-18 फरवरी 2025 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की भारत की राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच विकसित होते संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। इस यात्रा के दौरान भारत-कतर संयुक्त व्यापार मंच का आयोजन किया गया, जहां दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने वित्त, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के प्रमुख हितधारकों के साथ आर्थिक सहयोग के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। इस यात्रा के दौरान भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, कतर ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह रणनीतिक संरेखण ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है, जब दोनों देश वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव और मध्य पूर्व में उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

### यात्रा के मुख्य बिंदु :

- **रणनीतिक साझेदारी की ओर उन्नयनः** भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंध रहे हैं। हाल ही में, इन संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया, जो दोनों देशों के बीच गहरे और बहुआयामी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामान्यतः भारत अपनी कूटनीतिक शब्दावली में 'रणनीतिक साझेदारी' शब्द का उपयोग यूएई और सऊदी अरब जैसे प्रमुख सहयोगियों के लिए करता रहा है। ऐसे में भारत-कतर संबंधों में इसका समावेश प्रतिबद्धता के एक नए स्तर का संकेत देता है। भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगीः
    - **ऊर्जा सुरक्षाः** दीर्घकालिक एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) आपूर्ति सुनिश्चित करना।
    - **निवेश और व्यापारः** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।
    - **रक्षा और सुरक्षाः** समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों में सहयोग (जैसे 'जाइर-अल-बहर' संयुक्त अभ्यास)।
    - **प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचाः** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में निवेश।

- **आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबद्धताएँ:**
    - कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund) ने पहले ही भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। अब कतर ने बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन

लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अतिरिक्त 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

» दोनों देशों ने अगले पाँच वर्षों में व्यापार को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

» व्यापारिक लेन-देन को सुगम बनाने के लिए दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन किया गया, जिससे व्यापार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार होगा।

- **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) की चर्चा:**

» भारत और कतर ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं पर भी विचार किया, जिससे व्यापार और निवेश को नई गति मिल सकती है। यह वार्ता भारत की खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ व्यापक व्यापार वार्ता का हिस्सा है। यदि GCC के साथ FTA को अंतिम रूप दिया जाता है, तो इससे ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल और सेवा क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।

- **बुनियादी ढांचा और वित्तीय एकीकरण:**

» कतर में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को लागू करने की योजना पर चर्चा हुई। इससे वित्तीय लेन-देन को सरल बनाया जा सकेगा, विशेष रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।

» कतर नेशनल बैंक GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर विचार कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय सेवाओं को अधिक एकीकृत किया जा सके।

- **भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग:**

» भारत ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में 'दो-राज्य समाधान' (Two-State Solution) के अपने समर्थन को दोहराया और कतर के मध्यस्थता प्रयासों के साथ तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई।

» कतर अफगानिस्तान और गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कूटनीतिक स्थिति भारत की मध्य पूर्व नीति को भी प्रभावित करती है और भारत-कतर संबंधों को और अधिक प्रासंगिक बनाती है।

## कतर, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **ऊर्जा सहयोग:**

» कतर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के कुल एलएनजी आयात का 48% हिस्सा है।

» यह भारत का प्रमुख तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्तिकर्ता भी है, जो कुल LPG आयात में 29% का योगदान देता है।

» यह स्थिर और निर्बाध ऊर्जा साझेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जिससे कोयले पर निर्भरता कम करने और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी।

» हालिया कतर एनर्जी ने भारत की पेट्रोनेट के साथ 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 20-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

- **सामरिक और भू-राजनीतिक सहयोग:**

» कतर भारत की 'लिंक एंड एक्ट वेस्ट' नीति का एक प्रमुख केंद्र है, जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

» कतर की रणनीतिक स्थिति इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह भारत की कच्चे तेल की 55.3% से अधिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र में स्थित है।

» मध्य पूर्व के विभिन्न संघर्षों, जैसे अफगानिस्तान और इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे में कतर की कूटनीतिक भूमिका, भारत को क्षेत्रीय मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है।

- **आतंकवाद निरोध और रक्षा सहयोग:**

» भारत और कतर आतंकवाद-रोधी अभियानों और समुद्री सुरक्षा में समान हित साझा करते हैं।

» 'जाइर-अल-बहर' नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दोनों

देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करता है।
- » नियमित नौसैनिक दौरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाया जा रहा है।

## भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध:

- **व्यापारिक संबंध:**
  - » भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - » भारत, कतर के शीर्ष तीन निर्यात गंतव्यों (चीन और जापान के साथ) और कतर के शीर्ष तीन आयात स्रोतों (चीन और अमेरिका के साथ) में शामिल है।
  - » कतर द्वारा भारत को किए जाने वाले प्रमुख निर्यात में एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और एल्युमीनियम शामिल हैं।
  - » भारत द्वारा कतर को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में अनाज, वस्त्र, लोहा, इस्पात और मशीनरी शामिल हैं।
- **निवेश:**
  - » कतर में 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं। भारतीय कंपनियों ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कतर में किया है।
  - » कतरी बिजनेस एसोसिएशन (QBA) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के मध्य व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते (MoUs) किए गए हैं।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:**
  - » 2012 के सांस्कृतिक सहयोग समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया। 2019 को 'भारत-कतर संस्कृति वर्ष' के रूप में मनाया गया था।
  - » कतर में 8,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और कतर की कुल जनसंख्या का लगभग 27% हिस्सा हैं।

## रणनीतिक निहितार्थ और भविष्य की संभावनाएं:

- भारत और कतर के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के साथ-साथ रक्षा और आतंकवाद-निरोध प्रयासों का विस्तार, भविष्य की भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।
- वार्ता के दौरान, भारत ने कतर के आर्थिक हितों को समायोजित करने के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया, जो 2024 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ हुई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के समान है। यह लचीलापन पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में कतर का भू-रणनीतिक महत्व, क्षेत्रीय संघर्षों में इसकी मध्यस्थता की भूमिका तथा अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों (जैसे सऊदी अरब और ईरान) के साथ इसके मजबूत संबंध, इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार बनाते हैं।

## निष्कर्ष:

भारत-कतर की रणनीतिक साझेदारी, खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत की गहरी होती भागीदारी को दर्शाती है। चूंकि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य अत्यधिक आशाजनक और गतिशील प्रतीत होता है। व्यापार को दोगुना करने, भारत में कतर के निवेश को बढ़ाने तथा रक्षा और वित्तीय एकीकरण को मजबूत करने की प्रतिबद्धता, इस संबंध को आने वाले वर्षों में अधिक लचीला और व्यापक बनाएगी।

# भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीतियां: क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अब पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारतीय विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह क्षेत्र आठ राज्यों से मिलकर बना है और पांच देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार और संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता देती है। भारत, इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं को सुधारकर अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत को क्षेत्रीय विकास की मुख्यधारा से अधिक मजबूती से जोड़ा जा सकता है।

हालिया समय में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों और म्यांमार में जारी अस्थिरता ने भारत के लिए कई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। इन कारणों से कई महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाएँ या तो देरी का शिकार हो गई हैं या रद्द कर दी गई हैं, जिससे व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से द्विपक्षीय समझौतों (Bilateral

Agreements) को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जबकि म्यांमार में जारी संघर्ष ने कई प्रमुख परिवहन मार्गों को बाधित कर दिया है। ये समस्याएँ न केवल भारत की क्षेत्रीय योजनाओं को धीमा कर रही हैं बल्कि पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास और सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।

## भारत–बांग्लादेश संपर्क: राजनीतिक बदलाव और आर्थिक व्यवधान

- **पूर्वोत्तर के लिए बांग्लादेश का सामरिक महत्व:**
  - » बांग्लादेश की सीमा भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है, जो इन भूमि से घिरे क्षेत्रों (landlocked regions) को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने और बंगाल की खाड़ी तक समुद्री पहुंच प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है।
  - » पिछले 15 वर्षों में, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से अवामी लीग सरकार के दौरान, कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने में मददगार रहा है। इन मजबूत होते संबंधों को 'स्वर्णिम अध्याय' भी कहा गया। इन्हीं आधारों पर भारत ने बांग्लादेश में 8 अरब डॉलर के विकास पोर्टफोलियो के साथ भारी निवेश किया है, जिससे व्यापार, परिवहन और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
- **राजनीतिक परिवर्तन और उसका प्रभाव:**
  - » अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत चले जाने और मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। इसके चलते भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव देखने को मिला।
  - » इस राजनीतिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण असर कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर पड़ा है। भारत विरोधी भावनाओं, कूटनीतिक अनिश्चितताओं (Diplomatic Uncertainties) और शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी दुविधाओं ने कई प्रमुख परियोजनाओं को रोकने या निलंबित करने में योगदान दिया है। इससे भारत की पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी रणनीति और व्यापक एक्ट ईस्ट नीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

## व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास में व्यवधान:

- **समुद्री पहुंच:** भारत ने मोंगला पोर्ट में एक टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार जून 2024 में हासिल कर लिया था और खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लिंक को वित्तीय सहायता भी दी थी। हालांकि, रसद संबंधी बाधाएँ इन परियोजनाओं के सुचारू संचालन में रुकावट बन रही हैं।
- **रेल और अंतर्देशीय परिवहन:** आशुगंज अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह परियोजना, जो हाल ही में उद्घाटित अखौरा–अगरतला रेल संपर्क को सुगम बनाने वाली थी, स्थगित कर दी गई है। इससे पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच माल परिवहन प्रभावित हुआ है।
- **व्यापार में गिरावट:** बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद से भारत–बांग्लादेश व्यापार में गिरावट आई है। सीमा बंद होने, सीमा शुल्क निकासी में देरी और सुरक्षा निगरानी में वृद्धि के कारण व्यापार बाधित हुआ है। अप्रैल और अक्टूबर 2023 के बीच, बांग्लादेश को भारतीय निर्यात में 13.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आयात में 2.3% की कमी आई। बांग्लादेश के निर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक फ्लाई ऐश निर्यात में 15–25% की गिरावट देखी गई है।
- **भूमि सीमा संपर्क:** बेनापोल–पेट्रापोल भूमि बंदरगाह, जो लगभग 30% द्विपक्षीय व्यापार के लिए जिम्मेदार है, में व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई है। इससे सीमा पर निर्भर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। जुलाई 2024 से रेलवे सेवाएँ (मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस) निलंबित कर दी गई हैं, जिससे यात्री और माल परिवहन बाधित हुआ है। सीमा पार बस सेवाएँ भी बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों की आवाजाही पर नकारात्मक असर पड़ा है।

## निलंबित संयुक्त पहल:

- बांग्लादेश में शासन परिवर्तन से पहले जारी किए गए अंतिम संयुक्त वक्तव्य में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वे अभी भी स्थगित हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
  - » इस समझौते का उद्देश्य उप-क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना था, जिससे चारों देशों के बीच व्यापार और यात्री परिवहन सुगम हो सके। हालांकि, राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण यह समझौता अभी तक लागू नहीं हो पाया है।
  - » भारत (गेदे, हल्दीबाड़ी) से बांग्लादेश (दर्शन, चिलाहाटी) और आगे भूटान तक मालगाड़ी सेवाओं का संचालन।
  - » भारती एयरटेल व जियो इन्फोकॉम द्वारा 4G/5G सेवाओं के विस्तार के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की योजना थी।

**रणनीतिक निहितार्थ:**

- बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया है। इसका असर सिर्फ व्यापार और बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के बीच संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण को भी प्रभावित किया है।

## म्यांमार का आंतरिक संघर्ष और कलादान परियोजना:

- **अराकान सेना और बढ़ती अस्थिरता:**
  - » म्यांमार का रखाइन राज्य, जो भारत के कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP) के लिए महत्वपूर्ण है, में संघर्ष तेज हो रहा है।
  - » अराकान आर्मी (AA) ने 18 में से 15 टाउनशिप पर कब्जा कर लिया है, जिससे बांग्लादेश और चिन राज्य के पलेटवा (Paletwa) के साथ मुख्य सीमा बिंदु बाधित हो गए हैं। ये दोनों ही भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए अहम हैं।

## भारत की कनेक्टिविटी पहल के लिए चुनौतियाँ:

- **सित्तवे बंदरगाह परिचालन:** 2023 में चालू होने वाले इस बंदरगाह को जारी हिंसा के बीच सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- **पलेटवा-जोरिनपुई राजमार्ग:** कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP) के लिए महत्वपूर्ण 109 किलोमीटर लंबा यह सड़क संपर्क कानूनी, रसद और सुरक्षा चुनौतियों के कारण अधूरा रह गया है। परियोजना के लिए अराकान आर्मी (AA) के कथित समर्थन के बावजूद, सैन्य हवाई हमलों और संघर्षों ने प्रगति को बाधित किया है।
- **आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग (आईएमटी-टीएच):** म्यांमार के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर को थाईलैंड से जोड़ने के उद्देश्य से यह पहल, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित व्यापक क्षेत्रीय संपर्क प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि, अस्थिरता ने प्रगति को धीमा कर दिया है, और अब तक केवल 25% प्रमुख बुनियादी ढांचे का कार्य पूरा हो सका है। तामू-कायगोन-कलेवा सड़क पर 69 पुलों को बदलने का कार्य अब भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

## भारत की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की बाधाएं:

- **मिजोरम में भूमि विवाद:** भूमि अधिग्रहण के अनसुलझे मुद्दे और बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण कलादान परियोजना में और अधिक देरी हो रही है।
- **सीमा व्यापार व्यवधान:** जातीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण मोरेह (मणिपुर) और जोखावथर (मिजोरम) के माध्यम से व्यापार मार्ग प्रतिबंधित हैं।
- **भू-राजनीतिक जुड़ाव:** भारत ने अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना, जातीय सशस्त्र संगठन (EAO) और राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) के साथ बातचीत की है। हालाँकि, जारी हिंसा इन कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बना रही है।

## व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ:

- म्यांमार में जारी अस्थिरता बिम्सटेक और एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) के तहत भारत की क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। लंबे समय से चल रहे संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि भारत को एक व्यापक और बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, ताकि उसकी परियोजनाएँ भू-राजनीतिक अस्थिरता से कम प्रभावित हों और अधिक टिकाऊ बन सकें।

## आगे की राह:

- » **सीमा प्रबंधन को मजबूत करना:** भारत को बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना चाहिए, ताकि व्यापार मार्गों (Trade routes) और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (infrastructure projects) की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- » **राजनयिक सहभागिता में विविधता लाना:** बांग्लादेश और म्यांमार में विभिन्न राजनीतिक पक्षों के साथ सक्रिय सहभागिता आवश्यक है, ताकि संभावित व्यवधानों (disruptions) को कम किया जा सके।
- » **लचीला बुनियादी ढांचा विकास:** उन्नत हवाई और समुद्री परिवहन जैसे वैकल्पिक संपर्क मार्गों में निवेश, दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है।
- » **क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग:** म्यांमार को स्थिर करने और सीमा पार शासन में सुधार के लिए आसियान व बिम्सटेक देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।
- » **आर्थिक और व्यापार विविधीकरण:** भारत को

राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यापार समझौतों और निवेश रणनीतियों का पता लगाना चाहिए।

- जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, कनेक्टिविटी के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को उभरती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। लचीलेपन और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को बनाए रख सकता है और अपने पूर्वोत्तर के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।

# संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का निर्वासनः निहितार्थों का विश्लेषण

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन ने वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। विशेष रूप से, अमेरिकी सैन्य विमान के माध्यम से भारतीय नागरिकों का निष्कासन, अमेरिकी आव्रजन नीति में कठोर प्रवर्तन उपायों को रेखांकित करता है। यह घटना अमेरिका की प्रवासन नियंत्रण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। निर्वासित प्रवासियों में से अधिकांश गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों से संबंधित हैं, जो ऐतिहासिक रूप से उच्च प्रवासन दर के लिए जाने जाते हैं। बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निष्कासन का भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों, सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारकों, इसे नियंत्रित करने वाले कानूनी तंत्रों और निर्वासन के परिणामों की समझ, उन नीतियों को आकार देने में आवश्यक भूमिका निभाती है जो सीमा सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।

## प्रवासनः

- प्रवासन का तात्पर्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या पर्यावरणीय कारणों से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। इसे दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः
  - वैध प्रवासी वे लोग होते हैं जो अधिकृत माध्यमों से वीजा, कार्य परमिट या स्थायी निवास प्राप्त करके किसी देश में स्थानांतरित होते हैं।
  - अवैध प्रवासी वे होते हैं जो बिना अनुमति के किसी देश में प्रवेश करते हैं या अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रहते हैं। भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, अवैध प्रवासी वह विदेशी व्यक्ति है जो या तो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है या अनुमत अवधि से अधिक समय तक वहां निवास करता है।

## अमेरिका में भारतीय प्रवास का सांख्यिकीय अवलोकनः

- 20-24 नवंबर 2024 तक, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने बताया कि 20,407 भारतीय नागरिक या तो हिरासत में थे या निष्कासन आदेशों का सामना कर रहे थे। इनमें से 17,940 के पास अंतिम निष्कासन आदेश थे, लेकिन वे हिरासत में नहीं थे, जबकि 2,467 प्रवर्तन और निष्कासन संचालन (ERO) के तहत हिरासत में थे। ICE हिरासत में भारतीयों का स्थान चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीयता समूह है और एशियाई लोगों में सबसे ऊपर है।
- पिछले वर्ष, लगभग 1,100 भारतीय नागरिकों को विशेष चार्टर उड़ानों के माध्यम से निर्वासित किया गया था। नवंबर 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच, 519 भारतीयों को भारत वापस भेजा गया। सबसे हालिया निर्वासन उड़ान, जिसे अमेरिकी सैन्य सी-17 विमान द्वारा संचालित किया गया था, सैन एंटोनियो, टेक्सास से रवाना हुई। निर्वासन की लागत काफी अधिक है; उदाहरण के लिए, ग्वाटेमाला के लिए एक सैन्य निर्वासन उड़ान की लागत प्रति प्रवासी लगभग $4,675 है।

## प्रवासन के आकर्षित और मजबूर करने वाले कारकः

- कारकों के संयोजन के कारण प्रवास होता है, जिसमें पुश कारक व्यक्ति को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और पुल कारक उसे नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं।
- **भारत से पलायन को मजबूर करने वाले कारकः**
  - उच्च बेरोजगारी दर और नौकरी के अवसरों की कमी के

कारण आर्थिक संकट।
 - » राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और शासन-संबंधी असंतोष।
 - » सामाजिक भेदभाव, वंचित समुदायों द्वारा विदेशों में बेहतर संभावनाएं तलाशना।
 - » मानव तस्करी नेटवर्क, जहां अनधिकृत एजेंट झूठे वादों के साथ प्रवासियों को लुभाते हैं।
- **आकर्षण कारक (अमेरिका में प्रवासियों को आकर्षित करना):**
 - » उच्च वेतन और बेहतर आर्थिक अवसर।
 - » कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में भारतीय अप्रवासी समुदायों का सुदृढ़ नेटवर्क।
 - » गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सहित सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं।
 - » पारिवारिक पुनर्मिलन, जहां रिश्तेदार वीजा प्रायोजित करते हैं या अवैध प्रवास में सहायता करते हैं।
- **भारतीय प्रवासियों के समक्ष चुनौतियां, जो अवैध आव्रजन को बढ़ावा देती हैं:**
 - » कानूनी प्रवेश प्राप्त करने में बाधाओं के कारण कई भारतीय अवैध प्रवास का सहारा लेते हैं। उच्च लागत, लंबी प्रक्रिया अवधि और प्रतिबंधात्मक वीजा नीतियाँ व्यक्तियों को अनधिकृत मार्गों की ओर धकेलती हैं। भारत में रोजगार की चुनौतियाँ और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक दबाव मिलकर व्यक्तियों को जोखिम भरी यात्राएँ करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग बेईमानी करने वाले एजेंटों पर भरोसा करते हैं जो अत्यधिक शुल्क लेते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रवेश के असुरक्षित या भ्रामक तरीके प्रदान करते हैं।

## भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव:

- भारतीय नागरिकों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के कूटनीतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। जबकि भारत ने सत्यापन के बाद निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है किन्तु रसद का प्रबंधन अब भी एक चुनौती बनी हुई है। यह मुद्दा मानव तस्करी नेटवर्क और अवैध प्रवास चैनलों के बारे में भी चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- आर्थिक दृष्टिकोण से, निर्वासन उन परिवारों को प्रभावित करता है जो धन प्रेषण पर निर्भर हैं, विशेषकर पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में। कई वापस लौटने वाले व्यक्तियों को वित्तीय अस्थिरता और कलंक के कारण भारतीय समाज में फिर से समायोजित होने में कठिनाइयाँ होती हैं।

## कानूनी और मानवाधिकार संबंधी विचार:

- प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्वासन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुरूप होना चाहिए।
- वापसी का सिद्धांत व्यक्तियों को उन देशों में निर्वासित करने से रोकता है, जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना हो सकता है।
- उचित प्रक्रिया और कानूनी उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रवासियों को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रतिनिधित्व मिल सके।
- सैन्य संसाधनों के उपयोग पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सैन्य नेतृत्व वाले निर्वासन से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नैतिक और कानूनी समस्याएँ उठ सकती हैं।

## अवैध प्रवासन के विरूद्ध पहल:

- भारत भी अवैध प्रवास की चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेषकर इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर। पूर्वोत्तर, विशेष रूप से असम, में बांग्लादेशी प्रवासियों की लंबी अवधि से लगातार आवागमन ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। हाल ही में, म्यांमार से उत्पीड़ित रोहिंग्याओं ने भारत में शरण मांगी है।
- उत्तर से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण पलायन हो रहा है। ये आंदोलनों से उत्पन्न सुरक्षा जोखिम, खासकर कश्मीर में, बढ़ गए हैं, जहां आतंकवादी नियंत्रण रेखा के माध्यम से घुसपैठ करने के लिए छिद्रपूर्ण सीमाओं का फायदा उठाते हैं।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं।
- 'सुरक्षित जयेन, प्रशिक्षित जयेन' विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जो सुरक्षित और कानूनी प्रवासन मार्गों को बढ़ावा देता है।
- प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजते हुए वैध प्रवासन सुनिश्चित करते हैं।
- सीमा प्रबंधन उपाय, जिनमें शामिल हैं:
 - » भौतिक अवसंरचना जैसे सीमा पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी व्यवस्था।
 - » सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)।
 - » अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों द्वारा नियमित गश्त और सुरंग-रोधी अभियान चलाए जाते हैं।

## वैश्विक पहल:

- प्रवासन को विनियमित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - » अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के तहत सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए

वैश्विक समझौता, जो जिम्मेदार प्रवासन नीतियों को बढ़ावा देता है।

» भूमि, समुद्र और वायु मार्गों के माध्यम से प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनटीओसी) के तहत, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना है।

» अवैध प्रवास को सुविधाजनक बनाने वाले आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में इंटरपोल का समर्थन।

### डंकी रूट्स: अनधिकृत प्रवास मार्ग

- "डुंकी रूट" का मतलब है भारतीय प्रवासियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले अनधिकृत प्रवासन मार्ग। शुरू में यह मार्ग पंजाब और हरियाणा से जुड़े थे, लेकिन अब ये गुजरात तक फैल गए हैं। प्रवासी आमतौर पर लैटिन अमेरिका के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करते हैं और खतरनाक मार्गों से गुजरने के लिए मानव तस्करों पर निर्भर रहते हैं।
- **प्रवास यात्रा के चरण:**
  » **लैटिन अमेरिका में प्रवेश:** प्रवासी पहले उदार वीजा नीतियों के कारण इक्वाडोर, बोलीविया या गुयाना के लिए उड़ान भरते हैं। अन्य दुबई के माध्यम से वीजा प्राप्त करने के बाद मैक्सिको के माध्यम से यात्रा करते हैं।

  » **डेरियन गैप को पार करना:** कोलंबिया और पनामा के बीच का यह घना जंगल सबसे खतरनाक प्रवास मार्गों में से एक है। प्रवासियों को खराब मौसम, जंगली जानवरों और डकैती, अपहरण और हिंसा में लिप्त आपराधिक गिरोहों का सामना करना पड़ता है

  » **मध्य अमेरिका की यात्रा:** प्रवासी कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला से यात्रा करते समय अधिकारियों को रिश्वत देते हैं।

  » **अमेरिका में प्रवेश:** अंतिम बाधा रियो ग्रांडे के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करना या सीमा बाड़ को पार करना है, जिसमें अक्सर गिरफ्तारी का खतरा रहता है।

### तस्करों द्वारा उच्च लागत और शोषण:

- डंकी मार्गों के माध्यम से अनधिकृत प्रवास की लागत बहुत अधिक है। तस्कर प्रति प्रवासी 30-40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वसूलते हैं। कई प्रवासी अपनी यात्रा के लिए कर्ज लेते हैं या संपत्ति बेचते हैं, जिससे वे और अधिक शोषण का शिकार हो जाते हैं। तस्करी के नेटवर्क एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, जो निराश व्यक्तियों को झूठे वादों के साथ लुभाते हैं।

### निष्कर्ष:

- अमेरिकी सैन्य विमानों के माध्यम से भारतीय नागरिकों का निर्वासन अमेरिकी सरकार के कठोर आव्रजन प्रवर्तन उपायों को दर्शाता है। जबकि अमेरिका के पास अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने का संप्रभु अधिकार है, सैन्य संसाधनों का उपयोग नैतिक, कूटनीतिक और कानूनी चिंताओं को जन्म देता है। अवैध प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  » कार्य वीजा और कौशल-आधारित प्रवासन कार्यक्रमों का विस्तार करके कानूनी प्रवासन चैनलों को मजबूत करना।

  » मानव तस्करी नेटवर्क से निपटने सहित प्रवासन प्रबंधन पर भारत-अमेरिका सहयोग को बढ़ाना।

  » निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार करना और प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और सुरक्षा तथा मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने वाली नीतियों को लागू करने से भारत और अमेरिका दोनों ही प्रवासन चुनौतियों के प्रति अधिक प्रभावी और नैतिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं।

# संक्षिप्त मुद्दे

## कुक आइलैंड्स-चीन समझौता

### सन्दर्भ:

हाल ही में कुक आइलैंड्स और चीन ने 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कार्य योजना' पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुक आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क ब्राउन और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, परिवहन और महासागर विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की बात की गयी है।

### भू-राजनीतिक महत्व:

- कुक आइलैंड्स का चीन के साथ संबंध मजबूत करने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब चीन प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक रूप से, यह क्षेत्र अब तक मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभाव में रहा है।
- पैसिफिक में चीन की बढ़ती उपस्थिति को कूटनीतिक बदलाव

के रूप में देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और देशों के आपसी संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।

### आर्थिक और रणनीतिक महत्व:

- कुक आइलैंड्स की जनसंख्या लगभग 17,000 है, जो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका भू-राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। यह द्वीप समूह 13 अन्य प्रशांत द्वीप देशों के साथ मिलकर लगभग पृथ्वी की 15% समुद्री सतह पर जुरीसडिक्शन रखता है।
- **इस समझौते का प्रभाव:**
  - » **चीन के रणनीतिक हित:** कुक आइलैंड्स अन्य देशों के साथ स्वतंत्र रूप से अंतरराष्ट्रीय समझौते कर सकता है, जिससे यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार हो सकता है।
  - » **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** यह समझौता उस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को मजबूत करता है जो ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के साथ संबद्ध रहा है।
  - » **आर्थिक लाभ:** व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे में बढ़ा हुआ सहयोग कुक द्वीप समूह की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है।

### गहरे समुद्र में खनन और संसाधनों का दोहन:

- इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू समुद्र की गहराइयों में खनिजों की खोज और खनन (Deep-Sea Mining) से जुड़ा है। कुक आइलैंड्स में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के विशाल भंडार हैं, जिसमें निकल और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान खनिज शामिल हैं, जो बैटरी उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
- **चीन की खनिज रणनीति:** चीन, जो वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण में एक प्रमुख शक्ति है, सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है।
- **आर्थिक अवसर बनाम पर्यावरणीय खतरे:** गहरे समुद्र में खनन जहां आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है, वहीं यह पर्यावरणीय चिंताओं को भी बढ़ाता है, जो अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करता है।
- **भविष्य की संभावनाएं:** इस क्षेत्र में कुक आइलैंड्स और चीन के बीच सहयोग खनिज निष्कर्षण में भविष्य के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिसका प्रशांत क्षेत्र की संसाधन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

### समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता:

- इस समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू समुद्री सुरक्षा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) का प्रबंधन है।
- **इसका प्रभाव**
  - » **महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर प्रभाव:** यह समझौता प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों के नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है।
  - » **चीन की सुरक्षा नीतियां:** चीन पहले भी सोलोमन द्वीप समूह जैसे प्रशांत देशों के साथ सुरक्षा समझौते कर चुका है, जिससे दुनिया भर में क्षेत्रीय सैन्य पहुंच पर चर्चा हुई।
  - » **भविष्य की रणनीतियां:** हालाँकि समझौते में स्पष्ट रूप से सैन्य प्रावधान शामिल नहीं हैं, लेकिन भविष्य में सुरक्षा सहयोग के नाम पर विस्तार की संभावनाएँ बन सकती हैं।

### निष्कर्ष:

चीन के साथ कुक आइलैंड्स की रणनीतिक साझेदारी प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक विकास का प्रतिनिधित्व करती है। जहां यह व्यापार और संसाधन विकास में आर्थिक अवसर पैदा करता है, वहीं यह क्षेत्रीय शक्ति संबंधों, सुरक्षा सहयोग और पर्यावरणीय स्थिरता के संबंध में भी चर्चाएं बढ़ाता है। जैसे-जैसे चीन प्रशांत देशों के साथ जुड़ना जारी रखता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की प्रतिक्रियाएँ इस क्षेत्र के भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक ढांचे को आकार देने में भूमिका निभाएंगी।

## आठवां हिंद महासागर सम्मेलन

### सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मस्कट, ओमान में आयोजित आठवें हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। यह सम्मेलन भारत, सिंगापुर और ओमान की साझेदारी में आयोजित किया गया, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

### संबोधित मुद्दे:

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता:** विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत दोनों में अस्थिरता पर प्रकाश डाला। पश्चिम एशिया में संघर्षों और हिंद-प्रशांत में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक शिपिंग में व्यवधान पर जोर दिया गया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून

का सम्मान करने और यथास्थिति में एकतरफा बदलाव से बचने का आह्वान किया गया।

- **समझौतों का पालन:** उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्रों द्वारा समझौतों का पालन करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया।
- **तटीय राज्यों के लिए चुनौतियाँ:** हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्रों द्वारा सामना की जाने वाली संसाधन बाधाओं, ऋण बोझ और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की चुनौतियों का मुद्दा उठाया गया। ये जटिलताएँ अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) की निगरानी और अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयासों को प्रभावित करती हैं।
- **कनेक्टिविटी का पुनर्निर्माण:** औपनिवेशिक व्यवधानों के बाद पुनर्निर्माण और क्षेत्र के सभी देशों के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और समावेशी कनेक्टिविटी पहलों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** अवैध तस्करी, आतंकवाद और हिंद महासागर में मछली पकड़ने के हितों की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान किया गया।

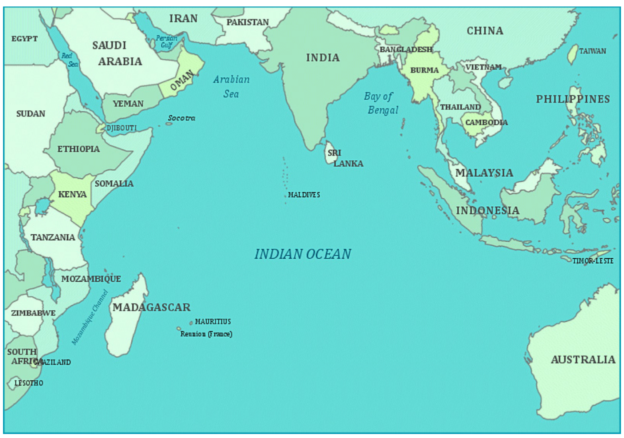


## हिंद महासागर का महत्व:

- **सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत जुड़ाव:** भू-राजनीतिक 'इंडो-पैसिफिक' के विपरीत, हिंद महासागर एक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। यह 26 देशों के तटों तक फैला हुआ है और नेपाल व भूटान जैसे भूमिबद्ध (landlocked) देशों के लिए जीवनरेखा का कार्य करता है, जिससे वे वैश्विक व्यापार से जुड़े रहते हैं।
- **आर्थिक महत्व:** हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, जो दुनिया के 70% कंटेनर यातायात को संभालता है। यह भारत के 80% बाहरी व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार को सुगम बनाता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक केंद्र बन जाता है।
- **सामरिक महत्व:** हिंद महासागर का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यहां सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं, और चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है।
- **भारत द्वारा समुद्री प्रभाव को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:** 2015 में, भारत ने अपने समुद्री प्रभाव को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल शुरू की।

## प्रमुख चिंताएँ:

- भारत को इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना और मानव तस्करी शामिल हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और समुद्री संचार नेटवर्क में हुवावे जैसी चीनी कंपनियों के प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

## क्षेत्रीय समुद्री नेतृत्व का आह्वान:

- अल्फ्रेड सिद्धांत के अनुसार, हिंद महासागर पर नियंत्रण सीधे वैश्विक प्रभाव के बराबर है। आईओसी (Indian Ocean Conference) क्षेत्रीय नेताओं के लिए इस 'शांति के क्षेत्र' के हितों की रक्षा करने के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करता है।

# भारत-अमेरिका TRUST पहल

## सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका TRUST पहल की शुरुआत की गई। यह पहल विशेष रूप से फार्मास्युटिकल उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने में सहायक होगी। भारत, जो चीन के बाद सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, इस पहल से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकता है।

## भारत–अमेरिका TRUST पहल के बारे में:

- यह पहल भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मुख्य फोकस लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) और अन्य रणनीतिक संसाधनों पर है।
- यह पहल भारत की हाल ही में अमेरिका-नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क (एमएसएफएन) और खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) में सदस्यता के आधार पर आगे बढ़ी है।

## पहल के प्रमुख उद्देश्य:

- महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और निर्यात नियंत्रण से जुड़ी बाधाओं को दूर कर रणनीतिक उद्योगों में व्यापार और नवाचार को मजबूत करना।
- रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अर्धचालक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को मजबूत करना।
- फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए आवश्यक खनिजों, जैसे लिथियम और जिंक, की आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करना।
- नवाचार और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

## खनिज सुरक्षा साझेदारी:

- यह एक वैश्विक पहल है, जिसे 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य खनिजों के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में निवेश को बढ़ावा देना है।
- **सदस्यता और वित्तीय सहायता:**
  - » MSP में 14 देश और यूरोपीय आयोग शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से वैश्विक GDP का 50% से अधिक योगदान देते हैं।
  - » प्रमुख वित्तीय संस्थानों में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC), यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) और जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) शामिल हैं।
  - » MSP की वित्तीय सहायता केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वैश्विक परियोजनाओं में निवेश कर विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं (Diversified Supply Chains) बनाना है।
  - » भारत 2023 में MSP का सदस्य बना और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में योगदान दे रहा है।

## महत्वपूर्ण खनिज और उनका महत्व:

- महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक तकनीक का अभिन्न अंग हैं, लेकिन सीमित उत्पादन स्रोतों और भू-राजनीतिक कारकों के कारण इनकी आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर बनी रहती है।
  - » **उदाहरण:** लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व।
- **भारत में महत्वपूर्ण खनिज:** भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें एंटिमनी, ग्रेफाइट, गैलियम और मोलिब्डेनम शामिल हैं। ये खनिज दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
- **महत्व:**
  - » **आर्थिक:** इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और दूरसंचार उद्योग के लिए अनिवार्य।
  - » **पर्यावरणीय:** सौर पैनल, पवन टरबाइन और अर्धचालकों जैसी नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए आवश्यक।
  - » **सुरक्षा:** रक्षा क्षेत्र में विमानों और मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका।

## निष्कर्ष:

भारत-अमेरिका TRUST पहल महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। हालांकि, यह पहल अमेरिकी मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (Inflation Reduction Act - IRA) के तहत भारतीय कंपनियों को जापान के समान कर प्रोत्साहन नहीं देती, लेकिन यह उच्च-तकनीकी उद्योगों में सहयोग के नए अवसर प्रदान करती है। इस पहल के माध्यम से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क (MSFN) और खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के पूर्व प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विविध बनाया जा सकेगा, जिससे भारत और अमेरिका दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

# डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संकट

## संदर्भ:

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि M23 विद्रोही समूह, जिसे कथित रूप से रवांडा का समर्थन प्राप्त है, ने गोमा पर कब्जा कर लिया है। यह शहर खनिज संपदा से भरपूर है और कांगो तथा रवांडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जनवरी 2025 से शुरू हुई लड़ाई में अब तक 2,900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 7 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। यह संघर्ष अब पूर्वी DRC के एक और महत्वपूर्ण शहर बुकावु की ओर बढ़ रहा है।

## संघर्ष का कारण:

- हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच जातीय तनाव इस संघर्ष का एक बड़ा कारण है, लेकिन खनिज संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई भी इसे बढ़ा रही है।
- पूर्वी DRC में कोल्टन (Coltan) नामक खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है।
- दुनिया का लगभग 40% कोल्टन भंडार DRC में है। गोमा जैसे शहरों पर नियंत्रण करने से ड23 को इन बहुमूल्य संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलती है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

- हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच तनाव औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। उस समय यूरोपीय शक्तियों ने तुत्सियों को प्रशासनिक भूमिकाएं दीं, जिससे हुतू समुदाय में असंतोष बढ़ा।
- 1959 की क्रांति में हुतू समुदाय ने सत्ता हासिल की, जिससे कई तुत्सी भागकर अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए।
- 1994 में, रवांडा के हुतू राष्ट्रपति जुवेनाल हाब्यारिमाना की हत्या के बाद, हुतू चरमपंथियों ने करीब 8 लाख तुत्सी और उदारवादी हुतू नागरिकों का नरसंहार कर दिया।
- इस हत्याकांड को तुत्सी नेतृत्व वाली रवान्डन पैट्रियोटिक फ्रंट (RPF) ने रोका, जिसका नेतृत्व पॉल कागामे कर रहे थे। कागामे साल 2000 से रवांडा के राष्ट्रपति बने हुए हैं।
- नरसंहार के बाद, करीब 20 लाख हुतू पूर्वी DRC में भाग गए, जिनमें कई हत्याकांड के दोषी भी शामिल थे।
- अब इस क्षेत्र में 120 से अधिक सशस्त्र समूह सक्रिय हैं, जिनमें हुतू नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक फोर्सेज फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा (FDLR) और तुत्सी समर्थन वाले M23 शामिल हैं।

## M23 विद्रोही कौन हैं?

- M23 विद्रोही समूह की स्थापना 2012 में उन पूर्व सैनिकों द्वारा की गई थी, जो पहले एक अन्य विद्रोही गुट नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल (CNDP) का हिस्सा थे।
- 2009 में, DRC सरकार ने वादा किया था कि वह CNDP के लड़ाकों को अपनी सेना में शामिल करेगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो M23 का गठन किया गया।
- M23 ने 2012 में पहली बार गोमा पर कब्जा किया था, लेकिन एक शांति समझौते के बाद वे वापस चले गए।
- 2022 में, वे फिर से उभर आए, यह दावा करते हुए कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए।
- संयुक्त राष्ट्र ने M23 पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है।

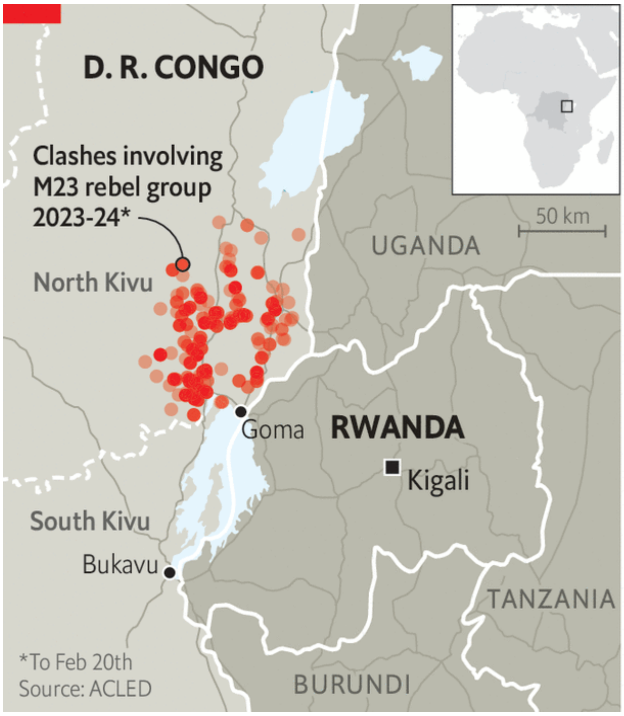


## निष्कर्षः

पूर्वी DRC में संकट गहरे जातीय संघर्ष और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच ऐतिहासिक दुश्मनी इस संघर्ष का एक बड़ा कारण बनी हुई है। कीमती खनिज संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई ने इस संघर्ष को और तेज कर दिया है। क्षेत्र की स्थिति अस्थिर बनी हुई है, क्योंकि अलग-अलग देशों और समूहों के हित इसमें जुड़े हुए हैं। यदि व्यापक शांति प्रयास नहीं किए गए, तो यह लड़ाई जारी रहेगी और पूरे क्षेत्र में और अस्थिरता फैल सकती है।

# भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा

## सन्दर्भः

हाल ही में 10 से 12 फरवरी 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा ने भारत और फ्रांस के संबंधों को कई क्षेत्रों में मजबूत किया, जिनमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रमुख हैं।

## यात्रा के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्देः

- **परमाणु ऊर्जा सहयोगः**
  - भारत और फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से आधुनिक परमाणु रिएक्टरों के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

» चर्चा का प्रमुख केंद्र जयतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (Small Modular Reactors - SMRs) का विकास रहा, जिन्हें भविष्य में नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए एक उन्नत और प्रभावी समाधान माना जा रहा है।

- **रक्षा सहयोग:**
  - » यह यात्रा रक्षा साझेदारी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही, जिसमें पनडुब्बियों, मिसाइल प्रणालियों, विमानों और हेलीकॉप्टर इंजनों की खरीद को लेकर चर्चा हुई।
  - » संयुक्त बयान में फ्रांसीसी सेना को भारतीय पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) प्रणाली की खरीद पर विचार करने का आमंत्रण दिया गया, जिसे रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
  - » फ्रांस को यूरोड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक (observer) के रूप में शामिल किया गया, जिससे रक्षा उपकरण कार्यक्रमों में सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI):**
  - » दोनों देशों ने 'भारत-फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोडमैप' लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य AI के सुरक्षित और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है।
  - » यह रोडमैप AI के सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय उपयोग को सुनिश्चित करने में दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- **अन्य देशों में सहयोग:**
  - » दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
  - » उन्होंने 'भारत-फ्रांस इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय विकास सहयोग' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अन्य देशों में जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर केंद्रित परियोजनाओं का समर्थन करना है।
  - » यह पहल दोनों देशों के रणनीतिक हितों के अनुरूप है।
- **आर्थिक और जनसंपर्क संबंध:**
  - » यात्रा के दौरान भारतीय स्टार्टअप्स को फ्रांस के 'स्टेशन F' इनक्यूबेटर में समर्थन देने और भारत की रियल-टाइम भुगतान प्रणाली (UPI) को फ्रांस में विस्तारित करने जैसी आर्थिक पहलों को मजबूत किया गया।
  - » 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' की घोषणा की गई, जिसे मार्च 2026 से मनाया जाएगा।

## भारत-फ्रांस संबंध:

- भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से मजबूत राजनयिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय स्थापित हुए थे और 1998 में इन संबंधों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया।
- समय के साथ, यह साझेदारी रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित और सुदृढ़ हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास, लोकतंत्र, मानवाधिकारों और शांति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भारत और फ्रांस को एक मजबूत साझेदार बनाती है।

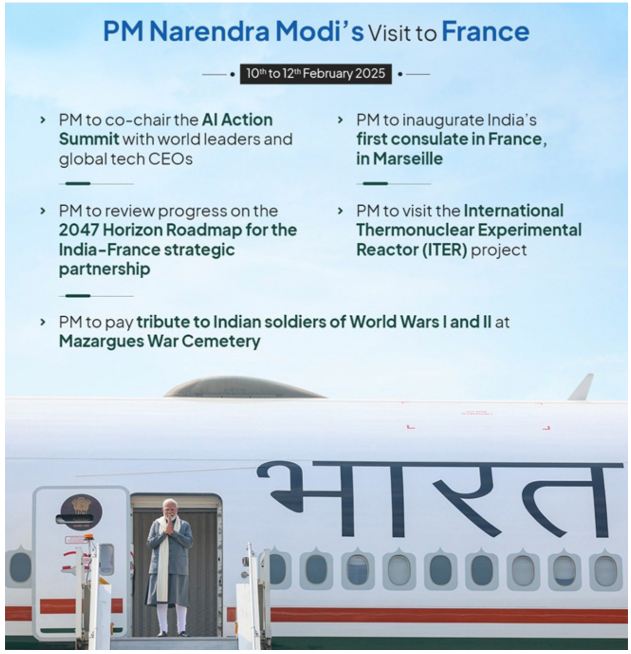


## निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक रही हैं। रक्षा तकनीक, परमाणु ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्र में रणनीतिक तालमेल भारत और फ्रांस के बीच गहरे और सहयोगपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय रक्षा और तकनीकी कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी से दोनों देशों की वैश्विक भूमिका और अधिक सशक्त होती जा रही है।

# एआई एक्शन समिट 2025

## संदर्भ:

हाल ही में एआई एक्शन समिट 10-11 फरवरी 2025 को पेरिस में संपन्न हुआ। इसमें भारत, चीन और यूरोपीय आयोग सहित 50 से अधिक देशों ने 'समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लोगों और पर्यावरण के लिए' नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया।

## समिट के मुख्य परिणाम:

- **पर्यावरण-अनुकूल एआई गठबंधन:**
  - » इसे फ्रांस ने UNEP और ITU के सहयोग से शुरू किया।

- इसका उद्देश्य एआई को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।
- भारत इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य है।

- **मौजूदा एआई पहल:**
  - यह वैश्विक जनहित साझेदारी है, जो डेटा की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
  - इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में $2.5 बिलियन जुटाना है।
  - भारत इस पहल का साझेदार है।
- **पेरिस चार्टर फॉर जनरल इंटरेस्ट एआई:**
  - एआई में खुलेपन, पारदर्शिता और भागीदारी के सिद्धांतों को स्थापित करता है।
  - भारत ने इस चार्टर को अपनाया है।
- **पेरिस घोषणा पत्र (AI-युक्त हथियार प्रणालियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए):**
  - इसका उद्देश्य युद्ध में एआई के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है।
  - भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।

## पेरिस संयुक्त बयान: समावेशी और सतत एआई

- यह बयान सभी के लिए सुलभ, नैतिक और भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देने का आह्वान करता है, ताकि यह समाज के लिए लाभकारी हो। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
  - विकासशील देशों को एआई तकनीक में आगे बढ़ने में मदद करना।
  - बड़े कॉर्पोरेट एकाधिकार को रोकते हुए नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देना।
  - नौकरियों और श्रम बाजार पर एआई के प्रभाव को संतुलित करना।
  - यह ब्लेचली घोषणा (2023) से अलग है, जो मुख्य रूप से एआई सुरक्षा पर केंद्रित थी।

## समिट के प्रमुख विषय:

- **जनहित के लिए एआई:** एआई को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ के लिए उपयोग करना।
- **भविष्य की नौकरियां:** नौकरी छूटने की समस्या को कम करना और समावेशी नीतियां बनाना।
- **इनोवेशन और संस्कृति:** एआई के विकास और रचनात्मक उद्योगों की सुरक्षा में संतुलन बनाना।
- **एआई में विश्वास:** पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही को बढ़ाना।
- **वैश्विक एआई शासन:** एआई नियमन के लिए एक समावेशी अंतरराष्ट्रीय ढांचा तैयार करना।

## एआई क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मशीनों को सीखने, तर्क करने और इंसानों जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसमें शामिल हैं:
  - **मशीन लर्निंग (ML):** डेटा से सीखकर निर्णय लेने में सुधार करना।
  - **डीप लर्निंग:** मानव मस्तिष्क की तरह काम करने वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करना।
  - **नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP):** एआई की इंसानी भाषा को समझने और जवाब देने की क्षमता, जैसे सिरी और एलेक्सा।

## एआई की ऊर्जा खपत:

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, एआई को संचालित करने वाले डेटा सेंटर वैश्विक बिजली का 1-2% उपयोग कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह खपत और बढ़ने की संभावना है।
- **एआई एक्शन समिट का क्रम:**
  - **2023-ब्रिटेन:** ब्लेचली घोषणा (एआई सुरक्षा पर केंद्रित)।
  - **2024-दक्षिण कोरिया:** एआई नीति और शासन।
  - **2025-फ्रांस (भारत सह-अध्यक्ष):** एआई सुरक्षा, नवाचार, शासन और भविष्य की नौकरियों पर ध्यान केंद्रित।

## निष्कर्ष:

पेरिस समिट ने भारत की वैश्विक एआई नीति में अग्रणी भूमिका को मजबूत किया है और समावेशी, नैतिक और सतत एआई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

# भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि

## सन्दर्भ:

स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य हैं, भारत के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर बातचीत कर रहे हैं। यह संधि मार्च 2024 में भारत और EFTA के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद चर्चा में आई है, जिसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करना है।

## स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन भारत के साथ यह संधि क्यों चाहते हैं?

- **कर संबंधी समस्याएँ और नेस्ले मामला:**
  - दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने 1994 के कर समझौते (DTAA) में बदलाव किया, जिससे स्विस कंपनियों को भारत में ज्यादा कर चुकाना पड़ा।
  - नेस्ले जैसे स्विस ब्रांडों को भी ज्यादा कर देना पड़ा, जिससे स्विस निवेशकों की चिंता बढ़ गई।
  - इसलिए, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन चाहते हैं कि BIT के जरिए उनके निवेश को सुरक्षा मिले।
- **भारत द्वारा पुराने निवेश समझौतों को रद्द करना:**
  - भारत ने 1993 के बाद किए गए पुराने निवेश समझौतों को रद्द कर दिया, क्योंकि वह कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों में फंस गया था।

» पहले के समझौते विदेशी निवेशकों को ज्यादा अधिकार देते थे, जिससे भारत के लिए नुकसान की संभावना बढ़ जाती थी।
» नए निवेशकों की सुरक्षा के लिए स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन अब एक नए BIT की मांग कर रहे हैं।

- **भारत के नए निवेश नियम:**
  » 2016 में भारत ने एक नया BIT मॉडल बनाया, जिसमें विदेशी निवेशकों को पहले भारत में सभी कानूनी विकल्पों को आजमाने के बाद ही अंतरराष्ट्रीय अदालतों में जाने की अनुमति दी गई।
  » पश्चिमी देशों को यह नियम बहुत सख्त लगा और उन्होंने भारत से ज्यादा निवेशक-अनुकूल नीतियाँ अपनाने का आग्रह किया।

## भारत का नए BIT की ओर झुकाव:

- **बजट में सुधार:** सरकार ने अपनी नीतियों में विदेशी निवेशकों की चिंताओं को ध्यान में रखा है।
- **नए समझौते:** भारत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी इसी तरह की निवेश संधि पर बातचीत कर रहा है।
- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सीख:** भारत ने हाल ही में UAE के साथ BIT किया, जिसमें निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय शामिल थे।

## स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ BIT से भारत को क्या लाभ होगा?

- **विदेशी निवेश बढ़ेगा:**
  » BIT से विदेशी निवेशकों को भरोसा मिलेगा, जिससे वे भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे।
  » इससे फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे सेक्टर मजबूत होंगे।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों का पालन:**
  » भारत निवेश नियमों को अपडेट करके वैश्विक स्तर पर खुद को मजबूत बनाएगा।
  » इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक स्थान बन जाएगा।
- **आर्थिक और रणनीतिक फायदे:**
  » एक मजबूत BIT, 'मेक इन इंडिया' और बुनियादी ढांचे के विकास को मदद करेगा।
  » स्पष्ट और स्थिर नीतियाँ भारत को ज्यादा व्यापारिक सौदे और विदेशी भागीदार आकर्षित करने में मदद करेंगी।

## निष्कर्ष:

स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ BIT, भारत की बदलती व्यापार और निवेश नीतियों में एक बड़ा कदम है। यह समझौता विदेशी निवेशकों को सुरक्षा देगा, जिससे वे भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर यह संधि सफल रही, तो यह भविष्य में अन्य देशों के साथ होने वाले निवेश समझौतों के लिए एक मॉडल बन सकती है। इससे भारत विदेशी निवेश के लिए ज्यादा विश्वसनीय और आकर्षक देश बन जाएगा, जिससे आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी होगी।

# भारत और यू.के. के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती

## संदर्भ:

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एयरो इंडिया 2025 में डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया (DP-I) की औपचारिक शुरुआत की गई और कई अहम समझौतों की घोषणा हुई। ये समझौते मुख्य रूप से वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल उत्पादन और नौसेना से जुड़े नए विकास पर केंद्रित हैं, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

## डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया (DP-I) की शुरुआत:

- यू.के. के रक्षा मंत्रालय ने DP-I (डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया) नाम से एक विशेष सेल बनाई है, जिसका मकसद भारत के साथ रक्षा सहयोग को और गहरा करना है जिससे संयुक्त रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, सहयोग को बेहतर बनाया जाएगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे।

## मुख्य रक्षा समझौते और नई पहलें:

- **MANPADS और लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) का उत्पादन**
  » थेल्स यू.के. (Thales U.K.) व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत लेजर

बीम-राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (LBRMs) का उत्पादन किया जाएगा।

- » इस समझौते में STARStreak हाई-वेलोसिटी मिसाइलों और लॉन्चरों की आपूर्ति शामिल है, जिससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी।
- » इसके अलावा, थेल्स और बीडीएल मिलकर लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMMs) का उत्पादन करेंगे। इस साझेदारी से भारतीय उद्योगों को थेल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों देशों में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और सैन्य उपकरणों की अंतर-संगतता (Interoperability) भी बेहतर होगी।

- **ASRAAM असेंबली और टेस्ट सुविधा की स्थापना:**
  - » भारत में पहली बार हैदराबाद में एक ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missile) असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी।
  - » यह सुविधा जगुआर (Jaguar) और हल्के लड़ाकू विमान Mk1A (LCA-Mk1A) के लिए ASRAAM मिसाइलों का निर्माण करेगी। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
- **नौसेना सहयोग और समुद्री रक्षा प्रणाली में सुधार:**
  - » भारत की अगली पीढ़ी की लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD) बेड़े के लिए एकीकृत पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रणोदन (IFEP) सिस्टम के डिजाइन और विकास को लेकर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - » GE वर्नोवा (GE Vernova) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के बीच समझौता हुआ है, जिसमें भारत की पहली समुद्री भूमि-आधारित परीक्षण सुविधा (Maritime Land-Based Testing Facility) विकसित करने की योजना है।
  - » इस तकनीक से भारतीय नौसेना को 2030 तक उन्नत LPDs (Landing Platform Docks) प्राप्त हो सकेंगे।

## आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा:

- ये सभी समझौते भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप हैं, जिससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूती मिलेगी और यू.के. के साथ तकनीकी व औद्योगिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इन समझौतों से आर्थिक विकास, सुरक्षा हितों और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को बल मिलेगा।

## निष्कर्ष:

DP-I की शुरुआत और एयरो इंडिया 2025 में हुए महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भारत और यू.के. के बीच रक्षा संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इन पहलों से भारत की वायु और नौसेना क्षमताओं में सुधार होगा, स्थानीय रक्षा उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जाएगा और भविष्य में दीर्घकालिक रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

# बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से संबंध तोड़ा

## संदर्भ:

हाल ही में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने रूस के पावर ग्रिड से खुद को अलग कर लिया है। इस निर्णय के माध्यम से, ये देश यूरोपीय संघ (EU) के बिजली नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ने के निकट पहुँच गए हैं। यह निर्णय, जो लंबे समय से योजना में था, ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और रूस पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही, यह बाल्टिक देशों के यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## पृष्ठभूमि:

- दशकों तक, बाल्टिक देशों का रूस के IPS/UPS पावर ग्रिड से संबंध रहा था, जो सोवियत काल की एक विरासत थी। 1990 के दशक की शुरुआत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी, ये देश रूस की अवसंरचना पर निर्भर थे, ताकि वे ग्रिड का प्रबंधन कर सकें और बिजली की कटौती से बच सकें।
- हालाँकि, 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, इन देशों ने रूस से बिजली खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन वे अब भी सिस्टम पर निर्भर थे ताकि स्थिरता बनी रहे। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर उत्पन्न होते दबाव ने देशों को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया।

## इस निर्णय के प्रभाव:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** यह भू-राजनीतिक तनावों के कारण विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति में खतरे को कम करता है।
- **स्थिर विद्युत आपूर्ति:** यूरोपीय संघ के ग्रिड से जुड़ने से एक अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित होता है, जिससे विद्युत की कमी की संभावना कम होती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच:** नया कनेक्शन नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग की अनुमति देता है।
- **सप्लाई प्रबंधन में सुधार:** यूरोपीय संघ ग्रिड मांग और वितरण को संतुलित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
- **आर्थिक वृद्धि:** ऊर्जा स्वतंत्रता में मजबूती नए निवेशों को आकर्षित कर सकती है और आर्थिक अवसर बढ़ा सकती है।
- **राजनीतिक महत्व:** यह रूस के प्रभाव से निर्णायक रूप से छुटकारा पाने और पश्चिमी नीतियों के साथ सामंजस्य का प्रतीक है।

## बाल्टिक देशों के बारे में:

- बाल्टिक देश 'एस्टोनिया, लातविया, और लिथुआनिया' उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं। इन देशों की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें ऐतिहासिक रूप से यूरोप और रूस के प्रभाव के संगम पर स्थापित किया है।

- **सीमाएँ:**
  - » पश्चिम और उत्तर: बाल्टिक सागर
  - » पूर्व: रूस
  - » दक्षिण-पूर्व: बेलारूस
  - » दक्षिण-पश्चिम: पोलैंड और रूस का एक प्रविष्ठ क्षेत्र (कालिनिनग्राद)
- **राजधानियाँ:**
  - » एस्टोनिया: ताल्लिन
  - » लातविया: रिगा
  - » लिथुआनिया: विलनियस

## स्वतंत्रता और यूरोपीयन यूनियन सदस्यता:

- बाल्टिक देशों ने 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हालांकि, बाद में इन्हें सोवियत संघ द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 1990 के दशक की शुरुआत में पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की।
- आज, एस्टोनिया और लातविया की जनसंख्या का लगभग चौथाई हिस्सा जातीय रूप से रूसी है।
- तीनों देशों ने 2004 में यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता प्राप्त की, जिससे उनके पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत हुए।

## निष्कर्ष:

बाल्टिक देशों का रूस के पावर ग्रिड से अलग होना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो उनके ऊर्जा स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वायत्तता और यूरोपीय एकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इसके तकनीकी प्रभावों से परे, यह कदम एक रणनीतिक पुनःसंचालन का प्रतिनिधित्व करता है, जो दीर्घकालिक स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करता है, साथ ही क्षेत्र में रूस के प्रभाव को कम करता है।

# अमेरिकी राष्ट्रपति का मेमोरंडम: चाबहार पोर्ट पर प्रभाव

## संदर्भ:

हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मेमोरेंडम जारी किया, जो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्त करने और विशेष रूप से चाबहार पोर्ट परियोजना से संबंधित छूटों को रद्द या संशोधित करने पर केंद्रित है। चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक परियोजना है, अब इस नए आदेश के कारण संकट में आ सकता है। यह कदम भारत, अफगानिस्तान और अमेरिकी क्षेत्रीय सहयोगी देशों के बीच चिंता का कारण बन गया है।

## चाबहार पोर्ट और इसकी सामरिक महत्वता:

- चाबहार पोर्ट, जो ईरान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसे भारत ने एक दस वर्षीय समझौते के तहत प्रबंधित किया है।
- यह पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ने का एक वैकल्पिक और सीधा व्यापार मार्ग प्रदान करता है, जो पाकिस्तान की सीमाओं को बाईपास करता है।
  - » **विकल्प व्यापार मार्ग:** चाबहार भारत को पाकिस्तान की प्रतिबंधों से बचने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अफगानिस्तान के साथ व्यापार में कोई रुकावट नहीं आती।
  - » **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:** यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को मजबूत करता है, जिससे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

## भारत के लिए संभावित प्रभाव:

- **सामरिक और आर्थिक प्रभाव:**
  - » **व्यापार में रुकावटें:** चाबहार में भारत की महत्वपूर्ण निवेश योजना अफगानिस्तान के साथ व्यापार को सरल बनाती है। यदि छूट वापस ले ली जाती है, तो इससे व्यापार में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक लाभ में गिरावट आ सकती है और भारत का क्षेत्रीय प्रभाव घट सकता है।
  - » **क्षेत्रीय अलगाव:** चाबहार तक पहुंच समाप्त होने से भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया में प्रभाव कमजोर हो सकता है, जो इसके दीर्घकालिक सामरिक हितों पर

नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

- **राजनयिक चुनौतियाँ:**
  - **भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव:** चाबहार को लेकर भारत की ईरान के साथ साझेदारी अमेरिकी प्रतिबंधों से टकराती है, जिससे संभावित राजनयिक तनाव हो सकता है।
  - **ईरान और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन:** भारत को दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने की जरूरत होगी, ताकि अपने हितों की रक्षा की जा सके।
  - **छूट के लिए वार्ता:** भारत चाबहार की क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद निरोधक भूमिका को उजागर करके विशेष छूट प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है।

- **अफगानिस्तान पर प्रभाव:**
  - **व्यापार और आर्थिक स्थिरता:** चाबहार अफगानिस्तान की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की पहुंच पर प्रतिबंध लगाने से व्यापार में रुकावट आ सकती है, जिससे अफगान व्यवसायों और जीवनयापन पर असर पड़ सकता है।
  - **सुरक्षा चिंताएँ:** भारतीय भागीदारी में कमी से आतंकवाद निरोधी और क्षेत्रीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय प्रयास कमजोर हो सकते हैं।
- **भूराजनीतिक ध्रुवीकरण:**
  - **विकल्प व्यापार मार्गों की तलाश:** भारत अपनी क्षेत्रीय रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है और रूस, चीन और अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है।
  - **बहुपक्षीय मंचों का उपयोग:** भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स जैसे संगठनों का सहारा लेकर चाबहार खोने के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकता है।
  - **राजनयिक और आर्थिक परिणाम:** भारत की इस चुनौती पर प्रतिक्रिया उसके वैश्विक प्रभाव को आकार देगी और भविष्य में प्रमुख देशों के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगी।

## निष्कर्ष:

ट्रम्प प्रशासन द्वारा चाबहार से संबंधित छूट में संशोधन या उसे रद्द करने का निर्णय भारत के सामरिक, आर्थिक और राजनयिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की भूराजनीतिक स्थिति पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए, भारत को अमेरिका के साथ राजनयिक संवाद में अत्यधिक सतर्कता और रणनीतिक समझदारी के साथ कदम उठाने की आवश्यकता होगी। इस चुनौती का परिणाम भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक स्थिति पर दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

# अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से वापसी

## संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय इस एजेंसी में 'अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह' को लेकर उठाई गई चिंताओं के आधार पर लिया गया था।

## संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के प्रभाव:

- **प्रभाव में कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी से परिषद में मानवाधिकारों पर होने वाली चर्चाओं और निर्णयों पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे इसकी प्रभावशीलता में कमी आएगी।
- **सख्त निगरानी में कमी:** सक्रिय अमेरिकी भागीदारी के बिना, अन्य सदस्य देशों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर निगरानी में कमी हो सकती है।
- **प्रथककरण प्रवृत्तियाँ:** यह कदम प्रथककरण की ओर संकेत करता है, जो वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अमेरिका की भूमिका को सीमित कर सकता है।
- **मित्र देशों पर प्रभाव:** इस वापसी को सहयोगी देशों द्वारा बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने के रूप में देखा जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामूहिक प्रयासों पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
- **वैश्विक मानदंडों पर प्रभाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका का इन संगठनों से बाहर जाना अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर प्रश्न उठाने या उनसे पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है,

जिससे वैश्विक मानदंडों और मानकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है

## संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में:

- **स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी, जिसने मानवाधिकार आयोग की जगह ली।
- **सदस्यता:** इसमें 47 सदस्य होते हैं, जिन्हें तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय समूहों के आधार पर चुना जाता है। सदस्य एक कार्यकाल पूरा करने के बाद पुन: चुनाव के लिए योग्य नहीं होते।
- **कार्य:** UN सदस्य देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना।
- **महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना, जिनमें शामिल हैं:**
  - » **व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सभा का अधिकार:** व्यक्तियों के अपने विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्वक सभा करने के अधिकार की रक्षा करना।
  - » **महिलाओं और LGBTI अधिकार:** महिलाओं और LGBTI व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना।
  - » **जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकार:** जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।

## निष्कर्ष:

संयुक्त राज्य अमेरिका की UNHRC से वापसी वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर इसके प्रभाव को सीमित कर देती है और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव से पीछे हटने का संकेत देती है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव वैश्विक सहयोग और मानवाधिकार मानकों पर पड़ सकता है।

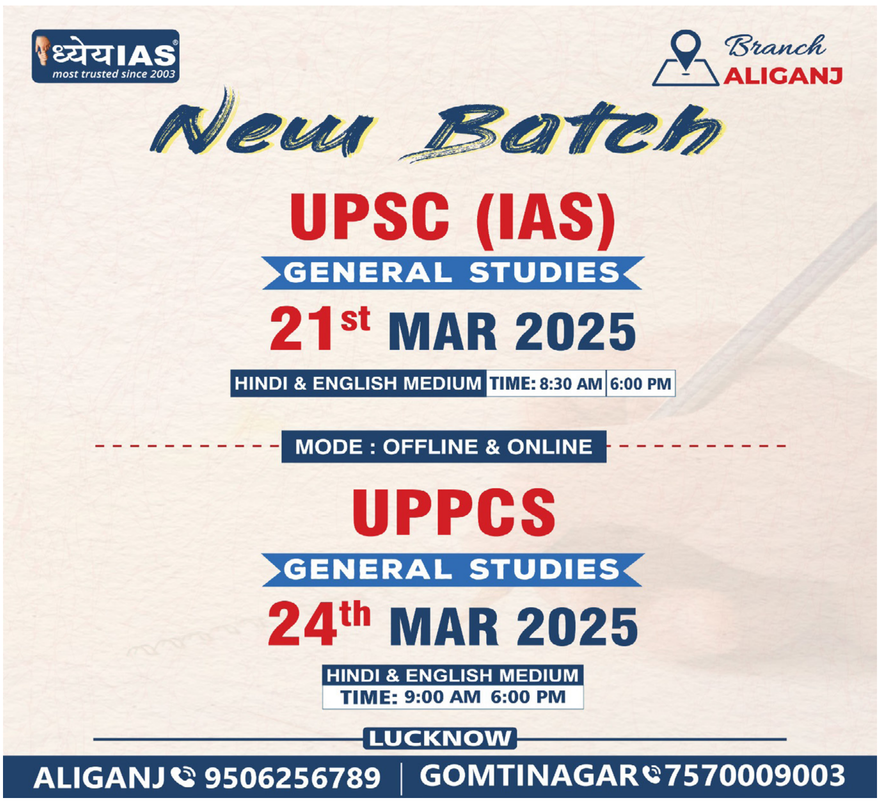

# भारत में बाघ आबादी: वृद्धि, चुनौतियां और संरक्षण रणनीतियाँ

भारत, दुनिया के लगभग 75% बाघों का घर है और यहाँ बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो बाघ संरक्षण पहलों की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार, वर्तमान जनसंख्या 3,682 (रेंज: 3,167-3,925) है, जो 2018 में 2,967 और 2014 में 2,226 से उल्लेखनीय वृद्धि है। लगातार सैंपल किए गए क्षेत्रों में 6% वार्षिक वृद्धि दर के साथ, यह वृद्धि बाघ संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हालांकि, यह प्रगति आवास की हानि, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है, जो बाघों के अस्तित्व को प्रभावित करना जारी रखती हैं।

## संरक्षण रणनीतियाँ और सरकारी पहल:

भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और बाघ संरक्षण को समर्थन देने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपनाई है:

- **सामग्री और रसद सहायता:** प्रोजेक्ट टाइगर की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, बुनियादी ढांचे के विकास, संघर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व को धन मुहैया कराया जाता है। वित्तीय सहायता जागरूकता अभियान, स्थिरीकरण उपकरण और ट्रैंक्विलाइजर सहित अन्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रदान की जाती है।
- **आवास हस्तक्षेप को सीमित करना:** संरक्षण प्रयास रिजर्व के भीतर बाघों की आबादी को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि कोई रिजर्व अपनी वहन क्षमता तक पहुँच जाता है, तो अत्यधिक वन्यजीव फैलाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप को सीमित कर दिया जाता है, जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी आती है। बफर जोन में आवास संशोधनों पर नियंत्रण रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाघ स्वाभाविक रूप से अन्य समृद्ध वन क्षेत्रों में फैल सकें।
- **मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):** एनटीसीए ने संघर्ष स्थितियों के प्रबंधन के लिए तीन एसओपी जारी किए हैं:
  - » मानव-बहुल क्षेत्रों में बाघों का भटकना
  - » पशुओं पर बाघ के हमले
  - » बाघों को उनके मूल क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना
- यह एसओपी बाघों की संख्या में हो रहे विस्तार को नियंत्रित करने, पशुधन से संबंधित संघर्षों को रोकने और विभिन्न परिदृश्यों में जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, बाघ संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) के तहत, परियोजना बाघ निधि द्वारा समर्थित, साइट-विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाते हैं।

## बाघों की संख्या और आवास विस्तार:

- साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पिछले दो दशकों में 138,200 वर्ग किलोमीटर में बाघों की संख्या में 30% की वृद्धि देखी गई है, जबकि 35,255 वर्ग किलोमीटर में फैले संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में बाघों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। बाघों के प्रमुख आवास के रूप में काम करने वाले इन क्षेत्रों के अलावा, बाघ अब लगभग 60 मिलियन लोगों के निवास वाले क्षेत्रों में भी चले गए हैं।
- अध्ययन में 2006 से 2018 तक 20 भारतीय राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि का विश्लेषण किया गया, जिसमें परिदृश्यों को 10x10 किमी के ग्रिड में विभाजित किया गया। निष्कर्षों से बाघों के आवासों में क्रमिक विस्तार का पता चलता है:
  - » 2006-2010: 35% नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ
  - » 2010-2014: 20% नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ
  - » 2014-2018: 45% नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ
- बाघ उच्च शिकार घनत्व, कम मानवीय गतिविधि और मध्यम आर्थिक समृद्धि वाले आवासों को पसंद करते हैं। उनका अधिभोग शिकार प्रजातियों जैसे चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), सांभर हिरण (रुसा यूनिकोलर), दलदली हिरण (रुसर्वस डुवाउसेली) और गौर (बोस गौरस) के वितरण से

निकटता से जुड़ा हुआ है। ये शाकाहारी जानवर बाघों की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, बाघ के आवास अन्य बड़े मांसाहारी और विशाल जीवों के साथ भी फैले हुए हैं:

» एशियाई हाथी (59%)
» गौर (84%)
» तेंदुए (62%)
» ढोल (68%)
» सुस्त भालू (51%)

- यह अम्ब्रेला प्रजाति अवधारणा को मजबूत करता है, जहाँ बाघ संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता को संरक्षित करके और कार्बन पृथक्करण में योगदान देकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुँचाता हैख्रजो जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

## स्थानीय बाघ विलुप्ति और संरक्षण चुनौतियां:

- सकारात्मक वृद्धि के बावजूद, 12 वर्षों में 17,992 वर्ग किमी में स्थानीय विलुप्तियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक हानि निम्नलिखित के बीच हुई है:
  » 2006-2010: कुल स्थानीय विलुप्तियों का 64%
  » 2010-2014: 17%
  » 2014-2018: 19%
- सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पूर्वी भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में हैं, जहां निम्नलिखित रिजर्व हैं:
  » गुरु घासीदास
  » पलामू
  » उदंती-सीतानदी
  » सिमलीपाल
  » सतकोसिया
  » इंद्रावती
- यह क्षेत्र गंभीर संरक्षण खतरे से गुजर रहे हैं। भारत के सबसे गरीब जिलों में से ये क्षेत्र बुशमीट शिकार, अवैध शिकार और आवास क्षरण से पीड़ित हैं, जिससे बाघों का पनपना मुश्किल हो रहा है।

## बाघ संरक्षण पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव:

- सबसे चौंकाने वाले अध्ययनों में से एक यह है कि सशस्त्र संघर्ष और बाघों के विलुप्त होने के बीच सीधा संबंध है। लगभग 47% बाघों की विलुप्ति नक्सली विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में दर्ज की गई, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ (इंद्रावती, अचानकमार, उदंती-सीतानदी) और झारखंड (पलामू) में।
- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम, अमराबाद और सिमिलिपाल जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सशस्त्र संघर्ष कम हो गया है, वहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। फिर भी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह संरक्षण प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिए एक अस्थिर वातावरण उत्पन्न हो रहा है।

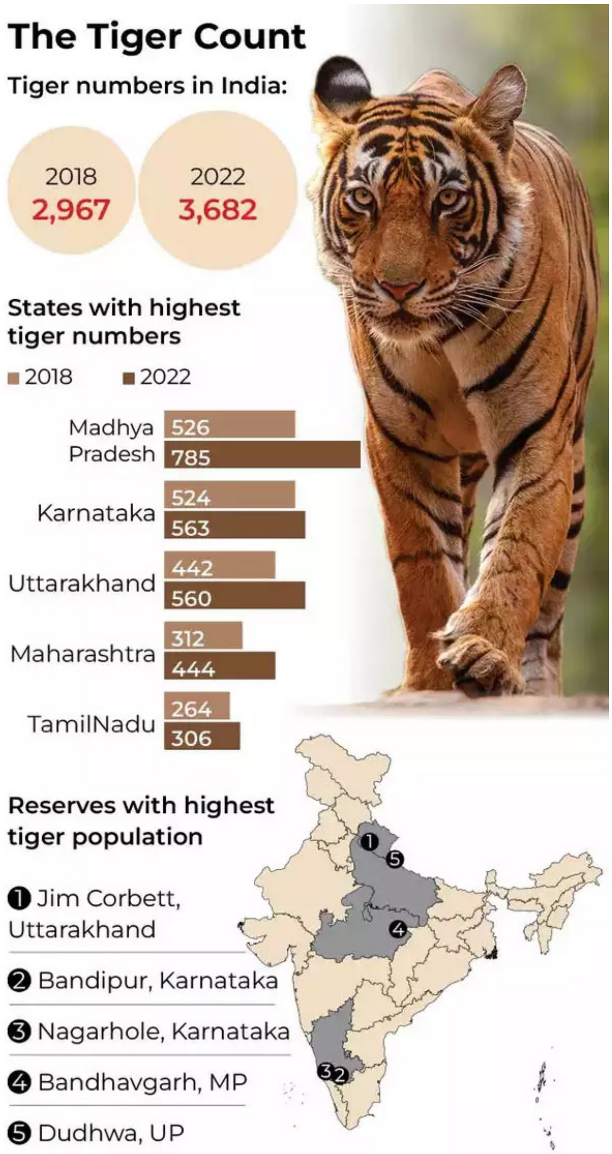


## मानव-बाघ सह-अस्तित्व: सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे कुछ घनी आबादी वाले राज्यों में बाघ पनपते हैं, जहाँ संरक्षण प्रयासों को निम्नलिखित द्वारा समर्थन दिया जाता है:
  » पारिस्थितिकी पर्यटन राजस्व
  » सरकारी मुआवजा योजनाएँ
  » समुदाय-आधारित संरक्षण परियोजनाएँ
- इन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है तथा स्थानीय लोग बाघ-संबंधी पर्यटन

और संरक्षण पहलों से लाभान्वित हुए हैं।

- इसके विपरीत, उच्च गरीबी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बाघों के बसने की दर सबसे कम है, जहाँ समुदाय आजीविका के लिए जंगलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वैकल्पिक आय स्रोतों और उचित जागरूकता की कमी इन क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को मुश्किल बनाती है।

### स्थिरता और भविष्य की संरक्षण रणनीतियाँ:

- अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक समृद्धि दोहरी भूमिका निभाती है जहाँ टिकाऊ पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षण निधियाँ बाघों की संख्या में वृद्धि करती हैं, वहीं अत्यधिक शहरीकरण और भूमि-उपयोग परिवर्तन बाघों के आवासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- पारिस्थितिकी विकास परियोजनाओं में निवेश और सामुदायिक भागीदारी टिकाऊ संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को संरक्षण की सफलता से लाभ मिल सके।
- साथ ही, अवैध शिकार, आवास विनाश और अतिक्रमण से निपटने के लिए वन्यजीव कानूनों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। विधायी उपाय जैसे:
    - » भूमि संरक्षण नीतिया
    - » वन भूमि के परिवर्तन पर प्रतिबंध
    - » सतत विकास योजना
    - » बाघों की आबादी की सुरक्षा के लिए इस कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए।

### निष्कर्ष:

भारत के बाघ संरक्षण प्रयास वैश्विक सफलता की उदाहरण पेश करते हैं, जिसमें कानूनी ढांचा, वैज्ञानिक निगरानी और सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, आवास विखंडन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की चुनौतियों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- » भविष्य की रणनीतियों पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए।
- » आर्थिक विकास के साथ संरक्षण को संतुलित करना।
- » सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।
- » अवैध शिकार विरोधी प्रयासों को मजबूत करना।
- » टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को सुनिश्चित करना।

समग्र और समावेशी दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए, भारत बाघ संरक्षण में विश्व का नेतृत्व करना जारी रख सकता है और एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित कर सकता है जहाँ बाघ और मानव सौहार्दपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व में रह सकें।

# सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत: 100 GW की ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 100 GW से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है। यह उपलब्धि भारत के सतत ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण कदम है और सौर ऊर्जा के विकास में वैश्विक नेता के रूप में इसकी स्थिति को मजबूती प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए जाने के साथ, देश सौर अवसंरचना के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह तेजी से हो रही प्रगति भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

### भारत की सौर ऊर्जा का विकास:

- भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र पिछले एक दशक में असाधारण रूप से बढ़ा है। स्थापित सौर क्षमता 2014 में 2.82 GW से बढ़कर 2025 में 100 GW हो गई है, जोकि दस वर्षों में 3,450% की वृद्धि है।

### भारत में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति:

- 31 जनवरी 2025 तक, भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 100.33 GW है, इसके अतिरिक्त:
    - » 84.10 GW कार्यान्वयन के तहत है।
    - » 47.49 GW निविदा (Tendering) प्रक्रिया में है।
- भारत स्वतंत्र सौर परियोजनाओं के अतिरिक्त, ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जो सौर ऊर्जा को पवन और बैटरी भंडारण के साथ मिलाकर 24 घंटे काम करती हैं।
- वर्तमान में, 64.67 GW हाइब्रिड और RTC परियोजनाएं कार्यान्वयन या निविदा प्रक्रिया में हैं। देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें सौर, पवन, जलविद्युत और बायोमास शामिल हैं, 296.59 GW तक पहुँच चुकी है।

### भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में सौर ऊर्जा की प्रमुख भूमिका:

- सौर ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकास में प्रमुख

योगदानकर्ता है, जो कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता का 47% है। पिछले वर्ष में रिकॉर्ड विकास हुआ है, जिसमें 2024 में 24.5 GW नई सौर क्षमता जोड़ी गई, जो 2023 की तुलना में दोगुना अधिक है।

## यूटिलिटी–स्केल सौर ऊर्जा: मुख्य वृद्धि क्षेत्र

- यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाएं वे बड़ी परियोजनाएं होती हैं, जो बिजली उत्पन्न कर बिजली वितरण कंपनियों को बेचती हैं। इन परियोजनाओं को आमतौर पर 10 मेगावाट (MW) या उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत ने यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाओं में महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जो अब नई स्थापित क्षमता का प्रमुख हिस्सा बन गई हैं।
- 2024 में, 18.5 GW की यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाएं स्थापित की गई, जो 2023 की तुलना में 2.8 गुना अधिक हैं। यूटिलिटी-स्केल सौर ऊर्जा विकास में प्रमुख राज्य हैं:
  - » राजस्थान
  - » गुजरात
  - » तमिलनाडु
  - » महाराष्ट्र
  - » मध्य प्रदेश
- इन राज्यों ने अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, सरकारी प्रोत्साहन और बड़े सौर पार्कों के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया है।

## रूफटॉप सौर ऊर्जा: घरों और व्यवसायों को सशक्त बनाना

- भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें 2024 में 4.59 GW नई क्षमता जोड़ी गई, जो 2023 की तुलना में 53% अधिक है।
- इस विकास का मुख्य उत्प्रेरक पीएम सूर्या घर जो मुफ्त बिजली योजना रही है, जिसे 2024 में शुरू किया गया था, जिसके तहत देश भर में लगभग 900,000 रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित की गई। इस योजना ने भारतीय घरों और छोटे व्यवसायों के लिए स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बना दिया है।
- विकेन्द्रीयकृत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर, रूफटॉप सौर ऊर्जा हानियों को कम करने, बिजली के बिल को घटाने और घरेलू स्तर पर ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है।

## भारत का वैश्विक सौर उत्पादन केंद्र के रूप में उदय:

- भारत ने केवल सौर इंस्टालेशन ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपनी घरेलू सौर उत्पादन क्षमता को भी मजबूत किया है। 2014 में भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता सिर्फ 2 GW थी। 2024 तक, यह 60 GW तक पहुंच गई, जिससे भारत सौर उत्पादन में एक प्रमुख देश बन गया है।
- नीति समर्थन और निवेश में निरंतर वृद्धि के साथ, भारत का लक्ष्य 2030 तक सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 100 GW तक पहुंचाना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय सौर बाजार में इसकी स्थिति मजबूत होगी।

## सौर ऊर्जा हेतु नीतियाँ:

भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र की तेज वृद्धि का मुख्य कारण नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से नीति समर्थन है। जिसके तहत कई प्रमुख पहलों को लागू किया गया है, जैसे:

- **सौर पार्क और बड़े पैमाने पर इंस्टालेशन:** सरकार ने कुल 37 GW क्षमता वाले 45 सौर पार्कों को मंजूरी दी है, जिससे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन संभव हो सका है। कुछ प्रमुख सौर पार्क हैं:
  - » पवगड़ा सौर पार्क (2 GW), कर्नाटका
  - » कुरनूल सौर पार्क (1 GW), आंध्र प्रदेश
  - » भादला-II सौर पार्क (648 MW), राजस्थान
- **रूफटॉप सौर को बढ़ावा देना:** पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं के तहत घरेलू और व्यवसायिक रूफटॉप सौर प्रणालियों को प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **घरेलू सौर उत्पादन प्रोत्साहन:** इसका उद्देश्य उच्च-प्रभावशीलता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- **ग्रिड आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास:**
  - » सौर परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफी।
  - » नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए रीन्यूएबल पर्चेस ऑब्लिगेशन (RPOs) को मजबूत किया गया है।
- **सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाएं और ऊर्जा भंडारण:** भारत गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, 30 GW सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना का विकास कर रहा है, ताकि निरंतर और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

## सौर ऊर्जा विकास में चुनौतियाँ:

महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत को सौर ऊर्जा को बढ़ाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- **भारत में सौर भागों का निर्माण नहीं होना:** सौर मॉड्यूल उत्पादन में वृद्धि हुई है, भारत अभी भी प्रमुख घटकों जैसे सौर वेफर्स और इनवर्टर्स का आयात करता है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता सीमित होती है।
- **भूमि उपलब्धता की समस्याएँ:** यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाओं को बड़े भूमि क्षेत्रों की आवश्यकता होती है,

जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख चुनौती बन जाता है।

- **वित्तीय और निवेश संबंधी बाधाएँ:** उच्च प्रारंभिक लागत और किफायती वित्तपोषण विकल्पों की सीमित उपलब्धता बड़ी सौर परियोजनाओं को धीमा कर देती है।
- **सौर दरों की लाभप्रदता पर प्रभाव:** भारत में सौर दरें दुनिया में कुछ सबसे कम हैं, जिसके कारण सौर परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर असर पड़ता है और गुणवत्ता में समझौते किए जाते हैं।
- **सौर कचरे का प्रबंधन:** भारत के द्वारा 2050 तक 1.8 मिलियन टन सौर कचरा उत्पन्न करने का अनुमानित है, फिर भी सौर पैनलों के लिए ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) नियम कमजोर हैं, जो पर्यावरणीय जोखिम पैदा करते हैं।

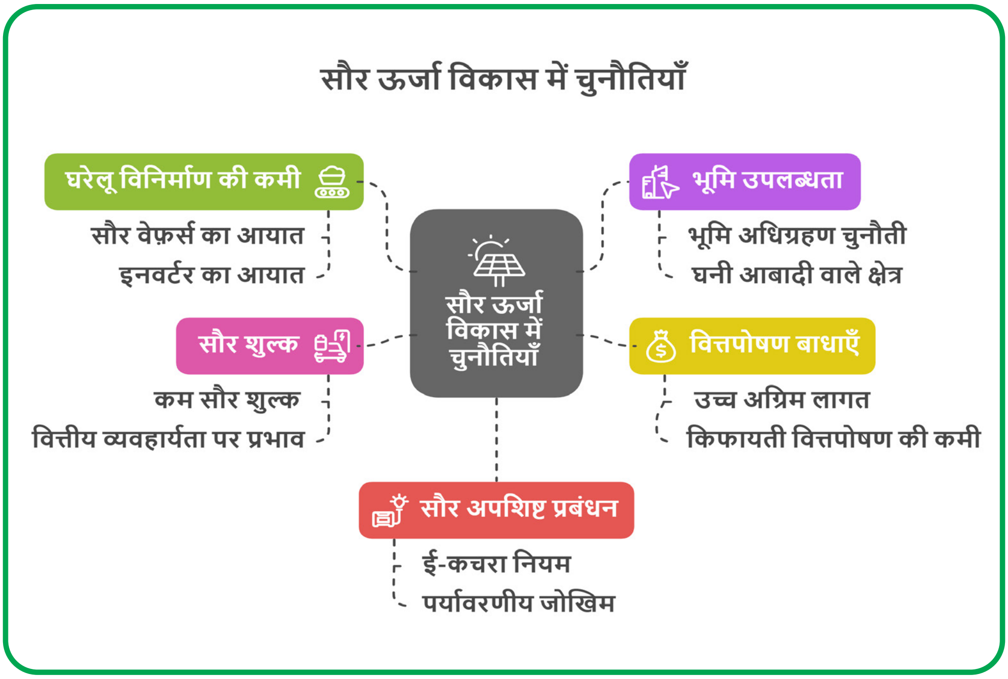


## नवाचारी विकास: सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे

- भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में एक महत्वपूर्ण पहल सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक हाईवे का विकास है। ये हाईवे इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के लिए चार्जिंग की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा और सौर ऊर्जा को गतिशीलता समाधानों में एकीकृत किया जाएगा।

## भविष्य की रोडमैप: भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाना

- अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिए, भारत को निम्नलिखित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
    - **हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना:** सौर और पवन ऊर्जा को एकीकृत करना, ऊर्जा उत्पादन को स्थिर करेगा और दक्षता को बढ़ावा देगा।
    - **अवसंरचना का विस्तार:** उच्च-वोल्टेज संप्रेषण लाइनों में निवेश करना सुनिश्चित करेगा कि देश भर में बिजली वितरण कुशलतापूर्वक हो।
    - **बैटरी स्टोरेज समाधान को बढ़ावा देना:** ग्रिड-स्तरीय बैटरी स्टोरेज का विकास सौर ऊर्जा आपूर्ति को प्रबंधित करने में मदद करेगा और ग्रिड की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा।
    - **वितरण कंपनियों (DISCOMs) को मजबूत करना:** अवसंरचना का उन्नयन, अप्रभावी वितरण कंपनियों का निजीकरण और बिलिंग प्रणालियों का सुधार ऊर्जा वितरण की दक्षता को सुधार सकते हैं।

## निष्कर्ष:

भारत की 100 GW सौर क्षमता की प्राप्ति उसके स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकारी समर्थन, तकनीकी प्रगति और घरेलू निर्माण में निवेश के साथ, भारत 2030 तक अपने 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में है। निर्माण पर निर्भरता, वित्तपोषण की खामियाँ और सौर कचरे के प्रबंधन जैसी चुनौतियों को संबोधित करके, भारत अपने वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य में नेतृत्व को और मजबूत कर सकता है और एक अधिक सतत और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र स्तर

### संदर्भः

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार पिघलते ग्लेशियरों के कारण इस सदी में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 2 सेमी की वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 25 वर्षों में, ग्लेशियरों में वार्षिक आधार पर 273 बिलियन टन बर्फ की कमी हो रही हैं, जिससे समुद्र स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

### मुख्य बिंदुः

- अध्ययन इस वृद्धि को प्रेरित करने वाले दो प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालता हैः
  - » **पिघलते ग्लेशियर/बर्फ की चादरेंः** वर्ष 2000 से अब तक, ग्लेशियरों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बर्फ का 2% से 39% तक हिस्सा खो दिया है। इस कारण समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है।
  - » **समुद्री जल का ऊष्मीय विस्तारः** बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण समुद्री जल गर्म होकर फैलता है। समुद्र स्तर में हो रही कुल वृद्धि का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा इसी कारण हो सकता है।

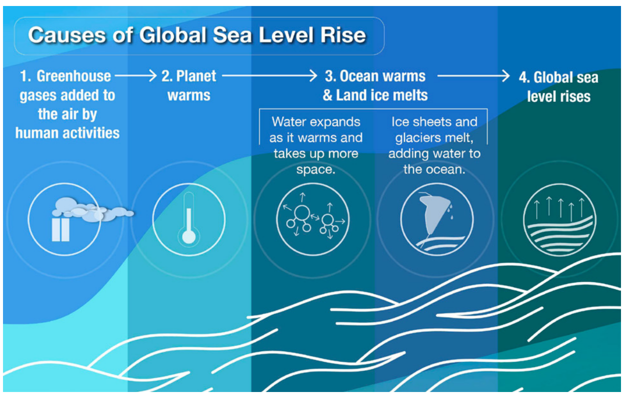


### वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानः

- साल 1880 से अब तक, वैश्विक समुद्र स्तर में 21 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई है। समुद्र स्तर वृद्धि की दर 1993 में 0.18 सेमी प्रति वर्ष थी, जो अब बढ़कर 0.42 सेमी प्रति वर्ष हो गई है। सभी क्षेत्रों में प्रभाव समान नहीं है। दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र स्तर वृद्धि 2.5 मिमी/वर्ष दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।

### तटीय शहरों पर प्रभावः

- भारत के तटीय शहरों पर समुद्र स्तर में वृद्धि का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मुंबई में 1987 से 2021 के बीच समुद्र स्तर में 4.44 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। हल्दिया, विशाखापत्तनम और कोच्चि जैसे शहरों में भी समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय बुनियादी ढांचे और समुदायों को खतरा है।

### चिंताएँ और परिणामः

समुद्र के स्तर में वृद्धि मानव आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करती है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैंः

- **तटीय बाढ़ और भूमि क्षरणः** समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय कटाव और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ती हैं, जिससे तट पर रहने वाले समुदायों का विस्थापन होता है।
  - » **केस स्टडीः** 1990 से 2016 के बीच, पश्चिम बंगाल तट ने लगभग 99 वर्ग किलोमीटर भूमि खो दी, जो समुद्र स्तर में वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण है।
- **वैश्विक भेद्यता (Vulnerability)ः** 2024 के एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक आबादी का 29% हिस्सा तट से 50 किलोमीटर के अंदर और 15% लोग सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यह आबादी बढ़ते समुद्र स्तर के कारण बाढ़, विस्थापन और आजीविका के नुकसान के उच्च जोखिम का सामना कर रही है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र को खतराः** समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तूफानों की तीव्रता बढ़ती है, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के दौरान समुद्री जल और अधिक अंदर तक प्रवेश करता है। इससे मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और दलदल जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं, जो जैव विविधता संरक्षण और मीठे पानी की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं।
- **जल प्रदूषण में वृद्धिः** समुद्र का खारा पानी जब अंतर्देशीय जल स्रोतों में प्रवेश करता है, तो यह पीने के पानी की आपूर्ति को दूषित कर सकता है। इससे तटीय इलाकों में जल संकट बढ़ सकता है, जिससे दैनिक जीवन और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

### निष्कर्षः

समुद्र स्तर में इस निरंतर वृद्धि का प्रमुख कारण ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्री जल का ऊष्मीय विस्तार है। यह विशेष रूप से तटीय शहरों और कमजोर आबादी के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस संकट से बचने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन शमन उपायों को तत्काल लागू करना आवश्यक है।

## पीटलैंड पर बढ़ता संकट

### संदर्भः

हाल ही में जर्नल कंजर्वेशन लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पीटलैंड, जो दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में अधिक

कार्बन संग्रहीत करते हैं, अपर्याप्त रूप से संरक्षित हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि विश्व के कम से कम 27% पीटलैंड स्वदेशी समुदायों की भूमि पर स्थित हैं, जहां पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से इनका संरक्षण किया गया है।

## अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **सीमित संरक्षण:** केवल 17% पीटलैंड संरक्षित क्षेत्रों में हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा कठोर नियमों के कारण संरक्षित हैं।
- **क्षेत्र के अनुसार संरक्षण:**
  - » शीतोष्ण पीटलैंड का 16% हिस्सा संरक्षित है।
  - » समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय पीटलैंड का 27% भाग संरक्षित है।
  - » उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल 8% पीटलैंड को सख्ती से संरक्षित किया गया है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** भारत और चीन जैसे देश अपने पीटलैंड की सुरक्षा के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तर के संरक्षण उपाय अपनाते हैं।
- **अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों से तुलना:** पीटलैंड अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे मैंग्रोव (42% संरक्षित), नमक दलदल (50% संरक्षित) और उष्णकटिबंधीय वन (38% संरक्षित) की तुलना में कम संरक्षित हैं।

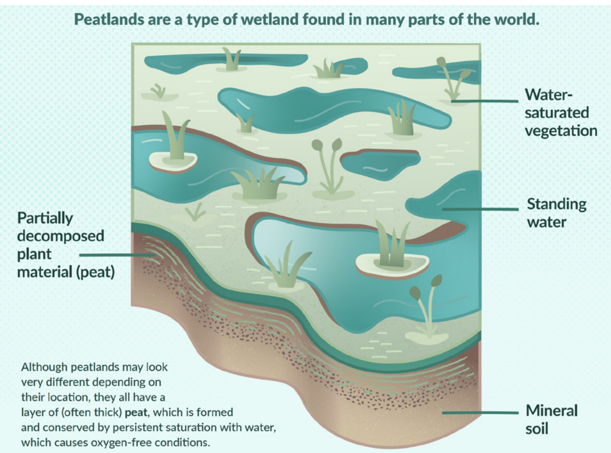


## पीटलैंड के बारे में:

- पीटलैंड एक प्रकार की आर्द्रभूमि (Wetland) है, जहाँ सड़े हुए पौधों के अवशेष धीरे-धीरे जमा होकर पीट की मोटी परतें बनाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से पौधों के अवशेषों के अधूरे अपघटन के कारण विकसित होते हैं, जो जलभराव (Waterlogging) और उसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की कमी (Anoxia) के कारण होता है।
- पीटलैंड विशिष्ट भू-आकृतियाँ हैं, जो भौतिक प्रक्रियाओं की तुलना में जैविक प्रक्रियाओं से अधिक प्रभावित होती हैं, जो समय के साथ विकसित होने के साथ विशिष्ट आकार और सतह पैटर्न प्रदर्शित करती हैं।

## पीटलैंड का महत्व:

- **कार्बन भंडारण:** पीटलैंड, पृथ्वी की भूमि का केवल 3% हिस्से को कवर करते हुए भी, भूमि पर सबसे अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं।
- **प्राकृतिक शोधक (फिल्टर):** ये प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और पर्यावरणीय आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
- **जैव विविधता और आजीविका:** पीटलैंड, मीठे पानी की मछलियों और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित विभिन्न जीवों का संरक्षण करते हैं, साथ ही स्थानीय समुदायों को भोजन और ईंधन उपलब्ध कराते हैं।

## पीटलैंड के लिए खतरे:

- **पीटलैंड क्षरण और कार्बन उत्सर्जन:** पीटलैंड के क्षरण से भारी मात्रा में $CO_2$ उत्सर्जित होता है, जो वैश्विक मानवजनित $CO_2$ उत्सर्जन का लगभग 5% योगदान देता है।
- **अत्यधिक चराई:** पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पीटलैंड अत्यधिक चराई के कारण अधिक क्षरण के जोखिम में रहते हैं।
- **पीट निष्कर्षण:** ईंधन और बागवानी में उपयोग के लिए पीट निकाला जाता है, जिससे प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है।

## पीटलैंड की सुरक्षा के लिए पहल:

- **वैश्विक पीटलैंड पहल:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में, इस पहल का उद्देश्य संरक्षण प्रयासों में तेजी लाना है।
- **रामसर कन्वेंशन (1971):** यह पीटलैंड सहित आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं।
- **आर्द्रभूमि कायाकल्प कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया हैं। यह पूरे भारत में 500 से अधिक आर्द्रभूमियों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है।
- **अमृत धरोहर योजना:** यह योजना भारत में आर्द्रभूमि के उपयोग को अनुकूलित करने, पीटलैंड संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने पर केंद्रित है।

## निष्कर्ष:

पीटलैंड महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, लेकिन उनका संरक्षण पर्याप्त नहीं है। इनके पर्यावरणीय लाभ, जैव विविधता और कार्बन भंडारण क्षमता की रक्षा के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।

# दिल्ली की भूकंपीय संवेदनशीलता

## संदर्भ:

हाल ही में देश की राजधानी नई दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र धौला कुआं के पास था। इस घटना ने शहर के

भूकंपीय जोखिम को उजागर किया। दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र IV में स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह भूकंप के लिए एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। हालाँकि यह सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर नहीं है, फिर भी फॉल्ट लाइनों और भूवैज्ञानिक कारकों के कारण यहां भूकंपीय गतिविधि बनी रहती है।

## कारण और प्रभाव:

- हिमालय में आने वाले भूकंप मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव और गतिशीलता के परिणामस्वरूप होते हैं। हालांकि, हाल ही में दिल्ली में आया भूकंप एक इंट्रा-प्लेट (Intra-plate) घटना थी, जिसका अर्थ है कि यह भूकंप किसी टेक्टोनिक प्लेट की सीमा (बॉर्डर) पर नहीं, बल्कि उसके आंतरिक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।
- इस प्रकार की घटनाएँ आमतौर पर जमीन के अंदर चट्टानों की संरचना, घनत्व में भिन्नता और उनमें उपस्थित द्रव के अंतर के कारण होती हैं। इन भौतिक अंतरों की वजह से पृथ्वी की सतह के नीचे तनाव बढ़ता है, जो फॉल्ट जोन (Fault Zone) में दबाव बनाकर स्थानीय स्तर पर भूकंप का कारण बनता है।

## फॉल्ट पर इन-सीटू विषमता के प्रभाव:

- **भूगर्भीय दबाव में वृद्धि:** जमीन के अंदर चट्टानों में अंतर (जैसे उनकी बनावट और घनत्व) की वजह से फॉल्ट जोन में दबाव बढ़ जाता है, जिससे भूकंप आने की संभावना बढ़ती है।
- **सीमित क्षेत्र में कंपन:** ऐसे भूकंप बड़े टेक्टोनिक बदलाव से नहीं जुड़े होते, लेकिन भूकंप के केंद्र के आसपास तेज झटके महसूस होते हैं।

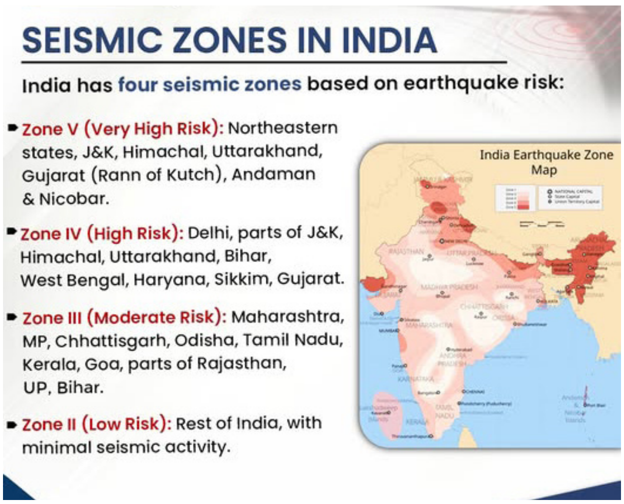


## दिल्ली को प्रभावित करने वाली फॉल्ट लाइन्स:

- **हिमालयी भूकंपीय बेल्ट:**
  - हालाँकि दिल्ली हिमालय से काफी दूर है, लेकिन इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप अक्सर शहर को प्रभावित करते हैं।
  - मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) और मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) प्रमुख फॉल्ट लाइन्स हैं, जो हिमालयी क्षेत्र में आने वाले बड़े भूकंपों के लिए जिम्मेदार हैं।
  - 1905 का कांगड़ा भूकंप और 2015 का नेपाल भूकंप (दोनों की तीव्रता 7.8) जैसे शक्तिशाली भूकंप दिल्ली में भी स्पष्ट रूप से महसूस किए गए थे।
- **दिल्ली-हरिद्वार रिज और अरावली फॉल्ट:**
  - दिल्ली-हरिद्वार रिज शहर के नीचे गहराई तक फैला हुआ है, जिससे यह इंट्रा-प्लेट भूकंप के लिए संवेदनशील बनती है।
  - अरावली-दिल्ली फॉल्ट एक गहरी भूमिगत फॉल्ट लाइन है, जो दिल्ली और उसके आसपास के पिछले भूकंपों के लिए जिम्मेदार रही है।

## भूकंप के प्रभाव में मिट्टी की भूमिका:

- दिल्ली की अधिकांश भूमि नरम जलोढ़ मिट्टी से बनी है, जो कठोर चट्टानों की तुलना में भूकंपीय तरंगों को अधिक प्रभावी रूप से बढ़ा देती है। इसके परिणामस्वरूप, झटके अधिक तीव्र महसूस होते हैं और संरचनात्मक क्षति (Structural Damage) का खतरा बढ़ जाता है।

## भूकंपीय क्षेत्र:

- भूकंपीय क्षेत्र किसी क्षेत्र में भूकंप के जोखिम को दर्शाते हैं, जो पिछली भूकंपीय गतिविधियों और भूवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
  - क्षेत्र II – कम जोखिम
  - क्षेत्र III – मध्यम जोखिम
  - क्षेत्र IV – उच्च जोखिम (दिल्ली इस श्रेणी में आता है)
  - क्षेत्र V – सबसे अधिक जोखिम

## जोन IV में होने का अर्थ:

- भूकंप के दौरान दिल्ली में तेज झटके आने की संभावना अधिक रहती है।
- अपेक्षित भूकंप की तीव्रता MSK-8 (तीव्रता स्केल का एक स्तर) के आसपास हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति होने की संभावना है।
- दिल्ली में इमारतों को संरचनात्मक मजबूती के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे तीव्र भूकंपीय झटकों का प्रभावी रूप से सामना कर सकें।

## उथले भूकंप और उनका प्रभाव:

- नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, दिल्ली में आया भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था, जिससे यह एक उथला भूकंप (Shallow Earthquake) बन गया।
- **उथले भूकंप (0-70 किलोमीटर गहराई):** ये अधिक नुकसानदायक होते हैं क्योंकि ये सतह के करीब ही अपनी अधिकांश ऊर्जा छोड़ते हैं।
- **मध्यम गहराई के भूकंप (70-300 किलोमीटर):** ये सतह

तक पहुँचने से पहले अपनी कुछ ऊर्जा गंवा देते हैं, जिससे इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है।

- **गहरे भूकंप (300-700 किलोमीटर):** इनकी ऊर्जा सतह तक पहुँचते-पहुँचते कमजोर हो जाती है, जिससे इनका प्रभाव न्यूनतम रहता है।

### निष्कर्षः

दिल्ली की घनी आबादी, पुरानी इमारतें और नरम मिट्टी इसे भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं। जोखिम को कम करने के लिए, सख्त भवन नियम, पुरानी संरचनाओं को फिर से बनाना, भूकंप जागरूकता कार्यक्रम और मजबूत आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली आवश्यक हैं। ये सक्रिय उपाय भविष्य में संभावित भूकंपों से जनहानि एवं बुनियादी ढांचे की क्षति को न्यूनतम करने में सहायक होंगे।

## भारत का पहला इंटरटाइडल बायोब्लिट्ज

### संदर्भः

हाल ही में इंटरटाइडल बायोब्लिट्ज नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्री जीवन का व्यापक दस्तावेजीकरण करना था। इस पहल का आयोजन तटीय संरक्षण फाउंडेशन और ईस्ट कोस्ट कंजर्वेशन टीम द्वारा किया गया। इसमें मुंबई, अंडमान, गोवा और विशाखापत्तनम के शोधकर्ता, नागरिक वैज्ञानिक और संरक्षणवादी शामिल हुए। इस अभियान ने इंटरटाइडल पारिस्थितिकी तंत्रों 'जो जैव विविधता से समृद्ध होने के बावजूद अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं' की महत्ता को उजागर किया।

### प्रमुख खोजें और निष्कर्षः

- इंटरटाइडल प्रजातियों पर केंद्रित यह पहली राष्ट्रव्यापी पहल दस दिनों तक चली। iNaturalist, जो एक वैश्विक नागरिक विज्ञान मंच है, के माध्यम से 3,600 से अधिक अवलोकन दर्ज किए गए और 514 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष भारत के तटीय क्षेत्रों की समृद्ध समुद्री जैव विविधता को उजागर करते हैं और भविष्य में अधिक शोध एवं संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- **भारत में स्यूडोसेरोस बिफासिया का पहला रिकॉर्डः**
  - » बायोब्लिट्ज के दौरान एक महत्वपूर्ण खोज स्यूडोसेरोस बिफासिया की पहचान थी, जो मुख्य भूमि भारत से दर्ज की जाने वाली पहली फ्लैटवर्म प्रजाति है। इससे पहले, इस प्रजाति का अस्तित्व केवल लक्षद्वीप में दर्ज किया गया था।
  - » विशाखापत्तनम में इसकी उपस्थिति दर्ज होने से इसकी सीमा का विस्तार हुआ है और देश के पूर्वी तट पर समुद्री अनुसंधान को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
- **विशाखापत्तनम में मिली दुर्लभ प्रजातियाँः**
  - » विशाखापत्तनम में 1,533 से अधिक अवलोकन किए गए, जिनमें 227 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। इस अध्ययन के दौरान पहले से अवर्णित दो प्रजातियों को दर्ज किया गया, साथ ही इस क्षेत्र में दस से अधिक प्रजातियों का पहली बार अवलोकन हुआ।
  - » रात के टाइडपूलिंग सत्र के दौरान समुद्री जीवन की उच्च विविधता देखी गई, जिसमें तितली मछली, साही मछली, सर्जनफिश, मोरे ईल और एक किशोर एंजेल मछली जैसी प्रजातियाँ शामिल थीं।
- **मुंबई और गोवा से जैव विविधताः**
  - » महानगरीय क्षेत्र में तटीय संरक्षण फाउंडेशन के नेतृत्व में 120 प्रजातियाँ दर्ज की गई वही मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में 80 प्रजातियाँ दर्ज की गई।
  - » उल्लेखनीय प्रजातियों में ओल्ड-वुमन ऑक्टोपस, नारंगी-धारीदार हर्मिट केकड़ा, मैंग्रोव लीफ स्लग, टाइगर मून स्नेल और हाईफिन मोरे ईल शामिल हैं।
- **अंडमान द्वीप समूह में अंतर-ज्वारीय खोजेंः**
  - » अंडमान के अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में तीन अलग-अलग स्थानों पर 70 से अधिक प्रजातियों को दर्ज किया गया। उल्लेखनीय दृश्यों में बबल स्नेल, फ्लैटवर्म, समुद्री स्लग, मोरे ईल, एक ऑक्टोपस और एक किशोर स्टिंगरे शामिल थे।
  - » अंडमान क्षेत्र का अद्वितीय प्रवाल परिदृश्य महाराष्ट्र और गोवा के स्पंज और हाइड्रोइड-समृद्ध तटरेखाओं से काफी अलग है।

### संरक्षण संबंधी चिंताएँः

- **अंडमान के प्राकृतिक पुल पर आवास क्षरणः** अत्यधिक पर्यटक गतिविधियाँ समुद्री आवासों को नुकसान पहुँचा रही हैं पुल के पास मेंटिस झींगा और केकड़े जैसी प्रजातियाँ मानव उपस्थिति के अनुकूल हो रही हैं और अधिक साहसी बन रही हैं।
- **कोरल ब्लीचिंग का प्रभावः** 2024 की वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना ने अंडमान में कोरल को बुरी तरह प्रभावित किया। संरक्षणवादी दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए पुनर्प्राप्ति प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं।
- **प्रजातियों के वितरण में बदलावः** अंडमान के ज्वार-भाटी क्षेत्रों में पर्ल समुद्री एनीमोन (Pearl Sea Anemone) की जगह दूसरे समुद्री एनीमोन (Carpet Sea Anemone) ले रहे हैं, जो संभावित पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत देता है।

### निष्कर्षः

इंटरटाइडल बायोब्लिट्ज ने भारत में भविष्य के समुद्री जैव विविधता अनुसंधान की आधारशिला रखी है। नियमित निगरानी से प्रजातियों में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने, मानवीय प्रभाव का आकलन करने और संरक्षण प्रयासों को दिशा देने में मदद मिल सकती है। यह उद्घाटन कार्यक्रम एक वार्षिक परंपरा की शुरुआत को

दर्शाता है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है।

## भारत में अफ्रीकी चीतों के पुनर्स्थापन पर चिंताएँ

### संदर्भ:

हाल ही में फ्रंटियर्स इन कंजर्वेशन साइंस में प्रकाशित सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज (CWS) के एक अध्ययन में भारत में अफ्रीकी चीतों के बसाने को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई गई हैं। 'भारत में प्रायोगिक चीता पुनर्स्थापन परियोजना के पर्यावरणीय न्याय निहितार्थ' नामक इस अध्ययन में परियोजना के पर्यावरण, नैतिकता और पशु कल्याण से जुड़े प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं। अध्ययन के अनुसार, यह परियोजना दीर्घकालिक रूप से कितनी सफल होगी, इस पर संदेह बना हुआ है।

### मुख्य निष्कर्ष:

- **उच्च मृत्यु दर:** इस परियोजना में अपेक्षा से कहीं अधिक मृत्यु दर देखी गई है। जबकि लक्षित उत्तरजीविता दर 85% थी, वास्तविक आँकड़े पहले चरण में 40% से 50% मृत्यु दर दिखाते हैं।
- **अनुकूलन का अभाव और तनाव:** नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को नए वातावरण में काफी तनाव का सामना करना पड़ा है। उनकी निरंतर चिकित्सा निगरानी यह संकेत देती है कि वे नए परिवेश में आसानी से अनुकूलित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनके समग्र कल्याण को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- **पारिस्थितिकीय अस्थिरता:** जंगल में केवल लगभग 6,500 वयस्क अफ्रीकी चीते बचे हैं, इसलिए दक्षिणी अफ्रीका से उनकी निरंतर आपूर्ति पर निर्भर रहना एक अस्थायी समाधान है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने से पहले से ही संकटग्रस्त चीता आबादी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
- **नैतिक चिंताएँ:** परियोजना के तहत चीतों को उनके प्राकृतिक आवासों से स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे नैतिक प्रश्न उठ रहे हैं। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि प्रायोगिक पुनर्वास के लिए पहले से ही संकटग्रस्त चीता आबादी को हटाना संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के बजाय और अधिक जटिल बना सकता है।
- अध्ययन एक अधिक समावेशी संरक्षण दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो विविध ज्ञान प्रणालियों, सांस्कृतिक मूल्यों और स्थानीय समुदायों की वन्यजीवों के प्रति धारणा को शामिल करता है। अध्ययन स्थानांतरण पर निर्भर रहने के बजाय, यह ऐसे साझा स्थानों को बढ़ावा देने का सुझाव देता है, जहाँ मनुष्य और वन्यजीव बिना किसी परेशानी या संघर्ष के सह-अस्तित्व में रह सकें। इसके अलावा, संरक्षण रणनीतियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि टिकाऊ और नैतिक वन्यजीव प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

### प्रोजेक्ट चीता के बारे में:

- 2022 में शुरू हुई इस परियोजना का उद्देश्य अफ्रीका से चीते लाकर, भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः स्थापित करना है।
- इस पहल का लक्ष्य पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
- चीतों का पहला जत्था 2022 में नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क लाया गया, जबकि दूसरा जत्था 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया।

### निष्कर्ष:

अफ्रीकी चीतों का भारत में स्थानांतरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और नैतिक चिंताएँ शामिल हैं। यह परियोजना एक समग्र संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पशु कल्याण को भी प्राथमिकता दे। आगे की रणनीतियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, ताकि यह पहल दीर्घकालिक रूप से वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों, दोनों के लिए

लाभकारी सिद्ध हो।

# केरल में बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष

## संदर्भः

हाल ही में मानव-वन्यजीव संघर्ष में तेजी से वृद्धि देखी गई है। केरल के वायनाड जिले में 48 घंटे के भीतर हाथियों के हमले में चार लोगों की मृत्यु हो गई। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन की मांग उठी है, ताकि मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी नीतिगत कदम उठाए जा सकें।

## मानव–वन्यजीव संघर्ष की गंभीरताः

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच जंगली जानवरों के हमलों में 460 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 4,527 लोग घायल हुए।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 2019 से 2024 के बीच भारत में हाथी हमलों से 2,833 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें अकेले 2023-24 में 629 मौतें हुई। 2024 में केरल में हाथियों के हमले से 102 मौतें दर्ज की गई।

## केरल में हाल की घटनाएँः

- **वायनाड में हाथी का हमला (2024):** 48 घंटों में चार लोगों की मौत, जिनमें अट्टमाला गाँव के 27 वर्षीय युवक की मृत्यु भी शामिल है।
- **बाघ का हमला (24 जनवरी 2024):** एक आदिवासी महिला, जो कॉफी बागान में काम कर रही थी, बाघ के हमले का शिकार हो गई।
- इन घटनाओं ने प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है।

## चिंताएँ और चुनौतियाँः

- मौजूदा कानूनों के तहत मानव सुरक्षा खतरे में है।
- किसान और बागान मजदूर हमलों के डर से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
- जंगली सूअर केला, अदरक, हल्दी और कसावा जैसी प्रमुख फसलों को नष्ट कर रहे हैं।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन पर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है।

## राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकताः

- इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:
  - » एक संगठित संघर्ष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।
  - » राज्य स्तर पर मजबूत वन्यजीव प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए।
  - » संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कानूनी सुधार किए जाएं।

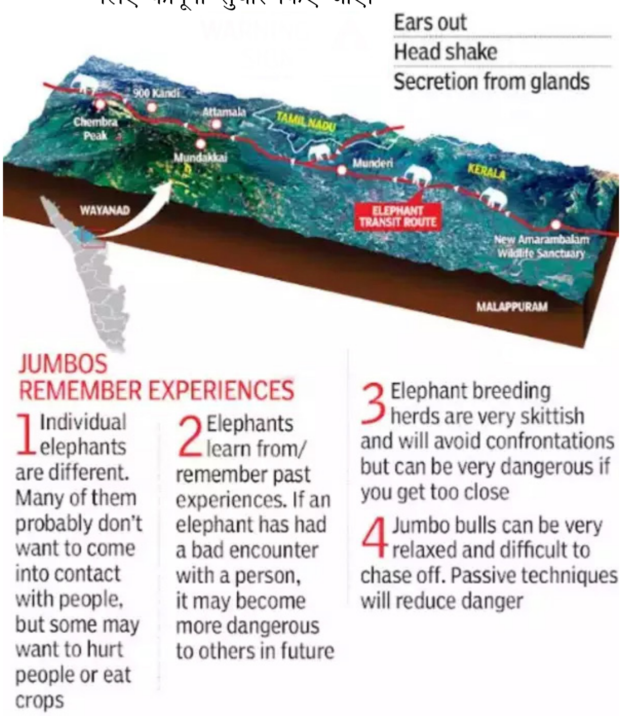


## वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 से जुड़ी समस्याएँ

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 का उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण करना और जैव विविधता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना है। लेकिन इसमें कई खामियाँ हैं:
  - » कमजोर प्रवर्तन और भ्रष्टाचार इसके प्रभाव को कम करता है।
  - » यह वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुरूप नहीं है।
  - » अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित प्रजातियों के व्यापार पर कोई सख्त दंड नहीं है।
  - » आईयूसीएन (IUCN) द्वारा सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों को इसमें मान्यता नहीं दी गई है।
  - » प्रवासी प्रजातियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती, जबकि वे लंबे समय तक भारत में रहती हैं।
  - » इसके कुछ प्रावधान मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ाते हैं।

## निष्कर्षः

केरल में बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष एक राष्ट्रीय संकट का हिस्सा है। बढ़ती मौतें और आर्थिक नुकसान त्वरित नीतिगत हस्तक्षेप की माँग करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन और बेहतर प्रबंधन रणनीतियाँ अपनाना आवश्यक है, ताकि वन्यजीव संरक्षण और

मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके। इस विषय पर जारी चर्चाएँ संघर्ष को कम करने के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेंगी।

# मरीन हीटवेव्स

## सन्दर्भ:

हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर मरीन हीटवेव्स के कारण 30,000 से अधिक मछलियाँ मारी गईं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार की घटनाएँ 100 गुना अधिक संभावित हो गई हैं। यह सागरी गर्मी की लहर, जो सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, अब और भी तीव्र हो गई है, जिसमें समुद्र की सतह का तापमान (SST) कुछ क्षेत्रों में औसत से 2°C या उससे अधिक बढ़ चुका है। यह घटना क्षेत्र के इतिहास में 2010–11 की चरम घटना के बाद दूसरी सबसे गंभीर सागरी गर्मी की लहर मानी जा रही है।

## मरीन हीटवेव्स क्या हैं?

- मरीन हीटवेव्स तब होती हैं जब समुद्र की सतह का तापमान औसत से 3–4°C अधिक हो जाता है और यह स्थिति कम से कम पाँच दिनों तक लगातार बनी रहती है, जो सप्ताहों, महीनों या वर्षों तक चल सकती है। पिछले कुछ दशकों में, सागरी गर्मी की लहरें लंबी, अधिक आवर्ती और तीव्र हो गई हैं। शोध से यह पता चला है:
    - » 1982 से मरीन हीटवेव्स के दिन दोगुने हो गए हैं।
    - » पिछली एक दशक में मरीन हीटवेव्स में 50% का वृद्धि हुई है, जैसा कि 2021 IUCN रिपोर्ट में बताया गया है।

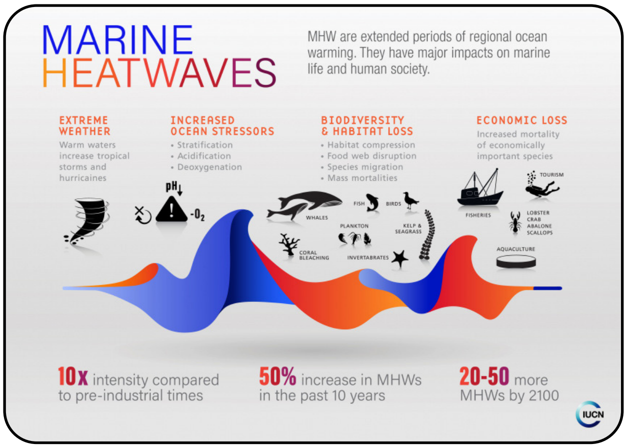


## मरीन हीटवेव्स की तीव्रता क्यों बढ़ी है?

- इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि महासागर अतिरिक्त गर्मी का 90% अवशोषित करते हैं। 1850 से अब तक, वैश्विक समुद्र सतह का तापमान (SST) लगभग 0-9°C बढ़ चुका है और पिछले चार दशकों में यह वृद्धि तेजी से हुई है। भविष्यवाणियाँ यह संकेत करती हैं कि वैश्विक तापन के साथ सागरी गर्मी की लहरें तीव्र रूप से बढ़ेंगी।

## मरीन हीटवेव्स का प्रभाव:

- मरीन हीटवेव्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं:
    - » **मछलियों की मौत और आवास का विनाश:** 2010–11 की मरीन हीटवेव्स की लहर ने बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत और केलप जंगलों को समाप्त किया।
    - » **कोरल ब्लीचिंग:** यह प्रवाल भित्तियों को कमजोर करता है, जो समुद्री जीवन के लिए खतरनाक है। 2024 में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी सातवीं सामूहिक ब्लीचिंग घटना का सामना किया।

## आगे की राह:

जलवायु परिवर्तन के कारण मरीन हीटवेव्स तीव्र होने की संभावना है, जो समुद्री संरक्षण के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने और महासागर पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि तापमान में वृद्धि इस प्रकार जारी रही, तो मरीन हीटवेव्स पृथ्वी के महासागरों में एक स्थायी और विनाशकारी कारक बन जाएंगी, जिनसे निपटने के लिए तुरंत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

# पवित्र वन (Sacred Groves)

## संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पवित्र वन (Sacred Groves) को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA), 1972 के तहत वन के रूप में मान्यता देने और उनका मानचित्रण (mapping) करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से सामुदायिक अधिकारों और पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

## वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बीच संघर्ष:

- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, ग्राम सभाओं के तहत सामुदायिक वन संसाधनों को मान्यता देता है, जिससे स्थानीय समुदायों को उनके प्रबंधन का अधिकार मिलता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पवित्र वनों को सरकार के नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है, जिससे पारंपरिक संरक्षण परंपराओं में बाधा आ सकती है और समुदाय के अधिकारों का हनन हो सकता है। भारत में अनुमानित 100,000 से 150,000 पवित्र वन हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मध्य पठार और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हैं, और इनकी संख्या विश्व में सर्वाधिक है।

## पवित्र वन:

- पवित्र वन वे वन क्षेत्र हैं जिन्हें समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता

है और जिनका सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व अत्यधिक होता है। ये वन पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों के माध्यम से संरक्षित किए जाते हैं तथा जैव विविधता के हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots) के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, ये जल पुनर्भरण (Water Recharge) के महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में योगदान देते हैं।

## सुप्रीम कोर्ट का मामला:

- टी.एन. गोदावरमन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1996) के ऐतिहासिक मामले में यह निर्धारित किया गया था कि जो भी भूमि वन के गुणों को प्रदर्शित करती है, उसे वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- 2004 में, राजस्थान की एक विशेषज्ञ समिति ने पवित्र वनों को केवल तभी वन के रूप में मान्यता दी थी जब वे कम से कम 5 हेक्टेयर में फैले हों और प्रत्येक हेक्टेयर में 200 से अधिक पेड़ मौजूद हों।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का 18 दिसंबर 2024 का फैसला इन शर्तों को नकारते हुए यह निर्देश देता है कि सभी पवित्र वनों का मानचित्रण किया जाए, उन्हें वन के रूप में वर्गीकृत किया जाए और उन्हें सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र (community reserves) के रूप में घोषित किया जाए।

## पवित्र वनों का महत्व:

- **जैव विविधता संरक्षण:** पवित्र वन दुर्लभ और स्थानिक (Endemic) प्रजातियों का संरक्षण करते हैं और आनुवंशिक भंडार (Genetic Reservoirs) के रूप में कार्य करते हैं।
- **जल संरक्षण:** कई पवित्र वन झरनों, तालाबों और नदियों से जुड़े होते हैं, जो जलभृत पुनर्भरण (Aquifer Recharge) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **मृदा संरक्षण और जलवायु नियमन:** घनी वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करती है, मृदा अपरदन (soil erosion) को रोकती है और भूमि संरक्षण में सहायक होती है।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व:** ये वन स्थानीय परंपराओं, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं (Spiritual Practices) से गहरे जुड़े होते हैं।
- **आपदा निवारण:** पवित्र वन जलवायु अनुकूलनशीलता (climate resilience) में योगदान देते हैं और बाढ़, सूखा तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं को कम करने में सहायक होते हैं।

## पवित्र वनों की चुनौतियाँ:

- **शहरीकरण और अतिक्रमण:** बढ़ता शहरीकरण और अवसंरचना विकास परियोजनाएँ पवित्र वनों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं।
- **पारंपरिक विश्वासों में गिरावट:** आधुनिकीकरण और स्थानीय ज्ञान के क्षय के कारण समुदाय-आधारित संरक्षण प्रयास कमजोर पड़ रहे हैं।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** लैंटाना कैमारा (Lantana camara) और प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा (Prosopis juliflora) जैसी गैर-स्थानीय प्रजातियाँ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही हैं।
- **सरकारी नीतियाँ और कानूनी संघर्ष:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) के तहत सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की परिभाषा और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत समुदायों के अधिकारों के बीच संघर्ष प्रशासनिक जटिलताओं को जन्म दे रहा है।

## निष्कर्ष:

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन इससे समुदाय के अधिकारों और पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रथाओं के बाधित होने का खतरा उत्पन्न होता है। पवित्र वनों के सतत संरक्षण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो आदिवासी परंपराओं का सम्मान करते हुए मजबूत पारिस्थितिकीय संरक्षण सुनिश्चित करें।

# उत्तरी ध्रुव के तापमान में वृद्धि

## संदर्भ:

हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में तापमान में असामान्य वृद्धि देखी गई है और फरवरी 2025 में एक विशेष रूप से चिंताजनक घटना सामने आई। 2 फरवरी 2025 को, उत्तर ध्रुव पर तापमान औसत से 20°C से अधिक बढ़ गया, जो सामान्य ठंडे मौसम से एक गंभीर विचलन था। यह असामान्य गर्मी की घटना जलवायु संकट की गंभीरता को प्रदर्शित करती है, 1979 के बाद से आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत तापमान से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है।

## आर्कटिक इतना जल्दी क्यों गर्म हो रहा है?

- आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से गर्मी का मुख्य कारण एल्बिडो प्रभाव

(Albedo effect) है। समुद्री बर्फ, जिसकी सतह सफेद होती है, सूरज की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, जिससे तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हालांकि, जैसे-जैसे बर्फ पिघलती है, गहरा पानी या भूमि दिखाई देने लगती है, जो ज्यादा गर्मी सोखती है और गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है। इस चक्र को 'सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र' (Positive Feedback Loop) कहा जाता है, जो क्षेत्र में तापमान वृद्धि को बढ़ा देता है।

- इसके अतिरिक्त, आर्कटिक में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों (Tropical Regions) के मुकाबले कम कंवेक्शन (Convection) होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, सूरज की रोशनी सीधे सतह को गर्म करती है, जिसके कारण गर्म हवा ऊपर उठती है और गर्मी का पुनर्वितरण (redistribution of heat) होता है। इसके विपरीत, आर्कटिक में कंवेक्शन की कमी (lack of convection) के कारण गर्मी सतह के पास ही संकेंद्रित रहती है, जिससे तापमान में और वृद्धि होती है।

## आर्कटिक गर्म होने के वैश्विक परिणाम:

आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे पृथ्वी ग्रह का 'फ्रिज' भी कहा जाता है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र गर्म हो रहा है, यह अपनी शीतलन क्षमता खोता जा रहा है, जिसके वैश्विक परिणाम दूरगामी हो सकते हैं:

- **समुद्र स्तर में वृद्धि:** आर्कटिक बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बन रही है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है और निचले क्षेत्रों की अवसंरचना को नुकसान पहुँचता है।
- **मौसम पैटर्न में व्यवधान:** समुद्री बर्फ की हानि और आर्कटिक के बाद में गर्म होने से वायुमंडलीय परिसंचरण में व्यवधान आ सकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में अधिक चरम मौसम घटनाएँ हो सकती हैं। इनमें भीषण सर्दियाँ, तेज गर्मी की लहरें और अप्रत्याशित तूफान शामिल हो सकते हैं।
- **सामुद्रिक जीवन पर प्रभाव:** आर्कटिक बर्फ के पिघलने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है, जो बर्फ से ढकी जलधाराओं की स्थिरता पर निर्भर करता है। इसका जैव विविधता और वैश्विक मत्स्य पालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

## निष्कर्ष:

फरवरी 2025 में उत्तरी ध्रुव पर जो तापमान में असामान्यता देखी गई, वह जलवायु परिवर्तन की तेज गति को दिखाती है, विशेषकर आर्कटिक क्षेत्र में। एल्बिडो प्रभाव, कंवेक्शन की कमी और महासागरीय बदलावों का मिलाजुला असर गर्मी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो आर्कटिक क्षेत्र की शीतलन क्षमता घट सकती है, जिससे वैश्विक मौसम, समुद्र स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। वैश्विक तापमान को कम करने और आर्कटिक क्षेत्र को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। इस क्षेत्र के गर्म होने को रोकना जलवायु को स्थिर रखने और आने वाली पीढ़ियों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है।

# इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस

## संदर्भ:

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) अब एक संधि-आधारित, अंतर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित हो गया है। विदेश मंत्रालय (MEA), जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का डिपोजिटरी है, ने पुष्टि की है कि पाँच देशों 'निकारागुआ गणराज्य, एस्वाटिनी साम्राज्य, भारत गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और लाइबेरिया गणराज्य' ने अपनी स्वीकृति या अनुमोदन के प्रमाणपत्र जमा किए हैं, जिससे ये IBCA के संस्थापक सदस्य बन गए हैं।

## बिग कैट अलायंस के बारे में:

- IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गयी थी।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य सात प्रमुख बिग कैट प्रजातियों 'बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा' का संरक्षण करना है।
- 29 फरवरी 2024 को एक कैबिनेट बैठक में, सरकार ने IBCA की स्थापना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी और इसका मुख्यालय भारत में स्थित होगा।
- IBCA की स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा की गई थी, जोकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक नोडल संगठन है।
- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है, ताकि बिग कैट्स के वैश्विक संरक्षण के लिए सफल प्रथाओं और विशेषज्ञता को एकत्रित किया जा सके।
- वर्तमान में, 27 देशों ने IBCA में शामिल होने की सहमति दी है, जिनमें भारत भी शामिल है, साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन भी हैं, जो वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय हैं।
- IBCA की सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुली है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो इन प्रजातियों के प्राकृतिक आवास हैं और उन देशों के लिए भी जो बिग कैट संरक्षण प्रयासों में सहयोग देना चाहते हैं।

## संरक्षित बिग कैट्स और उनका संरक्षण स्थिति:

| बिग कैट प्रजाति | वैज्ञानिक नाम | IUCN स्थिति | CITES स्थिति | वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **बाघ** | पैंथेरा टाइग्रेस (Panthera tigris) | संकटग्रस्त | परिशिष्ट I | अनुसूची 1 |
| **एशियाई शेर** | पेंथेरा लियो पर्सिका (Panthera Leo persica) | संकटग्रस्त | परिशिष्ट I | अनुसूची 1 |
| **तेंदुआ** | पैंथेरा पार्डस (Panthera pardus) | संकटग्रस्त | परिशिष्ट I | अनुसूची 1 |
| **हिम तेंदुआ** | पैंथेरा उन्सिया (Panthera uncia) | संकटग्रस्त | परिशिष्ट I | अनुसूची 1 |
| **चीता** | एसिनोनिक्स जुबेटस (Acinonyñ jubatus) | संकटग्रस्त | परिशिष्ट I | अनुसूची 1 |
| **जगुआर** | पैंथेरा ओन्का (Panthera onca) | संकटग्रस्त नहीं | परिशिष्ट I | भारत में नहीं पाया जाता |
| **प्यूमा** | प्यूमा कोंकलर (Puma concolor) | कम चिंता की स्थिति | परिशिष्ट I | भारत में नहीं पाया जाता |

# अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर समाप्त

## संदर्भः

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के गंभीर क्षरण का पता चला है, जहां 1988 से 2020 के बीच 110 ग्लेशियरों का पूरी तरह समाप्त हो गये। नागालैंड विश्वविद्यालय और कॉटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन ने हिमालयी ग्लेशियरों के त्वरित रूप से संकुचन (Rapid Retreat) को उजागर किया है, जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान और ग्लेशियर झीलों के फटने (GLOFs) के बढ़ते खतरों को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न करता है।

## अध्ययन के मुख्य निष्कर्षः

- 'जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस' में प्रकाशित, इस अध्ययन ने 32 वर्षों में ग्लेशियरों के पीछे हटने का विश्लेषण करने के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग किया। शोध ने निम्नलिखित रुझानों की पहचान की:
  - » **ग्लेशियर क्षेत्र में कमी:** अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियरों ने 309.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया, जो प्रति दशक 16.94 वर्ग किलोमीटर की दर से कम हो गये।
  - » **ग्लेशियर की संख्या में कमी:** ग्लेशियरों की संख्या 756 से घटकर 646 हो गई, जो ग्लेशियर कवर में 47% की कमी को दर्शाता है।
  - » **भौगोलिक विशेषताएँ:** अध्ययन किए गए अधिकांश ग्लेशियर 4,500 से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थे और उनके ढलान उत्तर दिशा में (15° से 35° तक) थे।
  - » **पर्यावरणीय परिणाम:** इन ग्लेशियरों के पीछे हटने से चट्टानों का खुलासा हुआ और ग्लेशियर झीलों का निर्माण हुआ, जिससे GLOFs (ग्लेशियर झील फटने से उत्पन्न बाढ़) का खतरा बढ़ गया है, जो निचले क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ और विनाश का कारण बन सकता है।

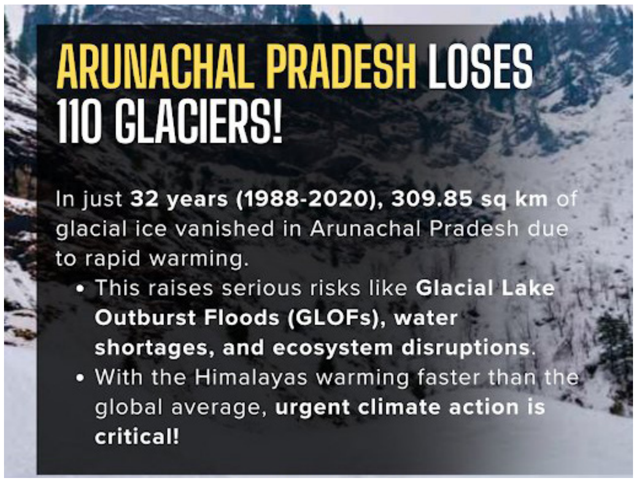


## पूर्वी हिमालय में जलवायु परिवर्तनः

- **तापमान में वृद्धिः** हिमालय में पिछले शताब्दी में 1.6°C की तापमान वृद्धि हुई है और पूर्वी हिमालय में यह दर प्रति दशक 0.1° से 0.8°C तक रही है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।
- **भविष्य की अनुमानित स्थितिः** सदी के अंत तक, इस क्षेत्र में तापमान में 5-6°C की वृद्धि और वर्षा में 20-30% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **छोटे ग्लेशियरों पर प्रभावः** 5 वर्ग किलोमीटर से छोटे ग्लेशियर सबसे तेजी से पीछे हट रहे हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो गए हैं।

## ग्लेशियर झीलें क्या हैं?

- ग्लेशियर झीलें वह जलाशय होती हैं जो बर्फ के पिघलने से बनती हैं और सामान्यतः ये ग्लेशियरों की गति द्वारा बनाए गए अवसादों में संचित होती हैं। इन झीलों को उनके निर्माण के आधार पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - » मोरेन-निर्मित झीलें
  - » आइस-निर्मित झीलें
  - » कटाव झीलें

» अन्य प्रकार

## ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ (GLOFs) क्या हैं?

- GLOFs तब होते हैं जब कोई ग्लेशियर झील अचानक पानी छोड़ देती है, जिसके कारण निचले क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आती है। इन घटनाओं की तीन प्रमुख विशेषताएँ होती हैं:
  - पानी का अचानक और कभी-कभी चक्रीय प्रवाह
  - संक्षिप्त लेकिन अत्यधिक विनाशकारी बाढ़ (जो घंटों से लेकर दिनों तक रह सकती है)
  - बड़े निचले नदी प्रवाहों के कारण गंभीर क्षति

## हाल के GLOFs घटनाएँ :

- **2023 दक्षिण लोनाक GLOF (सिक्किम):** चंगथांग में तेजा III डैम को नष्ट कर दिया।
- **2013 चोराबारी ग्लेशियर झील GLOF (उत्तराखंड):** मंदाकिनी नदी में गंभीर बाढ़ का कारण बना, जिससे केदारनाथ आपदा में योगदान हुआ।

## निष्कर्ष:

अरुणाचल प्रदेश में 110 ग्लेशियरों का लोप तीन दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करता है, जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। ग्लेशियरों का तेजी से पीछे हटना ताजे पानी की उपलब्धता, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, साथ ही GLOFs के विनाशकारी जोखिम को भी बढ़ाता है। चूँकि हिमालय विश्व के 1.3 बिलियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत का कार्य करता है इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए त्वरित जलवायु कार्रवाई और सतत पर्यावरणीय नीतियाँ लागू करना अत्यंत आवश्यक है।

# नई एलेटारिया प्रजातियाँ

## सन्दर्भ:

हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम ने इलायची से निकटता से संबंधित छह नई प्रजातियों की पहचान की है। इनमें से चार प्रजातियाँ पहले आल्पिनिया (Alpinia) जाति के अंतर्गत रखी गई थीं, जबकि दो अन्य प्रजातियाँ केरल के पश्चिमी घाटों में हाल ही में खोजी गई हैं।

## नई खोजी गई प्रजातियाँ:

- केरल के पश्चिमी घाटों में दो नई एलेटारिया (Elettaria) प्रजातियाँ पाई गई, जो एलेटारिया कार्डामोमम (Elettaria cardamomum) से रूपात्मक लक्षणों में भिन्न हैं।
- **एलेटारिया फैसिफेरा:** यह प्रजाति इडुकी जिले के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई हैं और इसमें निचली पत्तियों और सीधी फूलों की कलियों की विशेषताएँ हैं, जो सामान्य इलायची के पौधों से भिन्न हैं।
- **एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा:** यह प्रजाति अगस्त्यमलै पर्वतों और इडुकी के मुन्नार क्षेत्र में पाई गई और इसकी विशेषता इसमें पाए जाने वाली ट्यूलिप के आकार जैसी पुष्पमाला है, जिसमें बड़े, चमकीले से लेकर गहरे लाल रंग के घेरा लगे ब्रैक्ट्स (whorled bracts) होते हैं, जोकि इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं।

## इलायची प्रजातियाँ के बारे में:

- इलायची, जिसे 'मसालों की रानी' कहा जाता है, एलेटारिया कार्डामोमम पौधे के बीजों से प्राप्त होती है।
- यह दक्षिण भारत का मूल निवासी पौधा है और अदरक परिवार से संबंधित है, जोकि हल्दी और अदरक जैसी अन्य खुशबूदार मसालों से जुड़ा है।

## इलायची उगाने के लिए मिट्टी और जलवायु की आवश्यकताएँ:

- **मिट्टी:** इलायची के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर और हल्की अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, जिसकी आदर्श पीएच रेंज 5.0 से 6.5 हो। यह समृद्ध और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है, जिसमें फास्फोरस का स्तर कम और पोटैशियम का स्तर मध्यम से उच्च होता है।
- **ऊंचाई:** इलायची सामान्यत: 600 से 1500 मीटर की ऊँचाई पर उगाई जाती है, जहाँ ठंडी तापमान और आर्द्र परिस्थितियाँ इसके विकास के लिए उपयुक्त होती हैं।
- **तापमान:** इलायची के लिए आदर्श तापमान सीमा 10°C से 35°C के बीच होती है। यह अत्यधिक गर्मी या ठंड को सहन नहीं करती है।
- **वर्षा:** इलायची को पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, जोकि सालाना 1500 से 4000 मिमी के बीच हो। पूरे वर्ष निरंतर वर्षा इस पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक नमी बनाए रखती है।

## इलायची की उत्पादकता उगाने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ:

- ह्यूमस से भरपूर और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पौधों की जड़ प्रणाली को स्वस्थ रखने और उनके बेहतर विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- ऊँचे पेड़ों के नीचे छायादार क्षेत्रों में रोपाई करने से नमी बनी रहती है और पौधे सीधी धूप से सुरक्षित रहते हैं।
- आदर्श मिट्टी, ऊँचाई, तापमान और वर्षा की आवश्यकताओं को पूरा करके किसान उच्च गुणवत्ता वाली सुगंधित इलायची सुनिश्चित कर सकते हैं।
- इसकी अच्छी खेती मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, विशेष रूप से दक्षिण भारत, जो इलायची का प्रमुख उत्पादक है।

# चार नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया

## संदर्भ:

भारत ने हाल ही में चार नई आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) को रामसर कन्वेंशन सूची में जोड़ा है। इसके साथ ही, भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। यह घोषणा विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले की गई, जो भारत की पर्यावरण संरक्षण और आर्द्रभूमियों के सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## नए रामसर स्थल:

- भारत में जिन चार नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जोड़ा गया है, वे हैं:
  - » सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु
  - » थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु
  - » खेचियोपालरी वेटलैंड, सिक्किम
  - » उधवा झील, झारखंड
- इसके साथ अब तमिलनाडु में अब सबसे अधिक (20) रामसर स्थल हैं और सिक्किम और झारखंड पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं।

## वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति:

- दुनिया भर में 2,529 आर्द्रभूमियाँ रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित हैं।
- भारत 89 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
- पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम (176 स्थल) और दूसरे स्थान पर मैक्सिको (144 स्थल) हैं।
- पिछले 10 वर्षों में, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 89 हो गई है।
- सिर्फ पिछले तीन वर्षों में ही 47 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं, जो दर्शाता है कि भारत इन पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रहा है।

## आर्द्रभूमियों का महत्व:

- आर्द्रभूमियाँ हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण काम करती हैं, जैसे:
  - » **जैव विविधता को बचाना:** कई तरह के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को आश्रय देना।
  - » **बाढ़ को नियंत्रित करना:** बारिश के पानी को सोखकर बाढ़ की संभावना को कम करना।
  - » **जल आपूर्ति को बनाए रखना:** प्राकृतिक जल स्रोतों के रूप में काम करना।
  - » **कार्बन स्टोरेज:** वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करना।
  - » **रोजगार और आजीविका देना:** मत्स्य पालन, खेती और पर्यटन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना।

## रामसर कन्वेंशन और भारत की भागीदारी:

- रामसर कन्वेंशन, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत इस्तेमाल के लिए बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था।
- यह आर्द्रभूमियों को बचाने और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। भारत इस कन्वेंशन के 172 सदस्य देशों में से एक है और अपने आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

## निष्कर्ष:

हाल ही में जोड़े गए चार नए स्थल इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार और विभिन्न संस्थाएँ आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें। आर्द्रभूमियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन और सतत विकास दोनों के लिए जरूरी है और भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

# भारत में बाघों के निवास पैटर्न

## संदर्भ:

हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत में बाघों के निवास से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि पिछले दो दशकों में बाघों के आवास में 30% की वृद्धि हुई है। हालांकि, अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां गरीबी, सशस्त्र संघर्ष और भूमि उपयोग में बदलाव जैसी समस्याएँ हैं, जिसके कारण बाघों की संख्या में गिरावट आई है।

## रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **बाघों के निवास में वृद्धि:** अध्ययन में बाघों के निवास में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1,38,200 वर्ग किमी के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है।
- **निवास स्थान:** बाघों को ऐसे क्षेत्र पसंद आते हैं जहाँ मानव गतिविधि कम हो, शिकार की प्रचुरता हो और शहरीकरण कम हो।
- **वर्तमान बाघों की संख्या:** भारत में लगभग 3,700 बाघ हैं, जोकि 2023 की जनगणना के अनुसार वैश्विक बाघों की संख्या का 75% हैं।

## क्षेत्रीय भिन्नताएँ:

- **कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि:** ऐसे क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई, जहाँ शिकार की उपलब्धता अधिक थी और मानव हस्तक्षेप कम था।
- **संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में गिरावट:** छत्तीसगढ़ और झारखंड

जैसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में गिरावट आई।

- **गरीबी का प्रभाव:** जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक थी, वहां बाघों के बसने की दर सबसे कम रही।
- **स्थानीय विलुप्तियाँ:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में, शिकार और मांस के सेवन जैसी समस्याओं के कारण बाघों की स्थानीय विलुप्तियाँ अधिक देखी गईं।

## निष्कर्षों के प्रभाव:

- अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि बाघों की पुन: बहाली उन क्षेत्रों में अधिक संभव है, जहाँ स्थिरता अधिक हो और सशस्त्र संघर्ष कम हो।
- मजबूत संरक्षण कानूनों और सरकारी प्रयासों ने कई क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले इको-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश बाघों के संरक्षण प्रयासों में मदद कर सकता है, साथ ही उन समुदायों के जीवन स्तर को भी बेहतर बना सकता है जो बाघों के आवास के पास रहते हैं।

## बंगाल टाइगर के बारे में:

- बंगाल टाइगर (Panthera Tigris Tigris) सबसे सामान्य बाघ उपप्रजाति है, जो भारत, बांगलादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल और भूटान में पाई जाती है।
- **प्रमुख निवास स्थान:** ये बाघ सुंदरबन वन जैसे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, जो प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।
- **संख्या और संरक्षण स्थिति:** 2023 की जनगणना में भारत में 3,682 बंगाल बाघों की संख्या रिकॉर्ड की गई। बंगाल बाघ को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह CITES अनुबंध I और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित है।
- **पारिस्थितिकीय भूमिका:** ये फ्लैगशिप और अंब्रेला प्रजातियाँ हैं, जिनकी उपस्थिति एक स्वस्थ पर्यावरण का संकेत देती है, जबकि इनकी संख्या में गिरावट व्यापक पारिस्थितिकीय समस्याओं का संकेत हो सकती है।

# भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर जलवायु घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव

## संदर्भ:

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें हर मानसून मौसम में औसतन 0.23 मिमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह अध्ययन कोचीन विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Cusat), यूमेटसैट और यूके मेट ऑफिस के विशेषज्ञों द्वारा किया गया था, जिसमें 1990 से 2023 तक के मानसून डेटा का उपयोग करके वर्षा पैटर्न में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया।

## मुख्य बिंदु:

- **वर्षा पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक:**
  - » अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया कि समुद्र की सतह का तापमान (SST) और आर्द्रता का प्रवाह मिलकर वर्षा को कैसे प्रभावित करते हैं।
  - » इसमें यह उल्लेख किया गया कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान (SST) के बढ़ने से आर्द्रता की गति में तीव्रता आई है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि हुई है।
- **समुद्र की सतह तापमान की भूमिका:**
  - » 2014 के बाद से, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान (SST) 28°C से अधिक हो गया हैं, जिससे अधिक आर्द्रता प्रवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हैं।
  - » इस तापमान वृद्धि ने अत्यधिक वर्षा घटनाओं को बढ़ावा दिया है, जिससे दक्षिण-पश्चिमी तट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशीलता उत्पन्न हुई है।
  - » अध्ययन में SST के गर्म होने और अत्यधिक वर्षा में वृद्धि के बीच एक सीधा संबंध पाया गया।
- **उत्तर-पश्चिमी तट के साथ तुलना:**
  - » दक्षिण-पश्चिमी तट पर अत्यधिक वर्षा बढ़ी है, उत्तर-पश्चिमी तट पर औसत मानसूनी वर्षा में वृद्धि देखी गई है।
  - » आर्द्रता प्रवाह के गतिशील घटकों का मजबूत होना भारत के तटीय क्षेत्रों में जलवायु प्रभावों में क्षेत्रीय भिन्नताओं का कारण बनता है।

## भविष्य के लिए निहितार्थ:

- अध्ययन में दक्षिण-पश्चिमी तट, विशेषकर केरल, की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया है। अरब सागर के निरंतर गर्म होने के साथ, आगामी दशकों में अत्यधिक वर्षा घटनाएँ और अधिक तीव्र होने की संभावना है।
- यह प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन रणनीतियों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है, ताकि इन अत्यधिक मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

## भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट के बारे में:

- भारत का दक्षिण-पश्चिमी तट, जिसे मालाबार तट भी कहा जाता है, अरब सागर के साथ कर्नाटक और केरल राज्यों में विस्तारित है। यह गोवा के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत के दक्षिणी सिरे तक भी फैला हुआ है।
- इस क्षेत्र में समुद्र तटों, चट्टानों और बैकवाटर का सुंदर मिश्रण है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और जीवंत मछली

पकड़ने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

## देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बना मध्य प्रदेश

### संदर्भः

हाल ही में मध्य प्रदेश देश में गिद्धों की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। राज्य-स्तरीय जनगणना में कुल 12,981 गिद्धों की गणना की गई है, जो कि 2019 में 8,397 और 2024 में 10,845 थी। मध्य प्रदेश गिद्धों की सात प्रजातियों का घर है, जिनमें से चार स्थानीय और तीन प्रवासी हैं। 2016 में जनगणना की शुरुआत के बाद से गिद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है।

### भारत में गिद्ध प्रजातियाँः

- भारत गिद्धों के नौ जानवरों का घर है, जिनमें से चार को आईयूसीएन की रेड डेटा सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में और एक को संकटग्रस्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
- **भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडिकस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
  - अपनी लंबी चोंच के लिए जाना जाने वाला यह गिद्ध मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाता है।
- **भारतीय सफेद पीठ वाला गिद्ध (जिप्स बंगालेंसिस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
  - यह प्रजाति अपनी सफेद पीठ के कारण पहचानी जाती है और आमतौर पर पूरे भारत में पाई जाती है। हाल के दशकों में इसकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है।
- **लाल सिर वाला गिद्ध (सरकोजिप्स कैल्वस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
  - अपने लाल सिर और बड़े शरीर से आसानी से पहचाने जाने वाला लाल सिर वाला गिद्ध दक्षिणी और मध्य भारत में पाया जाता है।
- **पतली चोंच वाला गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
  - अपनी लंबी, पतली चोंच के लिए पहचानी जाने वाली यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भागों, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है।
- **मिस्री गिद्ध (नियोफ्रोन पर्कनोप्टेरस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** संकटग्रस्त (Endangered)
  - अन्य गिद्धों की तुलना में आकार में छोटा, मिस्री गिद्ध अपने सफेद पंख और पीले चेहरे से पहचाना जा सकता है। यह उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- **सिनेरियस गिद्ध (एजिपियस मोनाचस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
  - गहरे रंग के पंख और शक्तिशाली शरीर वाला यह बड़ा गिद्ध हिमालय और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है।
- **दाढ़ी वाला गिद्ध (जिपेटस बारबेटस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
  - दाढ़ी जैसे विशिष्ट पंखों और बड़े पंखों के लिए जाना जाने वाला दाढ़ी वाला गिद्ध मुख्य रूप से उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **हिमालयी गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
  - हिमालयी गिद्ध उच्च ऊंचाई पर पाया जाता है, जो भारत में हिमालय पर्वतमाला और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **ग्रिफॉन गिद्ध (जिप्स फुलवस)**
  - **संरक्षण स्थितिः** कम से कम चिंता (Least Concern)
  - यह प्रजाति भारत के कई हिस्सों में पायी जाती है और यह देश में सबसे स्थिर गिद्ध आबादी में से एक है।

### गिद्धों के संरक्षण से जुड़े मुद्देः

- सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद, भारत में गिद्धों को महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें डाइक्लोफेनाक जैसी हानिकारक पशु चिकित्सा दवाओं का उपयोग शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है।
- हालाँकि भारत ने डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ऐसे पदार्थों का अवैध उपयोग गिद्धों की आबादी के लिए खतरा बना हुआ है। गिद्ध जीवित रहने के लिए बड़े खुले स्थानों और शवों पर निर्भर रहते हैं। शहरीकरण, वनों की कटाई और कृषि विस्तार के कारण आवास का नुकसान एक बढ़ती हुई चिंता है।
- गिद्धों की आबादी को संरक्षित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और उन्हें अवैध शिकार एवं मानव-वन्यजीव संघर्षों जैसे खतरों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सख्त कानून प्रवर्तन और उनकी आबादी की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।

# 5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

## एआई शिखर सम्मेलन 2025: वैश्विक एआई शासन को आकार देना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दुनिया भर में उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाज में परिवर्तन ला रहा है। इसके बढ़ते प्रभाव के साथ, एआई की पूरी क्षमता का उपयोग करने और उससे जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए संगठित नीतियों और नैतिक ढांचों की आवश्यकता बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, फ्रांस ने 10-11 फरवरी 2025 को पेरिस में एआई एक्शन समिट की मेजबानी की, जिसमें भारत ने सह-अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में न्यायसंगत एआई पहुंच, ओपन-सोर्स एआई को बढ़ावा देने और सतत एआई विकास को प्राथमिकता दी गयी, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, जिससे वैश्विक एआई चर्चा में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और अधिक सशक्त हुई।

### पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025: मुख्य बिंदु:

- पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 विश्व का तीसरा प्रमुख एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन था, इससे पहले यूके (2023) और दक्षिण कोरिया (2024) में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए गए थे।
- यह उच्च-स्तरीय कार्यक्रम विश्व नेताओं, नीति-निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है, ताकि एआई शासन के भविष्य को आकार दिया जा सके।

### शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **भारत-फ्रांस एआई साझेदारी को मजबूत करना:**
  - » भारत और फ्रांस ने एआई शासन, अनुसंधान और नीति विकास में सहयोग को गहरा किया।
  - » इस साझेदारी का उद्देश्य जिम्मेदार एआई नवाचार को बढ़ावा देना और दोनों देशों की तकनीकी स्वायत्तता सुनिश्चित करना था।
- **वैश्विक भागीदारी और उच्च-स्तरीय प्रतिभागी**
  - » अमेरिका, चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख एआई-संचालित अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने भाग लिया।
  - » प्रमुख व्यक्तित्वों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, चीन के उप-प्रधानमंत्री झांग गुओचिंग और शीर्ष उद्योग नेताओं जैसे सैम ऑल्टमैन (ओपनएआई) और सुंदर पिचाई (गूगल) की उपस्थिति रही।
- **एआई अनुसंधान और विकास में निवेश:**
  - » एआई अनुसंधान में प्रारंभिक \$500 मिलियन का निवेश घोषित किया गया, जो भविष्य में \$2.5 बिलियन तक पहुंच सकता है।
  - » यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एआई नवाचार को बढ़ाने और समाज के सभी क्षेत्रों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए है।
- **विकासशील देशों के लिए भारत की नेतृत्वकारी भूमिका:**
  - » भारत ने AI4India और CPRG (Collaborative Partnership for Responsible Governance) जैसे पैनलों के माध्यम से एआई की पहुंच और निष्पक्षता पर चर्चाओं का नेतृत्व किया।
  - » भारत ने एआई मॉडलों में पूर्वाग्रह (bias) को कम करने और वैश्विक दक्षिण (Global South) में एआई पहुंच के लोकतंत्रीकरण का समर्थन किया।
- **ओपन-सोर्स एआई और सतत एआई विकास:**
  - » शिखर सम्मेलन में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ओपन-सोर्स एआई मॉडल के महत्व पर जोर दिया गया।
  - » फ्रांस ने एआई विकास में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करने के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

### एआई शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय:

शिखर सम्मेलन में एआई शासन के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई:

- **जनहित के लिए एआई (AI for Public Good):**
  - » एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में क्रांति ला सकता है, संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- **कार्य का भविष्य (The Future of Work):**
  - » एआई रोजगार के परिदृश्य को बदल रहा है, जहां यह नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है लेकिन पारंपरिक नौकरियों को भी प्रभावित कर रहा है।
  - » पुनः कौशल (Reskilling) कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि कार्यबल को एआई-संचालित उद्योगों के लिए तैयार किया जा सके।
  - » मानव-एआई सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा।
- **नवाचार और सांस्कृतिक परिवर्तन (Innovation & Cultural Transformation):**
  - » एआई कला, संस्कृति और डिजिटल सामग्री को नया आकार दे रहा है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव को व्यक्तिगत बनाया जा रहा है।
  - » एआई-संचालित प्लेटफॉर्म मनोरंजन और मीडिया उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं।
- **विश्वास और नैतिक एआई (Trust & Ethical AI):**
  - » सम्मेलन में एआई के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक ढांचे (regulatory frameworks) पर जोर दिया गया।
  - » डेटा गोपनीयता (Data Privacy), गलत सूचना (Misinformation) और एआई मॉडलों में पूर्वाग्रह (bias) को कम करने पर विशेष चर्चा की गई।
- **वैश्विक एआई शासन (Global AI Governance):**
  - » विभिन्न देशों की एआई नीतियों का सामंजस्य स्थापित करना सुनिश्चित करेगा कि एआई के लाभ सभी को समान रूप से मिलें।
  - » इस दौरान कुछ कंपनियों या देशों द्वारा एआई पर एकाधिकार (monopolization) को रोकना प्राथमिकता बनी रही।

## एआई विकास में भारत का नेतृत्व:

भारत एक वैश्विक एआई नेता के रूप में उभर रहा है, जो शासन ढांचे को आकार देने और एआई अवसंरचना (infrastructure) में निवेश करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

- **राष्ट्रीय एआई मिशन ( 2024 ):**
  - » भारत ने राष्ट्रीय एआई मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत 10,000 GPUs द्वारा एआई मॉडलों को विकसित किया जा रहा है।
  - » सरकार 40% सब्सिडी प्रदान कर रही है ताकि एआई विकास लागत-कुशल रहे।
- **वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन ( जुलाई 2024 ):**
  - » भारत ने नई दिल्ली में 50 देशों के 12,000 विशेषज्ञों के साथ एआइ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
  - » इसमें नैतिक एआई विकास और उत्तरदायी तैनाती (Responsible Deployment) पर केंद्रित चर्चाएँ हुई।
- **भारत के एआई उद्योग में तीव्र वृद्धि:**
  - » भारत का एआई उद्योग 25-35% की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है और 2027 तक इसके $17 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
  - » इस विकास को कुशल कार्यबल और समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा गति मिल रही है।

## भारत में एआई अवसंरचना का विकास:

भारत अपनी तकनीकी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए एआई अवसंरचना में रणनीतिक प्रगति कर रहा है:

- **घरेलू Graphics Processing Unit (GPU) विकास:**
  - » भारत ओपन-सोर्स या लाइसेंस प्राप्त चिपसेट का उपयोग करके अपना स्वयं का GPU विकसित कर रहा है।
  - » यह पहल विदेशी चिप निर्माताओं पर निर्भरता को कम करने और 3-5 वर्षों के भीतर एक प्रतिस्पर्धी घरेलू एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।
- **भारत के लिए फाउंडेशनल एआई मॉडल:**
  - » ₹10,370 करोड़ के IndiaAI मिशन के तहत, भारत एक बड़ा भाषा मॉडल (Large Language Model - LLM) विकसित कर रहा है।
  - » इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
    - ➢ छह डेवलपर्स के साथ सहयोग, ताकि भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप एआई मॉडल बनाए जा सकें।
    - ➢ एआई-जनित सामग्री में पूर्वाग्रह (bias) को कम करना, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- **एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:**
  - » सरकार 18,693 GPUs का अधिग्रहण कर रही है, जिसमें योट्टा (9,216 GPUs), जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशंस और E2E नेटवर्क्स शामिल हैं।
  - » एक कॉमन GPU कंप्यूट फैसिलिटी स्थापित की जा रही है, जो एआई स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं का समर्थन करेगी।
  - » उच्च-स्तरीय GPUs ₹150 प्रति घंटा और निम्न-स्तरीय GPUs ₹115.85 प्रति घंटा की सब्सिडी दर पर उपलब्ध

कराए जा रहे हैं, जिससे एआई विकास अधिक किफायती होगा।

### एआई द्वारा कार्यबल विकास और शिक्षा में सुधार:

एआई-संचालित भविष्य के लिए भारत शिक्षा और कौशल विकास में निवेश कर रहा है:

- **शिक्षा में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र**
  - ₹500 करोड़ का बजट आवंटन, जिससे शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित किया जाएगा।
  - यह भारत की 2023 में शुरू की गई पहल पर आधारित है, जिसके तहत कृषि, स्वास्थ्य सेवा और सतत (sustainable) शहरों के लिए एआई केन्द्रीय उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित किए गए थे।
- **राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र:**
  - पांच नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो एआई उद्योग प्रशिक्षण पर केंद्रित होंगे।
  - ये केंद्र वैश्विक सहयोग व मानकीकृत एआई प्रमाणन (standardized AI certifications) को बढ़ावा देंगे।

### निष्कर्ष:

पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व वैश्विक एआई शासन (AI Governance) में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नैतिक एआई (Ethical AI), न्यायसंगत एआई पहुंच (Equitable AI Access) और ओपन-सोर्स मॉडल का समर्थन करके, भारत एक उत्तरदायी और समावेशी एआई परिदृश्य तैयार कर रहा है। चूंकि एआई लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए तकनीकी प्रगति के साथ नैतिकता, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण संबंधी विचारों को संतुलित करना आवश्यक है। सतत एआई विकास (Sustainable AI Development), कार्यबल कौशल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारत का निवेश यह सुनिश्चित करता है कि एआई के लाभ व्यापक रूप से वितरित हों, जिससे नवाचार (Innovation) और समानता (Equity) को बढ़ावा मिले।

# संक्षिप्त मुद्दे

## गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति की जांच के लिए टेबलटॉप प्रयोग

### संदर्भ:

हाल ही में कोलकाता के बोस संस्थान के शोधकर्ताओं सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नया टेबलटॉप प्रयोग प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य यह जांचना है कि गुरुत्वाकर्षण (Gravity) क्वांटम यांत्रिकी (Quantum Mechanics) के नियमों का पालन करता है या नहीं।

- सामान्य सापेक्षता (General Relativity) और क्वांटम यांत्रिकी आधुनिक भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम स्तर पर कैसे समझा जाए?
- यह शोध गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम सिद्धांत में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे भौतिकी के एकीकृत सिद्धांत की खोज को गति मिल सकती है।

### टेबलटॉप प्रयोग के बारे में:

- वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति की जांच के लिए एक नया प्रयोग प्रस्तावित किया है। यह प्रयोग यह परीक्षण करेगा कि गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार क्वांटम यांत्रिकी (Quantum Mechanics) के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं।
- इस प्रयोग में एक द्रव्यमान (Test Mass) दो संभावित पथों (Paths) में रखा जाता है, जिसे सुपरपोजिशन (Superposition) कहा जाता है। इसके साथ एक अन्य द्रव्यमान (Probe Mass) गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इस पर प्रभाव डालता है, जिससे परीक्षण द्रव्यमान किसी एक पथ पर स्थिर (Collapse) हो जाता है।
- यदि गुरुत्वाकर्षण ही द्रव्यमान के पतन (Collapse) का कारण बनता है, तो यह संकेत देगा कि गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति भी क्वांटम हो सकती है।
- पिछले प्रयोगों में ब्लैक होल जैसे अत्यधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण (Strong Gravity) वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था। लेकिन यह नया प्रयोग कमजोर गुरुत्वाकर्षण (Weak Gravity) की जांच पर केंद्रित है, जो छोटी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न बल के समान होता है।

### क्वांटम यांत्रिकी और शास्त्रीय यांत्रिकी सिद्धांत:

क्वांटम यांत्रिकी और शास्त्रीय यांत्रिकी भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो अलग-अलग स्तरों पर वस्तुओं के व्यवहार को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- **शास्त्रीय यांत्रिकी:**
  - शास्त्रीय यांत्रिकी हमारे रोजमर्रा के जीवन में देखी जाने वाली वस्तुओं, जैसे कि कार, ग्रह और गेंदों की गति को समझाने में सक्षम है। यह नियम निश्चित और पूर्वानुमानित होते हैं, यानी अगर किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पता हो, तो उसकी गति को पूरी तरह से मापा और

भविष्यवाणी की जा सकती है।

» शास्त्रीय भौतिकी के तहत, बड़ी वस्तुएँ, जैसे ग्रह, गाड़ियाँ या गेंद, केवल कणों (Particles) की तरह व्यवहार करती हैं। वे तरंगों की तरह नहीं दिखतीं, न ही वे किसी प्रकार का तरंग पैटर्न बनाती हैं। इसी कारण से, वेव-पार्टिकल द्वैत केवल सूक्ष्म स्तर (Microscopic Level) पर लागू होता है और यह क्वांटम यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

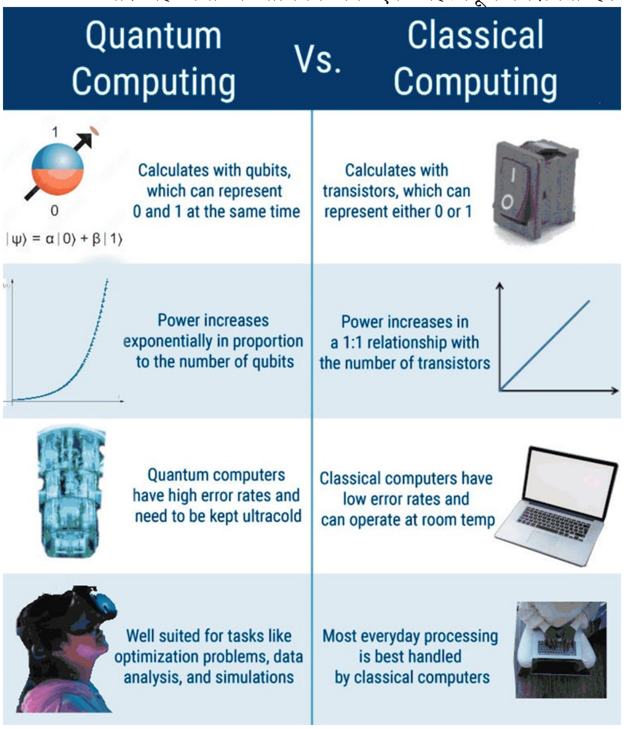


- **क्वांटम यांत्रिकी:**
  - » दूसरी ओर, क्वांटम यांत्रिकी परमाणु और उप-परमाणु स्तर के कणों के व्यवहार को समझाने के लिए विकसित की गई है, जहां नियम शास्त्रीय नियमों के अनुरूप नहीं चलते।
  - » क्वांटम यांत्रिकी की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक सुपरपोजिशन (Superposition) है, जिसमें कोई कण एक ही समय में दो या अधिक अवस्थाओं में हो सकता है।
  - » इसके अतिरिक्त, उलझाव (Entanglement) नामक एक और क्वांटम घटना है, जिसमें दो कण इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि अगर एक में बदलाव होता है, तो दूसरा तुरंत प्रभावित हो जाता है, भले ही वे ब्रह्मांड के अलग-अलग कोनों में हों।
  - » क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, दोहरे स्वभाव (Dual Nature) वाले होते हैं। वे कभी कण (Particle) की तरह व्यवहार करते हैं और कभी तरंग (Wave) की तरह।
  - » उदाहरण के लिए, जब इलेक्ट्रॉनों को एक पतली दीवार में बने दो छिद्रों (Double-Slit) से गुजारा जाता है, तो वे तरंगों की तरह पैटर्न बनाते हैं।

# टेपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल दवाओं पर प्रतिबंध

## संदर्भः

हाल ही में भारत सरकार ने टेपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल युक्त दवाओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इन दवाओं के अस्वीकृत संयोजन (unapproved combinations) पश्चिम अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जा रहे थे। इस संबंध में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने मुंबई स्थित एवियो फार्मास्यूटिकल्स का ऑडिट किया, जिसमें विनियामक उल्लंघन पाए गए। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने कंपनी के संचालन को तुरंत रोकने का निर्देश दिया।

## टेपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल के विषय में:

- टेपेंटाडोल एक दर्द निवारक (एनाल्जेसिक) दवा है, जिसका उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में दर्द को महसूस करने के तरीके को बदल देता है।
- यह कुछ एंटीडिप्रेसेंट दवाओं के गुणों से मेल खाता है और दुरुपयोग की संभावना के कारण इसे सख्त नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- कैरीसोप्रोडोल का उपयोग मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, विशेषकर जब यह किसी मस्कुलोस्केलेटल समस्या (हड्डी-मांसपेशी से जुड़ी स्थिति) के कारण हो। इसे आमतौर पर आराम और शारीरिक उपचार के साथ लिया जाता है ताकि तेजी से सुधार हो सके।
- हालांकि, भारत में इन दोनों दवाओं को अलग-अलग उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, लेकिन इनका संयोजन (Combination) अधिकृत नहीं है। इसके बावजूद, बिना मंजूरी के बनाए गए फॉर्मूलेशन निर्यात किए जा रहे थे, जिससे सुरक्षा, प्रभावकारिता और नियामक नियंत्रण को लेकर गंभीर चिंताएँ बढ़ गई थीं।

## मुख्य चिंताएँ:

- **स्वास्थ्य जोखिम में वृद्धिः** इन दवाओं का निर्यात पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र में ओपिओइड संकट (दवाओं का दुरुपयोग)

को बढ़ा रहा था। बिना उचित निगरानी के, ये दवाएँ लत और स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही थी।

- **विनियामक खामियाँ:** बिना मंजूरी के बनी दवाओं का अवैध निर्यात नियामक प्रणाली की कमजोरियों को दर्शाता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के बावजूद, अनैतिक उत्पादन और निर्यात जारी था।

## केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):

- CDSCO भारत का राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण है, जो दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- इसकी स्थापना औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत हुई थी।
- यह दवाओं के निर्माण, आयात और बिक्री को नियंत्रित करता है।
- इसके कार्यों में नई दवाओं की मंजूरी, नैदानिक परीक्षण, दवा मानकों की निगरानी और राज्य नियामक एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता हैं।
- यह देशभर में क्षेत्रीय कार्यालय, उप-कार्यालय, बंदरगाह कार्यालय और प्रयोगशालाएँ संचालित करता है।

## आगे की राह:

- भारत सरकार की कार्रवाई दवा के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तत्काल कार्रवाई, जिसमें उत्पादन रोकना, निर्यात को निलंबित करना और अस्वीकृत दवाओं को जब्त करना शामिल है आगे के नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
- उद्योग विशेषज्ञों ने प्रतिबंध का समर्थन किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह संयोजन वैश्विक रूप से अस्वीकृत था और इसके निषेध से संभवतः अनैतिक दवा प्रथाओं पर रोक लगेगी।
- नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए, CDSCO ने निर्यात अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) चेकलिस्ट को अपडेट करने की सिफारिश की है, जिससे निर्यात से पहले भारत और आयात करने वाले दोनोंदेशों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है।
- नियमों को सख्त करके और अनुपालन बढ़ाकर, भारत एक जिम्मेदार वैश्विक दवा निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है।

# मेजराना 1 क्वांटम चिप

## संदर्भ:

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 क्वांटम चिप का अनावरण किया है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह उन्नत क्वांटम प्रोसेसर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर आधारित है, जो पारंपरिक क्यूबिट्स की तुलना में अधिक स्थिरता और त्रुटियों में कमी लाता है।

## मेजराना 1 चिप के बारे में:

- मेजराना 1 चिप में टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर है, जो टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का उपयोग करता है। यह सुपरकंडक्टर इंडियम आर्सेनाइड (एक अर्धचालक) और एल्यूमीनियम (एक सुपरकंडक्टर) के संयोजन से बनता है। इस संयोजन से एक नई सामग्री अवस्था (New State of Matter) उत्पन्न होती है, जिसे टोपोकंडक्टर कहा जाता है।
- यह उन्नत सामग्री चिप की स्थिरता और मापनीयता को बढ़ाती है, जिससे यह पारंपरिक क्वांटम प्रोसेसर की तुलना में अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन जाती है।

## मेजराना 1 के लाभ:

- गूगल और IBM की क्वांटम चिप्स की तुलना में, मेजराना 1 कई लाभ प्रदान करता है:
    - » **कम जटिलता:** इसमें गणना के लिए अपेक्षाकृत कम क्यूबिट की आवश्यकता होती है, जिससे क्वांटम संचालन अधिक कुशल और सरल हो जाता है।
    - » **त्रुटि दर में कमी:** इसकी टोपोलॉजिकल संरचना विश्वसनीयता में वृद्धि करती है और त्रुटि-रोधी (Fault-Tolerant) कंप्यूटिंग को सक्षम बनाता है।
    - » **मेजराना फर्मियन प्रौद्योगिकी:** यह चिप मेजराना फर्मियन नामक उपपरमाण्विक कणों का उपयोग करती है, जो स्वयं ही कण और प्रतिकण दोनों के रूप में कार्य करते हैं। यह विशेषता इसे पारंपरिक क्यूबिट की तुलना में अधिक स्थिर और त्रुटि-प्रतिरोधी बनाती है।
- इन विशेषताओं के कारण मेजराना 1 चिप व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

## क्वांटम कंप्यूटिंग:

- क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों से कई गुना तेजी से जटिल समस्याओं को हल कर सकती है। यह क्वांटम यांत्रिकी के नियमों पर काम करती है और सुपरपोजिशन और परस्पर जुड़ाव (Entanglement) जैसी विशेषताओं का उपयोग करके ऐसी गणनाएँ कर सकती है, जो सामान्य कंप्यूटरों के लिए बहुत कठिन या असंभव होती हैं।
    - » **क्यूबिट:** क्लासिकल बिट्स, जो केवल 0 या 1 हो सकते हैं, के विपरीत, क्यूबिट सुपरपोजिशन की वजह से एक ही समय में कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। इससे क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई गणनाएँ कर सकते हैं, जिससे उनकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है।
    - » **क्वांटम जुड़ाव:** क्यूबिट परस्पर जुड़े हो सकते हैं (Entanglement), जिसका अर्थ है कि उनकी अवस्थाएँ एक-दूसरे से संबंधित रहती हैं, भले ही वे भौतिक रूप से कितनी ही दूर हों। यह गुण जटिल गणनाओं को पारंपरिक

कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेज और कुशल बनाता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग को महत्वपूर्ण कम्प्यूटेशनल लाभ प्राप्त होता है।

### आगे की राहः

मेजराना 1 चिप में अनुप्रयोगों के लिए अपार संभावनाएँ हैं, विशेषकर जब इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ एकीकृत किया जाता है। यह नवाचार उद्योगों में क्रांति ला सकता है, जिससे कंप्यूटिंग तकनीक की अगली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अपनी त्रुटि-रोधी (Fault-Tolerant) और टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के साथ, मेजराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग की पूर्ण क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

## आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू का प्रकोप

### संदर्भः

आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में हाल ही में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के मामले पाए गए हैं, जिससे राज्य सरकार को इसे फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़े। इसके कारण, चार क्षेत्रों 'एलुरु जिले का बदमपुडी, पश्चिम गोदावरी जिले के वेलपुरु और कनुरु और कृष्णा जिले का गम्पलागुडेम' को बायोसिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है, जहाँ सख्त सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं।

### सुरक्षा उपाय और बायोसिक्योरिटी जोनः

- सरकार ने इन जोन में तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है ताकि लोगों और पोल्ट्री (मुर्गियों) की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके।
- **रेड जोनः** संक्रमित क्षेत्रों के एक किलोमीटर के दायरे में, पक्षियों और लोगों की आवाजाही पर सख्त रोक लगाई गई है।
- **सर्विलांस क्षेत्रः** यह क्षेत्र एक किलोमीटर से दस किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ निगरानी की जाती है, लेकिन लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है।

### एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के बारे मेंः

- एवियन इन्फ्लूएंजा, जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एक वायरस जनित संक्रमण है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन यह स्तनधारियों और इंसानों में भी फैल सकता है।
- यह जूनोटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकती है।

### संक्रमण का तरीकाः

- यह वायरस आमतौर पर संक्रमित पक्षियों या प्रदूषित वातावरण (जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म या लाइव बर्ड मार्केट) के संपर्क में आने से इंसानों में फैलता है। यह निम्नलिखित तरीकों से फैल सकता हैः
  - » संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क से
  - » पक्षियों की बीट (मल) से
  - » संक्रमित पानी या सतहों के संपर्क से

### लक्षणः

- **सांस से जुड़ी समस्याएँः** इसमें खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश शामिल हो सकते हैं।
- **अन्य लक्षणः** थकान, मांसपेशियों और शरीर में दर्द हो सकता है।
- **बिना लक्षण वाले मामलेः** कुछ लोग, खासकर वे जो संक्रमित पक्षियों या उनके परिवेश के संपर्क में आते हैं, संक्रमित हो सकते हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते।

### एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के उदाहरणः

- **H5N1:** 1997 में पहली बार हांगकांग में पाया गया था। यह पक्षियों में बड़े पैमाने पर फैला और इंसानों में भी गंभीर संक्रमण और उच्च मृत्यु दर का कारण बना।
- **H7N9:** 2013 में चीन में पाया गया था। यह इंसानों में गंभीर सांस की बीमारियों का कारण बना।
- **H5N2:** हाल ही में इसका पहला मामला मैक्सिको में इंसानों में पाया गया।

### H5N1 और H5N2 के बीच अंतरः

| बिंदु | H5N1 | H5N2 |
|---|---|---|
| उत्पत्ति | 1996 में गूज/गुआंगडोंग वंश से उभरा और इसने बड़े पैमाने पर पक्षियों में प्रकोप फैलाया। | 1990 के दशक के मध्य से मेक्सिको में पोल्ट्री और जंगली पक्षियों के बीच फैला हुआ है। |
| फैलाव | यह पक्षियों और स्तनधारियों (मेमल्स) दोनों को प्रभावित करता है। संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क से मनुष्यों में फैल सकता है। | मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है; मनुष्यों में संक्रमण दुर्लभ है। |
| मनुष्यों के बीच संक्रमण | अब तक मनुष्यों के बीच संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है। | हालांकि मनुष्यों में संक्रमण हुआ है, लेकिन मनुष्यों के बीच संक्रमण की संभावना बहुत कम है। |
| टीका | इंसानों के लिए कोई विशेष टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक mRNA वैक्सीन विकसित की जा रही है। पोल्ट्री के लिए टीके मौजूद हैं। | मनुष्यों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। पोल्ट्री के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इंसानों के लिए सुरक्षा सीमित है। |

| लक्षण | गंभीर सांस की बीमारी, जिसमें बुखार, सांस फूलना और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। | लक्षणों में बुखार, सांस फूलना और सामान्य अस्वस्थता शामिल हैं। |
|---|---|---|

### निष्कर्ष:

हालांकि तत्काल नियंत्रण उपाय आवश्यक हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान, जन जागरूकता, किसानों के समर्थन और दीर्घकालिक बायोसिक्योरिटी रणनीतियों को मिलाकर किया गया एक सतत प्रयास राज्य में भविष्य में बर्ड फ्लू के प्रकोपों को प्रबंधित करने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

## आइंस्टीन रिंग्स

### संदर्भ:

हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 6505 आकाशगंगा के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग को कैप्चर किया, जोकि लगभग 590 मिलियन प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है। 19वीं शताब्दी में खोजी गई यह आकाशगंगा अब महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटना को उजागर कर रही है।

- इससे पहले सितंबर 2023 में ली गई तस्वीरों और हाल ही में जारी की गई तस्वीरों में एक प्रकाशित केंद्रीय बिंदु (bright central spot) के चारों ओर एक चमकदार, बादल जैसा छल्ला दिखाई देता है। यह खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को कैसे मोड़ता है (bends light) और ब्रह्मांड के छिपे पदार्थों को कैसे प्रकट करता है।

### आइंस्टीन रिंग क्या है?

- आइंस्टीन रिंग तब बनती है जब कोई विशाल वस्तु, जैसे आकाशगंगा, बहुत दूर स्थित किसी दूसरी आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मोड़ देती है। इस उदाहरण में, NGC 6505, जो 4.42 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, वह दूसरी आकाशगंगा के प्रकाश को मोड़ता है।
- इस प्रक्रिया के कारण, निकटवर्ती आकाशगंगा के चारों ओर एक चमकदार और गोलाकार रिंग बन जाती है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रकाश के रास्ते को मोड़ सकता है। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस प्रभाव की भविष्यवाणी की थी।

### प्रकाश का झुकाव कैसे काम करता है?

- जब दूर की आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश किसी विशाल वस्तु, जैसे आकाशगंगा, से होकर गुजरता है, तो उस वस्तु का मजबूत गुरुत्वाकर्षण (gravity) प्रकाश की दिशा बदल देता है।
- इस झुकाव के कारण पीछे की आकाशगंगा ज्यादा चमकदार दिखाई देती है और कभी-कभी सामने की आकाशगंगा के चारों ओर एक वलय (ring) बन जाता है।
- हालांकि यह घटना दुर्लभ है (1% से भी कम आकाशगंगाओं में इसे देखा जाता है), आइंस्टीन वलय (Einstein ring) वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के द्रव्यमान (mass) और संरचना (structure) का अध्ययन करने में मदद करता है।

### यह खोज क्यों मायने रखती है?

- **डार्क मैटर का अध्ययन:** हालांकि डार्क मैटर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इसकी उपस्थिति का पता चलता है। प्रकाश का झुकाव वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के चारों ओर डार्क मैटर की मात्रा और स्थान निर्धारित करने में मदद करता है।
- **दूर की आकाशगंगाओं का अवलोकन:** गुरुत्वाकर्षण उन आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में मदद करता है जो सामान्य रूप से बहुत धुंधली होती हैं, और इससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है।
- **ब्रह्मांड का मानचित्रण:** यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का उद्देश्य एक विस्तृत ब्रह्मांडीय मानचित्र बनाना है, जिससे ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए आइंस्टीन वलय जैसी खोज आवश्यक हो जाती है।

### यूक्लिड का मिशन और भविष्य की संभावनाएँ:

- यूक्लिड मिशन, ईएसए के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, घटकों और मौलिक नियमों की खोज के लिए समर्पित है। ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम पर रखा गया यह मिशन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के 'डार्क मैटर और डार्क एनर्जी' पर केंद्रित है।
- टेलीस्कोप 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का एक त्रि-आयामी मानचित्र (समय को तीसरे आयाम के रूप में) बनाएगा। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी:
  - » ब्रह्मांड में दृश्यमान (visible) और छिपी हुई दोनों तरह की सामग्री का वितरण।
  - » ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार बल।
  - » ब्रह्मांड की समग्र संरचना और इतिहास।

### निष्कर्ष:

NGC 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग का यूक्लिड द्वारा कैप्चर किया जाना ब्रह्मांड के अध्ययन में एक बड़ी प्रगति है। यह छिपी हुई ब्रह्मांडीय सामग्री को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

जैसे-जैसे यूक्लिड अपना मिशन आगे बढ़ाता है, यह नई खोजों का अवसर प्रदान करता है, जो हमें अंतरिक्ष और उसे प्रभावित करने वाली शक्तियों के बारे में और गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगी।

# लंपी स्किन डिजीज के लिए वैक्सीन को मंजूरी

## संदर्भ:

हाल ही में, बायोलम्पिवैक्सिन (BIOLUMPIVAXIN) नामक वैक्सीन को भारत की औषधि नियामक संस्था, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से मंजूरी मिली है।

## बायोलम्पिवैक्सिन के बारे में:

- यह दुनिया की पहली लंपी स्किन डिजीज (LSD) वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने मिलकर विकसित किया है।
- इस वैक्सीन का गहन परीक्षण ICAR-नेशनल रिसर्च संेटर ऑन इक्विन्स (ICAR-NRCE) हिसार और भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) में किया गया है, ताकि इसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को वैश्विक मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- यह एक स्वदेशी लाइव-एटेन्यूएटेड (जीवित-निर्बलित) मार्कर वैक्सीन है, जिसे ICAR-NRCE द्वारा विकसित LSD वायरस/Ranchi/2019 स्ट्रेन और भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी के सहयोग से बनाया गया है।

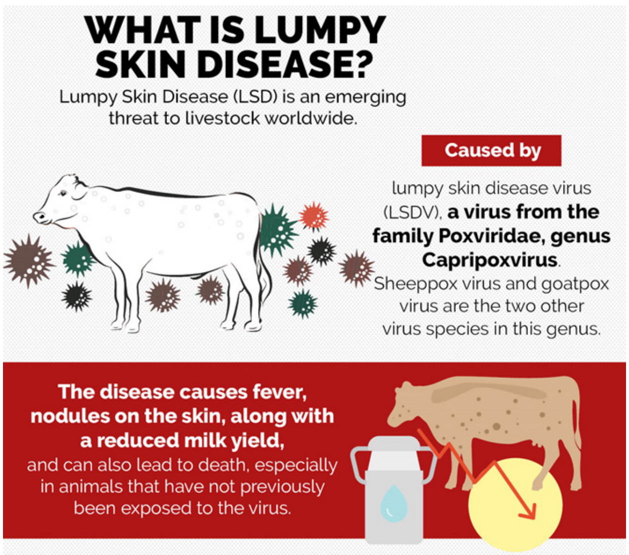


## लंपी स्किन डिजीज (LSD) क्या है?

- लंपी स्किन डिजीज एक तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से गायों और भैंसों को प्रभावित करती है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं:
  - » तेज बुखार
  - » त्वचा पर सूजन और गांठें
  - » लसीका ग्रंथियों (Lymph Nodes) में सूजन
  - » दूध उत्पादन में कमी
- यह बीमारी डेयरी उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 2022 के प्रकोप में, इसका संक्रमण दर 80% तक पहुंच गया था और मृत्यु दर 67% तक दर्ज की गई थी। यह मुख्य रूप से मच्छरों, मक्खियों और किलनी जैसे कीड़ों से फैलती है।
- भारत में पहली बार 2019 में यह बीमारी फैली और जल्द ही गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैल गई। इसके कारण दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई और ₹18,337 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ।

## वैक्सीन क्या होती है?

- वैक्सीन एक जैविक उत्पाद (Biological Preparation) है, जो शरीर को किसी विशेष संक्रामक बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। इसमें ऐसे घटक होते हैं, जो किसी बीमारी फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया से मिलते-जुलते होते हैं, जैसे:
  - » कमजोर या निष्क्रिय (Inactivated) वायरस/बैक्टीरिया
  - » उसके विषाक्त पदार्थ (Toxins)
  - » उसके सतही प्रोटीन (Surface Proteins)
- वैक्सीन लगाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) को उस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।

## वैक्सीन कैसे काम करती है?

- वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) को सक्रिय करती है, ताकि वह किसी विशेष वायरस या बैक्टीरिया को पहचान सके और उससे लड़ सके।
- **प्रारंभिक संक्रमण और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया:**
  - » जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो यह तेजी से बढ़ता है और संक्रमण फैलाता है।
  - » शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली (Immune System) इसे पहचानने और नष्ट करने में समय लेती है।
- **मेमोरी सेल्स का निर्माण:** जब शरीर इस संक्रमण से लड़कर ठीक हो जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली 'मेमोरी सेल्स' (Memory Cells) बनाती है, जो इस वायरस को पहचान कर भविष्य में उससे तेजी से लड़ सकती हैं।
- **भविष्य में तेज प्रतिक्रिया:** अगर वही वायरस दोबारा शरीर में आता है, तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली तुरंत सक्रिय होकर एंटीबॉडी बनाती है, जिससे संक्रमण नहीं फैलता या बहुत हल्का असर होता है।

## निष्कर्ष:

बायोलम्पिवैक्सिन की मंजूरी लंपी स्किन डिजीज को रोकने में एक बड़ी उपलब्धि है। यह वैक्सीन गायों और भैंसों की सेहत की सुरक्षा के

साथ-साथ डेयरी उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इससे बीमारी का प्रभाव कम होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

# इनोवेटिव कंडक्टिव टेक्सटाइल का निर्माण

## संदर्भः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक खास कपड़ा विकसित किया है जो न केवल पानी से बचाव करता है बल्कि बिजली और सूरज की रोशनी को गर्मी में बदल सकता है। यह नई तकनीक ठंड के कारण होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे रक्त के थक्के जमना, सांस लेने में तकलीफ और कमजोर इम्यूनिटी जैसी दिक्कतों से बचाव में मदद कर सकती है। यह कपड़ा खासतौर पर बाहरी और चिकित्सा उपयोग के लिए बनाया गया है और बेहद ठंडी परिस्थितियों में शरीर को गर्म रखने में सहायक साबित हो सकता है।

## मुख्य विशेषताएंः

- **पारंपरिक कंडक्टिव टेक्सटाइल की समस्याओं का हलः** अब तक के कंडक्टिव (विद्युत-संचालित) टेक्सटाइल में टिकाऊपन की कमी, ज्यादा बिजली खपत और पानी के संपर्क में आने पर खराब होने जैसी समस्याएँ आती थीं। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने इन दिक्कतों को हल करने के लिए कपास के कपड़े पर बेहद बारीक सिल्वर नैनोवायर (चांदी के महीन तार) की कोटिंग की है। ये नैनोवायर इंसानी बाल से भी हजारों गुना पतले होते हैं और कपड़े को लचीला व मुलायम बनाए रखते हुए बिजली सुचारू रूप से प्रवाहित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है।
- **जल-प्रतिरोधी और मजबूत डिजाइनः** इस कपड़े की मजबूती बढ़ाने के लिए इसे कमल के पत्तों जैसी संरचना वाला वॉटर-रिपेलेंट (पानी से बचाने वाला) कोटिंग दिया गया है। इस कोटिंग की माइक्रोस्कोपिक बनावट पानी को कपड़े में समाने नहीं देती, जिससे यह सूखा और कंडक्टिव बना रहता है। यह कोटिंग पसीने, बारिश और दाग-धब्बों से भी बचाव करती है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल और बाहरी गतिविधियों के लिए बेहतरीन विकल्प बन जाता है।
- **असरदार और लंबे समय तक गर्मी देने वाला टेक्सटाइलः** यह टेक्सटाइल एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी या सौर ऊर्जा (सोलर पावर) से चल सकता है और 40°C से 60°C तक तापमान बनाए रख सकता है, वह भी 10 घंटे से ज्यादा समय तक। इसे पहनने योग्य (wearable) घुटने और कोहनी बैंड में टेस्ट किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि यह सर्द मौसम में लंबे समय तक गर्मी बनाए रख सकता है और गठिया (arthritis) जैसे रोगों के इलाज में भी मददगार हो सकता है।

## टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं?

- टेक्निकल टेक्सटाइल वे खास तरह के कपड़े होते हैं जो केवल दिखने के लिए नहीं बल्कि उनकी कार्यक्षमता और तकनीकी खूबियों के लिए बनाए जाते हैं। इनका उपयोग कृषि, सड़कों, रेलवे ट्रैक, स्पोर्ट्सवियर, स्वास्थ्य सेवा और सैन्य उपकरणों (मिलिट्री गियर) में किया जाता है। इसके अलावा, इन्हें बुलेटप्रूफ जैकेट, आग से बचाने वाले कपड़े, ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पहनने के लिए विशेष पोशाक और अंतरिक्ष यात्राओं में भी इस्तेमाल किया जाता है।

## भारत सरकार द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने की पहलः

- **राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (NTTM):**
  - इस मिशन का उद्देश्य भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है।
  - **कार्यकालः** वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक
  - **प्रमुख मंत्रालयः** वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles)
- **प्रमुख सरकारी योजनाएँः**
  - **पीएलआई (Production Linked Incentive) स्कीमः** देश में टेक्सटाइल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
  - **पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (MITRA) स्कीमः** बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिए
  - **स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स (SITP):** टेक्सटाइल उद्योग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए
- यह नई टेक्नोलॉजी पहनने योग्य वस्त्रों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, खासतौर पर ठंड से बचाव और चिकित्सा उपचार में इसकी उपयोगिता इसे बेहद खास बनाती है।

# जॉर्जिया मलेरिया उन्मूलन करने वाला 45वां देश

## संदर्भः

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जॉर्जिया को मलेरिया उन्मूलन करने वाला 45वां देश घोषित किया। यह कदम मलेरिया पर नियंत्रण पाने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है। हालांकि, मलेरिया आज भी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है, जो हर साल 600,000 से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनता है और 240 मिलियन से अधिक मामलों का सामना व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

## मलेरिया वैक्सीन्स से संबंधित मुद्देः

- **प्लास्मोडियम की अनुकूलन क्षमताः** प्लास्मोडियम, जोकि

मलेरिया का कारण बनता है, अपने एंटीजनिक परिवर्तन (परजीवी के द्वारा अपनी सतह पर स्थित प्रोटीन को बार-बार बदलना) को निरंतर बदलता रहता है, जिससे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए उसे पहचानना और नष्ट करना कठिन हो जाता है।

- **वैक्सीन्स की सीमित प्रभावशीलता:** RTS,S वैक्सीन, हालांकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित है। यह मलेरिया के मामलों को केवल 36% तक कम करता है, जबकि अन्य रोगों, जैसे कि खसरा, के लिए वैक्सीन्स की प्रभावशीलता 90–95% होती है।
- **प्लास्मोडियम का जीवनचक्र:** मच्छर के काटने से परजीवी (parasite) इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, जहां वह लिवर और रक्त में विभिन्न चरणों में विकसित होता है। RTS,S वैक्सीन फेंफड़े में परजीवी के पहले चरण को लक्षित करती है, लेकिन यह रक्त के चरण को कवर नहीं करती, जहां लक्षण उत्पन्न होते हैं।
- **वितरण में लॉजिस्टिकल चुनौतियां:** RTS,S जैसी मलेरिया वैक्सीन्स को प्रभावी होने के लिए कई खुराकों की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ संसाधनों की कमी होती है और स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी संरचना मजबूत नहीं होती, इन खुराकों का सही तरीके से वितरण और प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
- **अनुसंधान के लिए वित्तीय कमी:** मलेरिया वैक्सीन अनुसंधान को, विशेष रूप से भू-राजनीतिक और आर्थिक कारणों से, लगातार वित्तीय कमी का सामना करना पड़ा है। मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया के निम्न-आय वाले क्षेत्रों में होता है, जिसके कारण वैक्सीन विकास में कम निवेश होता है। इसके अलावा, अनुसंधान की उच्च लागत और अनिश्चित लाभ ने फार्मास्युटिकल कंपनियों को मलेरिया वैक्सीन्स में भारी निवेश करने से हतोत्साहित किया है।

## मलेरिया के बारे में:

- मलेरिया एक गंभीर और जीवन के लिए खतरे वाली बीमारी है, जो प्लास्मोडियम परजीवियों द्वारा उत्पन्न होती है। यह बीमारी मानवों में संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है। मलेरिया मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सहारा के दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में अधिक पाया जाता है।
- **लक्षण:** मलेरिया के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:
  - बुखार
  - ठंड लगना
  - सिरदर्द
  - थकान
- यह लक्षण संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 10 से 15 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। यदि समय पर उपचार न किया गया, तो यह बीमारी गंभीर मलेरिया में बदल सकती है, जिससे अंगों की विफलता, एनीमिया या यहां तक कि मृत्यु हो सकती है।

## प्लास्मोडियम प्रजातियाँ:

- प्लास्मोडियम की पांच प्रजातियाँ हैं जो मानवों में मलेरिया का कारण बनती हैं:
  - **पी. फाल्सीपरम (P- falciparum):** सबसे खतरनाक प्रजाति, जो मलेरिया से संबंधित अधिकांश मौतों का कारण बनती है।
  - **पी. विवैक्स (P- vivax):** सबसे अधिक संख्या में पायी जाने वाली प्रजाति, लेकिन सामान्यत: कम घातक।
  - **पी. मलेरिया (P- malariae):** कम घातक मलेरिया का कारण बनती है।
  - **पी. ओवाले (P- ovale):** दुर्लभ मलेरिया का कारण बनती है।
  - **पी. नॉलेजसी (P- knowlesi):** एक प्रजाति जो मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है और मानवों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।

## मलेरिया वैक्सीन्स:

- **RTS,S/AS01 वैक्सीन:** 2021 में WHO द्वारा अनुमोदित, यह पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसने बच्चों में मलेरिया के मामलों को कम करने में सफलता दिखाई है।
- **R21/Matrix-M वैक्सीन:** 2023 में WHO द्वारा अनुमोदित, यह वैक्सीन RTS,S की तुलना में अधिक प्रभावी है (लगभग 77%)।

# SRY जीन और लिंग निर्धारण

## सन्दर्भ:

हाल ही में रेनाटो डल्बेको विश्वविद्यालय अस्पताल (इटली) और सिनसिनाटी चिल्ड्रनस हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर (यूएसए) द्वारा किए गए शोध में महिलाओं में SRY जीन पाया गया है, जो लिंग निर्धारण की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। ये मामले आनुवंशिक उत्परिवर्तन और उनके प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। इन निष्कर्षों से यह पता चलता है कि SRY ट्रांसलोकेशन (SRY जीन का एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित होना) हमेशा पुरुष विकास का कारण नहीं बनता, जो

यह दिखाता है कि आनुवंशिकी और लिंग निर्धारण के बीच अधिक जटिल संबंध होता है।

### SRY जीन लिंग निर्धारण पर कैसे प्रभाव डालता है?

- SRY (Sex-determining Region Y) जीन पुरुष विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह आमतौर पर Y गुणसूत्र पर पाया जाता है और एक आनुवंशिक प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जो पुरुष लिंग विशेषताओं को उत्पन्न करता है।
- लिंग निर्धारण गर्भाधान के समय होता है, जो शुक्राणु द्वारा दी गई आनुवंशिक सामग्री पर निर्भर करता है:
  - » यदि शुक्राणु X गुणसूत्र लाता है, तो भ्रूण महिला (XX) के रूप में विकसित होता है।
  - » यदि शुक्राणु Y गुणसूत्र लाता है, तो SRY जीन पुरुष विकास की शुरुआत करता है (XY), जिससे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है और पुरुष विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं।
  - » अगर SRY जीन मौजूद नहीं है, तो भ्रूण स्वाभाविक रूप से महिला मार्ग पर विकसित होता है, जिससे अंडाशय बनते हैं और महिला विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं।

### SRY जीन और महिला लिंग निर्धारण में भूमिका:

- सामान्यतः जब SRY जीन X गुणसूत्र पर स्थानांतरित होता है, तो यह पुरुष विकास को प्रेरित करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में, X गुणसूत्र का आंशिक लोप इस प्रभाव को रोक सकता है। इसके मुख्य कारण हैं:
  - » **X गुणसूत्र निष्क्रियता (XCI):** यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से महिलाओं में एक X गुणसूत्र को निष्क्रिय कर देती है, जिससे SRY जीन की गतिविधि कम हो सकती है।
  - » **Y-लिंक्ड जीन की अनुपस्थिति:** SRY जीन पुरुष विकास को शुरू करता है, लेकिन अन्य Y गुणसूत्र जीन पुरुष विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी अनुपस्थिति महिला विकास को बढ़ावा दे सकती है।
- पुरुषों में, इस प्रकार के उत्परिवर्तन आमतौर पर बांझपन का कारण बनते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए जरूरी Y गुणसूत्र जीन गायब होते हैं। हालांकि, SRY-जीन वाली महिलाओं का सामान्य विकास हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि आनुवंशिक तंत्र ने महिला लक्षणों के उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### क्या SRY जीन भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है?

- हालांकि SRY-पॉजिटिव महिलाओं में कोई तत्काल स्वास्थ्य जटिलताएँ नहीं पाई गई, शोधकर्ताओं ने संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की है, जैसे:
  - » कम-स्तरीय SRY जीन गतिविधि किशोरावस्था के विकास को प्रभावित कर सकती है।
  - » हॉर्मोनल संतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- दीर्घकालिक निगरानी की सिफारिश की जाती है ताकि इन व्यक्तियों में SRY जीन के सूक्ष्म प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सके।

### आनुवंशिक परामर्श के लिए निहितार्थ:

- महिलाओं में SRY-ट्रांसलोकेशन की खोज आनुवंशिक परामर्श के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है, विशेष रूप से:
  - » प्रजनन स्वास्थ्य और जोखिम मूल्यांकन में।
  - » दुर्लभ आनुवंशिक भिन्नताओं की पहचान और समझ में।
  - » प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने में।
- SRY ट्रांसलोकेशन की आवृत्ति और इसके दीर्घकालिक परिणामों का अध्ययन आनुवंशिक परामर्श रणनीतियों को सुधारने में महत्वपूर्ण होगा।

### निष्कर्ष:

SRY जीन लिंग निर्धारण में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, फिर भी ये दुर्लभ मामले आनुवंशिक लिंग विभेदन की जटिलता को उजागर करते हैं। ये पारंपरिक जैविक धारणाओं को चुनौती देते हैं और आनुवंशिक ट्रांसलोकेशन पर निरंतर शोध की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इन मामलों की गहरी समझ न केवल आनुवंशिक परामर्श को बेहतर बनाएगी, बल्कि मानव आनुवंशिकी और प्रजनन चिकित्सा में व्यापक ज्ञान में भी योगदान करेगी।

## नाइजर बना ऑन्कोसेरकेयसिस (रिवर ब्लाइंडनेस) समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश

### सन्दर्भ:

हाल ही में अफ्रीकी देश, नाइजर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वह अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऑन्कोसेरकेयसिस (रिवर ब्लाइंडनेस) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस तथ्य की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने की है। नाइजर ने ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को पूरी तरह से रोक दिया है, जो ऑन्कोसेरकेयसिस बीमारी का प्रमुख कारण है।

### ऑन्कोसेरकेयसिस (रिवर ब्लाइंडनेस) क्या है?

- ऑन्कोसेरकेयसिस एक परजीवी रोग है, जो संक्रमित काली मक्खियों के काटने से फैलता है। ये मक्खियाँ आमतौर पर तेज बहाव वाली नदियों के पास पाई जाती हैं, जिससे इस बीमारी को 'रिवर ब्लाइंडनेस' कहा जाता है।
- यह बीमारी गंभीर खुजली, त्वचा पर दाने, रंग परिवर्तन, आंखों की रोशनी कम होने और स्थायी अंधापन का कारण बन सकती है। यह दुनिया में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक कारण है, पहले स्थान पर ट्रैकोमा है।

- इससे पहले केवल कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको ने इस बीमारी को खत्म किया था।
- अब नाइजर इस सूची में शामिल होने वाला पांचवां और अफ्रीका का पहला देश बन गया है।

## नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज और उनका प्रभाव:

- ऑन्कोसेरकेयसिस को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज (NTD) की श्रेणी में रखा गया है। NTDs वे संक्रामक रोग होते हैं, जो मुख्य रूप से गरीब और पिछड़े समुदायों को प्रभावित करते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।
- NTDs विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, परजीवियों और फंगस से फैलते हैं।
- अन्य प्रमुख NTDs में डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, लीशमैनियासिस, कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) और लिम्फेटिक फिलैरियासिस शामिल हैं।
- ये बीमारियाँ गरीबी को बढ़ावा देती हैं और प्रभावित समुदायों को हाशिए पर धकेल देती हैं।

## NTDs के खिलाफ वैश्विक प्रयास:

- भारत ने भी गिनी वर्म, ट्रैकोमा और यॉज जैसी कुछ NTDs को खत्म करने में सफलता हासिल की है।
- किगाली डिक्लेरेशन (2022) और लंदन डिक्लेरेशन (2012) जैसे वैश्विक समझौते इन बीमारियों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- WHO ने "Skin NTDs App" नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो स्वास्थ्यकर्मियों को स्किन संबंधी NTDs की पहचान करने और उपचार में सहायता करता है।
- हर साल 30 जनवरी को 'विश्व NTD दिवस' मनाया जाता है, जिससे इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

## निष्कर्ष:

नाइजर की यह सफलता वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों और नीति निर्माताओं के लिए आशा की किरण है, जो भविष्य में अन्य नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगी।

# सुजेट्रिजीन

## सन्दर्भ:

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सुजेट्रिजीन (Suzetrigine) नामक एक नई गैर-ओपिओइड दर्द-निवारक (Non-Opioid Painkiller) दवा को मंजूरी दी है। इसे वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित किया गया है और इसे जर्नैविक्स (Journavx) ब्रांड नाम से बाजार में उपलब्ध कराया गया है। यह पारंपरिक ओपिओइड दर्द निवारकों का एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प माना जा रहा है।

## ओपिओइड्स के बारे में:

- ओपिओइड्स एक प्रकार की दवाएँ होती हैं, सामान्यतया अफीम के पौधे से प्राप्त होती हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध दर्द निवारक दवाएँ जैसे ऑक्सिकोडोन (Oxycodone), मॉर्फिन (Morphine), कोडीन (Codeine) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हीरोइन (Heroin) और फेंटानिल (Fentanyl) जैसी अवैध नशीली दवाएँ भी ओपिओइड्स की श्रेणी में आती हैं।
- ओपिओइड्स मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में मौजूद ओपिओइड रिसेप्टर्स से जुड़कर दर्द के संकेतों को अवरुद्ध कर देते हैं और व्यक्ति को सुखद एहसास (euphoria) प्रदान करते हैं।
- ओपिओइड्स दर्द कम करने में प्रभावी होते हैं, लेकिन इनके नशे जैसे प्रभाव व्यक्ति को मानसिक रूप से इनका आदी बना सकते हैं।
- अमेरिका में ओपिओइड्स की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसके कारण हर साल हजारों लोग ओवरडोज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं

## सुजेट्रिजीन कैसे काम करता है?

- जब शरीर में चोट लगती है, तो नोसिसेप्टर्स (विशेष तंत्रिकाएँ) इसे पहचानकर स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मस्तिष्क तक दर्द के संकेत भेजती हैं।
- ओपिओइड्स इन संकेतों को रोकते हैं, लेकिन वे मस्तिष्क में आनंद (euphoria) की अनुभूति उत्पन्न करते हैं, जिससे उनका नशे का खतरा बढ़ जाता है।
- सुजेट्रिजीन इस प्रक्रिया को एक अलग तरीके से नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क तक दर्द के संकेत पहुँचने से पहले ही उन्हें अवरुद्ध कर देता है और यह आनंद या नशे की अनुभूति नहीं कराता।
- इससे व्यक्ति को दर्द से राहत मिलती है, लेकिन ओपिओइड्स की तरह इसकी लत नहीं लगती।

## सुजेट्रिजीन के लाभ:

- **नशा-मुक्त (Non-Addictive):** चूंकि यह नशे का एहसास नहीं कराता, इसलिए मानसिक लत का खतरा नहीं होता।
- **लक्षित प्रभाव:** यह दर्द के संकेतों को सीधे मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले रोककर अधिक प्रभावी दर्द प्रबंधन प्रदान करता है।
- **नियंत्रित खुराक (Scheduled Dosage):** इसे पहले दिन 100 मिलीग्राम की खुराक में लिया जाता है, उसके बाद 50 मिलीग्राम की गोली दिन में दो बार दी जाती है।

## निष्कर्ष:

सुजेट्रिजीन दर्द प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार है। यह ओपिओइड्स का एक सुरक्षित और गैर-नशीला विकल्प प्रदान करता है, जिससे लंबे समय तक दर्द से जूझ रहे मरीजों को राहत मिल सकती है। हालाँकि, इसकी उच्च लागत इसके व्यापक उपयोग में बाधा बन सकती है। इसे अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

# 6 आर्थिक मुद्दे

## वैश्विक श्रम बाजार का भविष्य और भारत की बढ़ती भूमिका

तकनीकी प्रगति और जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण वैश्विक श्रम बाजार में तीव्र परिवर्तन हो रहे है। 2030 तक कुशल श्रम की मांग, आपूर्ति से अधिक होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। फिक्की-केपीएमजी के एक अध्ययन 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता' के अनुसार, विश्व को 85.2 मिलियन से अधिक कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से $8.45 ट्रिलियन वार्षिक राजस्व का नुकसान होगा। यह परिदृश्य दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही, यह भारत के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है। भारत अपने कुशल कार्यबल को वैश्विक स्तर पर एक परिसंपत्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे न केवल वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान होगा, बल्कि भारत के स्वयं के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

### वैश्विक कार्यबल रुझान और क्षेत्रीय मांग:

- अध्ययन के अनुसार श्रम की कमी सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होगी, बल्कि जनसांख्यिकीय रुझानों, औद्योगिक आवश्यकताओं और आर्थिक नीतियों के आधार पर अलग-अलग होगी। तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यबल की कमी होने की सम्भावना है:
  - **खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और ऑस्ट्रेलिया:** इन क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की उच्च मांग होगी, क्योंकि तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास प्राथमिकता बनी हुई है।
  - **यूरोप:** यूरोप सेवा क्षेत्र के पेशेवरों पर अधिक निर्भर होगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी-संबंधी सेवाओं में।
  - **सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग:** बढ़ती उम्र की आबादी और बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उच्च मांग में होगा। इसके अतिरिक्त, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, संसाधन दक्षता और स्थिरता में विशेषज्ञता की मांग बढ़ती रहेगी, जो भविष्य के कार्यबल परिदृश्य को आकार देगी।

### वैश्विक श्रम बाजार में भारत का भू-राजनीतिक लाभ:

- अन्य देशों के प्रवासी समुदायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन भारतीय श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी, जहां अप्रवास विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, कुशल भारतीय पेशेवरों की मांग बनी हुई है।
- हालांकि, अवैध प्रवास एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिससे आर्थिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए कानूनी प्रवासन प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है ताकि भारतीय श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके और भारत को कुशल श्रम के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया जा सके।

### भारत का जनसांख्यिकीय लाभ:

- भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जिसमें लगभग 65% लोग कामकाजी आयु वर्ग (15-64 वर्ष) में हैं और 27% से अधिक 15 से 24 वर्ष के बीच के हैं। यह जनसांख्यिकीय अधिशेष (Demographic Surplus) वैश्विक कार्यबल की कमी को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
  - **दोहरा लाभ:** भारत की अपेक्षाकृत युवा औसत आयु 28.4 वर्ष है, जो न केवल प्रतिस्पर्धी कार्यबल उपलब्ध कराता है, बल्कि घरेलू उपभोग के माध्यम से आर्थिक

विकास को भी बढ़ावा देता है।

» **पूर्व की सफलतायें:** आईटी और बीपीओ क्षेत्रों में भारत की सफलता ने वैश्विक आर्थिक योगदान के लिए कुशल जनशक्ति का लाभ उठाने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया है।

Global Minimum Wage Comparison in Automotive Manufacturing Industry

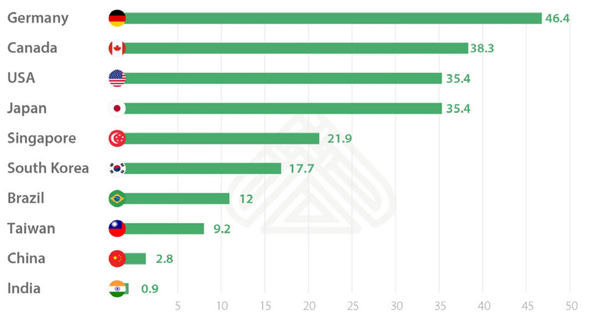


*Source: EY Report*

## कार्यबल की गतिशीलता में बाधाएँ:

वैश्विक श्रम बाजार में बढ़ती मांग के बावजूद, विभिन्न संरचनात्मक और प्रणालीगत बाधाएँ कुशल कार्यबल की मुक्त गतिशीलता को बाधित करती हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **विनियामक और आव्रजन सम्बंधी बाधाएँ:** कठोर वीजा प्रक्रियाएँ और कार्य परमिट नियम कुशल प्रवास के अवसरों को सीमित करते हैं। कई देशों में आप्रवासन नीतियों का कठोर होना भारतीय श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ बढ़ा रहा है।
- **भर्ती में गड़बड़ी और मानव तस्करी:** कई प्रवासी श्रमिक शोषणकारी भर्ती प्रथाओं और अनियमित बिचौलियों का शिकार होते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मानव तस्करी और अनैतिक भर्ती प्रथाओं से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था।
- **नीतिगत बाधाएँ और कौशल विसंगतियाँ:** भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र के श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिग्री मान्यता की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे कई उच्च-योग्यता प्राप्त भारतीय पेशेवर अल्प रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति में पहुँच जाते हैं।
- **भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएँ:** कई देशों में भाषा दक्षता की कमी और सांस्कृतिक अनुकूलन संबंधी चुनौतियाँ कार्यबल के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन बाधाओं के कारण उत्पादकता और दक्षता प्रभावित होती है, जिससे श्रमिकों के पेशेवर विकास में अवरोध आता है।

## सरकारी पहल और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ:

इन समस्याओं को पहचानते हुए, भारत सरकार ने कार्यबल की सुगम गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई पहलों को क्रियान्वित किया है। प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

- **द्विपक्षीय समझौते और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए):** भारत ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जीसीसी देशों के साथ औपचारिक समझौते किए हैं।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** सरकार ने कार्यबल प्रशिक्षण को वैश्विक श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने को प्राथमिकता दी है। भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त विजन में कौशल निगम के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- **कार्यबल समर्थन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म:** भारत ने प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से जीसीसी देशों में, धोखेबाज बिचौलियों से बचाने के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रणाली स्थापित की है।

## भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता का लाभ उठाना:

अपनी विशाल कार्यशील जनसंख्या के अनुकूलन के लिए भारत ने कई कौशल प्रशिक्षण और प्रवासन पहल शुरू की हैं:

- **कौशल विकास पहल:**
  - » कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य श्रमिकों को उच्च मांग वाले कौशल में प्रशिक्षित करना है।
  - » राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करती है, जिससे प्रारंभिक स्तर पर कौशल विकास संभव हो सके।
- **प्रवास समझौते:** भारत ने इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ प्रवास और कौशल प्रशिक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कुशल श्रमिकों के कानूनी आवागमन में सुविधा होगी।

## कार्यबल की गतिशीलता को अनुकूलित करने के लिए रणनीतिक उपाय

भारत की वैश्विक कार्यबल उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्षेत्र-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण:** कार्यबल प्रशिक्षण को लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों और उभरते उद्योगों की मांगों के अनुरूप होना चाहिए।
- **भर्ती प्रथाओं का विनियमन:** श्रमिकों के शोषण और तस्करी से निपटने के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
- **योग्यताओं की मान्यता:** शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक कार्यबल एकीकरण को आसान बनाया जा सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना:** केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वैश्विक रोजगार सुविधा में निजी क्षेत्र की

भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- **परिपत्र प्रवासन और गतिशीलता को बढ़ावा देना:** अस्थायी कार्य वीजा और गतिशील कार्यबल मॉडल को लागू करने से जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने और श्रम की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

### विकसित भारत का विजन:

- भारत की कार्यबल क्षमता उसकी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2030 तक 6.5 से 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत 8.45 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक आर्थिक क्षमता का कितना लाभ उठा सकता है, यह उसकी आर्थिक नीतियों और कार्यबल प्रबंधन की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा।
- यदि भारत नीतिगत सुधारों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक कार्यबल नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। ये प्रयास न केवल वैश्विक कार्यबल स्थिरता में योगदान देंगे, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही बदलते श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत का कुशल कार्यबल वैश्विक आर्थिक विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम होगा।

# भारत में माइक्रोफाइनेंस: विकास, चुनौतियाँ और आगे की राह

माइक्रोफाइनेंस, जिसे माइक्रोक्रेडिट भी कहा जाता है, उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच नहीं होती। इसमें माइक्रो-लोन, बचत खाते, बीमा, प्रेषण (Remittances) और अन्य वित्तीय उत्पाद शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देना और हाशिए पर मौजूद समुदायों को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस का सबसे अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इससे वे आर्थिक गतिविधियों में अधिक भाग ले सकती हैं, बेहतर निर्णय ले सकती हैं और उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पिछले कई दशकों में विकसित हुआ है। यह क्षेत्र विनियामक (Regulatory) सुधारों, वित्तीय संकटों और संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजरा है। वर्तमान में, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) और स्वयं सहायता समूह (SHG) सामूहिक रूप से लगभग 12-14 करोड़ परिवारों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र का कुल ऋण पोर्टफोलियो 7 लाख करोड़ है, जिसमें से 4 लाख करोड़ संयुक्त देयता समूह (JLG) ऋण से संबंधित है। हालाँकि, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें अत्यधिक ऋणग्रस्तता ,बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA), विनियामक बाधाएँ और परिचालन अक्षमताएँ (Operational Inefficiencies) शामिल हैं।

### भारत में माइक्रोफाइनेंस का विकास:

भारत में माइक्रोफाइनेंस की यात्रा सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और नियामक ढांचे के अनुकूल होते हुए अनेक चरणों से गुजरी है।

- **प्रारंभिक नींव ( 1970-1990 ): मॉडल की स्थापना**
  - 1974 में, स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA) बैंक की स्थापना गुजरात में की गई, जो भारत की पहली माइक्रोफाइनेंस संस्था बनी। इसने स्व-रोजगार हेतु महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने की पहल की।
  - 1992 में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने स्वयं सहायता समूह (SHG) लिंकेज पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसने SHG को बचत एकत्र करने और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **विनियामक मान्यता ( 2000-2010 ): माइक्रोफाइनेंस का विस्तार**
  - 2004 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत शामिल किया, जिससे बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य हो गया।
  - 2010 में, आंध्र प्रदेश संकट के दौरान जबरन वसूली और अति-ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएँ सामने आईं, जिसके कारण राज्य सरकार ने माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
  - 2010 में, मालेगाम समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए नए नियामक मानदंड विकसित करना और जिम्मेदार ऋण देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था।

» 2015 में, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) बैंक की स्थापना की गई, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को माइक्रोक्रेडिट (Microcredit) तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके।

- **2015 के बाद: विस्तार और चुनौतियाँ**
  - » 2016 में, विमुद्रीकरण (Demonetization) के कारण नकदी की कमी हो गई, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो गया व माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) के लिए धन की उपलब्धता प्रभावित हुई।
  - » 2017 में, वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने से एमएफआई के संचालन में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई।
  - » 2018-2019 में, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL-FS) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) जैसे वित्तीय संस्थानों के संकट के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-MFI) के लिए वित्तपोषण में कमी आई, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता बाधित हुई।
  - » 2020-2021 में, कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट पैदा हुआ, जिससे ऋण अदायगी में चूक (Loan Defaults) और परिचालन से जुड़ी समस्याएँ बढ़ गईं।
- हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद, तकनीकी प्रगति, बेहतर जोखिम मूल्यांकन और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने धीरे-धीरे सुधार किया। कोविड-19 के बाद की रिकवरी के कारण पिछले दो वर्षों में माइक्रोफाइनेंस ऋण पोर्टफोलियो और खातों में लगभग 50% की वृद्धि हुई।

## भारत में माइक्रोफाइनेंस बिजनेस मॉडल:

- **स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups: SHG)**
  - » स्वयं सहायता समूह (SHG) छोटे समूह होते हैं, जिनमें सामान्यतौर पर 10-20 सदस्य होते हैं। ये सदस्य सामूहिक रूप से बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर उस बचत से ऋण लेते हैं।
  - » नाबार्ड (NABARD) का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस पहल मानी जाती है, जो SHG को बैंक ऋण तक पहुँचने में मदद करता है।
  - » ये समूह सहकर्मी निगरानी मॉडल (Peer Monitoring Model) के तहत काम करते हैं, जिससे पारस्परिक जवाबदेही के जरिए ऋण चुकाने की दर अधिक बनी रहती है।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थान:**
  - » एमएफआई (MFI) संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Group - JLG) के तहत ऋण देते हैं, जिसमें 4-10 सदस्य मिलकर एक-दूसरे के ऋण की गारंटी लेते हैं। एमएफआई एक सख्त पुनर्भुगतान प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है।
  - » **विनियामक निगरानी:** NBFC-MFI (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं और इन्हें RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

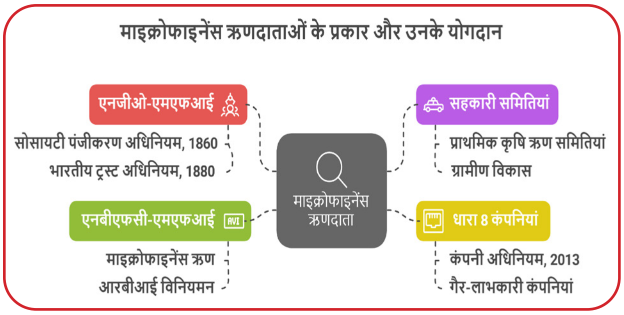


- **माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं के प्रकार:**
  - » **गैर सरकारी संगठन (NGO)-MFI:** ये गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organizations) होते हैं, जोकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1880 के तहत पंजीकृत होते हैं।
  - » **सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies):** प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) जैसी संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त सेवाएँ प्रदान करती हैं।
  - » **धारा 8 के तहत कंपनियाँ:** ये कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियाँ होती हैं, जो मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन पर ध्यान देती हैं।
  - » **गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC):** इनका माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में लगभग 80% हिस्सा है और ये RBI द्वारा सख्त विनियमन के तहत आती हैं।

## वर्तमान स्थिति और विकास रुझान:

- माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक उधार कर्ताओं को सेवा प्रदान करता है।
  - » **कुल बकाया ऋण:** 7 लाख करोड़, महामारी के बाद तेजी से विस्तार हुआ।
  - » **रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र 130 लाख नौकरियों और भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 2% का योगदान देता है।

हालाँकि, बढ़ती देनदारियाँ और एनपीए वित्तीय तनाव के संकेत हैं।

- **बढ़ते एनपीए:**
  - » ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का सकल एनपीए सितंबर 2024 में बढ़कर 1,279.3 करोड़ (6.9%) हो गया, जो एक साल पहले 399.1 करोड़ (2.6%) था।

- क्रिसिल का अनुमान है कि एसएफबी एनपीए वित्त वर्ष 24 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 2.9% हो जाएगा।

- **संग्रह क्षमता में गिरावट:**
  - वित्त वर्ष 2024 में संग्रह दक्षता 98% थी, जोकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में घटकर 94% रह गई। यह माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते वित्तीय दबाव को दर्शाता है।

## भारत में माइक्रोफाइनेंस के समक्ष चुनौतियाँ:

- **परिचालन और संरचनात्मक चुनौतियाँ**
  - **अत्यधिक ऋणग्रस्त (Over-Indebted) उधारकर्ता:** कई लोग अलग-अलग संस्थानों से कई ऋण ले लेते हैं, लेकिन उनकी चुकाने की क्षमता कमजोर होती है।
  - **कमजोर संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल:** समूह के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी समान होती है, लेकिन जवाबदेही की कमी के कारण ऋण चूक (Default) के मामले बढ़ रहे हैं।
  - **कर्मचारियों का पलायन और धोखाधड़ी:** कर्मचारियों के संस्थाओ को छोड़ने की दर अधिक है, जिससे ऋण वसूली प्रभावित होती है। कुछ मामलों में धोखाधड़ी पूर्ण ऋण (Fraudulent Loans) देने की घटनाएँ भी देखी गई हैं।
- **उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता और वित्तीय दबाव:**
  - **बढ़ता क्रेडिट कार्ड ऋण:** 2023 में बकाया शेष राशि 2.30 लाख करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 2.71 लाख करोड़ हो गई। यह संकेत देता है कि लोग अधिक कर्ज ले रहे हैं, जिससे उनके लिए पुनर्भुगतान कठिन हो सकता है।
  - **विनियामक प्रतिबंध:** RBI ने NBFC-MFI पर अनुचित ब्याज दर (Predatory Pricing) और उधारकर्ता मूल्यांकन में खामियों के कारण सख्त नियम लागू किए हैं।
- **बाहरी चुनौतियाँ:**
  - **राजनीतिक हस्तक्षेप:** चुनावों से पहले कई दल ऋण माफी का वादा करते हैं, जिससे लोग जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते।
  - **प्राकृतिक आपदाएँ:** बाढ़ और सूखे से लोगों की आय पर असर पड़ता है, जिससे वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।

## नीतिगत उपायों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस को मजबूत करना:

- **मानकीकृत घरेलू आय मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की वास्तविक पुनर्भुगतान क्षमता का सही मूल्यांकन करना है, जिससे अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोका जा सके और माइक्रोफाइनेस क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो।
- **क्रेडिट डेटा अपडेट:** क्रेडिट ब्यूरो को उधारकर्ताओं के डेटा को 15 दिन के बजाय साप्ताहिक रूप से अपडेट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **आधार-आधारित केवाईसी:** आधार आधारित उधारकर्ता पहचान प्रणाली लागू करने से ऋण दोहराव और डेटा विसंगतियों को रोका जा सकता है।
- **मजबूत विनियामक निगरानी:** आरबीआई को NBFC-MFI के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू करना चाहिए, ताकि अनुचित ऋण प्रथाओं (Predatory Lending Practices) को रोका जा सके।

## निष्कर्ष:

माइक्रोफाइनेंस ने कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और भारत की वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, यह क्षेत्र बढ़ते एनपीए, अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं और विनियामक बाधाओं के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि उधारकर्ता मूल्यांकन को मजबूत किया जाए, पारदर्शिता बढ़ाई जाए और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को अपनाया जाए, तो माइक्रोफाइनेंस की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। प्रौद्योगिकी, डेटा-संचालित नीतियों और वित्तीय नवाचारों का उपयोग करके, माइक्रोफाइनेंस भारत में आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण बना रह सकता है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## गिग श्रमिकों के लिए पेंशन नीति

### संदर्भ:

हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लेन-देन आधारित पेंशन नीति विकसित कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर काम करते हैं और जिनके पास स्थिर वेतन नहीं होता है। इस नीति के अंतर्गत, पेंशन योगदान श्रमिकों की आय संबंधी लेन-देन के आधार पर होगा, जिससे

लगभग 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।

## पेंशन नीति कैसे काम करेगी:

- प्रस्तावित पेंशन योजना ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से काम करेगी, जहां प्रत्येक गिग श्रमिक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सौंपा जाएगा। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
  - » पेंशन कटौती श्रमिकों की कई प्लेटफार्मों से होने वाली आय से जुड़ी होंगी।
  - » प्रत्येक प्लेटफार्म (नियोक्ता) प्रति-बिल के आधार पर पेंशन में योगदान करेगा।
  - » एक मानकीकृत योगदान संरचना,जिसमें श्रमिक और नियोक्ता दोनों पेंशन योगदान साझा करेंगे।
- ई-श्रम पोर्टल के साथ इस नीति का एकीकरण, जिसे 2021 में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा।
- जनवरी 2025 तक, पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। UAN प्रणाली श्रमिकों के रोजगार इतिहास को विभिन्न प्लेटफार्मों पर ट्रैक करेगी, जिससे पारदर्शिता और स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य कल्याण योजनाओं जैसी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

## गिग श्रमिक कौन हैं?

- गिग श्रमिक वे व्यक्ति होते हैं जो अस्थायी और लचीले कार्य करते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से भिन्न होते हैं। यह कार्य सामान्यतः ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से या अनुबंध आधारित होते हैं, इसके बजाय कि वे किसी कंपनी में स्थायी रोजगार प्राप्त करें।
- **गिग अर्थव्यवस्था:** गिग अर्थव्यवस्था एक श्रम बाजार को दर्शाती है जो लघु-अवधि, लचीले काम की व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। इस क्षेत्र ने तेजी से वृद्धि की है, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे उबर, अमेजन और फ्रीलांस वेबसाइटों के उदय के साथ। भारत में, गिग अर्थव्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है।
- **गिग श्रमिकों के प्रकार:** गिग श्रमिकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
  - » **प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक:** ये श्रमिक डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे उबर, स्विग्गी, अमेजन के माध्यम से काम ढूंढते हैं। वे ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ते हैं।
  - » **गैर-प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक:** ये श्रमिक पारंपरिक क्षेत्रों जैसे निर्माण या मैन्युअल श्रम में बिना डिजिटल प्लेटफार्मों के अनुबंध या अस्थायी काम करते हैं।

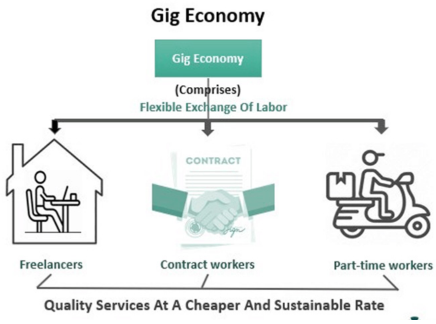


## गिग श्रमिकों को लाभ:

- **लचीलापन:** गिग श्रमिक अपने काम के घंटों को सेट कर सकते हैं और अपनी उपलब्धता और प्राथमिकताओं के आधार पर असाइनमेंट्स चुन सकते हैं।
- **विविध कार्य अवसर:** वे कई प्लेटफार्मों और उद्योगों के साथ काम कर सकते हैं, विभिन्न कौशल और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
- **स्वतंत्रता:** कई गिग श्रमिक अपने ही बॉस होते हैं, जिससे उन्हें अपने कार्य-जीवन संतुलन को नियंत्रित करने का अवसर मिलता है।

## गिग श्रमिकों को सामना होने वाली चुनौतियाँ:

- **नौकरी की सुरक्षा की कमी:** लंबे समय तक रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, जिससे वित्तीय स्थिरता अनिश्चित रहती है।
- **अस्थिर आय:** आय काम की उपलब्धता और बाजार की मांग के आधार पर बदलती रहती है।
- **सीमित सामाजिक सुरक्षा:** पारंपरिक कर्मचारियों की तुलना में गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, वेतन अवकाश या पेंशन योजनाओं जैसे लाभों की कमी होती है।
- **शोषण का जोखिम:** कई गिग श्रमिकों को न्यूनतम कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है और वे प्लेटफार्मों या नियोक्ताओं से अनुचित व्यवहार का सामना कर सकते हैं।

## निष्कर्ष:

प्रस्तावित पेंशन नीति भारत में गिग श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन योगदानों को वेतन लेन-देन से जोड़ने और इन्हें ई-श्रम पोर्टल से एकीकृत करने के द्वारा, सरकार का उद्देश्य गिग श्रमिकों के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर लाभों को मानकीकृत करना है। हालांकि गिग काम का लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा की कमी और सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। यह नीति उस अंतर को भरने की उम्मीद करती है, जिससे गिग श्रमिकों को एक संरचित पेंशन प्रणाली और एक अधिक सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके।

# आयकर विधेयक, 2025

## संदर्भः

आयकर विधेयक, 2025 को 15 फरवरी, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के कर प्रणाली को सरल बनाना है, जिसमें पुराने प्रावधानों को हटाना, कानून को अधिक स्पष्ट बनाना और कानूनी जटिलताओं को कम करना शामिल है। यह 1961 के आयकर अधिनियम को बदलकर 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

## विधेयक की प्रमुख बातेंः

- **संक्षिप्त और सरल कर कानूनः** नया विधेयक शब्दों की संख्या को आधा कर देता है, जिससे यह अधिक संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाता है। अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है और धाराएं 819 से घटकर 536 रह गई हैं।
- जटिल कानूनी भाषा के बजाय, कटौती, छूट और कर दरों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसे समझना आसान हो गया है।

## 'कर वर्ष' की नई अवधारणाः

- पुराने निर्धारण वर्ष (Assessment Year-AY) को हटाकर अब 'कर वर्ष' (Tax Year) की नई प्रणाली लाई गई है, जो वित्तीय वर्ष के अनुरूप होगी।
- इससे कर दाखिल करने की प्रक्रिया सरल होगी और व्यक्तियों व व्यवसायों के लिए कर अवधि का रिकॉर्ड रखना आसान होगा।
- नए व्यवसायों या पेशों के लिए, कर वर्ष उनकी स्थापना की तारीख से शुरू होगा और उसी वित्तीय वर्ष में समाप्त होगा।

## डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी पर नए नियमः

- विधेयक 'आभासी डिजिटल क्षेत्र' (Virtual Digital Space) की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि इसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म शामिल हों। इससे कर अधिकारियों को डिजिटल लेनदेन की निगरानी और जांच करने में आसानी होगी।
- क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को अब आधिकारिक रूप से 'संपत्ति' माना जाएगा और रियल एस्टेट, शेयर बाजार और सोने की तरह इन पर भी पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) लगेगा।

## पूंजीगत लाभ कर और कटौतियों में बदलावः

- 1992 से पहले की संपत्ति हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ कर छूट जैसी पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है।
- वेतन से संबंधित कटौतियों जैसे मानक कटौती (Standard Deduction), ग्रेच्युटी (Gratuity) और अर्जित अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) को एक संरचित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन्हें समझना आसान होगा।

## तेजी से और स्पष्ट विवाद समाधानः

- विवाद समाधान पैनल (Dispute Resolution Panel - DRP) में सुधार किया गया है और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि निर्णय कैसे लिए जाएंगे और सूचित किए जाएंगे।
- इससे कर विवादों के निपटान की प्रक्रिया तेज होगी और मुकदमों की संख्या में कमी आने की संभावना है।

## चुनौतियाँ और भविष्य के प्रभावः

- **बड़े संरचनात्मक सुधार नहीं:**
  - » विधेयक प्रावधानों को सरल बनाता है, लेकिन कर दरों, दंड (Penalties) या अनुपालन प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं करता।
  - » विशेषज्ञों का मानना है कि इसे और अधिक करदाता-अनुकूल बनाने के लिए आगे और सुधारों की जरूरत है।
- **संक्रमण संबंधी चुनौतियाँ:**
  - » करदाताओं और व्यवसायों को 'कर वर्ष' की नई अवधारणा के अनुकूल होने में समय लगेगा।
  - » वित्तीय पेशेवरों को अपनी कर रणनीतियों और सिस्टम को अपडेट करना होगा।

## निष्कर्षः

भारत की कर प्रणाली लंबे समय से जटिल और कठिन रही है। 2010 और 2018 में इसे सरल बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे पूरी तरह लागू नहीं हो सके। आयकर विधेयक, 2025 अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर, भाषा को सरल बनाकर और कर नियमों को अधिक स्पष्ट बनाकर एक पारदर्शी, कुशल और सुव्यवस्थित कर प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

# शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी

## संदर्भः

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया। यह सर्वेक्षण शहरी बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate - LFPR) तथा विभिन्न रोजगार श्रेणियों और क्षेत्रों में कार्यबल के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

## शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दरः

- अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल बेरोजगारी दर 6.4% रही। इसमें पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.8% रही, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.1% दर्ज की गई।
- 2023 की इसी तिमाही की तुलना में, कुल बेरोजगारी दर (6.

5%) से मामूली सुधार देखा गया। इसी अवधि में, महिला बेरोजगारी दर भी पिछले वर्ष के 8.6% से घटकर 8.1% हो गई।
- पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024) की तुलना में, कुल बेरोजगारी दर 6.4% पर स्थिर बनी रही।

### राज्यवार बेरोजगारी के रुझान:

- हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरी बेरोजगारी दर 10.4% दर्ज की गई। गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर 3.0% थी।
- महिलाओं में, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 24% थी, जबकि दिल्ली में सबसे कम 1.3% दर्ज की गई।

### शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), जो श्रम बल में सक्रिय रूप से शामिल आबादी के अनुपात को दर्शाता है, सभी आयु समूहों के लिए 39.6% थी पिछले वर्ष इसी तिमाही में 39.2% से वृद्धि हुई।
- महिलाओं के लिए LFPR में 0.1 प्रतिशत अंकों की मामूली वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 19.9% से बढ़कर 20% हो गई, हालाँकि यह पिछली तिमाही के 20.3% से थोड़ी कम हुई।
- बिहार में सबसे कम LFPR दर्ज की गई, जिसमें कुल मिलाकर 30.7% और महिलाओं के लिए 9.9% थी।

### शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):

- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 46.6% से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 47.2% हो गया।
- शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए श्रमिक आबादी अनुपात अक्टूबर-दिसंबर, 2023 में 69.8 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर, 2024 के दौरान 70.9 प्रतिशत हो गया।

### रोजगार श्रेणियाँ:

- श्रमिकों को तीन व्यापक रोजगार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:
  - 39.9% स्व-नियोजित श्रमिक, नियोक्ता और घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक शामिल थे।
  - 49.4% नियमित कर्मचारी थे, अर्थात वेतनभोगी/मजदूरी पाने वाले कर्मचारी।
  - 10.7% आकस्मिक मजदूर थे, जो अस्थायी या अनियमित काम में लगे थे।

### क्षेत्रवार कार्यबल वितरण:

- 5.5% श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे थे।
- 31.8% लोग द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसमें विनिर्माण, खनन और निर्माण शामिल हैं।
- 62.7% कर्मचारी तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसमें सेवाएँ, व्यापार, परिवहन, वित्त और अन्य पेशेवर गतिविधियाँ शामिल हैं।

### निष्कर्ष:

रिपोर्ट शहरी रोजगार में हुई प्रगति और विद्यमान चुनौतियों दोनों को उजागर करती है। हालांकि, कुल बेरोजगारी दर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन लैंगिक असमानताएँ अभी भी स्पष्ट हैं, क्योंकि महिला बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में काफी अधिक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, राज्यवार भिन्नताएँ यह दर्शाती हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

## पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs)

### सन्दर्भ:

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) लगाने की घोषणा की। इस निर्णय से अमेरिका और उसके सहयोगी तथा प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने और संभावित व्यापार युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई है।

### पारस्परिक शुल्क क्या हैं?

- शुल्क (Tariffs) वे कर हैं, जो आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं ताकि व्यापार को नियंत्रित किया जा सके और घरेलू उद्योगों की रक्षा की जा सके। पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) का अर्थ है कि कोई देश उतने ही शुल्क लगाएगा, जितने शुल्क उसके निर्यात (Exports) पर दूसरा देश लगाता है।
- यह नीति पारंपरिक व्यापार समझौतों को चुनौती देती है, जो विकासशील देशों को अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए उच्च शुल्क लगाने की अनुमति देते थे, जबकि विकसित देश अपेक्षाकृत निम्न शुल्क संरचना बनाए रखते थे।
- पूर्व में वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क दरों को कम करने की प्रवृत्ति देखी गई है। GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) और WTO जैसे समझौते मुक्त व्यापार (Free Trade) को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। हालांकि, पारस्परिक शुल्क की नीति इस प्रणाली को बाधित कर सकती है।

### पारस्परिक शुल्क की अवधारणा:

- अमेरिका का तर्क है कि मौजूदा व्यापार नियम कुछ देशों को अनुचित लाभ (Unfair Advantage) प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अपने निर्यातकों को सरकारी सहायता, सब्सिडी और कम शुल्क जैसी नीतियों से बढ़ावा देते हैं। इससे इन देशों के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत, जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI – Production Linked Incentive) जैसी नीतियों के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है।

- इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) नीति लागू करने का निर्णय लिया। इस नीति के तहत, यदि कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उसी अनुपात में उसके उत्पादों पर शुल्क बढ़ाएगा। इस नीति की गणना में कई व्यापारिक कारकों को शामिल किया जाता है, जिनमें शुल्क दरें, सरकारी सब्सिडी और निर्यातकों को मिलने वाली अन्य सहायता प्रमुख हैं।
- यदि पारस्परिक शुल्क लागू किए जाते हैं, तो इससे आयात लागत (Import Costs) बढ़ सकती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chains) बाधित हो सकती है। विकासशील देश, जो अपने घरेलू उद्योगों को सस्ते विदेशी उत्पादों से बचाने के लिए संरक्षणवादी (Protective) शुल्क लगाते हैं, वे पारस्परिक शुल्क लागू होने की स्थिति में गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

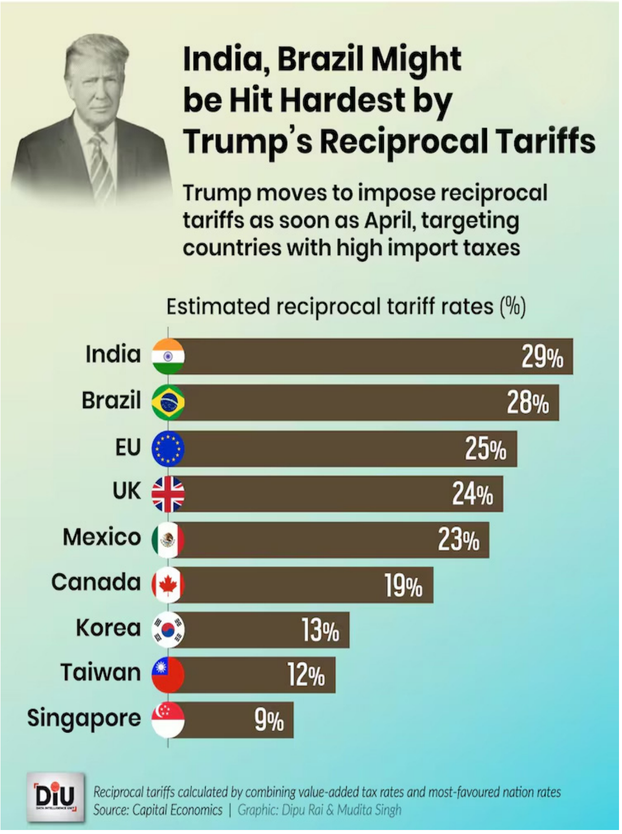


### भारत पर प्रभाव:

- **भारतीय निर्यात की लागत में वृद्धि:** अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
- **उपभोक्ता खर्च पर प्रभाव:** भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कर कटौती का उद्देश्य घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना था, लेकिन यदि उपभोक्ता भारतीय उत्पादों की बजाय अमेरिकी वस्तुओं पर अधिक खर्च करने लगते हैं, तो आर्थिक प्रोत्साहन का प्रभाव सीमित हो सकता है।
- **अमेरिका से आयात में वृद्धि:** यदि भारत व्यापार संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, तो उसे अमेरिका से रक्षा उपकरण, तेल और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बढ़ाना पड़ सकता है।
- **घरेलू उद्योगों पर प्रभाव:** अमेरिका से आयात बढ़ने के कारण आत्मनिर्भर भारत पहल प्रभावित हो सकती है, जिससे स्थानीय उत्पादन को प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
- **मुद्रा अवमूल्यन:** अमेरिका से अधिक आयात होने पर डॉलर की मांग बढ़ सकती है, जिससे भारतीय रुपया कमजोर होने की संभावना बढ़ेगी।

### वैश्विक व्यापार पर प्रभाव:

- **संभावित व्यापार युद्ध (Trade Wars):** अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के जवाब में अन्य देश भी प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
- **विकासशील देशों के लिए चुनौती:** जो देश मुख्य रूप से निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें इस नीति से नुकसान हो सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर खतरा:** यह नीति विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थापित मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर कर सकती है।

### निष्कर्ष:

- पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। यह नीति उन देशों पर शुल्क लगाने की वकालत करती है, जो अमेरिकी निर्यात पर कर लगाते हैं। हालांकि, यह प्रणाली उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचा सकती है, जो अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए संरक्षणवादी शुल्क (Protective Tariffs) पर निर्भर हैं।
- भारत के लिए, यह नीति उच्च आयात लागत, घरेलू उद्योगों की कमजोर स्थिति और मुद्रा अवमूल्यन जैसी चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है, इसलिए, भारत को आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक व्यापार वार्ताओं में संतुलित रणनीति अपनानी होगी।
- लंबी अवधि में, व्यापार नीतियों की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि देश व्यापार की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं और आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हैं।

## आरबीआई ने रेपो दर में की कमी

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कमी करते हुए इसे 6.25% पर निर्धारित किया। यह

निर्णय लगभग पांच वर्षों में पहली बार लिया गया है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि की मंदी को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति में कमी का लाभ उठाकर उसे नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) के लिए आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 6.7% निर्धारित किया है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, जिंसों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक वित्तीय अस्थिरताएँ प्रमुख चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं।

### दर में कमी के प्रभाव:

- रेपो दर में कमी से उधारकर्ताओं को राहत मिलने की संभावना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे कि आवास, ऑटोमोबाइल और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSMEs), जिससे खपत और निवेश में वृद्धि हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, उधारी लागत में कमी से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है, हालांकि आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे की दरों में कमी मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी।
- वित्तीय बाजारों ने इस कदम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन वृद्धि पूर्वानुमान (FY26) में कमी को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गईं।

### मुद्रास्फीति और तरलता दृष्टिकोण:

- आरबीआई ने मुद्रास्फीति में कमी को प्रमुख रूप से रेखांकित किया, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अक्टूबर में 6.25% से घटकर दिसंबर में 5.22% हो गया। वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) और 2026 (FY26) के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान क्रमशः 4.8% और 4.2% निर्धारित किया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट किया और बैंकों से आग्रह किया कि वे मुद्रा बाजारों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लें ताकि मौद्रिक नीति का प्रभावी संचरण सुनिश्चित किया जा सके।
- **मौद्रिक नीति समिति (MPC) को समझना:** मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक वैधानिक निकाय है जिसे 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण मौद्रिक नीति को संस्थागत रूप दिया गया।
- यह समिति भारत सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत गठित की गई है। MPC का मुख्य कार्य मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्याज दरों को निर्धारित करना है।

### MPC की संरचना और कार्यप्रणाली:

- MPC में छह सदस्य होते हैं:
  - » आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष)
  - » आरबीआई के उप गवर्नर जो मौद्रिक नीति का प्रभारी होते हैं
  - » आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी
  - » भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य
- बाहरी सदस्य चार वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं और बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों का होना जरूरी होता है, जिसमें आरबीआई गवर्नर या उनकी अनुपस्थिति में आरबीआई उप गवर्नर में से कोई एक सदस्य शामिल होना चाहिए। निर्णय बहुमत से लिया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई गवर्नर को टाई-ब्रेकिंग वोट का अधिकार होता है।

### निष्कर्ष:

आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती, पांच वर्षों में मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों जैसे मुद्रास्फीति और तरलता सख्ती के बावजूद आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। तटस्थ रुख बनाए रखते हुए, केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि यदि आर्थिक परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो वह आगे भी दरों में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि, इन उपायों की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करेगी कि आने वाले महीनों में घरेलू और वैश्विक कारक किस प्रकार विकसित होते हैं।

## डिजिटल भुगतान में वृद्धि

### संदर्भ:

हाल ही में वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में सूचित किया कि भारत में डिजिटल भुगतान लेन-देन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, डिजिटल भुगतान का लेन-देन का कुल मूल्य 18,000 करोड़ से अधिक पहुँच गया, जो 44% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इस वृद्धि में IMPS, NETC, और विशेष रूप से UPI जैसी सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

### भारत में UPI पारिस्थितिकी तंत्र:

- UPI कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप में एकीकृत करता है, जिससे धन स्थानांतरण और भुगतान सहज हो जाते हैं।
- यह NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा 2016 में IMPS अवसंरचना पर विकसित किया गया था, और यह दुनिया का सबसे सफल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो भारत में सुरक्षित व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेन-देन सुनिश्चित करता है।
- UPI के प्लेटफॉर्म पर 632 बैंक हैं और अक्टूबर 2024 में UPI ने 23.49 लाख करोड़ के 16.58 बिलियन लेन-देन को संसाधित किया, जोकि 45% की वृद्धि को दर्शाता है।

### डिजिटल भुगतान प्रणालियों का वैश्विक विस्तार:

- भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है।
- यूपीआई, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और सिंगापुर में पूरी तरह

से कार्यात्मक है, और नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका में पायलट परीक्षण पूरे हो चुके हैं, जहां व्यावसायिक शुरुआत जल्द होने की उम्मीद है।

- रुपे कार्ड नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में स्वीकृत हैं और मालदीव में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

### डिजिटल भुगतान अपनाने में चुनौतियाँ:

- **ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध का खतरा:** डिजिटल लेन-देन में वृद्धि के साथ साइबर खतरों जैसे पहचान चोरी, फिशिंग और वित्तीय धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है। हालांकि सुरक्षा उपायों में सुधार हुआ है किन्तु धोखाधड़ी का डर अभी भी बना हुआ है।
- **लेन-देन रिकॉर्ड का रखरखाव:** डिजिटल लेन-देन का इतिहास प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरणों की कमी और कभी-कभी तकनीकी समस्याएँ होती हैं, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है।
- **कर दायित्वों का डर:** छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों को कर जांच और अप्रत्याशित दायित्वों का डर होता है, जो डिजिटल लेन-देन को हतोत्साहित करता है।
- **डिजिटल भुगतान विवादों के लिए कठोर कानूनों की कमी:** लेन-देन विफलताओं या गलत शुल्कों जैसे विवादों का समाधान करना कठिन है, क्योंकि कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।
- **अनिच्छा और डिजिटल अज्ञानता:** ग्रामीण क्षेत्रों और वृद्ध पीढ़ियों में डिजिटल अज्ञानता के कारण पारंपरिक भुगतान विधियों को प्राथमिकता दी जाती है।

### नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI):

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 'नोट फॉर प्रॉफिट' कंपनी के रूप में कार्य करता है।
- NPCI ने रुपे कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, भीम आधार और भारत बिलपे जैसी प्रमुख भुगतान उत्पादों को लॉन्च किया है, जो भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं।

### निष्कर्ष:

भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और मजबूत अवसंरचना द्वारा प्रेरित है। निरंतर वैश्विक विस्तार और विकास से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थिति और मजबूत होगी। सुरक्षा, कर संबंधित चिंताओं और डिजिटल साक्षरता को संबोधित करना व्यापक अपनाने और सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है।

## क्रिप्टोकरेंसी

### सन्दर्भ:

भारतीय सरकार ने हमेशा क्रिप्टोकरेंसी के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया है और डिजिटल संपत्ति बाजार पर कड़े कानूनों तथा उच्च करों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया है। हालांकि, हाल की रिपोर्ट्स से यह संकेत मिलते हैं कि सरकार का यह रुख बदल सकता है, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्राओं की स्वीकृति और उन पर विनियमन के बढ़ते रुझान हो सकते हैं।

### क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जो विशेष एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके बनाई जाती है। क्रिप्टोकरेंसी न केवल एक व्यापार का माध्यम होती है, बल्कि एक वर्चुअल लेखा प्रणाली के रूप में भी काम करती है। एन्क्रिप्शन के जरिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे यह पारंपरिक भुगतान विधियों के मुकाबले एक वैकल्पिक और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरती है।

### रुख में बदलाव के कारण:

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीतियों पर पुनर्विचार वैश्विक स्वीकृति और डिजिटल मुद्राओं के लिए नियामक समर्थन के बढ़ते रुझानों से प्रेरित हो सकता है।

- **वैश्विक घटनाक्रम:**
  - » पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टोकरेंसी के अपनाने के प्रमुख समर्थक रहे हैं, जिन्होंने मीम कॉइन लॉन्च की, जिससे बिटकॉइन की कीमत $100,000 तक पहुंच गई।
  - » अमेरिकी सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कार्य समूह स्थापित किया है, जोकि डिजिटल संपत्ति के नियमन पर विचार कर रहा है और एक राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व बनाने पर काम कर रहा है।
  - » ये वैश्विक घटनाक्रम भारत के रुख पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे देश की क्रिप्टोकरेंसी नीतियों में बदलाव की संभावना बढ़ रही है।

### नीति में बदलाव के प्रभाव:

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति में बदलाव का व्यापारियों और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- **व्यापक रूप से अपनाना:**
  - » एक अधिक अनुकूल नीति भारत में डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा दे सकती है।
  - » क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अधिक स्वतंत्र रूप से संचालन करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे निवेशक और व्यवसाय इसे एक बढ़ते हुए डिजिटल संपत्ति बाजार में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।
- **मजबूत नियामक ढांचा:**

» स्पष्ट नियमन से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धन शोधन और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को कम किया जा सकता है।

» एक व्यवस्थित माहौल अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो कंपनियों को भारत में आकर्षित कर सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक डिजिटल संपत्ति क्षेत्र से और जुड़ने का अवसर मिलेगा।

## भारत का अब तक का रुख:

भारत का क्रिप्टोकरेंसी पर्यावरण कठोर रहा है, जिसमें कई नियामक उपायों ने बाजार की वृद्धि को रोका है।

- **निष्पादन कार्यवाही**
  - » 2023 में, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने प्रमुख विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जैसे बाइनेंस और कूकोइन को स्थानीय नियमन के उल्लंघन के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किए।
  - » जून 2024 में, बाइनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (PMLA) का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया, जो कहता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
- **आरबीआई के द्वारा आलोचना**
  - » भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अपनी चिंताएं जताई हैं। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल मुद्राओं की अस्थिरता को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया।
  - » भारत का क्रिप्टोकरेंसी के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण वैश्विक बदलावों को दर्शाता है, इससे एक अधिक संतुलित नियामक वातावरण बन सकता है, जो डिजिटल संपत्ति बाजार में नवाचार और सुरक्षा दोनों को बढ़ावा दे सकता है।

# आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों के लिए दंड के मानदंड कड़े किए

## संदर्भः

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत अपने नियमों को सख्त किया है, जिसमें गैर-अनुपालन पर जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं।

## पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख उल्लंघनः

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत कई गंभीर उल्लंघनों की पहचान की है। इनमें उचित प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणाली संचालित करना, निषिद्ध जानकारी का खुलासा करना और निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना न भरना शामिल है। नए नियामक ढांचे के तहत अब ऐसे उल्लंघनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- **भौतिक उल्लंघनों पर कार्यवाहीः** RBI के संशोधित ढांचे में भौतिक उल्लंघनों के लिए प्रवर्तन कार्रवाई पर जोर दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि दंड केवल उन मामलों में लगाया जाता है जहाँ उल्लंघन पर्याप्त गंभीर है, जिससे जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुपात में होता है। यह दृष्टिकोण भुगतान प्रणाली क्षेत्र में अधिक जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।
- **जुर्माना और दैनिक जुर्मानाः** संशोधित नियमों के तहत, उल्लंघन के लिए जुर्माना अब 10 लाख या उल्लंघन की राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो, तक हो सकता है। इसके अलावा, यदि उल्लंघन पहले दिन से आगे भी जारी रहता है, तो समस्या के समाधान तक प्रतिदिन 25,000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **जुर्माना लगाने का कानूनी अधिकारः** पीएसएस अधिनियम के तहत अधिकृत त्ठप् अधिकारियों के पास जुर्माना लगाने या ऐसे अपराधों को कम करने का कानूनी अधिकार है जो कारावास से दंडनीय नहीं हैं। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया का उद्देश्य भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी विनियामक ढांचा बनाए रखते हुए कुशल प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।

## पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत 'भुगतान प्रणाली के बारे में':

- धारा 2(1)(i) के अनुसार, 'भुगतान प्रणाली' उस प्रणाली को कहा जाता है जो भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान को सक्षम बनाती है।
- इसमें वे प्रणालियाँ शामिल हैं जो समाशोधन, भुगतान या निपटान सेवाएँ, या इन सभी सेवाओं को एक साथ प्रदान करती हैं। हालांकि, अधिनियम में स्टॉक एक्सचेंजों और स्टॉक एक्सचेंजों के तहत स्थापित समाशोधन निगमों को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि धारा 34 में निर्दिष्ट है।

### भुगतान प्रणाली में शामिल:

- 'भुगतान प्रणाली' की परिभाषा के तहत, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड संचालन, धन हस्तांतरण सेवाएँ और इसी प्रकार के अन्य कार्य जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को धन हस्तांतरण को सक्षम बनाते हैं, शामिल हैं।

### सिस्टम प्रदाता:

- 'सिस्टम प्रदाता' उन संस्थाओं को कहा जाता है जो इन भुगतान प्रणालियों का संचालन करती हैं। इनमें वे सभी संगठन शामिल हैं जो समाशोधन (clearing), निपटान या भुगतान संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही वे जो धन हस्तांतरण प्रणाली या कार्ड-आधारित भुगतान प्रणाली को संभालते हैं। ये सिस्टम प्रदाता निर्धारित प्रणालियों के भीतर भुगतान प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

### पीएसएस अधिनियम, 2007 के बारे में:

- भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को देश भर में भुगतान प्रणालियों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

## स्नातक कौशल सूचकांक 2025

### संदर्भ:

हाल ही में मर्सर मेटल की एक रिपोर्ट, 'भारत का स्नातक कौशल सूचकांक 2025' प्रकाशित हुई, जिसमे भारतीय स्नातकों की घटती रोजगार क्षमता पर चिंता जताई गयी है।

### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **स्नातक रोजगार क्षमता में गिरावट:**
  - » स्नातक कौशल सूचकांक 2025 का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भारत में स्नातक रोजगार क्षमता में 2% की गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत में कुशल पेशेवरों की तेजी से बढ़ती मांग के बीच एक चिंताजनक प्रवृत्ति है।
  - » भारत की स्नातक रोजगार क्षमता 2023 में 44.3% से गिरकर 2024 में 42.6% हो गई है।
  - » यह गिरावट मुख्य रूप से गैर-तकनीकी कौशल में बढ़ते अंतर के कारण है, जबकि तकनीकी दक्षता में मामूली सुधार हुआ है।
  - » रिपोर्ट के अनुसार संचार, रचनात्मकता और नेतृत्व जैसे सॉफ्ट स्किल्स में दक्षता की कमी सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।
- **क्षेत्रवार प्रदर्शन:**
  - » सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली सबसे अधिक रोजगार योग्य क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसका रोजगार योग्यता स्कोर 53.4% है।
  - » दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब का स्थान है, दोनों ने 51.1% की रोजगार योग्यता दर दर्ज की है।
- **तकनीकी व गैर-तकनीकी कौशल:** तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार योग्यता में मामूली सुधार देखा गया, गैर-तकनीकी भूमिकाओं में तेज गिरावट देखी गई।
  - » **तकनीकी भूमिकाएँ:** तकनीकी पदों पर रोजगार योग्यता 2023 में 41.3% से बढ़कर 2024 में 42% हो गई।
    - ➢ AI और मशीन लर्निंग नौकरियों में सबसे अधिक रोजगार योग्यता 46.1% रही।
    - ➢ डेटा साइंटिस्ट और बैक-एंड डेवलपर भूमिकाओं में बहुत कम रोजगार योग्यता दर दर्ज की गई, जो 39.8% के आसपास रही।
  - » **गैर-तकनीकी भूमिकाएँ:**
    - ➢ सबसे महत्वपूर्ण गिरावट गैर-तकनीकी नौकरी भूमिकाओं में हुई, जहाँ रोजगार योग्यता 2023 में 48.3% से घटकर 2024 में 43.5% हो गई।
    - ➢ एचआर एसोसिएट्स और डिजिटल मार्केटर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिनकी रोजगार दर क्रमशः 39.9% और 41% थी।
- **सॉफ्ट स्किल्स की चुनौतियाँ:** रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती हैं कि संचार, आलोचनात्मक सोच, नेतृत्व और रचनात्मकता जैसे सॉफ्ट स्किल्स का महत्व बढ़ रहा है, विशेषकर जब ऑटोमेशन और एआई नौकरी के बाजार को तेजी से बदल रहे हैं।
- **प्रमुख सॉफ्ट स्किल्स में दक्षता:**
  - » **संचार:** 55.1% स्नातक को कुशल पाए गए।
  - » **आलोचनात्मक सोच:** 54.6% स्नातकों ने इस क्षेत्र में अच्छा स्कोर किया।
  - » **नेतृत्व:** 54.2% स्नातकों ने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।
  - » **रचनात्मकता:** केवल 44.3% स्नातकों को रोजगार योग्य माना गया, जो एक महत्वपूर्ण कौशल अंतर को उजागर करता है।
- स्वचालन और AI के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, मानवीय रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो गई हैं। जिन स्नातकों के पास सॉफ्ट स्किल्स होंगे, उनसे नेतृत्वकारी भूमिकाओं और गतिशील करियर में सफल होने की अधिक संभावना होगी।

### आगे की राह:

- मर्सर मेटल की यह रिपोर्ट भारत में स्नातक रोजगार क्षमता को लेकर गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है। हालाँकि, AI और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों में अवसर बने हुए हैं, लेकिन समग्र आँकड़े तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में कौशल

विकास की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

- रिपोर्ट रोजगार क्षमता के अंतर को पाटने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें देती है:
  - » **गैर-तकनीकी कौशल विकास में निवेश:** कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ संचार नेतृत्व और रचनात्मकता जैसे सॉफ्ट स्किल्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
  - » **उद्योग-अकादमिक सहयोग बढ़ाना:** शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच साझेदारी से पाठ्यक्रम को वास्तविक नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।
  - » **टियर-2 और टियर-3 शहरों की प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना:** कॉर्पोरेट भर्ती को टियर-2 और टियर-3 कॉलेजों तक विस्तारित करने से प्रतिभा को खोजने और प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी।
  - » **निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करना:** तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में स्नातकों को आजीवन सीखने की मानसिकता अपनानी होगी, ताकि वे नौकरी बाजार में प्रासंगिक बने रहें।

# 7 आंतरिक सुरक्षा

## माओवादी विरोधी अभियानों में तेजी सुरक्षा और विकास का समन्वित प्रयास

हाल ही में बस्तर क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियानों में हुई वृद्धि भारत की उग्रवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और माओवादी-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार ने इन अभियानों को तेज कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) को मार्च 2026 तक समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे एक केंद्रित और आक्रामक रणनीति का संकेत मिलता है।

### माओवादी विरोधी अभियानों की बढ़ती प्रभावशीलता:

- बीजापुर में सबसे हालिया मुठभेड़ 9फरवरी 2025 को इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में हुई, जिसमें नक्सल विरोधी अभियान के तहत 31 माओवादी मारे गए। इसके साथ ही, 2025 के पहले दो महीनों में छत्तीसगढ़ में मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 81 हो गई।
- 2024 में 219 माओवादी मारे गए, जो 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है। हताहतों की संख्या में यह वृद्धि बेहतर खुफिया तंत्र और अधिक लगातार सुरक्षा अभियानों का संकेत देती है।
- हालांकि, सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें इस मुठभेड़ में दो कर्मियों की मौत हो गई। यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए घातक साबित हो रहा है, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों की तीव्रता को दर्शाता है।

### माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के लिए त्रि-आयामी रणनीति:

- **सुरक्षा उपाय:** नक्सल विरोधी रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों की उपस्थिति को मजबूत करना है।
  - » राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (CoBRA) के बीच समन्वित अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे परिचालन प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। क्षमता निर्माण के तहत हथियारों, संचार प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया है। इसमें मिनी यूएवी, सौर लाइट और मोबाइल टावरों का उपयोग शामिल है।

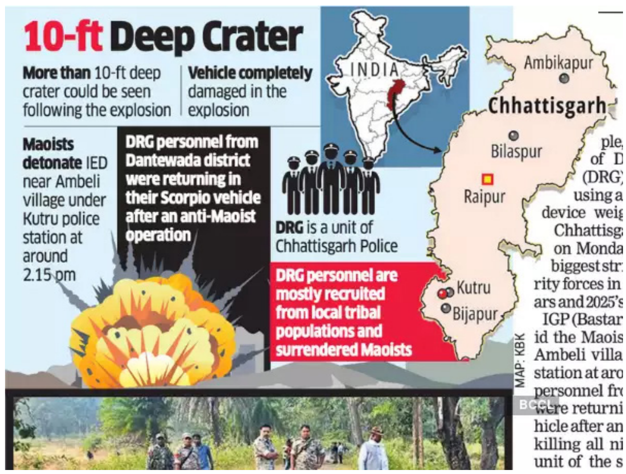


- » ऑपरेशन समाधान एक व्यापक रणनीति है, जो खुफिया जानकारी जुटाने, परिचालन रणनीति और विकास को एक साथ संबोधित करती है और यह ऑपरेशन समाधान में निर्णायक साबित हुआ है। समाधान नाम का पूरा अर्थ है:
  - ➢ स्मार्ट नेतृत्व (Smart Leadership),
  - ➢ आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
  - ➢ प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
  - ➢ कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी (Actionable Intelligence)
  - ➢ डैशबोर्ड-आधारित KPI और KRA (Dashboard-Based KPI - KRA)
  - ➢ प्रौद्योगिकी का दोहन (Harnessing Technology),
  - ➢ प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना (Action Plan for Each Theatre)

- ➤ वित्तपोषण तक कोई पहुंच नहीं (No Access to Financing)

- **विकास पहलः** सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों से निपटने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने ग्रामीण संपर्क में सुधार किया है, जबकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 घरों का निर्माण किया गया है।
  - » अन्य पहलों में प्रत्येक गांव में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को 100% लागू करने के प्रयास तथा 47 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कौशल विकास योजना शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है।
  - » सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) इन क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
  - » विशेष अवसंरचना योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क, पुल और स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। साथ ही, स्थानीय कर्मियों की भर्ती के माध्यम से प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है।
- **सशक्तिकरण और पुनर्वासः** माओवादी प्रभाव को कम करने के लिए सरकार और जनजातीय समुदायों के बीच विश्वास निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है।
  - » जन सहभागिता प्रयासों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के अलगाव को कम करना है, जबकि आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएं पूर्व माओवादियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
  - » भूमि अधिकार, निष्पक्ष भूमि अधिग्रहण नीतियां और वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए जनजातीय समुदायों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। ये पहल सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

### माओवाद

- ➤ माओवाद माओत्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है, जो सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से राज्य सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करता है। माओवादी विचारधारा हिंसक क्रांति पर आधारित है, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) को आतंक फैलाने के लिए अत्यधिक हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की सशस्त्र शाखा है।
- ➤ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), जो 2004 में गठित हुई, भारत में सबसे हिंसक माओवादी संगठन है और इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
- ➤ माओवादी राज्य संस्थाओं के विरुद्ध दुष्प्रचार और असंतोष फैलाने की रणनीति अपनाते हैं। वे मौजूदा व्यवस्था की कथित *ामियों के आधार पर लोगों को संगठित कर सशस्त्र प्रतिरोध के लिए प्रेरित करते हैं।

## नक्सलवाद का भौगोलिक विस्तार और प्रभाव :

- रेड कॉरिडोर, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैला हुआ है, दुर्गम भूभाग और सामाजिक-आर्थिक अभाव के कारण नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त, नक्सली विचारधारा ने शहरी बुद्धिजीवियों और छात्र संगठनों को भी प्रभावित किया है, जिसे श्शहरी नक्सलवादश कहा जाता है।

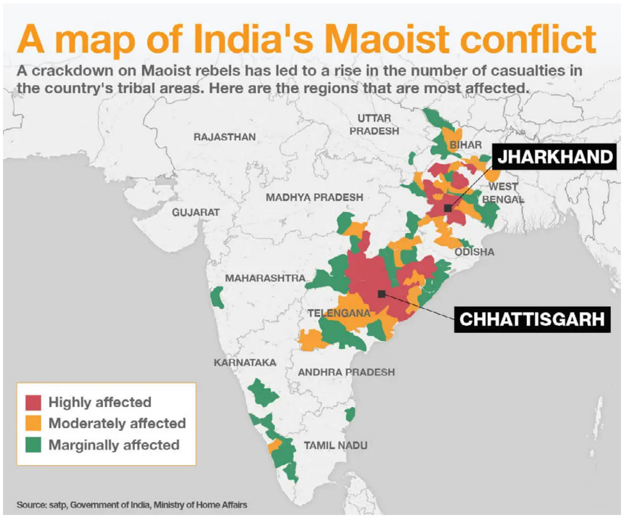


## माओवादी उग्रवाद को खत्म करने में चुनौतियाँ:

- माओवादी विद्रोह के जारी रहने में कई कारक योगदान करते हैं। आदिवासियों और दलितों का ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहना, साथ ही आंतरिक क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास, असंतोष को बढ़ावा देता है। पर्याप्त वित्तीय आवंटन के बावजूद, कमजोर शासन और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में विफलता विकास में बाधा डालती है।
- सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीकृत कमान संरचना उन्हें संगठित रणनीतिक योजना बनाने में सक्षम बनाती है, जबकि

सरकार की बिखरी हुई प्रतिक्रिया माओवादियों को अबूझमाड़ जैसे गढ़ों को सैन्य ठिकाने के रूप में बनाए रखने की अनुमति देती है।

- इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारत के 80% कोयला भंडार और 19% अन्य खनिज संसाधन मौजूद हैं, जो माओवादियों के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करते हैं।
- अप्रभावी शासन, उचित पुनर्वास के बिना विस्थापन तथा संविधान की पांचवीं और नौवीं अनुसूची के प्रावधानों का सही ढंग से लागू न होना, सरकार और आदिवासियों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाता है।

## सरकार की उग्रवाद विरोधी रणनीतियाँ:

- **सुरक्षा अवसंरचना:** माओवादियों से निपटने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा अवसंरचना का विस्तार है। अबूझमाड़ और दक्षिण बस्तर जैसे माओवादी गढ़ों में अग्रिम बेस कैंपों की स्थापना ने सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुगम बनाया है और माओवादी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। 2019 से अब तक बस्तर में 100 से अधिक पुलिस कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 30 नए कैंप हाल ही में स्थापित किए गए हैं।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** बुनियादी ढांचे के विकास ने अलग-थलग पड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुरक्षा ठिकानों की मदद से सड़क नेटवर्क और मोबाइल संचार टावरों का विस्तार किया गया है, जिससे नागरिकों की आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है। 'नियाद' जैसी पहल और 'नेल्लनार योजना' का उद्देश्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीणों में विश्वास पैदा करना तथा विकास के माध्यम से माओवादी प्रभाव को कम करना है।
- **खुफिया जानकारी:** एक और महत्वपूर्ण पहलू माओवादियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी में वृद्धि है। 2023 में 428 माओवादी गिरफ्तार किए गए और 398 ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 2024 की शुरुआत में यह संख्या लगभग दोगुनी '837 गिरफ्तारियां और 802 आत्मसमर्पण' हो गई। आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार किए गए माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी ने सुरक्षा बलों को माओवादी नेटवर्क खत्म करने और अधिक प्रभावी अभियानों की रणनीति बनाने में मदद की है।
- **सामूहिक सुरक्षा अभियान:** जिला रिजर्व गार्ड (DRG), स्पेशल टास्क फोर्स (STF), बस्तर फाइटर्स, CRPF, BSF, ITBP, SSB और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) की संयुक्त भागीदारी से सुरक्षा अभियानों का समन्वय बेहतर हुआ है। बेहतर समन्वय और अंतर-जिला अभियानों ने हाल की सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, अनुकूली आतंकवाद विरोधी रणनीतियों (Adaptive Counter-Terrorism Strategies) के प्रभावी उपयोग ने अभियानों की सफलता को बढ़ाया है।

## मामले का अध्ययन:

- कई राज्यों ने अनुकूलित रणनीतियों का उपयोग करके नक्सलवाद का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। आंध्र प्रदेश ने आक्रामक सुरक्षा अभियानों को सामाजिक-आर्थिक पहलों के साथ जोड़ा, जबकि छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन प्रहार ने खुफिया-आधारित हमलों के माध्यम से नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट सलाम ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे प्रभावित जिलों में हिंसा में कमी आई।

## आगे की राह:

- माओवादी विद्रोह के खिलाफ निरंतर सफलता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो सुरक्षा, शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास को एकीकृत करता हो। शासन सुधारों में आदिवासी सलाहकार परिषदों का गठन और भूमिहीनों को भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए नौवीं अनुसूची के तहत भूमि सीलिंग अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। आर्थिक विकास पहलों को अवैध गतिविधियों (जैसे अफीम की खेती) पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष अर्धसैनिक इकाइयों की तैनाती होनी चाहिए, साथ ही स्थानीय शासन संरचनाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। न्यायसंगत संसाधन प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में हितधारक बनें, जिससे उनका सशक्तिकरण और विश्वास निर्माण होगा।
- छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियानों में वृद्धि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। बढ़ी हुई सुरक्षा तैनाती, रणनीतिक अग्रिम ठिकानों, बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर खुफिया जानकारी ने हाल की सफलताओं में योगदान दिया है। चूंकि केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के अपने 2026 के लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए सुरक्षा, शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास में निरंतर प्रयास इस संघर्ष के दीर्घकालिक परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

# पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक

## संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह पुणे, महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसका आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से किया गया।

## बैठक के मुख्य विषय:

- **कानून और व्यवस्था:** यौन अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को सशक्त बनाना और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- **बैंकिंग और डाक सेवाएँ:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग नेटवर्क और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं का विस्तार करना, जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक गाँव 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा हो।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ( ERSS-112 ):** सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन।
- **बुनियादी ढाँचा, पर्यावरण और खनन:** क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का समाधान करना।
- **सामाजिक कल्याण और विकास:** कुपोषण की समस्या को दूर करना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए समावेशी नीतियों का क्रियान्वयन।
- **राष्ट्रीय कार्यक्रम:** पोषण अभियान (पोषण संबंधी पहल) और आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सुदृढ़ करना।

## क्षेत्रीय परिषद:

- क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के बीच सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय हैं।
- यह अंतर-राज्यीय और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों के समाधान, राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **पाँच क्षेत्रीय परिषदें:** भारत को पाँच क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट राज्यों और क्षेत्रों की सेवा करती है:
  - » उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
  - » मध्य क्षेत्रीय परिषद
  - » पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
  - » पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
  - » दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) शामिल हैं।
- उत्तर-पूर्वी राज्य क्षेत्रीय परिषदों का हिस्सा नहीं हैं। इनके लिए 1972 में स्थापित 'उत्तर पूर्वी परिषद' (North Eastern Council) एक समर्पित निकाय के रूप में कार्य करती है।

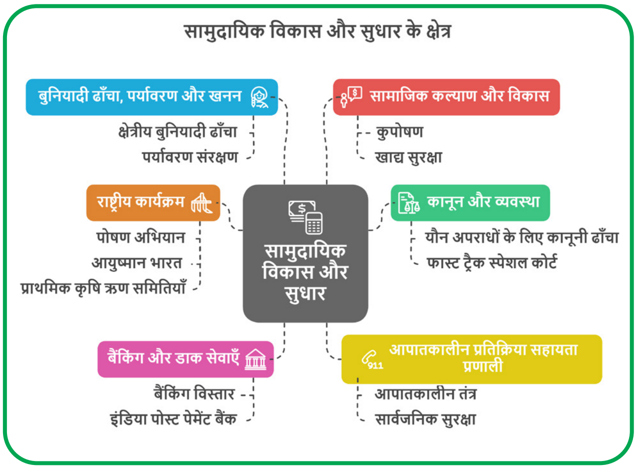


## क्षेत्रीय परिषदों की विकसित होती भूमिका:

- क्षेत्रीय परिषदें अब केवल सलाहकार निकायों तक सीमित न रहकर नीति कार्यान्वयन और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियान्वयन मंच के रूप में विकसित हो रही हैं।
- यह परिवर्तन सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and Competitive Federalism) की व्यापक अवधारणा के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल देता है।
- अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान और केंद्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है
- इसके अतिरिक्त, स्थायी समिति की बैठकों की आवृत्ति बढ़ाई गई है, जिससे प्रमुख निर्णयों की नियमित निगरानी और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

## निष्कर्ष:

27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक क्षेत्रीय सहयोग और सुशासन (Good Governance) को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बैठक महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए अंतर-राज्यीय संवाद और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने, विवादों के समाधान और राष्ट्रीय प्रगति में उनके योगदान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

# एयरो इंडिया 2025: स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नवाचार की ओर बढ़ता भारत

## संदर्भ:

हाल ही में एयरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। यह कार्यक्रम रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नई तकनीकों, वैश्विक साझेदारियों और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इस इवेंट में दुनिया भर के उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता और इनोवेटर्स शामिल हुए, जिन्होंने एविएशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटी में हुए नए विकासों पर चर्चा की।

## मुख्य बिंदु:

- **Su-57 बनाम F-35: आधुनिक फाइटर जेट्स की तुलना:** इस इवेंट में रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स प्रदर्शित किए गए, जो आकर्षण का केंद्र रहे।
  - » **Su-57:** यह पांचवीं पीढ़ी (5जी-gen) का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो मल्टी-रोल क्षमताओं से लैस है।
  - » **F-35:** यह एक अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंटीग्रेटेड हैं।
- **भारत का AMCA: स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट:** इस इवेंट में भारत के AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे ADA और HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह ट्विन-इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और सुपरक्रूज क्षमता होगी। यह भारत की सैन्य एविएशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
- **'मंथन' प्लेटफॉर्म: इनोवेशन को बढ़ावा:** एयरो इंडिया 2025 के दौरान 'मंथन' नामक पहल के जरिए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया। इसमें ड्रोन (UAVs), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा सिस्टम, और साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों को पेश किया गया। यह पहल रक्षा क्षेत्र में उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

## भारतीय नौसेना की एविएशन टेक्नोलॉजी का भविष्य:

- **आधुनिकीकरण और विस्तार का रोडमैप:** एयरो इंडिया 2025 के समानांतर, भारतीय नौसेना ने नौसेना विमानन प्रौद्योगिकी रोड मैप 2047 (Naval Aviation Technology Roadmap 2047) प्रस्तुत किया। इस योजना के तहत अगले 20 वर्षों में 400 विमानों का एक मजबूत बेड़ा तैयार किया जाएगा, जो समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाएगा। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं:
  - » 5वीं पीढ़ी का ट्विन-इंजन डेक-आधारित फाइटर जेट, जो मौजूदा फ्लीट की जगह लेगा।
  - » लॉन्ग-रेंज मेरीटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट, जो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करेगा।
  - » मीडियम और शॉर्ट-रेंज रिकॉनिसेंस विमान।
  - » एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाने वाले अर्ली वॉर्निंग और कंट्रोल सिस्टम।
  - » एम्फीबियस (पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले) विमान, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी।
- **स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा:** भारतीय नौसेना देश में ही रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए HAL और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है। प्रमुख परियोजनाएं हैं:
  - » ट्विन-इंजन यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (UHM)
  - » मीडियम रेंज रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट (C-295), जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड विकसित कर रही है।
  - » स्वदेशी सेंसर, एयर-लॉन्च वेपन्स और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम का एकीकरण।
- **नए चुनौतियों से निपटने की रणनीति:** हाल के युद्धों से यह स्पष्ट हुआ है कि ड्रोन, स्मार्ट हथियार (loitering munitions) और साइबर वॉरफेयर का उपयोग नौसैनिक अभियानों में बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना अपनी ऑपरेशनल रणनीति में बदलाव कर रही है। मुख्य उपायों में शामिल हैं:
  - » हवाई खानों (माइन्स) का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की तकनीक विकसित करना।
  - » साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रणनीतियों को मजबूत बनाना।
  - » समुद्री क्षेत्र में सक्रिय गैर-राज्य तत्वों से निपटने के लिए नई योजनाएं बनाना।
- **स्वदेशीकरण की ओर बढ़ता कदम:** इस रोडमैप का लक्ष्य 2047 तक भारतीय नौसेना को 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित बनाना है, जिससे दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

## निष्कर्ष:

एयरो इंडिया 2025 ने वैश्विक और स्वदेशी रक्षा तथा एयरोस्पेस तकनीकों को प्रदर्शित करने का एक शानदार मंच प्रदान किया। यह इवेंट न केवल तकनीकी आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि स्वदेशी रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए, भारतीय नौसेना और वायुसेना अब ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को अपनी रणनीति में तेजी से शामिल कर रही हैं। यह रोडमैप भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

# पावर पैक्ड न्यूज

## आधार सुशासन पोर्टल

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। यह सरकारी और निजी संस्थाओं को सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- यह पोर्टल नवाचार, ज्ञान साझाकरण और आवश्यक सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाएगा, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स और आतिथ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिलेगी।
- यह पहल आधार अधिनियम 2016 के तहत किए गए हालिया संशोधनों के अनुरूप है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

## तुहिन कांता पांडे बने सेबी अध्यक्ष

- वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को तीन वर्षों के लिए सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे माधबी पुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थीं और 2 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण किया था।
- उनकी नियुक्ति वित्तीय क्षेत्र नियामक खोज समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

## 'वन नेशन-वन पोर्ट' पहल की शुरुआत

- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रमुख बंदरगाहों के संचालन को मानकीकृत करने के लिए 'वन नेशन-वन पोर्ट प्रक्रिया' (ONOP) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य डॉक्युमेंटेशन और प्रक्रियाओं में सुधार कर लागत और परिचालन देरी को कम करना है।
- लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) और भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम भी लॉन्च किया। व्यापार को सरल बनाने के लिए MAITRI ऐप की भी शुरुआत की गई।

## अनंत अंबानी के वनतारा को 'प्राणि मित्र' पुरस्कार

- अनंत अंबानी के वन्यजीव बचाव केंद्र 'वनतारा' को प्रतिष्ठित 'प्राणि मित्र' राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह भारत का सर्वोच्च पशु कल्याण सम्मान है।
- वनतारा के हाथी देखभाल केंद्र में 240 से अधिक बचाए गए हाथी हैं, जिनमें सर्कस और लकड़ी उद्योग से आए हाथी शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल है और अत्याधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।

## नासा का लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन

- 26 फरवरी को नासा ने फ्लोरिडा से लूनर ट्रेलब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया, जो चंद्रमा की सतह पर जल स्रोतों की खोज करेगा। इसे स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।
- यह उपग्रह चंद्रमा की सतह का तापमान मापेगा और पानी के प्रकाश उत्सर्जन पैटर्न का अध्ययन करेगा। यह मिशन चंद्रमा पर जल संसाधनों को समझने और भविष्य के अभियानों के लिए डेटा उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

## कैली फंडः जैव विविधता संरक्षण हेतु वित्त पोषण

- 25 फरवरी 2025 को रोम में आयोजित COP16 सम्मेलन में कैली फंड की शुरुआत की गई। यह कोष डिजिटल अनुक्रम सूचना का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान एकत्र करेगा।
- इसमें फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल होंगी। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना है। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र को निजी क्षेत्र से वित्तीय योगदान प्राप्त होगा।

## अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम

- अमेरिका ने धनी अप्रवासियों के लिए 'गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा' कार्यक्रम लॉन्च किया, जो मौजूदा EB-5 वीजा की जगह लेगा। कंपनियां 5 मिलियन डॉलर का भुगतान कर इमिग्रेशन गोल्ड कार्ड खरीद सकती हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ग्रीन कार्ड प्रणाली का उन्नत संस्करण बताया। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम दो सप्ताह में लागू होगा, जिससे निवेशकों को अमेरिका में विशेष अप्रवासन लाभ मिलेंगे।

## ओडिसी नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन

- ओडिसी नृत्य के जनक माने जाने वाले गुरु मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक थे। 1952 में, उन्होंने कटक में कला विकास केंद्र की स्थापना में योगदान दिया।
- गुरु राउत ने 'अभिनय' पर विशेष ध्यान देकर ओडिसी नृत्य की शैली को पुनर्परिभाषित किया और इसे संहिताबद्ध किया। 1955 में, उन्होंने मुद्रा विनियोग और संचारीभाव को नृत्य में शामिल किया, जिससे इसकी अभिव्यक्ति और निखर गई। उन्होंने मंच पर गीतगोविंद 'अष्टपदी' को पेश करने की परंपरा शुरू की, जिससे ओडिसी नृत्य को अधिक लोकप्रियता मिली। उन्होंने गुरु मोहन महापात्र, युधिष्ठिर महापात्र, मोहन सुंदरदेव गोस्वामी और पंकज चरण दास से प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2010 में पद्म श्री, 1985 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1977 में उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी विदाई भारतीय नृत्य कला के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी।

## गुवाहाटी में सबसे बड़ा झुमुर कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 'झुमोइर बिनंदिनी 2025' कार्यक्रम में भाग लिया। यह असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ, जिसमें 8,600 नर्तकों ने भाग लिया, जिससे यह झुमुर नृत्य का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया।
- इस ऐतिहासिक अवसर पर 60 देशों के मिशन प्रमुख और राजदूत उपस्थित रहे, जिससे यह कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में आया। झुमुर नृत्य सदान जातीय-भाषाई समूह की लोक परंपरा का हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई। इसे मुख्य रूप से चाय जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो 19वीं शताब्दी में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से असम आए थे।
- इस नृत्य में महिलाएं मुख्य नर्तक और गायिकाएँ होती हैं, जबकि पुरुष मादल, ढोल, झांझ और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हैं। झुमुर नृत्य की पोशाकों में लाल और सफेद साड़ियाँ प्रमुख होती हैं। यह आयोजन असम की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने और चाय जनजातियों के योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था।

## दतिया हवाई अड्डे को लाइसेंस मिला

- मध्य प्रदेश के दतिया हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 3C, VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में लाइसेंस प्रदान किया। इस श्रेणी में क्षेत्रीय विमान दृश्य उड़ान परिस्थितियों (Visual Flight Rules) में संचालित हो सकते हैं।
- इस मंजूरी के साथ, दतिया एयरपोर्ट राज्य का आठवां सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया। हवाई अड्डा 184 एकड़ में फैला है, जिसमें 30 मीटर चौड़ा और 1,810 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है।
- टर्मिनल भवन 768 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस हवाई अड्डे से भोपाल और खजुराहो की हवाई यात्रा संभव होगी। इस नए हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और स्थानीय पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

## राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार

- आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार केंद्रीय

मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा मुंबई में आयोजित एक समारोह में दिया गया।

- इस वर्ष वैद्य तारा चंद शर्मा, वैद्य माया राम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि को यह सम्मान मिला। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा युक्त ट्रॉफी और 5 लाख की नकद राशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित करने और समग्र स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहित करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

## विराट कोहली का नया रिकॉर्ड

- विराट कोहली ने 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच में 14,000 वनडे रन पूरे कर सबसे तेज इस आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने केवल 287 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर सचिन तेंदुलकर (350 पारियां) और कुमार संगकारा (378 पारियां) को पीछे छोड़ दिया।
- इस मैच में उन्होंने अपना 51वां वनडे शतक भी लगाया और भारत को पाकिस्तान पर 6 विकेट से जीत दिलाई। कोहली ने वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, उनके नाम अब 158 कैच दर्ज हैं।

## शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 बने

- 22 फरवरी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव-2 के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक रहेगा।
- शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वे आरबीआई के 25वें गवर्नर रह चुके हैं और भारत के जी-20 शेरपा तथा 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में पी.के. मिश्रा प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

## हरियाणा की गवाह सुरक्षा योजना

- हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, 2025' लागू की, जिससे गंभीर अपराधों के गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना उन अपराधों पर लागू होगी जिनमें आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है।
- इसमें गवाहों को खतरे की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों 'श्रेणी A (जीवन को खतरा), श्रेणी B (संपत्ति या प्रतिष्ठा को खतरा), और श्रेणी C (मध्यम खतरा)' में वर्गीकृत किया गया है। यह पहल न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## केरल का AI-आधारित नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम

- केरल सरकार ने 'नयनामृतम 2.0' नामक दुनिया का पहला AI-संचालित नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम लॉन्च किया। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से नेत्र रोगों की शीघ्र पहचान करने के लिए विकसित की गई है।
- इस संस्करण में अब ग्लूकोमा और आयु-संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन (AMD) की जांच भी शामिल है। यह कार्यक्रम राज्य में गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल को सुलभ बनाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सशक्त करेगा।

## मध्य प्रदेश बना सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य

- मध्य प्रदेश में हाल ही में वन विभाग द्वारा कराई गई गणना के अनुसार, राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जिससे यह देश का सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया। 2019 में यह संख्या 8,397 थी, जो 2024 में बढ़कर 10,845 हो गई।
- मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 4 स्थानीय और 3 प्रवासी हैं। गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मृत जानवरों के शवों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं।

## मोहम्मद शमी सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज

- भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वनडे क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 104 मैचों में 23.63 की औसत से 202 विकेट लेकर 200 वनडे विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ, वह सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क (102 मैच) ने यह उपलब्धि हासिल की थी। खास बात यह है कि शमी ने सिर्फ 5,126 गेंदों में यह मुकाम हासिल कर लिया, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड है।
- इसके अलावा, शमी ने छह बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है और वह भारत के लिए सबसे अधिक वनडे विकेट लेने वाले आठवें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी 60 विकेट पूरे कर लिए हैं, जिससे उन्होंने जहीर खान (59 विकेट) को पीछे छोड़ दिया है।
- उन्होंने यह उपलब्धि 20 फरवरी को दुबई में भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में हासिल की। शमी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारतीय क्रिकेट को और मजबूती मिली है।

## टाइम मैगजीन की 'वुमन ऑफ द ईयर' बनीं पूर्णिमा देवी बर्मन

- भारतीय जीवविज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 'वुमन ऑफ द ईयर' के रूप में चुना है। इस सूची में वे एकमात्र भारतीय महिला हैं, जो उनके असाधारण योगदान को दर्शाता है। इस सूची में अभिनेत्री निकोल किडमैन और फ्रांस की गिसेले पेलिकॉट जैसी प्रभावशाली महिलाएँ भी शामिल हैं।
- पूर्णिमा देवी बर्मन को विशेष रूप से ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (हरगिला) के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंची इस प्रजाति की संख्या असम में अब 1,800 हो गई है, जबकि पहले यह मात्र 450 थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने भी इस प्रजाति को 2023 में 'लुप्तप्राय' से 'निकट संकटग्रस्त' की श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है।
- उनकी यह उपलब्धि भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी प्रेरणा है और दर्शाती है कि समर्पण और प्रतिबद्धता से विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया जा सकता है।

## सीईए अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा

- भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। 20 फरवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा उनके कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई। नागेश्वरन ने जनवरी 2022 में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पर CEA का पदभार संभाला था।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका दायित्व सरकार को विभिन्न आर्थिक नीतियों पर सलाह देना और वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना है, जिसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान, भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाया और स्थिर विकास दर बनाए रखी।
- सरकार के इस फैसले से आर्थिक नीतियों में स्थिरता बनी रहेगी और भारत के विकास पथ को मजबूती मिलेगी। नागेश्वरन की विशेषज्ञता से भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

## भारत ने डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च किया, बना दुनिया का दूसरा देश

- भारत ने पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस शुरू करने की महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे वह इस प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस का शुभारंभ किया। यह लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) से अनुमोदन मिलने के बाद जारी किया गया है।
- इस डिजिटल प्रणाली के तहत पारंपरिक भौतिक लाइसेंस को ई-लाइसेंस से बदल दिया जाएगा, जिसे इजीसीए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस पहल से पायलट लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल होगी। साथ ही, यह भारतीय पायलटों के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
- भारत सरकार विमानन क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाएँ भी लागू कर रही है, जिनमें इजीसीए पोर्टल, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट फोल्डर जैसी पहल शामिल हैं।

## उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 8.09 लाख करोड़ रुपये का बजट

- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.09 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है।
- इस बजट में अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई है। बजट का 22% हिस्सा विकास उद्देश्यों के लिए, 13% शिक्षा, 11% कृषि और 6% स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया गया है। राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सुरक्षा अनुसंधान पार्क विकसित करने की भी योजना बनाई है।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण और 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

## रेखा गुप्ता बनीं दिल्ली की मुख्यमंत्री

- 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह दिल्ली की नौवीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की बंदना कुमारी को 29,595 मतों से हराकर यह पद हासिल किया।
- रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता हैं और शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं। 19 फरवरी को भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधायक दल का नेता घोषित किया। यह भाजपा के लिए ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता प्राप्त की।
- गुप्ता ने अपनी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की छात्र शाखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से शुरू की और 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रहीं। अब, उनके नेतृत्व में दिल्ली में नई नीतियाँ और योजनाएँ लागू होने की संभावना है।

## भारत को आईएएलए का उपाध्यक्ष चुना गया

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संघ (IALA) ने भारत को अपने उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। यह चुनाव सिंगापुर में आयोजित आईएएलए की आम सभा के दौरान हुआ।
- भारत का प्रतिनिधित्व बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन ने किया। इस नियुक्ति से समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन सहायता के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी।
- दिसंबर 2025 में आईएएलए परिषद की बैठक भारत में होगी, जबकि सितंबर 2027 में मुंबई में आईएएलए सम्मेलन और आम सभा का आयोजन किया जाएगा। यह भारत की समुद्री रणनीति और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

## उत्तराखंड सरकार का नया भूमि कानून

- उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के उद्देश्य से एक नया भूमि कानून मंजूर किया है। इस नए कानून के तहत, उत्तराखंड के संसाधनों की रक्षा करने और इसकी मूल पहचान को बनाए रखने के लिए अधिक कठोर प्रावधान किए गए हैं।
- नए कानून के अनुसार, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यह निर्णय पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और अतिक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है।
- इसके अलावा, नए कानून के तहत जिलाधिकारियों को भूमि खरीद की व्यक्तिगत अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। अब सभी जिलाधिकारियों को भूमि खरीद से संबंधित नियमित रिपोर्ट राज्य सरकार और राजस्व परिषद को प्रस्तुत करनी होगी।
- यह कानून 2018 में लागू किए गए पिछले भूमि कानून को निरस्त कर देगा। उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में बाहरी लोगों द्वारा अवैध भूमि अधिग्रहण को रोकने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

## राजस्थान राज्य का 2025–26 बजट

- राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार सृजन, जल आपूर्ति बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस बजट के अनुसार, 2025-26 में राज्य की जीडीपी 19.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
- बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 विशेष कृषि बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा, सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
- बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी और 1,600 बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। जयपुर मेट्रो के विस्तार और बीआरटीएस को हटाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है।

## अभ्यास धर्म गार्जियन 2025: भारत–जापान सैन्य सहयोग

- भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन 2025' 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। यह इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और अंतर-संचालन को बढ़ाना है।
- इसके अतिरिक्त, भारत और मिस्र के विशेष बलों के बीच 11 फरवरी से 23 फरवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 'साइक्लोन III' अभ्यास आयोजित किया गया। यह वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है और इसका पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में हुआ था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करना है।

## पी. डी. सिंह बने स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए सीईओ

- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत के लिए पी. डी. सिंह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वह जरीन दारूवाला की जगह लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो रही हैं।
- पी. डी. सिंह की नियुक्ति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इससे पहले, वह भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ थे, जहां उन्होंने बैंक की कॉर्पोरेट बैंकिंग फ्रेंचाइजी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक प्रमुख ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है जो धन प्रबंधन, कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग, और ट्रेजरी सेवाओं में कार्यरत है। इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक सिंगापुर सरकार के स्वामित्व वाली टेमासेक होल्डिंग्स है।

## भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया है। वह भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। उन्होंने 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार की जगह ली। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने पहले संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया था।

## मत्स्य–6000 का परीक्षण

- भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी 'मत्स्य-6000' का बंदरगाह पर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हो गया है। इसे डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया है। 2.1 मीटर व्यास वाली यह पनडुब्बी तीन लोगों के संचालन के लिए डिजाइन की गई है। यह परीक्षण 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई में उथले पानी में परीक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

## बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 'कोमोडो'

- इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 'कोमोडो' का पांचवां संस्करण 16 से 22 फरवरी 2025 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 15 से अधिक देशों के 30 से अधिक जहाजों ने भाग लिया, जिनमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल थे। इसका विषय 'शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी' था।

## ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025

- 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में पोप थ्रिलर 'कॉन्क्लेव' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित चार पुरस्कार जीते। 'द ब्रूटलिस्ट' ने ब्रैडी कॉर्बेट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एड्रियन ब्रॉडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित चार पुरस्कार प्राप्त किए। यह पुरस्कार लंदन के साउथबैंक सेंटर में आयोजित किए गए थे।

## ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने कॉन्स्टेंटाइन टैसौलस

- 12 फरवरी 2025 को, ग्रीस की संसद ने पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन टैसौलस को देश का नया राष्ट्रपति चुना। वह ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। टैसौलस 13 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे।
- ग्रीस दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी एथेंस है। वर्तमान में, ग्रीस के प्रधानमंत्री काइरियाकोस मित्सोटाकिस हैं और देश की आधिकारिक मुद्रा यूरो (€) है।

## फॉय सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर वरुण सागर और महर्षि दयानंद विश्राम गृह किया गया

- 12 फरवरी 2025 को अजमेर नगर निगम ने ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने का निर्णय लिया। शहर की प्रमुख झील, जिसे पहले फॉय सागर कहा जाता था, अब वरुण सागर के नाम से जानी जाएगी। यह झील 1892 में एक ब्रिटिश इंजीनियर, फॉय, द्वारा अकाल राहत परियोजना के तहत बनाई गई थी और 1995 तक यह अजमेर शहर के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत थी।
- इसी तरह, 1912-1913 में तीर्थयात्रियों के लिए बनाए गए किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन को अब महर्षि दयानंद विश्राम गृह कहा जाएगा। यह इमारत 2014 में राज्य सरकार द्वारा एक पुराना स्मारक घोषित की गई थी।
- इसके अलावा, 19 नवंबर 2024 को आरटीडीसी होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजयमेरु कर दिया गया था। ये बदलाव सांस्कृतिक धरोहरों को भारतीय पहचान देने के उद्देश्य से किए गए हैं। अजमेर, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का शहर है, और ये नाम परिवर्तन स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा हैं।

## काशी तमिल संगमम 3.0

- काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ। यह दस दिवसीय कार्यक्रम 24 फरवरी तक चला और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटित किया।
- यह आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। काशी तमिल संगमम 3.0 में तमिलनाडु के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्हें पाँच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इस संस्करण का मुख्य विषय ऋषि अगस्त्य के स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रीय तमिल साहित्य और सांस्कृतिक एकता में योगदान पर केंद्रित था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और तमिल और वाराणसी के बीच ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करना है। यह संगमम भारतीय संस्कृति की एकता को दर्शाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है, जहां तमिल और काशी की परंपराओं का संगम देखने को मिलता है।

## उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न

- भारत का 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया और 14 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
- प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि हरियाणा 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- इस बार के खेलों में विभिन्न नए खेलों को भी शामिल किया गया, जिससे खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का और अधिक अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रत्येक राज्य में रोटेशन के आधार पर किया जाता है, और अब मेघालय को 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सम्मान मिला है।

## जोथम नापत बने वानुअतु के नए प्रधानमंत्री

- 11 फरवरी 2025 को वानुअतु लीडर्स पार्टी के अध्यक्ष जोथम नापत को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। वे संसद में गुप्त मतदान के जरिए निर्वाचित हुए और उन्हें 52 सदस्यीय संसद में 50 मत प्राप्त हुए। शेष दो मत शून्य घोषित किए गए।
- इस चुनाव में नापत एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्होंने पांच राजनीतिक दलों 'लीडर्स पार्टी, वानुआकु पार्टी, ग्रेओन मो जस्टिस पार्टी, रीयूनिफिकेशन मूवमेंट फॉर चेंज और इउको ग्रुप' के गठबंधन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने जॉनी कोनापो रसौ को उप प्रधानमंत्री और वित्त व आर्थिक प्रबंधन मंत्री नियुक्त किया।
- वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां राजनीतिक अस्थिरता आम बात रही है। नापत का कार्यकाल देश की आंतरिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## बंगाल बजट 2025

- 12 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में सड़क विकास, नदी तट संरक्षण और सामाजिक कल्याण के लिए कई घोषणाएं की गईं।
- राज्य सरकार ने 'पथश्री योजना' के तहत सड़क विकास के लिए 1,500 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अलावा, 'नदी बंधन' योजना के तहत नदी तट कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
- महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि की गई, जिससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री प्रकल्प और सबुज साथी योजना के लिए भी भारी बजट आवंटन किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों, महिलाओं और छात्रों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

## भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 38वें स्थान पर

- भारत ने 139 देशों की सूची में विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2024 में 38वां स्थान प्राप्त किया। इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर, जबकि फिनलैंड और जर्मनी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- भारतीय बंदरगाहों के 'टर्न अराउंड टाइम' में सुधार हुआ है, जो अब 0.9 दिन रह गया है। यह अमेरिका (1.5 दिन) और ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन) की तुलना में बेहतर है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉजिस्टिक्स सुधार के लिए सरकार ने पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलें शुरू की हैं, जिससे भारत को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय माल और लॉजिस्टिक्स बाजार 2024 में 317.26 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक 484.43 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

## पंकज आडवाणी ने 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता

- पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीत लिया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट यशवंत क्लब में आयोजित किया गया, जहां आडवाणी ने अंतिम मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया।
- फाइनल मुकाबले के अंतिम फ्रेम में उन्होंने 84 का प्रभावशाली ब्रेक लगाया। हालांकि, ग्रुप चरण में उन्हें दमानी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
- भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए एकमात्र चयन प्रतियोगिता है।

## एन. चंद्रशेखरन को ''ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश'' सम्मान मिला

- टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रतिष्ठित 'ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश (सिविल डिवीजन)' सम्मान से नवाजा गया है। यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक मानद नागरिक पुरस्कार है। चंद्रशेखरन को यह सम्मान यू.के.-भारत व्यापार संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है।
- यह पुरस्कार कला, विज्ञान, धर्मार्थ कार्यों और सार्वजनिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस सम्मान के विदेशी प्राप्तकर्ताओं में डैगमर डॉल्बी, एरिक श्मिट, जेसन फुरमैन और राजिंदर धत्त जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं।
- चंद्रशेखरन 2017 से टाटा संस के चेयरमैन हैं और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और एयर इंडिया सहित टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों के बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं।
- उनकी नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक कौशल ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर और सशक्त बनाया है। उनके इस सम्मान से भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक छवि और सुदृढ़ होगी तथा यू.के.-भारत आर्थिक संबंधों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

## आरबीआई ने छोटे वित्त बैंकों को पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन की अनुमति दी

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) को पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन प्रदान करने की अनुमति दी है। सितंबर 2023 में, आरबीआई ने बैंकों और थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू की थी। अब, छोटे वित्त बैंकों के ग्राहक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
- यूपीआई प्रणाली पहले से ही बचत खातों, ओवरड्राफ्ट खातों, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। क्रेडिट लाइन इसके लिए एक अतिरिक्त फंडिंग स्रोत होगी। ग्राहक इसे बिना अलग से ऋण आवेदन किए ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले स्पष्ट सहमति देनी होगी।
- इससे छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत ग्राहकों को त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी। यह सुविधा उनके लिए उपयोगी होगी जो तात्कालिक जरूरतों के लिए अल्पकालिक ऋण चाहते हैं। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करेगा। छोटे वित्त बैंकों के इस सुविधा में शामिल होने से भारत में डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई आधारित लेनदेन को और मजबूती मिलेगी।

## रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इओहानिस ने इस्तीफा दिया

- रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इओहानिस ने महाभियोग की आशंका के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 2014 से राष्ट्रपति थे और अपने अधिकतम दो कार्यकाल पूरे कर चुके थे। उनका इस्तीफा उस समय आया जब देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर दिया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई।
- जनवरी 2025 में हजारों रोमानियाई नागरिकों ने चुनाव रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन किया और इओहानिस से इस्तीफे की मांग की। इसके बाद, तीन सुदूर दक्षिणपंथी विपक्षी दलों, जिनका संसद में 35% नियंत्रण है, ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दायर किया।
- इओहानिस के इस्तीफे के बाद रोमानिया के सीनेट प्रमुख को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इस घटनाक्रम ने देश में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ा दी है।
- विपक्षी दलों का आरोप है कि रूस चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे रोमानिया की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति पद से इओहानिस का हटना देश की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

## भारत बायोटेक की लम्पी स्किन रोग वैक्सीन को मंजूरी

- भारत के औषधि नियामक ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) वैक्सीन, 'बायोलम्पिवैक्सिन', को मंजूरी दे दी है। यह टीका डेयरी मवेशियों और भैंसों को लम्पी स्किन डिजीज से बचाने के लिए बनाया गया है।
- यह दुनिया की पहली डीआईवीए (DIVA) मार्कर वैक्सीन है, जो संक्रमित और टीकाकृत जानवरों में अंतर कर सकती है। इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसीई), हिसार में किया गया है। इस टीके को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) द्वारा परीक्षण किया गया, जहां इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता को वैश्विक मानकों के अनुरूप पाया गया।
- लम्पी स्किन डिजीज एक संक्रामक पशु रोग है, जो मच्छरों, टिक्स और अन्य कीड़ों के काटने से फैलता है। इससे मवेशियों की त्वचा पर गांठें, बुखार और दूध उत्पादन में गिरावट होती है। पिछले दो वर्षों में भारत में इस बीमारी से लगभग 2 लाख मवेशी मारे गए और लाखों की दूध उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई। यह वैक्सीन भारत के डेयरी उद्योग को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

## एफएओ ने सोमालिया में 'उगबाड़' जलवायु-लचीला कृषि परियोजना शुरू की

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने सोमालिया में 'उगबाड़' नामक जलवायु-लचीली कृषि परियोजना शुरू की। यह सात वर्षीय, 95 मिलियन डॉलर की परियोजना जलवायु अनुकूलन और कमजोर समुदायों के लिए लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है।
- 'उगबाड़' जिसका अर्थ 'आशा का प्रतीक' है, कृषि खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े निवेश का समर्थन करेगी। यह परियोजना अक्टूबर 2024 में स्वीकृत हुई थी।
- सोमालिया में कृषि क्षेत्र लगभग 65% आबादी के लिए मुख्य आर्थिक गतिविधि है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से यह बुरी तरह प्रभावित होता है।
- यह पहल उत्पादक परिदृश्यों को पुनर्जीवित करने और स्थानीय किसानों व समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। परियोजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि आधारित आय में सुधार करना है।

## भारत ने जीआई-मान्यता प्राप्त चावल निर्यात के लिए नया एचएस कोड पेश किया

- भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत (GI) मान्यता प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए नया एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन की घोषणा की, जिससे पहली बार जीआई-टैग प्राप्त चावल के लिए अलग एचएस कोड जारी किया गया।
- भारत में चावल की 20 किस्मों को जीआई टैग प्राप्त है, जिनमें नवारा, पलक्कडन मट्टा, पोक्कली, वायनाड जीरकासला, कालानमक जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं। यह कोड जीआई-टैग वाले चावल के निर्यात को बढ़ावा देगा, खासकर तब जब सामान्य चावल की निर्यात नीतियों में बदलाव किया जाए।
- अब इन किस्मों को बिना किसी अतिरिक्त बाधा के वैश्विक बाजारों में भेजा जा सकता है। यह निर्णय भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों की पहचान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे किसानों और निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।

## भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में 180 देशों में से 96वें स्थान पर है, जबकि उसका स्कोर एक अंक गिरकर 38 हो गया।
- इस सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर देशों को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है, जहाँ 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 सबसे कम भ्रष्ट होता है। 2024 में वैश्विक औसत स्कोर 43 रहा, जबकि भारत का स्कोर 2023 में 39 और 2022 में 40 था।
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान (135), श्रीलंका (121) और बांग्लादेश (149) को निम्न रैंकिंग मिली, जबकि चीन 76वें स्थान पर रहा। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में शीर्ष पर है, उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड हैं। यह रिपोर्ट वैश्विक

भ्रष्टाचार के प्रति चिंता प्रकट करती है और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है।

## अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य महंत सतेंद्र दास का निधन

- अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी, आचार्य महंत सतेंद्र दास का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वे निर्वाणी अखाड़े के सदस्य थे, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय से संबंधित है। महंत सतेंद्र दास 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले से ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत थे। वे लंबे समय से उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित थे।
- स्ट्रोक के बाद उन्हें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। उनके निधन से अयोध्या और संत समुदाय में शोक की लहर है।
- उनका जीवन धार्मिक परंपराओं के पालन और राम मंदिर निर्माण आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा। वे मंदिर निर्माण से लेकर इसके पूजा-पाठ तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

## भारत अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर अगले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने सह-अध्यक्षता की, जहाँ भारत को अगले सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई।
- इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की भागीदारी प्राथमिकता होगी। भारत का ध्यान एआई नवाचारों और उनके व्यावहारिक प्रभावों पर होगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- भारत पहले से ही एआई से संबंधित पाँच प्रमुख कार्य समूहों का हिस्सा रहा है, जिनमें वैश्विक शासन, सुरक्षा, नवाचार और सांस्कृतिक पहल शामिल हैं। 61 देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एआई को नैतिक, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस शिखर सम्मेलन के 'समावेशी और सतत एआई' बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह आयोजन भारत को एआई नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाएगा।

## लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई

- लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने 2022 के बाद देश की पहली पूर्ण सरकार बनाई। राष्ट्रपति जोसेफ औन ने पूर्व कार्यवाहक सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा।
- नवाफ सलाम की 24 मंत्रियों की कैबिनेट को ईसाई और मुस्लिम संप्रदायों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है, जो देश के संवैधानिक संतुलन को बनाए रखता है। यह नई सरकार लेबनान के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने और आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम एक अनुभवी राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
- उनकी सरकार हिज्बुल्लाह के करीबी नेताओं से दूर जाने का संकेत देती है, जिससे देश में राजनीतिक संतुलन में बदलाव देखा जा सकता है। यह सरकार सुधारों और आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करेगी।

## कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया

- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को 19वें अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्मेलन में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। CIL के अध्यक्ष पीएम प्रसाद ने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- यह सम्मान CIL की सतत सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसने 35 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पिछले पाँच वर्षों में, CIL सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सबसे अधिक CSR व्यय करने वाली कंपनी रही है। कंपनी अपने CSR बजट का 70% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों पर खर्च करती है।
- CIL ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत 50,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण भी किया है। यह अवार्ड भारत में सामाजिक कल्याण और सतत विकास में CIL की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

## आरबीआई भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'bank-in' और 'fin-in' डोमेन पेश करेगा

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन 'bank-in' और 'fin-in' पेश करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा खतरों से निपटना है।
- 'bank-in' डोमेन विशेष रूप से भारतीय बैंकों के लिए होगा, जो वित्तीय सेवाओं तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करेगा और डिजिटल बैंकिंग में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएगा। 'fin-in' डोमेन वित्तीय क्षेत्र की अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए होगा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) को इन डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
- यह कदम साइबर अपराधों को रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन डोमेनों के माध्यम से ग्राहकों के लिए वैध वित्तीय संस्थानों की पहचान करना आसान होगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित बनेगी।

## बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन 'डेविल हंट' शुरू किया

- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 'ऑपरेशन डेविल हंट' की शुरुआत की। यह अभियान अवामी लीग के नेताओं और संपत्तियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने अब तक 1,300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने हिंसा फैलाने वालों को जड़ से उखाड़ने की प्रतिबद्धता जताई है।
- बांग्लादेश में हिंसक विरोध के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में पद से हटा दिया गया था, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ गई। ऑपरेशन डेविल हंट की निगरानी के लिए एक विशेष कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। इस बीच, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 11 फरवरी से देशभर में रैलियों की श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

## आईवीएफ तकनीक से बना पहला कंगारू भ्रूण

- ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पहली बार आईवीएफ तकनीक का उपयोग कर कंगारू भ्रूण विकसित करने में सफलता हासिल की। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इंट्रासाइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) तकनीक का उपयोग कर पूर्वी ग्रे कंगारू भ्रूण बनाया, जो मानव प्रजनन उपचार में भी इस्तेमाल होती है।
- इस सफलता से लुप्तप्राय धानी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं। अनुसंधान दल ने अब तक 20 से अधिक कंगारू भ्रूण बनाए हैं, जिनके लिए शुक्राणु और अंडाणु मृत कंगारूओं से एकत्र किए गए। यह खोज ऑस्ट्रेलिया के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
- प्रमुख शोधकर्ता डॉ. एंड्रेस गैम्बिनी ने इसे वन्यजीव जैव विविधता को संरक्षित करने में अहम उपलब्धि बताया। इस तकनीक का उपयोग अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन में भी किया जा सकता है, जिससे जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

## नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन

- नामीबिया के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें नामीबिया के 'संस्थापक पिता' के रूप में जाना जाता है। नुजोमा ने 1990 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का नेतृत्व किया और 2005 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। उन्होंने नामीबिया के संविधान में संशोधन कर तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त किया था।
- दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में उनकी अहम भूमिका रही, जिसके कारण उन्हें संसद अधिनियम, 2005 के तहत 'नामीबिया राष्ट्र का संस्थापक पिता' घोषित किया गया। विंडहोक नामीबिया की राजधानी है और वहां की मुद्रा नामीबियाई डॉलर है।
- वर्तमान में नांगोलो म्बुम्बा देश के राष्ट्रपति हैं, जबकि सारा कुगोंगेल्वा प्रधानमंत्री हैं। नुजोमा की मृत्यु अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करने का अवसर है, जिससे उन्होंने नामीबिया को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद की।

## अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर

- अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से हटने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने विदेश मंत्री गेरार्डो वर्थिन को इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया।
- माइली ने WHO पर राजनीतिक प्रभाव में रहने और स्वास्थ्य प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाया, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से निपटने में संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए। माइली ने WHO को 'हानिकारक संगठन' करार दिया।
- अर्जेंटीना का WHO में वार्षिक योगदान लगभग 8 मिलियन डॉलर था। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और 2024 में उसने लगभग 950 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी थी। इस फैसले का प्रभाव अर्जेंटीना की वैश्विक स्वास्थ्य नीति और अन्य देशों के साथ इसके सहयोग पर पड़ सकता है।

## सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025

- हरियाणा के फरीदाबाद में 7 फरवरी से 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत हुई, जो 23 फरवरी तक चला। इस वर्ष मेले की थीम 'शिल्प महाकुंभ' है, जो महाकुंभ मेला 2025 से प्रेरित है।
- पहली बार, ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। इस आयोजन में 42 देशों के 648 कारीगर और 1,000 से अधिक स्टॉल शामिल हुए।
- मेले में हथकरघा, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और बहु-व्यंजन भोजन की प्रदर्शनी होगी। हरियाणा पर्यटन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी हुआ है, जिससे पर्यटकों को यात्रा में सुविधा होगी। BIMSTEC देशों को भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है।
- सूरजकुंड मेला भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक मंच प्रदान करता है और कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा करता है।

## हिमाचल में उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र

- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत 9.04 करोड़ रुपये होगी।
- राज्य सरकार 2026 तक हिमाचल को भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संयंत्र अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देगा और राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।
- सरकार ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस के विकास के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2028 तक बढ़ा

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे 50.91 करोड़ की लागत से बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 2013 के मैनुअल स्कैवेंजर निषेध और पुनर्वास अधिनियम (MS Act 2013) के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। यह अधिनियम सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए बना है।
- आयोग सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की स्वतः संज्ञान लेता है और केंद्र व राज्य सरकारों को उचित सलाह देता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और 1994 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया।
- सरकार का यह कदम सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

## भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने संन्यास की घोषणा की

- भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच बंगाल के लिए पंजाब

के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेला। 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 40 वर्षीय साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट और 9 वनडे खेले। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बंगाल और त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करते हुए 142 प्रथम श्रेणी और 116 लिस्ट ए मैच खेले।

- साहा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। आईपीएल में, उन्होंने कई फ्रेंचाइजी के लिए खेला, लेकिन उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2014 के फाइनल में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शतक था। उनकी विकेटकीपिंग तकनीक और शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक अहम खिलाड़ी बनाया।

## प्रिंस रहीम अल-हुसैनी बने आगा खान V

- 5 फरवरी को, प्रिंस रहीम अल-हुसैनी को इस्माइली मुसलमानों के नए आध्यात्मिक नेता के रूप में घोषित किया गया। उनके पिता, आगा खान चतुर्थ, का 4 फरवरी को पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- 53 वर्षीय प्रिंस रहीम को उनके पिता की वसीयत के अनुसार आगा खान V नाम दिया गया, जिससे वे इस्माइलियों के 50वें वंशानुगत इमाम बन गए।
- इस्माइली समुदाय उन्हें पैगंबर मुहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में मानता है और वे समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक होंगे। आगा खान चतुर्थ के नेतृत्व में इस्माइली समुदाय ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

## नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने इकोवास छोड़ा

- नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास (ECOWAS) से बाहर होने की घोषणा की। यह निर्णय इन देशों में सैन्य शासन स्थापित होने के बाद आया, जिसके कारण इकोवास के साथ उनके संबंध बिगड़ गए थे। 2020 में माली, 2022 में बुर्किना फासो और 2023 में नाइजर में तख्तापलट हुआ था।
- इकोवास ने इन देशों पर प्रतिबंध लगाए थे और लोकतांत्रिक शासन बहाल करने का आग्रह किया था। इकोवास के 15 सदस्य देश हैं और इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। संगठन ने कहा कि वह इन देशों के लिए अपने दरवाजे खुले रखेगा, लेकिन उनके बाहर होने से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

## गुजरात में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित

- गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव क्षेत्र को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर इसे यह दर्जा दिया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्य सरकार ने यह घोषणा की, जिससे इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।
- दुनिया में केवल आठ स्थानों पर अंतर्देशीय मैंग्रोव पाए जाते हैं, और भारत में यह अंतिम अवशेष माना जाता है। यह स्थल अरब सागर से 45 किमी और कोरी क्रीक से 4 किमी दूर स्थित है। स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति इस क्षेत्र का संरक्षण करेगी।

## महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी

- महाराष्ट्र में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव करेंगे। यह विश्वविद्यालय एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को एआई शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है।
- यह परियोजना उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगी। विश्वविद्यालय कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल भाजपा के चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप है, जो विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देता है।

## अमेरिका ने UNHRC से सदस्यता वापस ली

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से अमेरिका के बाहर निकलने के लिए कार्यकारी आदेश

पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को धन भेजना भी बंद कर दिया।

- अमेरिका ने UNRWA पर यहूदी-विरोधी और इजरायल-विरोधी होने का आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि इसकी सुविधाओं का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा किया जाता है। अमेरिका ने यूनेस्को में अपनी भागीदारी की समीक्षा करने की भी योजना बनाई है। UNHRC की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

## कर्नाटक 'नक्सल मुक्त' घोषित

- कर्नाटक की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे राज्य को 'नक्सल मुक्त' घोषित किया गया। उसे 'ए' श्रेणी में रखा गया है, जिससे उसे सरकार से 7 लाख का सरेंडर पैकेज मिलेगा। यह राशि तीन वर्षों में चरणों में दी जाएगी। लक्ष्मी उडुपी जिले में तीन मामलों में नामित थी और उसने अधिकारियों से कानूनी राहत की अपील की है।
- कर्नाटक सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के अनुसार, लक्ष्मी के आत्मसमर्पण से कर्नाटक में नक्सलवाद समाप्त हो गया है।

## स्वर्गीय चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024

- डोगरी साहित्य के प्रख्यात लेखक स्वर्गीय चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक 'इक होर अश्वत्थामा' के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तीन सदस्यीय जूरी (डॉ. सुषमा रानी, डॉ. वीणा गुप्ता, डॉ. जितेंद्र उधमपुरी) की सिफारिश पर यह चयन हुआ।
- पुरस्कार में 1 लाख रुपये और एक कास्केट (ताम्र-पट्टिका) शामिल है। सम्मान 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में उनके परिवार को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार डोगरी भाषा में साहित्य के प्रति उनके योगदान को मान्यता देता है।

## बेल्जियम के नए PM बार्ट डी वेवर

- फ्लेमिश राष्ट्रवादी एन-वीए पार्टी के नेता बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लेंगे, जो जून 2024 के चुनावों के बाद कार्यवाहक PM थे।
- पाँच दलों के गठबंधन से बनी यह सरकार पहली बार किसी फ्लेमिश राष्ट्रवादी के नेतृत्व में है। बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रूसेल्स और मुद्रा यूरो है, यूरोप में राजनीतिक स्थिरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

## भारत: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता

- 2014 में मात्र 2 इकाइयों से शुरू होकर भारत आज 330 मिलियन वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। 99.2% मोबाइल अब घरेलू स्तर पर बनते हैं।
- 2024 में निर्यात 1.29 लाख करोड़ और कुल मूल्य 4.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचा। 'मेक इन इंडिया' और सेमीकंडक्टर मिशन ने चार्जर, बैटरी जैसे घटकों के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र ने 12 लाख रोजगार सृजित किए हैं।

## रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र

- मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो गोविंदगढ़ क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी का हिस्सा है।
- यह परियोजना सफेद बाघों के संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ाएगी।
- रीवा को ऐतिहासिक रूप से सफेद बाघों का अंतिम प्राकृतिक आवास माना जाता है।

# समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

| | |
|---|---|
| **1.** | भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर दूसरा आईसीसी महिला अंडर-19 टी-20 विश्व कप जीत लिया। फाइनल 2 फरवरी 2025 को बायुएमास क्रिकेट ओवल, कुआलालंपुर, मलेशिया में खेला गया। |
| **2.** | भारत-मालदीव सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' का 13वां संस्करण 2-15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित हुआ। 'एकुवेरिन' का धिवेही भाषा में अर्थ 'मित्र' होता है। यह एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, जो 2009 से भारत और मालदीव में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। |
| **3.** | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। 9.04 करोड़ रुपये की लागत वाले इस संयंत्र में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 423 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। |
| **4.** | केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने चौथे नो मनी फॉर टेरर (NMFT) सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह सम्मेलन 13 फरवरी 2025 को म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में आतंकवाद के वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण और संगठित अपराध पर चर्चा की गई। |
| **5.** | हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। |
| **6.** | हाल ही में नासा ने लूनर ट्रेलब्लेजर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी का पता लगाना है। यह मिशन भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। |
| **7.** | भारतीय सेना ने हाल ही में एलएंडटी लिमिटेड से 223 स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्शन और अलार्म (ACADA) सिस्टम का अनुबंध किया है। 80.43 करोड़ रुपये की यह खरीद रासायनिक युद्ध के खतरों के खिलाफ सेना की क्षमताओं को आधुनिक बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। |
| **8.** | हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में नौसेना एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज (NASM-SR) के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। |
| **9.** | हाल ही में, सरकारी ई मार्केटप्लेस (GeM) ने अपनी SWAYATT पहल के छह साल पूरे होने का जश्न मनाया। 2019 में लॉन्च किए गए SWAYATT का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। |
| **10.** | शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) 18 फरवरी, 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना है, जो कई शहरी क्षेत्रों में पुराने मानचित्रण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करता है। |
| **11.** | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए एक व्यापक रूपरेखा पेश की है। इस नई रूपरेखा का उद्देश्य प्राधिकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और नियामक बोझ को कम करके प्रसारण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। |
| **12.** | भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (SDR) की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ₹1220.12 करोड़ मूल्य के इस अनुबंध को 20 फरवरी 2025 को अंतिम रूप दिया गया। |
| **13.** | ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियोम मिशन 4 के पायलट होंगे और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। |
| **14.** | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने iSPOT पोर्टल लॉन्च किया है, जो स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य बाजार संस्थानों में तकनीकी समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए है। यह प्रारंभिक और अंतिम मूल कारण विश्लेषण (RCA) रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। |

| | |
|---|---|
| **15.** | लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में सात पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें चार स्वर्ण पदक शामिल हैं। खेलों के पहले चरण का समापन 27 जनवरी को लेह में हुआ। लद्दाख की महिला आइस हॉकी टीम ने ITBP को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारतीय सेना ने पुरुषों की आइस हॉकी में अपना खिताब बरकरार रखा। |
| **16.** | 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो सूरत में आयोजित हुई, में दिया चितले और मानुष शाह ने क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। दिया ने श्रीजा अकुला को हराया, जबकि मनुष ने पायस जैन को हराकर खिताब अपने नाम किया। दिया और श्रीजा ने युगल खिताब भी जीता, जबकि आकाश पाल और पोयमंती बैसया ने मिश्रित युगल खिताब जीता। |
| **17.** | ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया, जिन्होंने 18 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। |
| **18.** | भारत का पहला वाइल्डलाइफ बायोबैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZP) में स्थापित किया गया है। यह बायोबैंक, जिसे ष्फ्रोजन जूष भी कहा जाता है, विलुप्तप्राय प्रजातियों के डीएनए, कोशिकीय और ऊतक नमूनों को एकत्र और संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। |
| **19.** | भारतीय जीवविज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की 'वीमेन ऑफ द ईयर 2025' सूची में शामिल किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं, जो दुनिया को अधिक समावेशी और बेहतर बनाने के लिए असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन कर रही हैं। |
| **20.** | झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे समीक्षा के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लगाया गया है। |
| **21.** | कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी औपचारिक दो दिवसीय भारत दौरे आए थे, जहां उनका स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। |
| **22.** | फोनपे ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक टोकनाइजेशन समाधान लॉन्च किया है। इस समाधान, जिसे 'डिवाइस टोकनाइजेशन' कहा जाता है, के जरिए उपयोगकर्ता अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी को अपने डिवाइस पर सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं, जिससे संवेदनशील कार्ड विवरणों को अद्वितीय टोकन से बदल दिया जाता है। |
| **23.** | 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी, उत्तराखंड में हुआ। इस 18-दिवसीय भव्य आयोजन में भारत की 37 टीमों के 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। इस खेल आयोजन में 35 खेल विधाएं और चार प्रदर्शन खेल शामिल थे। |
| **24.** | इसरो ने ठोस प्रणोदक उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10-टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर विकसित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह स्वदेशी मिक्सर बेंगलुरु स्थित सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (CMTI) के सहयोग से बनाया गया है और यह ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। |
| **25.** | DRDO और भारतीय नौसेना ने NASM-SR मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे एक सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। यह परीक्षण 26 फरवरी 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में किया गया। NASM-SR मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली है, जिसमें सी-स्किमिंग क्षमता है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकती है। |
| **26.** | डोनाल्ड ट्रंप ने 'गोल्ड कार्ड' कार्यक्रम की योजना पेश की है, जो अमीर व्यक्तियों के लिए $5 मिलियन की फीस देकर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक नया मार्ग प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम मौजूदा EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह लेगा, जिसे दुरुपयोग और धोखाधड़ी के लिए आलोचना मिली है। 'गोल्ड कार्ड' ग्रीन कार्ड के समान लाभ प्रदान करेगा, जिसमें स्थायी निवास और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी शामिल होगी। |

# समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

**1. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वैवाहिक बलात्कार का अपवाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 पर भी लागू होगा।
2. धारा 377 बिना सहमति के किसी के साथ असामान्य यौन संबंध को अपराधीकरण करता है।
3. वैवाहिक बलात्कार का अपवाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पति, अपनी पत्नी के साथ सहमति से बिना यौन संबंध बनाने पर बलात्कार का आरोप नहीं लगेगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई नहीं

**2. भारतीय महासागर सम्मेलन (IOC) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने ईरान में आयोजित 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन (IOC) को संबोधित किया।
2. भारत ने सिंगापुर और ओमान के साथ मिलकर 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी की।
3. भारतीय महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, जो दुनिया की 70% कंटेनर यातायात को संभालता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई नहीं

**3. निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक टैरिफ का वैश्विक व्यापार पर सबसे अच्छा आर्थिक प्रभाव हो सकता है?**

A. देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना
B. वैश्विक वस्त्र बाजारों में मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करना
C. बहुपक्षीय व्यापार समझौतों और WTO-नेतृत्व वाले वार्ता को बढ़ावा देना
D. सुरक्षा उपायों में वृद्धि और संभावित व्यापार युद्ध

**4. पारस्परिक शुल्कों के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव पर विचार करें:**

1. भारत के अमेरिकी निर्यात की लागत में वृद्धि।
2. WTO-नेतृत्व वाले व्यापार विवाद निवारण तंत्र को अमेरिका द्वारा मजबूती मिलेगी।
3. भारत के अमेरिकी व्यापार अधिशेष में गिरावट।

उपरोक्त में से कितने प्रभाव पारस्परिक शुल्कों के कारण संभव हो सकते हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**5. भारत-अमेरिका TRUST पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. TRUST पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत सामग्रियों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
2. यह भारत के सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा है, जो समुद्री अवसंरचना विकास पर केंद्रित है।
3. इसका एक प्रमुख उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है, खासकर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के मामले में।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**6. भारत में मृत्युदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत में मृत्युदंड मुख्य रूप से फांसी द्वारा निष्पादित किया जाता है।
2. भारत ने पिछले दशक में 1,000 से अधिक कैदियों को फांसी दी है।
3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, मृत्युदंड केवल 'सबसे दुर्लभ मामलों' में ही लगाया जाता है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. इनमें से कोई नहीं

**7. NAKSHA परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. NAKSHA परियोजना को ग्रामीण भूमि रिकॉर्डों को जियोस्पैटियल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आधुनिक बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
2. NAKSHA वर्तमान में अपने पायलट चरण में है, जो 26 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को कवर करता है।
3. NAKSHA के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में सर्वे ऑफ इंडिया है, जो हवाई सर्वेक्षण करने और सही चित्रण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. इनमें से कोई नहीं

**8. प्रिडेटरी प्राइसिंग पर भारत के नए मसौदा विनियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन की लागत का निर्धारण) विनियम, 2025 का मसौदा, प्रिडेटरी प्राइसिंग निर्धारण के मामलों में उत्पादन लागत निर्धारित करने की कार्यप्रणाली को अद्यतन करने का लक्ष्य रखता है।
2. 2025 के मसौदा विनियम मौजूदा CCI (उत्पादन की लागत का निर्धारण) विनियम, 2009 को बदलने का प्रस्ताव करते हैं।
3. हितधारकों के लिए परामर्श अवधि 1 जनवरी से 31 मार्च, 2025 तक खुली है।
4. विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य प्रिडेटरी प्राइसिंग निर्धारण को विनियमित करना और भारत के बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. केवल 3

D. सभी चार

**9. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. DILRMP को भारत सरकार द्वारा 2008 में भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने और आधुनिकीकरण करने और एक केंद्रीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
2. DILRMP पूरी तरह से राज्य सरकारों (100% राज्य वित्त पोषण) द्वारा वित्त पोषित है।
3. DILRMP के प्रमुख घटकों में से एक में प्रमाणीकरण और भूमि स्वामित्व सत्यापन के लिए आधार के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरण शामिल है।
4. DILRMP का कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है, इसकी अवधि अब 2021 से 2030 तक चल रही है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1

B. 1 और 3

C. 1, 3 और 4

D. सभी चार

**10. भारत-कतर संबंधों में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने फरवरी 2025 में नई दिल्ली में वार्ता की और भारत-कतर संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
2. दोनों देशों ने निवेश संरक्षण समझौते पर बातचीत में तेजी लाने और ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
3. भारत और कतर के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए एक संशोधित समझौते का आदान-प्रदान किया गया, जिससे व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।
4. भारत और कतर ने 2008 में समुद्री रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से रक्षा सहयोग में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1

B. 1, 2 और 3

C. 2, 3 और 4

D. सभी चार

**11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया।

2. नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023 द्वारा शासित थी।
3. नया अधिनियम लागू होने के बाद यह पहली नियुक्ति है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. तीनों
D. इनमें से कोई नहीं

**12. अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामला किस मुख्य मुद्दे से सम्बंधित था?**

A. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
B. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
C. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति
D. एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन

**13. अक्टूबर-दिसंबर 2024 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. अक्टूबर से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 6.4% रही।
2. इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर महिलाओं की तुलना में अधिक थी।
3. शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में 2023 की इसी अवधि की तुलना में मामूली सुधार हुआ।
4. अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही और जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही दोनों में बेरोजगारी दर 6.4% पर स्थिर रही।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. ये सभी

**14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारतीय सरकार ने हाल ही में पीटलैंड संरक्षण और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2025, पेश किया है, ताकि पीटलैंड सुरक्षा में सुधार किया जा सके।
2. पीटलैंड दुनिया की कुल भूमि सतह का लगभग 10% भाग कवर करते हैं।
3. पीटलैंड कार्बन संकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये दुनिया के सभी जंगलों से अधिक कार्बन स्टोर करते हैं।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई नहीं

**15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. पीटलैंड दुनिया के सभी जंगलों से अधिक कार्बन स्टोर करते हैं।
2. एक हालिया अध्ययन के अनुसार, दुनिया के 27% पीटलैंड मूल निवासियों की भूमि पर स्थित हैं।
3. पीटलैंड्स दूसरे सबसे ज्यादा संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र हैं, मैंग्रोव्स के बाद।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई नहीं

**16. NAKSHA परियोजना के माध्यम से भूमि रिकॉर्डों को डिजिटाइज करने के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. NAKSHA यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के पास भूमि स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज हो, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों पर स्पष्ट, कानूनी अधिकार मिलते हैं।
2. NAKSHA के तहत भूमि रिकॉर्डों को डिजिटाइज करने से भूमि विवादों से संबंधित न्यायिक बोझ में काफी कमी आती है, क्योंकि यह भूमि स्वामित्व पर संघर्षों को कम करता है।
3. NAKSHA के तहत भूमि रिकॉर्डों का डिजिटाइजेशन शासन को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह शहरी योजना और निर्णय लेने में सुधार करता है।
4. NAKSHA की पहल निवेश को आकर्षित करने पर न्यूनतम प्रभाव डालेगी, क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में व्यापार करने की आसानी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. सभी चार

**17. अफ्रीकी चीता की IUCN स्थिति क्या है?**

A. गंभीर रूप से संकटग्रस्त

B. सुभेद्य

C. संकटग्रस्त

D. कम चिंता

**18. प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा 1952 में भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से लाने की एक पहल है।
2. यह परियोजना 2020 में दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आने के साथ शुरू हुई।
3. प्रोजेक्ट चीता का एक लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और उन क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना है जहाँ चीतों को फिर से लाया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. 1 और 3

C. तीनों

D. केवल 3

**19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) 2025 में भारत में आयोजित होगा।
2. भारत ने 2070 तक शून्य-उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
3. पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री-इंडस्ट्रियल स्तरों से 2°C तक सीमित करने का लक्ष्य रखता है और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो पश्चिमी जोनल काउंसिल की 27वीं बैठक से संबंधित हैं:**

1. पश्चिमी जोनल काउंसिल की 27वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की, जो पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हुई।
2. जोनल काउंसिलों की स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य-स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
3. पश्चिमी जोनल काउंसिल में गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं, लेकिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल नहीं हैं।
4. उत्तर-पूर्वी राज्य जोनल काउंसिल का हिस्सा हैं।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. केवल 3

D. सभी चार

**21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, खान मंत्रालय ने बैराइट्स, फेलस्पार, मीका और क्वार्ट्ज को गौण खनिजों से प्रमुख खनिजों में पुनर्वर्गीकृत किया है।
2. पुनर्वर्गीकरण के निर्णय का उद्देश्य लिथियम और टैंटलम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को अनलॉक करना है।
3. इन खनिजों के पुनर्वर्गीकरण के लिए संक्रमण अवधि छह महीने है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**22. खनिजों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत में प्रमुख खनिजों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।
2. गौण खनिजों का प्रबंधन आम तौर पर कठोर निष्कर्षण प्रक्रियाओं और उच्च रॉयल्टी शुल्क के साथ केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. दोनों

D. कोई नहीं

**23. माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है?**

A. मेजराना 1

B. क्वांटम कोर

C. टोपोलॉजिकल चिप

D. क्यूबिट प्रोसेसर

**24. भारत में भारतीय गिद्ध (Gyps indicus) का संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट के अनुसार क्या है?**

A. संकटग्रस्त
B. सुभेद्य
C. गंभीर रूप से संकटग्रस्त
D. न्यूनतम चिंता

**25. अभिकथन (A): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।**

**कारण (R):** BBC WS इंडिया ने कथित तौर पर भारत में डिजिटल मीडिया कंपनियों के लिए 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा का उल्लंघन किया।

सही विकल्प चुनें:

A. अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
B. अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
C. अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
D. अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

**26. FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. FEMA को 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) को बदलने के लिए 1999 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य वैध बाहरी व्यापार लेनदेन को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करना था।
2. FERA के विपरीत, FEMA एक आपराधिक कानून के रूप में कार्य करता है, जहाँ अपराधों के लिए जुर्माना या दंड के बजाय कारावास की सजा दी जाती है।
3. प्रवर्तन निदेशालय (ED) FEMA के उल्लंघन की जाँच करता है, जुर्माना लगाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर वित्तीय उल्लंघनों के मामलों में संपत्ति जब्त करने का अधिकार रखता है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**27. बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर-सरकारी संगठन (बीओबीपी-आईजीओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. 2003 में स्थापित बीओबीपी-आईजीओ का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे पैमाने के मछुआरों के आजीविका के अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
2. बीओबीपी-आईजीओ के वर्तमान सदस्यों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।
3. बीओबीपी-आईजीओ का एक प्रमुख उद्देश्य समुद्री मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

कितने कथन सही नहीं हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**28. बंगाल की खाड़ी अंतर-सरकारी संगठन (BOBP-IGO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत ने 21 फरवरी, 2025 को मालदीव के माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बांग्लादेश से BOBP-IGO की अध्यक्षता ग्रहण की।
2. BOBP-IGO में भारत के नेतृत्व का प्राथमिक फोकस अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

**29. कथन: रोजगार के क्षेत्र में स्वचालन और एआई के उदय के कारण आलोचनात्मक सोच, नेतृत्व और रचनात्मकता जैसे सॉफ्ट स्किल्स तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।**

**कारण:** जैसे-जैसे स्वचालन नियमित कार्यों को संभाल रहा है, समस्या-समाधान और निर्णय लेने में मानवीय क्षमताएँ पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं।

विकल्प:

A. कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है।
B. कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

D. कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

**30. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार है।
2. दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और नैदानिक परीक्षणों पर इसका नियामक नियंत्रण भी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. दोनों

D. कोई नहीं

**31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2024 पंचायत हस्तांतरण सूचकांक (पीडीआई) जारी किया गया, जिसमें भारत की पंचायत प्रणाली पर व्यापक अध्ययन प्रदान किया गया।
2. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सूचकांक में शीर्ष तीन राज्यों के रूप में उभरे हैं।
3. उत्तर प्रदेश और बिहार सूचकांक में सबसे निचले राज्य के रूप में रहे।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**32. वह कौन सा राज्य है जिसकी पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है?**

A. अरुणाचल प्रदेश

B. ओडिशा

C. हरियाणा

D. आंध्र प्रदेश

**33. ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।**

1. ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स मर्सर मेटल कंपनी द्वारा जारी किया गया।
2. रिपोर्ट में 2023 से 2024 तक भारत में ग्रेजुएट रोजगार क्षमता में 2% की गिरावट दर्ज की गई।
3. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली सबसे अधिक रोजगार योग्य क्षेत्र के रूप में उभरा है।

कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**34. सरस आजीविका मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है।
2. मेला विशेष रूप से SHG द्वारा बनाए गए हथकरघा उत्पादों पर केंद्रित है।
3. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और माताओं के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन और व्यवस्थाएँ शामिल हो रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**35. भारत में इंटरनेट शटडाउन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत में 2024 में लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुए, जिसमें 84 शटडाउन दर्ज किए गए।
2. भारत में इंटरनेट शटडाउन मुख्य रूप से सरकारी नौकरी प्लेसमेंट परीक्षाओं और शैक्षिक उद्देश्यों से जुड़े थे।
3. संशोधित दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार निलंबन नियम 2024 ने भारत में इंटरनेट शटडाउन आदेशों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र तंत्र पेश किया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**36. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. नियमों में यह अनिवार्य है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को खाद बनाने या बायो-मीथेनेशन के माध्यम से साइट पर ही संसाधित किया जाना चाहिए, तथा अवशिष्ट अपशिष्ट को स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए।

2. उत्पादकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अपने उत्पादों द्वारा उत्पन्न पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस एकत्र करना आवश्यक है।
3. पहाड़ी क्षेत्रों में, नियम यह अनिवार्य करते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें विशेष आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों-दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अपशिष्ट पृथक्करण प्रथाओं पर मार्च 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न्यायालय द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए अधिकृत किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

**38. गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति की जांच करने के लिए प्रस्तावित टेबलटॉप प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. प्रस्तावित प्रयोग का उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का पालन करता है या नहीं।
2. प्रयोग ब्लैक होल के पास जैसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के प्रभावों का अध्ययन करने पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

**39. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. एनईपी 2020 में तीन-भाषा फॉर्मूला बरकरार रखा गया है, जिसमें अधिक लचीलापन है।
2. नीति में अनिवार्य है कि तीन भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय क्षेत्रीय भाषा शामिल होनी चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

**40. टाइम यूज सर्वे (TUS) 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. सर्वे के अनुसार वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, 15-59 वर्ष की आयु की 25% महिलाएँ रोजगार-संबंधी गतिविधियों में लगी हुई हैं, जो 2019 में 21.8% थी।
2. सर्वेक्षण से पता चलता है कि पुरुष अवैतनिक घरेलू कार्यों में महिलाओं की तुलना में अधिक समय बिताते हैं।
3. सर्वेक्षण से पता चलता है कि बच्चों की सीखने की गतिविधियों में भागीदारी में गिरावट आई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**41. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. UNGA संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है, जहाँ सभी सदस्य राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है।
2. UNGA के संकल्प, जिनमें शांति और सुरक्षा से संबंधित संकल्प भी शामिल हैं, सदस्य राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
3. महासभा अपने 'शांति के लिए एकजुटता' संकल्प के अनुसार, यदि सुरक्षा परिषद किसी स्थायी सदस्य के वीटो के कारण कार्य करने में विफल रहती है, तो शांति और सुरक्षा के मामलों पर कार्रवाई कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**42. कथन: 'यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति**

**को बढ़ावा देना' शीर्षक वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव अमेरिका और रूस दोनों के विरोध के बावजूद पारित हो गया।**

**कारण:** प्रस्ताव को मुख्य रूप से यूरोपीय देशों और G7 सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया, जो पश्चिमी शक्तियों से यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन को दर्शाता है।

विकल्प:

A. कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण ।कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है।

B. कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

D. कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

**43. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
2. CAG का प्राथमिक कर्तव्य लेखा परीक्षा के माध्यम से कार्यकारी की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
3. सरकारी खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट सीधे संसद को प्रस्तुत की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. सभी तीन

D. कोई नहीं

**44. पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायत राज निकायों में कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 243D का खंड (3) पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. दोनों

D. कोई नहीं

**45. कथन: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति ने उन पुरुष रिश्तेदारों के लिए अनुकरणीय दंड की सिफारिश की है जो महिलाओं की ओर से पंचायतों में नेतृत्व की स्थिति संभालते हैं।**

**कारण:** सलाहकार समिति की सिफारिशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पंचायतों में चुनी गई महिलाएं पुरुषों के हस्तक्षेप के बिना अपनी नेतृत्व भूमिका निभाने में सक्षम हों।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है।

B. कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

D. कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

**46. घड़ियाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. मध्य प्रदेश भारत की 80% से अधिक घड़ियाल आबादी का घर है।
2. घड़ियाल मुख्य रूप से खारे पानी के आवासों में पाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. दोनों

D. कोई नहीं

**47. स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्शन और अलार्म (ACADA) प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. ACADA प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया था।
2. ACADA प्रणाली लगातार आसपास की हवा का नमूना लेकर खतरनाक पदार्थों का पता लगाने के लिए आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री (IMS) तकनीक का उपयोग करती है।
3. 223 ACADA सिस्टम के लिए भारतीय सेना का अनुबंध 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ संरेखित है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. सभी तीन

**48. SPHEREx मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. NASA द्वारा लॉन्च किए गए SPHEREdx मिशन का उद्देश्य मिल्की वे आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय प्रसार, तारा निर्माण और जीवन बनाने वाले अणुओं का अध्ययन करना है।
2. SPHEREx केवल प्रकाशीय प्रकाश का पता लगाकर ब्रह्मांड का अत्यधिक विस्तृत माप करेगा, जो आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास को समझने में मदद करेगा।
3. SPHEREx मिशन ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए 450 मिलियन आकाशगंगाओं की 3D स्थिति को मापेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. सभी तीन

**49. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से अपने को वापस कर लिया है।
2. यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
3. काउंसिल के सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए सेवा करते हैं और वे दो लगातार कार्यकालों के बाद तुरंत फिर से चुनाव के लिए योग्य नहीं होते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

**50. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारतीय संविधान मैनुअल स्कैवेंजर को समानता (अनुच्छेद 14), अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
2. मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध अधिनियम, 2013, मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास पर केंद्रित है, लेकिन इस प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।
3. नमस्ते योजना मशीनीकृत स्वच्छता को प्रोत्साहित करती है और मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास में सहायता करती है, जो इस प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
C. उपरोक्त सभी

# उत्तर

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | C | 21 | C | 31 | B | 41 | B |
| 2 | B | 12 | C | 22 | A | 32 | C | 42 | A |
| 3 | D | 13 | C | 23 | A | 33 | C | 43 | B |
| 4 | B | 14 | A | 24 | C | 34 | B | 44 | C |
| 5 | B | 15 | B | 25 | A | 35 | A | 45 | A |
| 6 | B | 16 | C | 26 | B | 36 | B | 46 | A |
| 7 | B | 17 | B | 27 | B | 37 | C | 47 | D |
| 8 | C | 18 | B | 28 | C | 38 | A | 48 | B |
| 9 | B | 19 | B | 29 | A | 39 | A | 49 | B |
| 10 | B | 20 | C | 30 | C | 40 | B | 50 | C |

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
ALIGANJ

# New Batch

# UPSC (IAS)

## GENERAL STUDIES

**21st Mar 2025**

**HINDI & ENGLISH MEDIUM**

8:30 AM | 6:00 PM

OFFLINE / ONLINE BATCH

*Admission Open*

BOOK YOUR SLOT

LUCKNOW

ALIGANJ 9506256789 | GOMTINAGAR 7570009003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Branch
GOMTINAGAR

# New Batch

19th Mar 2025

GENERAL STUDIES

UPSC (IAS)

8:30 AM | 6:00 PM

OFFLINE / ONLINE BATCH

19th Mar 2025

GENERAL STUDIES

UPPCS

8:30 AM

Admission Open

BOOK YOUR SLOT

LUCKNOW

GOMTINAGAR 7570009003 | ALIGANJ 9506256789